

प्रकाशक : डॉ० राजनारायण शुक्ला, सम्पादक
SH, A-5, कविनगर, गाजियाबाद (उ० प्र०)
दूरभाष : 9910777969

E-mail : harisharanverma1@gmail.com
WWW.IJSCJOURNAL.COM

सहयोग राशि (भारत में)

(व्यक्तिगत) (आजीवन 5100 रुपये)

(संस्थागत) (आजीवन 7100 रुपये)

कृपया सहयोग राशि बैंक ड्राफ्ट से ही भेजें।

बैंक ड्राफ्ट, संपादक "इण्डियन जर्नल ऑफ सोशल कन्सर्न्स" के पक्ष में देय होगा। आजीवन सदस्यता केवल दस वर्षों के लिए मान्य होगी। यदि किसी कारणवश पत्रिका का प्रकाशन बन्द हो जाता है तो आजीवन सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।

संपादकीय कार्यालय :

1. डॉ० हरिशरण वर्मा, प्रधान सम्पादक
F-120, सेक्टर-10, DLF, फरीदाबाद (हरियाणा) 121006
harisharanverma1@gmail.com 09355676460
WWW.IJSCJOURNAL.COM

2. डॉ० राजनारायण शुक्ला, सम्पादक
SH, A-5, कविनगर, गाजियाबाद (उ० प्र०)

क्षेत्रीय सम्पादक

1. डॉ० वाई.आर. शर्मा, A-24, रेजिडेंसल कैम्पस, न्यू कैम्पस, जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू-180001, फोन : 09419145967
2. डॉ० सलमा असलम, ओल्ड टाउन बरामुला, कश्मीर पिन-193101, मौ० 9682162934
3. डॉ० आरती लोकेश P.O.Box 99846, Dubai, UAE 97150-4270752
4. श्री मोहनलाल, 11 अशोक विहार, संजय नगर, पो. इज्जत नगर बरेली (उ० प्र०) फोन : 09456045552
5. श्री जितेन्द्र गिरधर, कार्यालय सहायक 105/26 जवाहर नगर, कॉर्पोरेटिव बैंक के पीछे, रोहतक 09896126686
6. डॉ० विमला देवी, सहायक प्रोफेसर (इतिहास) (उत्तराखण्ड)-262524 - 9411900411
7. डॉ० प्रिया कपूर, सहायक प्रोफेसर, डी० ए० वी शताब्दी कालेज, फरीदाबाद मौ० 9711196954
8. डॉ० रुषा रानी, हिन्दी-विभाग हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला-5
9. विमला टोप्पो, एस० आर० इंटरप्राइसेस म्युनिसिपल काम्पलेक्स सोपन 4, डेरी फार्म, पोर्ट बलेयर, पी० ओ० जंगली घाट-744103 साउथ अंडमान
10. डॉ० राजपाल, सहायक प्रो० राजकिय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हिसार
11. डॉ० प्रवेश कुमारी, सहायक प्रो० (हिन्दी-विभाग), बाबा मस्तराथ, विश्वविद्यालय, रोहतक, (हरियाणा)
12. Dr. Reena Rai, 991A, Sudamanagar, Indore, Madhyapradesh 452009, 9584231840

संरक्षक मण्डल :

1. प्रो० डॉ० चक्रधर त्रिपाठी कुलपति, उड़ीसा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कोरापुट, 763004, चलभाषा: 9437568809
2. डॉ० दिनेश मणी त्रिपाठी, प्रधानाचार्य एन० पी० के० आई कालेज, सरदार नगर बसडीला (गोरखपुर) उ० प्र०
3. डॉ० नरेश मिश्रा (पूर्व आचार्य, हिन्दी विभाग, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक)
4. डॉ० वाई.आर.शर्मा, (राजनीति शास्त्र विभाग, जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू)
5. डॉ० सुधांशु कुमार शुक्ल चेयर हिन्दी, आई. सी. सी. वासा विश्वविद्यालय, वासा (पोलैन्ड) मौ० 48579125129
6. डॉ० तपन कुमार शण्डिल्य, कुलपति, डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय राँची, (झारखण्ड) 9431049871
7. डॉ० जंगबहादुर पाण्डेय (पूर्व प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, हिन्दी विभाग) राँची विश्वविद्यालय, राँची - 834008 फोन : 09431595318
8. सुदेश रावत प्राचार्य एस. एन. आर. जयराम महिला कॉलेज, लोहार माजरा, कुरुक्षेत्र हरियाणा 36119 (सेठ नारंग राय लोहिया जय राम महिला कॉलेज)
9. Sh. Butta Singh gill, PPS, Dy Superintendent of Police. No 409 ,Street no 7 Ghuman Nagar , Sarhind Road, Patiala Punjab -147001.

परामर्शदात्री समिति :

1. डॉ० विजयदत्त शर्मा, पूर्व निदेशक, हरियाणा ग्रन्थ अकादमी पंचकूला (हरियाणा)
2. डॉ० सुधेश (पूर्व आचार्य, हिन्दी विभाग, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली)
3. डॉ० गिरिराजशरण अग्रवाल (पूर्व रीडर एवं अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, वर्धमान कॉलेज, बिजनौर)
4. डॉ० राजकुमारी सिंह, प्रोफेसर एफ.टी.एम. विश्वविद्यालय लोधीपुर राजपूत मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश 9760187147
5. डॉ० माया मलिक, पूर्व प्रोफेसर हिन्दी विभाग, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक
6. डॉ० ममता सिंहल, (प्रोफेसर एवं अध्यक्षा अंग्रेजी विभाग) जे० वी० जैन कॉलेज सहारनपुर
7. डॉ० विनीत बाला, सहायक प्रो. भूगोल विभाग, वैश्य पी.जी. कॉलेज, रोहतक

संपादकीय विशेषज्ञ समिति :

हिन्दी विभाग:

1. डॉ० राजेश पाण्डे (डी.वी. कॉलेज, उरई, जिला जालौन, उ० प्र०)
2. डॉ० अनिता, सहायक प्रोफेसर, (हिन्दी), श्री अरविन्द कालिज दिल्ली (सांध्य) मौ० :8595718895
3. डॉ० सुशील कुमार शर्मा (अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय शिलांग, मेघालय)
4. डॉ० शशि मंगला, पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्षा, हिन्दी विभाग, गोस्वामी गणेशदत्त स्नातन धर्म स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पलवल
5. डॉ० के० डी० शर्मा, पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, गोस्वामी गणेश दत्त, स्नातन धर्म स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पलवल
7. मुकेश चन्द्र गुप्ता (हिन्दी विभाग, एम.एच.पी.जी. कॉलेज, मुरादाबाद)
8. डॉ० गीता पाण्डेय (रीडर एवं अध्यक्षा, हिन्दी विभाग, एस.डी.

9. डॉ० प्रवीण कुमार वर्मा (सह प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, हिन्दी विभाग) गोस्वामी गणेशदत्त सनातन धर्म महाविद्यालय, पलवल
10. डॉ० सुधा चौहान, पूर्व अध्यक्ष हिन्दी विभाग, वैश्य कालिज, भिवानी
11. डॉ० रूबी, (सोनेयर सहायक प्रोफेसर हिन्दी विभाग कश्मीर)
12. डॉ० सुमन राठी, सहायक प्रो० हिन्दी विभाग, मस्तनाथ विश्वविद्यालय, अस्थल बोहर रोहतक
13. डॉ० सुधा कुमारी (हिन्दी विभाग) एन०जी०एफ० डिग्री कालिज, उड्डू, अध्ययन केन्द्र मथूरा रोड, पलवल 982719456
14. डॉ० एम. के. कलशेट्टी, हिन्दी विभाग, श्री माधवराय पाटेल महाविद्यालय, मुरुम तह० अमरगा, जिला उस्मानाबाद (महाराष्ट्र)-413605
15. डॉ० मनोज पंड्या, व्याख्याता हिन्दी विभाग, श्री गोविन्द गुरु, राजस्थान महाविद्यालय, बांसवाड़ा-327001, मो० 09414308404
16. डॉ. कृष्णा जून, प्रो० हिन्दी विभाग, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक
17. डॉ. विपिन गुप्ता, सहायक प्रोफेसर, वैश्य कॉलेज भिवानी
18. प्रो० (डॉ०) वन्दना शर्मा, म. न. 2, प्रोफेसर लॉज, किचम सी. डी. एम., मोदीनगर (उ.प्र.) 201204, मो० 2760411251
19. डॉ० जाहिदा जबीन, (प्रो० एवं अध्यक्षा, हिन्दी विभाग कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर-६)
20. डॉ० टी०डी० दिनकर, पूर्व प्रो० एवं अध्यक्षा, हिन्दी विभाग अग्रवाल कॉलेज, बल्लभगढ़)
21. डॉ० सुभाष सैनी, (सहायक प्रोफेसर हिन्दी विभाग दयालसिंह कॉलेज, करनाल, हरियाणा
22. डॉ० उर्विजा शर्मा, (सहायक प्रोफेसर हिन्दी विभाग शम्भु दयाल स्नातकोत्तर, महाविद्यालय, गाजियाबाद
23. डॉ० कामना कौशिक, (सहायक प्रोफेसर हिन्दी विभाग एम.के. स्नातकोत्तर, महाविद्यालय, सिरसा 09896796006
24. डॉ० मधुकान्त, (वरिष्ठ साहित्यकार) 211- L मॉडल टारुन, रोहतक
25. डॉ० कंचन पुरी, विभागध्यक्ष, रघुनाथ गर्ल्स पी० जी० कॉलेज मेरठ
26. डॉ० प्रवेश कुमारी, सहायक प्रो० हिन्दी बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, अस्थल बोहर रोहतक
27. डॉ० राजपाल, सहायक प्रो० राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हिसार
28. डॉ० प्रवेश कुमारी, सहायक प्रो० टिकाराम कन्या कॉलेज, सोनीपत, हरियाणा
29. प्रो. प्रणव शास्त्री, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष-हिन्दी विभाग, उपाधि महाविद्यालय, पीलीभीत - 262 001 उ. प्र. मो.98379 60530 drpranav&pbt23@rediffmail-com
30. प्रो. राखी उपाध्याय, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष - हिन्दी विभाग, डी. ए .वी. कॉलेज, देहरादून - 248 001 (उत्तराखंड) मो. 94111 90099 drrakhi-418@gmail-com
31. डॉ० सुनीता जसवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर - हिन्दी विभाग, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला (हिमाचल प्रदेश) मो.70186 21542

अंग्रेजी विभाग:

1. डॉ. ममता सिंहल, अध्यक्षा, अंग्रेजी विभाग, जे.वी. जैन कॉलेज, सहारनपुर, उ.प्र.
2. डॉ. रणदीप राणा, प्रोफेसर, अंग्रेजी विभाग, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक
3. डॉ. जयवीर सिंह हुड्डा, प्रोफेसर, अंग्रेजी विभाग, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक
4. डॉ० रविन्द्र कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष अंग्रेजी विभाग, चौ० चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
5. डॉ. अनिल वर्मा (पूर्व रीडर, अंग्रेजी विभाग, जे.वी. जैन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सहारनपुर)

6. डॉ० जे. के. शर्मा, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, अस्थल बोहर, रोहतक
8. डॉ. पी.के. शर्मा, (प्रो., अंग्रेजी-विभाग, राजकीय के.आर.जी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ग्वालियर)
9. डॉ. गीता रानी शर्मा, (सहायक प्रोफेसर) गो.ग.दत्त सनातन धर्म कॉलेज, पलवल
10. डॉ. किरण शर्मा, (एसोसिएट प्रोफेसर) राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय रोहतक
11. डॉ० राजाराम, सहायक प्रोफेसर (अंग्रेजी) ओम स्ट्रलिंग ग्लोबल, वि विद्यालय, हिसार (हरियाणा)

वाणिज्य विभाग:

1. डॉ० नवीन कुमार गर्ग (वाणिज्य विभाग, शम्भुदयाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाजियाबाद)
2. डॉ० ए.के. जैन, पूर्व रीडर (वाणिज्य विभाग, जे.वी. जैन कॉलेज, सहारनपुर)
3. डॉ० दिनेश जून, एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, फरीदाबाद
4. डॉ० एम.एल. गुप्ता, (पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, वाणिज्य एवं व्यवसायिक प्रशासन संकाय, एस.एस.वी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हापुड़ एवं संयोजक-शोध उपाधि समिति एवं संयोजक बोर्ड ऑफ स्टीडिज चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ)
5. डॉ० वजीर सिंह नेहरा, प्रोफेसर वाणिज्य विभाग, म.द.वि. रोहतक
6. डॉ० संजीव कुमार, प्रोफेसर वाणिज्य विभाग, म.द.वि. रोहतक
7. डॉ. गीता गुप्ता, (सहायक प्रोफेसर) वाणिज्य विभाग, वैश्य महिला महाविद्यालय, रोहतक)
7. डॉ. नरेन्द्रपाल सिंह, (एसोसिएट प्रोफेसर) वाणिज्य विभाग, साहू जैन कॉलेज, नजीबाबाद, उ.प्र.)

राजनीति शास्त्र विभाग:

1. साकेत सिसोदिया, (राजनीति शास्त्र विभाग, एस.डी. कॉलेज, गाजियाबाद)
2. डॉ० रोचना मित्तल (रीडर एवं अध्यक्षा, राजनीति शास्त्र-विभाग, शम्भु दयाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाजियाबाद)
3. डॉ० कौशल गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति शास्त्र विभाग, देशबन्धु महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली Mob.: 09810938437
4. डॉ०पी.के. वार्ष्णेय, पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति शास्त्र विभाग, जे.वी.जैन कॉलेज, सहारनपुर
5. डॉ० सुदीप कुमार, सहायक प्रोफेसर, राजनीति शास्त्र विभाग, डी.ए.वी. कॉलेज, पेहवा (कुरुक्षेत्र) Mob.: 9416293686
6. डॉ० वाई०आर० शर्मा, एसो० प्रो०, राजनीति शास्त्र विभाग, जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू (कश्मीर)
8. डॉ. रेनू राणा, (सहायक प्रोफेसर, राजनीति शास्त्र विभाग, पं. नेकीराम शर्मा राजकीय महाविद्यालय रोहतक 124001
9. डॉ. ममता देवी, (सहायक प्रोफेसर, राजनीतिक शास्त्र विभाग, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक

इतिहास विभाग:

1. डॉ० भूकन सिंह (प्रवक्ता, इतिहास विभाग, शम्भुदयाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाजियाबाद)
2. डॉ० मनीष सिन्हा, पी.जी. विभाग, इतिहास, मगध विश्वविद्यालय बोधगया, बिहार-824231
3. डॉ० राजीव जून, सहायक प्रो० इतिहास, सी.आर. इन्स्टीट्यूट ऑफ ला, रोहतक
4. डॉ० मीनाक्षी (सहायक प्रोफेसर इतिहास विभाग) सी.आर. किसान कॉलेज, जीन्द
5. डॉ० रश्मि, (अध्यक्षा) इतिहास विभाग, हिन्दू कन्या महाविद्यालय, जीन्द (हरियाणा) पिन - 126102

भूगोल विभाग:

1. डॉ० पी.के. शर्मा, पूर्व रीडर एवं अध्यक्ष, भूगोल विभाग, जे.वी. जैन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सहारनपुर
2. रश्मि गोयल (भूगोल विभाग, एस.डी. कॉलेज, गाजियाबाद)
3. डॉ० भूपेन्द्र सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, भूगोल विभाग, राजकीय पी.जी. कॉलेज, हिसार
4. डॉ० विनीत बाला, सहायक प्रो. भूगोल विभाग, वैश्य पी.जी. कॉलेज, रोहतक
5. डॉ० प्रदीप कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, अस्थल बोहर, रोहतक

शिक्षा विभाग:

1. डॉ० उमेन्द्र मलिक, एसिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, म.द.वि. , रोहतक
2. डॉ० संदीप कुमार, सहायक प्रो० शिक्षा विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली एसोसिएट
3. डॉ० तपन कुमार बसन्तिया, एसोसिएट प्रोफेसर, सेंटर फॉर एजुकेशन, सैट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, गया कैम्पा, विनोभा नगर, वार्ड नं. 29, Behind ANMCH मगध कालोनी, गया-823001 बिहार Mob.: 09435724964
4. डॉ० (प्रो०) अनामिका शर्मा, प्राचार्या, एम.आर. कॉलेज ऑफ एजुकेशन, फरीदाबाद
5. डॉ० मनोज रानी, सहायक प्रोफेसर (अंग्रेजी) एम.एल.आर.एस. कॉलेज ऑफ एजुकेशन, चरखी दादरी (भिवानी)
6. डॉ० अनीता ढाका, (प्राचार्या, आर.जी.सी.ई. कॉलेज, ग्रेटर, नोएडा I)
7. डॉ० ममता देवी, (सहा. प्रो. बी.आई.एम.टी. कॉलेज कमलपुर गढ़ रोड़, मेरठ)

गृह विज्ञान

1. डॉ० श्रीमती पंकज शर्मा, (सहायक प्राफेसर), गृह विज्ञान (प्रसार शिक्षा) राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रोहतक

शारीरिक शिक्षा विभाग:

1. डॉ० सरिता चौधरी, सहायक प्रोफेसर, शारीरिक शिक्षा विभाग, आर्य गर्ल्स कॉलेज, अम्बाला कैंट, हरियाणा
2. डॉ० वरुण मलिक, सहायक प्रोफेसर, म.द.वि., रोहतक
3. डॉ० सुनील डबास, (पद्मश्री व द्रोणाचार्य अवार्ड) HOD in physical education "DGC Gurugram

समाज शास्त्र विभाग:

1. प्रवीण कुमार (समाजशास्त्र विभाग, शम्भुदयाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाजियाबाद)
2. डॉ० कमलेश भारद्वाज, समाज शास्त्र विभाग, एस.डी. कॉलेज, गाजियाबाद

मनोविज्ञान विभाग:

1. डॉ० चन्द्रशेखर, सहायक प्रोफेसर साइक्लोजी विभाग, जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू
2. डॉ. रश्मि रावत, (मनोविज्ञान विभाग, डी.ए.वी. कॉलेज, देहरादून)
3. अनिल कुमार लाल (प्रवक्ता, मनोविज्ञान विभाग, शम्भुदयाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाजियाबाद)

अर्थशास्त्र विभाग:

1. डॉ० जसवीर सिंह (पूर्व रीडर अर्थशास्त्र विभाग, किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मवाना)
2. डॉ० सुशील कुमार (एस.डी. कॉलेज, गाजियाबाद, उ०प्र०)
3. डॉ० अखिलेश मिश्रा (प्राध्यापक, अर्थशास्त्र-विभाग, एस.डी.पी. जी. कॉलेज, गाजियाबाद)
4. डॉ० सत्यवीर सिंह सैनी, एसो०प्रो० (अर्थ०वि०, गो०ग० सनातन धर्म पी०जी० कॉलेज, पलवल)

विधि विभाग:

1. डॉ० नरेश कुमार, (प्रोफेसर, विधि-विभाग महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक)
2. डॉ० विमल जोशी, (प्रोफेसर, विधि-विभाग भगत फूलसिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर, सोनीपत)
3. डॉ० जसवन्त सैनी, (सहायक प्रोफेसर, विधि-विभाग महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक)
4. डॉ० वेदपाल देशवाल, (सहायक प्रोफेसर, विधि-विभाग महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक)
5. डॉ. अशोक कुमार शर्मा, एसो. प्रोफेसर, विधि विभाग, जे.वी. जैन कॉलेज, सहारनपुर
6. डॉ. राजेश हुड्डा, सहायक प्रो०, विधि विभाग, बी.पी.एस. महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कलां, सोनीपत
7. डॉ० सत्यपाल सिंह, (सहायक प्रोफेसर, विधि-विभाग महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक)
8. डॉ० सोनू, (सहायक प्रोफेसर, विधि-विभाग महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक)
9. डॉ० अर्चना वशिष्ठ, (सहायक प्रोफेसर, के०आर० मंगलम विश्वविद्यालय, सोहना रोड, गुरुग्राम)
10. डॉ० आनन्द सिंह देशवाल, (सहायक प्रोफेसर, सी०आर० कॉलेज ऑफ लॉ रोहतक)
11. अनसुईया यादव, (सहायक प्रोफेसर, विधि विभाग, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक, हरियाणा)

गणित विभाग:

1. डॉ० विनोद कुमार, रीडर एवं अध्यक्ष गणित विभाग, जे.वी. जैन कॉलेज, सहारनपुर
2. डॉ० विरेश शर्मा, लेक्चरर गणित विभाग, एन.ए.एस. कॉलेज, मेरठ
3. डॉ० सलौनी श्रीवास्तव सहायक प्रो०, गणित विभाग आर० बी० एस० कालेज आगरा
4. Dr. Dhrub Kumar Singh, HOD, Department of Mathematics, YBN University, Rajaulatu, Namkum, Ranchi, Jharkhand, India. Pin-834010
5. डॉ० रश्मि मिश्रा प्रोफेसर (एप्लाइड साइंस एंड हमनीटीएस), मैथमेटिक्स गनेशी लाल बजाज इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ग्रेटर नॉएडा

कम्प्यूटर विभाग:

1. प्रो० एस.एस. भाटिया (अध्यक्ष, स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स एण्ड कम्प्यूटर एप्लीकेशन, थापर विवि, पटियाला)
2. सर्वजीत सिंह भाटिया (प्रवक्ता, कम्प्यूटर साइंस, खालसा कॉलेज, पटियाला)
3. डॉ० बालकिशन सिंहल, सहायक प्रोफेसर, कम्प्यूटर विभाग, म०द०विश्वविद्यालय, रोहतक

संस्कृत विभाग:

1. डॉ० रामकरण भारद्वाज पूर्व रीडर एवं अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, लाजपत राय कॉलेज, साहिबाबाद (गाजियाबाद)
2. डॉ० सुनीता सैनी, ए० प्रोफेसर संस्कृत विभाग, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक
3. डॉ० सुमन, (सहायक प्रोफेसर, संस्कृत-विभाग, आदर्श महिला महाविद्यालय, भिवानी।)
4. डॉ० दिनेश मणि त्रिपाठी {प्रधानाचार्य} एल० पी० के० इंटर कॉलेज सरदार नगर बसडिला {गोरखपुर}
5. डॉ० दानपति तिवारी, प्रोफेसर, एवं अध्यक्ष, महात्मा गांधी काशी विद्यापिठ, वाराणसी, उत्तर-प्रदेश
6. डॉ० दिनेशचन्द्र शुक्ल, सहायक प्रोफेसर, महात्मा गांधी काशी विद्यापिठ, वाराणसी, उत्तर-प्रदेश

रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विभाग:

1. डॉ० आर०एस० सिवाच, प्रो० एवं अध्यक्ष, रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विभाग, म०द०वि०, रोहतक

दृश्यकला विभाग:

1. डॉ० सुषमा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, दृश्यकला विभाग, म०द० विश्वविद्यालय, रोहतक

पंजाबी विभाग:

1. डॉ० सिमरजीत कौर, सहायक प्रो० (पंजाबी), ईश्वरजोत डिग्री कालेज, पेहवा (कुरुक्षेत्र)

संगीत विभाग:

1. डॉ० संध्या रानी, अध्यक्षा, संगीत विभाग, यूआरएलए, राजकीय पीजी कॉलेज, बरेली
2. डॉ० हुकमचन्द, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष तथा डीन, संगीत विभाग महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक, हरियाणा
3. डॉ० अनीता शर्मा, (संगीत-गायन प्राध्यापिका, जयराम महिला महाविद्यालय लोहारमाजरा (कुरुक्षेत्र)
4. डॉ० वन्दना जोशी, (सहायक प्राध्यापक, विभागाध्यक्ष, संगीत विभाग, एस.एस.जे. परिसर, अल्मोड़ा)

पत्रकारिता एवं जन संचार विभाग:

1. डॉ० सरोजनी नंदल, प्रोफेसर (पत्रकारिता एवं जन संचार विभाग) महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक

उर्दू विभाग:

1. डॉ० मो. नूरुल हक, (एसोसिएट प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष, उर्दू, बरेली कॉलेज, बरेली)

कृषि विभाग

1. डॉ० गोविन्द प्रकाश आचार्य सह-आचार्य (कृषि-प्रसार) श्री गोविन्द गुरु राजकीय महाविद्यालय, बांसवाड़ा राजस्थान मो. 9460545836

दर्शनशास्त्र

1. Prof, Dr, Asha Devi department of Philosophy Govt P G college kotdwar pauri Garhwal Uttarakhand 246149

LIFE MEMBERS OF INDIAN JOURNAL OF SOCIAL CONCERNS

1. **Dr. Praveen Kumar Verma**
Associate Professor, Hindi Department, GGD Sanatan Dharam Post Graduate College, Palwal.
2. **Smt. Veena Pandey (Shukla)**
Hindi Teacher, Jawahar Navodaya Vidyalaya, Dhoom Dadri, Distt. Gautambudhnagar - 203207 (U.P.)
3. **Dr. Suman**
H.No. 1001, Radha Swami Colony, Rohtak Road, Bhiwani (Haryana)
4. **Dr. Subhash Chand Saini** (Hindi Department, Dyal Singh College, Karnal, Haryana)
5. **Dr. Vimla Devi**, Associate Professor (History), Swami Vivekanand Govt. (PG) College, Lohaghat, Champawat (Uttarakhand)
6. **Princepal**, Associate Professor (Hindi), Aggarwal College, Ballabgarh (Haryana)
7. **Dr. Dinesh Mani Tirpathi (Principal)** L-P-K Inter College sardar Nagar, Basdila Gorkhpur
8. **Dr. Govind Prakash Acharya** F-63, Chandra Vardai Nagar, UIT, Colony, Shaheed Bhagat Singh Marg, Opposite Ramganj Thana, Taragarh Road, Ajmer (Rajasthan) Pincode--305003.
9. **Amardeep Singh** Mcf C -21, Near Deep Vatika, Bhagat Singh Colony, Ballabgarh 121004, Mob. 9873814066

An update on UGC - List Journals

The UGC List of Journals is a dynamic list which is revised periodically. Initially the list contained only journals included in Scopus, Web of Science and Indian Citation Index. The list was expanded to include recommendations from the academic community. The UGC portal was opened twice in 2017 to universities to upload their recommendations based on filtering criteria available at <https://www.ugc.ac.in/journallist/methodology.pdf>. The UGC approved list of Journals is considered for recruitment, promotion and career advancement not only in universities and colleges but also other institutions of higher education in India. As such, it is the responsibility of UGC to curate its list of approved journals and to ensure the it contains only high-quality journals.

To this end, the Standing Committee on Notification on Journals removed many poor quality/predatory/questionable journals from the list between 25th May 2017 and 19th September 2017. This is an ongoing process and since then the Committee has screened all the journals recommended by universities and also those listed in the ICI, which were re-evaluated and rescored on filtering criteria defined by the Standing Committee. Based on careful analysis, 4,305 journals were removed from the current UGC-Approved list of Journals on 2nd May, 2018 because of poor quality/incorrect or insufficient information/false claims.

The Standing Committee reiterates that removal/non-inclusion of a journal does not necessarily indicate that it is of poor quality, but it may also be due to non-availability of information such as details of editorial board, indexing information, year of its commencement, frequency and regularity of its publication schedule, etc. It may be noted that a dedicated web site for journals is one of the primary criteria for inclusion of journals. The websites should provide full postal addresses, e-mail addresses of chief editor and editors, and at least some of these addresses ought to be verifiable official addresses. Some of the established journals recommended by universities that did not have dedicated websites, or websites that have not been updated, might have been dropped from the approved list as of now. However, they may be considered for re-inclusion once they fulfil these basic criteria and are re-recommended by universities.

The UGC's Standing Committee on Notification on Journals has also decided that the recommendation portal will be opened once every year for universities to recommend journals. However, from this year onwards, every recommendation submitted by the universities will be reviewed under the supervision of Standing Committee on Notification of Journals to ascertain that only good-quality journals, with correct publication details, are included in the UGC approved list.

The UGC would also like to clarify that 4,305 journals which have been removed on 2nd May, 2018 were UGC-approved journals till that date and, as such, articles published/accepted in them prior to 2nd May 2018 by applicants for recruitment/promotion may be considered and given points accordingly by universities.

The academic community will appreciate that in its endeavour to curate its list of approved journals, UGC will enrich it with high-quality, peer-reviewed journals. Such a dynamic list is to the benefit of all.

अनुक्रमणिका

क्र.	विषय	लेखक	पृष्ठ स.
1.	किसान जीवन की आकुलता: सन्दर्भ 21वीं सदी के हिन्दी उपन्यास कपिल कुमार सैनी, डॉ० राकेश कुमार सिंह		8-11
2.	Relationship between Organisational Effectiveness and Its Predictors among Education Sector Ms. Preety, Dr. Suman Pahal		12-16
3.	सोशल मीडिया और चुनाव Dr. Annu		17-20
4.	Juvenile Delinquency Psychological And Social Legal Perspective Annu Chahal, Dr. Nisha Sain		21-26
5.	Reformative Theory In India: Evolution, Impact Contemporary Relevance Mr Krishna Yadav, Dr Nisha Sain		27-33
6.	मधु काकरिया के उपन्यासों में चित्रित सांस्कृतिक चिंतन रितु रानी, डॉ० जयकरण यादव		34-40
7.	सामंती व्यवस्था का पतन की प्रक्रिया डॉ० शीतल कुमारी		41-42
8.	औद्योगिक क्षेत्र में गंदी बस्तियों में महिलाओं की स्थिति: झुंझुनू एवं सीकर जिले का एक अध्ययन सरिता जांगिड, डॉ० धीरज कुमार		43-46
9.	समकालीन हिंदी कविता में वैयक्तिक और सामाजिक जीवन-मूल्य Manju Bala		47-49
10.	संत रज्जब हिन्दी जगत् की एक अद्भुत प्रतिभा डॉ० निर्भय शर्मा		50-53
11.	डॉ० ज्ञानी देवी गुप्ता के कहानी संग्रह 'अनुभव की दहलीज' में नैतिक मूल्यों का विघटन शिवानी यादव		54-56
12.	राम मंदिर: विवादित यात्रा से लेकर स्वर्णिम यात्रा तक Ms. Niti Nagar, Ms. Gargi Sharma		57-59
13.	भूमंडलीकरण का हिंदी की कथा भाषा पर प्रभाव — डॉ० वर्षा शालिनी कुल्लू		60-62
14.	एम. एन. श्रीनिवास की प्रभु जाति की अवधारणा (M-N- Srinivas' Concept of Dominant Caste) Takdeer Singh		63-66
15.	बद्री नारायण के साहित्य का शिल्पगत अध्ययन दिलकुश झा, डॉ० प्रो० बाबूराम		67-71
16.	जैव प्रौद्योगिकीय का कृषि एवं ग्रामीण विकास में योगदान डॉ० बुद्ध प्रिय सिद्धार्थ, ठाकुर रोशन सिंह		72-72
17.	साहिर लुधियानवी के फिल्मी गीतों में सामाजिक अन्याय प्रो. (डॉ.) कंचन पुरी, शिवा शर्मा		73-76
18.	12 वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी: अतीत और वर्तमान डॉ० जंग बहादुर पाण्डेय		77-78
19.	वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारतीय भाषाएँ और नई शिक्षा नीति डॉ० रविता पाठक		79-82
20.	शिक्षा पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक: एक अध्ययन (Education from traditional knowledge to Artificial knowledge: A Study) डॉ० तान्या शर्मा		83-89

अनुक्रमणिका

क्र.	विषय	लेखक	पृष्ठ स.
21.	मेव और मेवात पर फ़रिश्ता और बरनी के ग्रंथों का तुलनात्मक विश्लेषण श्याम सुंदर		90-93
22.	Role of Ayurveda and Yoga for Management of Stress Dr. Parvesh Kumar Sood, Mrs. Ranjna Soni, Meena Kumari		94-96
23.	Impact of Drought on the Tribal Communities: A Study of Kota Block, Udaipur district (Rajasthan) Sarita jangir, Dr. Dheeraj Kumar		97-101
24.	Exploring New Possibilities of Market Expansion in Rural India Dr. Harish Sharma		102-105
25.	Environmental and Political Criticism in Arundhati Roy's Non-Fiction: A Critical Analysis Dr. Sunita Yadav		106-109
26.	Indo.-u.s. Nuclear Diplomacy And Power Politics Aishwarya Awasthi, Dr. Pushker Pandey		110-113
27.	Understanding the Philosophy of Tribal Life: Tribal Knowledge System & Traditions Dr. (Prof) Tapan Kumar Shandilya		114-117
28.	Dalit Literature: Social Marginality And Resistance In Contemporary India. Reena, Mohammed Ishaq		118-121

सारांश:-

आज के जीवन में हम पाते हैं कि किसान समाज और राष्ट्र का एक ऐसा घटक है जिसके अस्तित्व के बगैर हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए वैदिक काल से किसान और उसके कार्य सम्मान के पात्र रहे हैं। वर्तमान समय में किसानों की स्थिति सबसे दयनीय और जटिलताओं से भरी हुई है जिसके कारण आज उनके अस्तित्व पर मिटने का खतरा पनप रहा है। इन जटिलताओं के चलते और कृषि आधारित कार्यों से उसके परिवार का जीवन का निर्वहन नहीं होने के कारण या तो किसान किसानी से पलायन कर अन्य व्यवसाय को करने के लिए मजबूर है, नहीं तो आत्महत्या का मार्ग चुन अपनी जीवन लीला को समाप्त करता दिखता है। ऋण, बीज, सिंचाई तो उसकी समस्या है ही उससे भयंकर सरकार का उसके प्रति शोषण का दृष्टिकोण है। पूंजीवादी, बाजारवादी, भूमंडलीकरण और भूमि अधिग्रहण जैसी दुखदाई परिस्थितियों से आज उसका जीवन त्रस्त हो चुका है। 21वीं सदी में हिंदी साहित्य में संजीव, पंकज सुबीर, शिवमूर्ति, सत्यनारायण पटेल, का काशीनाथ सिंह जैसे उपन्यासकारों ने इनके जटिलताओं से भरे जीवन को अपनी रचनाओं में यथार्थ रूप में अंकित कर उनके प्रति संवेदना जागृत करने का प्रयास किया है। 'फांस', 'अकाल में उत्सव' और 'आखिरी छलौंग' जैसे उपन्यास किसान जीवन को बड़ी सजिंदगी के साथ पाठक और समाज के समक्ष रखते हैं।

मूल शब्द :- किसान, जीवन, आकुलता, कृषि कार्य,

प्रस्तावना :-

किसान और किसानी अर्थात् कृषि, मानव सृष्टि और जीवन का मूलधार है। भारतीय संस्कृति मूलतः कृषि आधारित संस्कृति है और वैदिक काल से कृषि कार्य को सबसे उत्तम कार्य माना गया। ऋग्वेद, उपनिषद्, पुराण आदि प्राचीन ग्रंथों में कृषि कार्य द्वारा उत्पन्न उत्पादों को सबसे पावन-पवित्र माना जाता है और अन्न को ब्रह्म की उपमा तक दी गई। (अन्न ब्रह्मोति व्यंजनात्)। इस अन्न को उत्पन्न करने वाला किसान अपने कार्य से देव तुल्य होता गया। इसी कारण उसे 'भूदेवता' की संज्ञा दी गई।

आज 21 वीं सदी तक आते-आते इस भू-देवता का सम्मान, स्थान और महत्व ही नहीं, बल्कि भूमंडलीकरण बाजारवाद, पूंजीपति व्यवस्था और उससे जुड़ी नीतियाँ, सरकारों का व्यापारियों का हितेशी होना (जिसका पुख्ता प्रमाण 2021 के तीन काले कृषि कानून) और कृषि कार्य से जुड़ी नित नई परेशानियों ने उसके अस्तित्व पर एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। इस विषय पर विस्तृत चर्चा से पूर्व 'किसान' और 'आकुलता' भाव का अर्थ को जानना जरूरी है।

किसान और आकुलता का अर्थ:-

किसान अथवा कृषक को हम मुख्यतः खेती-बाड़ी से

जोड़कर देखते हैं। 'खेती-बाड़ी' या 'किसान' शब्द प्रमुख रूप से उन श्रमजीवी लोगों के लिए प्रयोग में लाया जाता है जो प्रमुख रूप "खेती की फसलों, फलोद्यानों, द्राक्षाक्षेत्रों, कुक्कुट या अन्य, पशुधन का कुछ संयोजन करते हैं।" इस प्रकार हम देखते हैं कि 'किसान' मुख्य खेतों में फसलों के साथ-साथ सब्जी, फल व अन्य आर्थिक महत्व के पक्षियों व पशुओं का अपने श्रम के बल पर रख रखाव करता है।

'आकुलता' एक भाव वाचक संज्ञा है जिसका सामान्य अर्थ चिंता या आशंका से लिया जाता है। हिन्दी-अंग्रेजी शब्द कोष में इसे 'चिंता का गहरा अहसास' के अर्थ में लिया है। किसान खेतों में श्रम साध्य कार्यों का निष्पादन कर अपने कार्य अर्थात् कृषि और जीवन के संचालन को प्रसांगिक बनाता था। अथर्ववेद के सूक्त (8.10.24) में कृषि और जीवन के सम्बंध को दर्शाते हुए लिखा है—“ते कृषि च सस्यं च मनुष्या उपजीवन्ती” जिसका अभिप्राय है कृषि मानव जीवन का मूल आधार है और उसके द्वारा उत्पादित फसलों का भोग कर मानव जीवित रहता है।

जीवन को आधार देने वाला किसान आज आकुलता के भाव से ग्रसित हो अपने जीवन और अस्तित्व के प्रति चिंतित है और दयनीय भाव से उस स्रष्टा से पूछने को मजबूर है कि क्यों उसकी सृष्टि अर्थात् जन्म के उद्देश्य को ही बदल डाला। जो किसान खेतों में काम कर अपना जीवन सहज रूप से चला रहा था, आज उसे अपने उन्हीं कार्यों को सुचारु करने के लिए सड़कों पर उतरकर आन्दोलन करने पड़ रहे हैं। विडम्बना की बात यह है कि जिस देश में सांस्कृतिक रूप में किसान एवं कृषि का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। वर्तमान और पूर्व के 8 दशकों में उसकी स्थिति चिंताजनक होकर बद से बदत्तर होती जा रही है। जिसे देखकर किसान का आकुल होना जायज है। आज किसान जीवन में कृषि से सम्बंधित आवश्यकताएँ जमीन, जल, खाद-बीज निरन्तर महंगे होने और उत्पाद मूल्यों में निरन्तर गिरावट से उसका लागत मूल्य भी नहीं निकल पाता है। जिससे किसान की चिंता निरन्तर बढ़ रही है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पर्दापण, बाजारीकरण, सरकार की लचर और पंगु किसान विकास योजनाओं और बैंकों के ऋण आदि ने किसान की कमर तोड़ दी। भूमि अधिग्रह कानून का भी व्यापक प्रभाव किसान जीवन पर देखने को मिल रहा है।

कृषि से उपार्जित धन से किसान अपनी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता जा रहा है, चाहे परिवार का भरण-पोषण हो, शिक्षा या जीवन से जुड़े अन्य कार्य आदि। इतना ही नहीं इन सब दुख के चलते आज किसान कृषि से दूर अर्थात् पलायन कर दूसरे क्षेत्रों में भविष्य अजमाने को विवश है और जो ऐसा

नहीं करते वे आत्महंता बन अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं।

21 वीं सदी के हिन्दी उपन्यासों में चित्रित किसान आकुलता –

हिन्दी साहित्य में इन समस्याओं को आज नहीं प्रेमचन्द के समय से यथार्थ रूप में उकेरा जाता रहा है। 21 वीं सदी अनेक उपन्यासकारों जैसे पंकज सुबीर, शिवमूर्ति, संजीव, महुआ मांझी, सत्यनारायण पटेल, काशीनाथ सिंह ने किसान और उसके सन्त्रांश को अपने साहित्य में मुखर भाव से वाणी दी है।

संजीव कृत 'फांस', पंकज सुबीर कृत 'अकाल में उत्सव' तथा शिवमूर्ति कृत 'आखिरी छलांग' गोदान के बाद किसान जीवन के यथार्थ को दिखाने वाले सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। इन उपन्यासों में हम किसान त्रास्त्रदी के हर पहलू से रूबरू होते हैं और अपनी आँखों के सामने हर घटना को घटते देखते हैं। संजीव कृत 'फांस' उपन्यास की अर्न्तवस्तु और उसकी उपयोगिता को उद्घाटित करते हुए प्रेमपाल शर्मा लिखते हैं— "यह न स्विट्जरलैंड की 'मर्सीकिलिंग' का 'मृत्युउत्सव' है, न ही असम के जोराथांगा की ज्वाला में परिन्दों के सामूहिक आत्मदाह का उत्सर्ग पर्व। यह जीवन और जगत से लांछित और लाचार भारतीय किसान की मूक चीख है।"³

इस उपन्यास में संजीव ने विदर्भ और उसके समान्तर ही देश के अन्य हिस्सों में किसान आत्महत्याओं और उसके कारणों का उल्लेख तो करते ही हैं। इसके साथ ही एक गहन चिंतन का प्रश्न भी उभारते हैं कि हम किस भयानकता की ओर मुख कर आगे बढ़ रहे हैं। यदि किसान नहीं रहा तो मानव पत्थर, औजार या तकनीकी विकास एवं पैसों के सहारे मानव जिन्दा नहीं रह सकता। लेखक स्पष्ट करता है कि आज किसान जीवन की सबसे बड़ी 'फांस' है कर्ज। इसी को मुखरित करते हुए उपन्यास की प्रमुख पात्र भाकुन के मुख शुरुआत में ही दिखाते हैं— "इस देश का किसान कर्ज में ही जन्म लेता है, कर्ज में ही जीता है और कर्ज में ही मर जाता है।"⁴

कर्ज किसान खेती के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, बेटी की शादी के लिए तथा परिवार और किसानों से जुड़ी अन्य आवश्यकताओं के लिए लेता है। जिसको वो इसलिए भार नहीं मानता क्योंकि उसके पास उसकी लहलाती फसलें एक भरोसा है जिसके बल पर वह उसे चुकता कर ऋतुक्त हो जाएगा। कभी पानी की कमी, कभी अधिकता, कभी बीज का धोखा देना और अन्त में फसल अच्छी होने पर मूल्यों में गिरावट आदि उसके इस भरोसे को तोड़ देती है। इसी भयानक आकुलता को दृष्टव्य करते हुए पंकज सुबीर अपने उपन्यास 'अकाल में उत्सव' में जब खेतों में फसलें पक कर तैयार हैं और बारिश आने से उसके नष्ट होने की संभावना को दृष्टव्य किया है— "टप्प.....आंगन में पहली बून्द गिरी, बूंद की आवाज ने उस छोटे से टूटे-फूटे मकान के अन्दर तक दहशत भर दी। उस साधारण सी आवाज में कितनी दहशत भरी थी। आवाजें या दृष्ट्य अपने आप में दहशत नहीं, वह स्थितियां, जिनमें वह पैदा हो रहे हैं,

उनके साथ मिलकर यह दहशत पैदा करते हैं। वरना तो इसी 'टपप' की आवाज पर जाने कितने गीत, कितनी कविताएं रच दी गई है। कहीं इस आवाज को पायल की रुनझुन बताया गया, तो कहीं बूंद की छम-छम। इनकी आवाज में जिन्दगी का संगीत ढँढा जाता है और आज इसी आवाज में मौत का शोक गीत है। आवाज डरा रही है, आज यह भयावह है।"⁵

जब इस प्रकार से किसान की उम्मीद टूटती है और उसे अपना जीवन अन्धकारमय दिखने लगता है तो उसे अपने होने, न होने पर संदेह होने लगता है। जिसके कारण वह अपने अस्तित्वहीन जीवन की परिणति आत्म हत्या के रूप में करता है। इसी प्रकार का प्रसंग हम शिवमूर्ति के उपन्यास 'आखिरी छलांग' जहां किसान की आखिरी छलांग उसके जीवन की समाप्ति है को पाते हैं। जिसको को वे उपन्यास में ऋण के नाम पर हुई धोखाधड़ी और उससे मुक्ति न मिलने के कारण फांसी के फंदे पर झूलते पांडे बाबा की मृत्यु के बाद का दृश्य दिखाते हैं— "मांग उठी कि किसानों की नीति का पड़ताल होनी चाहिए। जो ऋण किसानों की भलाई के लिए दिया जाता है, वही उसके गले का फंदा कैसे बन जाता है।"⁶

'अकाल में उत्सव' में उपन्यास किसान जीवन की विडम्बना और सरकार के पंगु रवैये को दिखाता है। देश में किसानों के सहायता के नाम पर सब्सिडी नाम से लीपापोती की जाती है, जिससे उनका लागत मूल्य तक पूरा नहीं होता है। इसके कारण लघु और सीमान्त यानि जिनकी अपनी जमीन नहीं को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। इसके ऊपर सरकार या नेता केवल व्यवसायियों का पेट भर किसानों की लूटने का काम करते हैं। इसी भयावह स्थिति को दिखाते हुए पंकज सुबीर उपन्यास में लिखते हैं — "जवाहरलाल नेहरू ने एक बार कहा था कि अगर देश को विकास की तरफ बढ़ते देखना है तो गरीब और किसान को सैक्रिफाईज (त्याग) करना पड़ेगा। आजादी के आज सात दशक बितने पर को है, सैक्रिफाईज किसान ही कर रहा है। बाकी किसी को सैक्रिफाईज नहीं करना पड़ा। सभी की तन्ख्वाहें बढ़ी, सब चीजों के भाव बढ़े, लेकिन उस हिसाब से किसान को जो समर्थन मूल्य मिलता है, उसमें बढ़ोत्तरी नहीं हुई। 1975 में दस ग्राम सोना 750 रुपये का आता था, जो अब 2015 में 30 हजार के आसपास मूल रहा है। कुछ कम ज्यादा होता रहता है। 1975 में गेहूँ का समर्थन मूल्य 100 रुपया था जो आज 2015 में 1500 रुपये है।"⁷

आन्दोलन और प्रतिरोध—

इन सब आत्महत्याओं और दोगलेपन का नतीजा आन्दोलन। किसान आज अपने और परिवार को बचाने तथा कृषि व्यवस्था को दुरुस्थ करने के लिए मजबूरन आन्दोलन की राह पकड़ने को मजबूर हैं। ये आन्दोलन किसी की आन्तरिक चाह नहीं बल्कि भारतीय राजनीति के छलावे का परिणाम है, जिसके चलते न

केवल किसान बल्कि सम्पूर्ण ग्रामीण परिवेश का आकुलता के भंवर में डुबो दिया है। गाँव और किसान जीवन में राजनीति के पर्दापण का प्रभाव अंकित करते सम्बंधन पत्रिका के विशेषांक में कथाकार रूपसिंह लिखते —“गाँव में अब पुरानी गँवई गंध नहीं मिलती। अब तपाक से लोग स्वागत नहीं करते। राजनीति ने लोगों को बांट दिया है। पहले जहाँ चौपाले चहकती थी, अब वहाँ सन्नाटा रेंगता है। गाँव थे और रहेंगे भी लेकिन जो कल थे वे आज नहीं हैं, और जो आज हैं, राजनीति उन्हें भविष्य में रहने नहीं देगी।”⁸

इस राजनीति ने गाँव-ग्राम की व्यवस्था को तो तितर-बितर कर दिया है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव किसान जीवन पर पड़ा जिसने उसके आकुल हृदय को ओर अधिक अधीर कर दिया। इस प्रकार निरन्तर हो रही आत्महत्याओं ने किसान के मन को खदेड़ा और उसने पाया कि इन समस्याओं से मुक्ति पाना नितांत अपरिहार्य है, नहीं तो मिट जाएंगे। इसी सोच को रूपापित करते संजीव ने अपने उपन्यास फाँस में कलावती, नाना, विजेयन्द्र आदि नवीन चेतना से भरपूर युवाओं द्वारा आन्दोलन का रास्ता चुनते और उसके परिणामों को बेहतर बनाने के लिए सभी को साथ लाकर एक मंच से अपनी समस्याओं की समाप्ति की मांग करता दिखाया है। उसने ‘मंथन’ रिवाइवल के नाम से एक मंच का गठन कर सभी वर्गों से चाहे किसान, समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, कृषि वैज्ञानिक, पत्रकार, किसान नेता सभी आए और एक-एक कर सभी ने इन समस्याओं के मूल, इतिहास, कारणों, समाधानों पर विस्तृत चर्चा की। सरकार के लोग भी अपना पक्ष रखने समय-समय पर आते रहे।

एक किसान नेता ने सरकार और पूँजीपतियों के मन्सूबों पर चर्चा करते हुए कहा कि —“ये फिल्म वाले, ये धरम वाले, थे कारपोरेट, ये बिल्डर्स और दूसरे पैसे वाले सेठ देश की सारी लाभ देने वाली जमीन खरीद चुके हैं। आने वाले दिनों में खेती भी कारपोरेट घराने वाले करेंगे, किसान का नाम मिट जाएगा। ओले भायद हमें बक्सा दें, टिडिडियां हमें बक्सा दें, मगर ये टिडियों से भी खतरनाक हैं। ये लोग कुछ नहीं छोड़े।”⁹

इसी प्रकार अन्य अनेक लेखकों ने अपने-अपने उपन्यासों में किसान की आकुलता बढ़ाने वाले अनेक प्रसंगों को उकेरा है जो समसामयिक किसान की बद से बदत्तर होती दशा का सच्चा प्रतिबिम्ब हमारे सामने रखता है।

त्रैमासिक पत्रिका ‘भाब्द निरन्तर’ के 2021 अप्रैल जून अंक में किसान विशेषांक में डॉ० राकेश कुमार सिंह अपने सम्पादकीय लेख में किसान जीवन की पृष्ठभूमि से लेकर वर्तमान तक स्थिति का मूल्यांकन करते हैं। वे किसानों की समस्याओं का मूल्यांकन करते हुए लिखते हैं —“आज किसान अपनी लागत का 70 प्रतिशत ही प्राप्त नहीं कर पाता। परिणामस्वरूप बड़ी तेजी से किसानों का कृषि कार्य से पलायन हुआ। किसान अपनी इन समस्याओं से जूझ रहा था कि

‘कारोना-19’ की भीषण महामारी के बीच ही कृषि सम्बंधी तीन बिल पास हुए। आश्चर्य की बता यह थी कि किसानों के लिए पारित बिल का पता किसानों को भी उनके पारित होने के बाद चला। ये बिल पूँजीपति व्यवसायियों को अकूत भण्डारण की छूट देता है और सरकारी मंडियों का ध्वस्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। यही नहीं, इस कानून से किसान उन्हीं फसलों को उपजाने को बाध्य होते, जिन्हें पूँजीपति उपजाना चाहते।”¹⁰

ये तीन कृषि कानून उपरोक्त सन्दर्भ में किसान नेता की चेतावनी को साकार करते नजर आते हैं जहाँ सरकार पूँजीपति व्यावसायियों के समक्ष पंगु नजर आती है और सरकारी तन्त्र केवल उन्हीं के लिए काम करता है। 2021 में किसानों ने इन तीन काले कानूनों के लिए एक वर्ष तक हर कष्ट, दुःख, पीड़ा को सहते हुए कारोना की गंभीरता को जानते हुए सरकार से लोहा लिया और तीनों कानून वापिस लेने के लिए सरकार को विवश किया। 2023-24 में भी किसानों ने अपनी मांगों को लेकर दोबारा आन्दोलन का रुख अख्तियार किया।

निष्कर्ष—

इस प्रकार हम देखते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था, मानव जीवन और संस्कृति के आधार किसान को किस किस प्रकार की यातनाओं से गुजरना पड़ रहा है। कहां वो हमारे लिए ‘भू देवता’ के रूप में बंदनीय पूजनीय था। आज वही राजनीतिक कुचक्रों का शिकार बन अपने जीवन को सारहीन पाता है और अन्ततः अपने जीवन से पलायन को मजबूर है। उसकी आकुलता कम होने के स्थान पर निरन्तर बढ़ रही है। वो चाहे उसके कृषि कार्यों, पारिवारिक जिम्मेवारियों या अपने अस्तित्व से जुड़ी हों। आज सरकार, समाज और उसके जीवन से जुड़े हर पहलू के प्रति उसका दृष्टिकोण नकारात्मक होता जा रहा है, क्योंकि हर कोई उसे नष्ट कर अपना स्वार्थ साधने को तत्पर है। ‘अकाल में उत्सव’ उपन्यास पर टिप्पणी करते हुए डॉक्टर मैनेजर पांडेय लिखते हैं —“यह गांव और किसान जीवन के दुख-दर्द को कहने वाली रचना है। इस उपन्यास को पढ़कर कह सकते हैं कि आज किसान के जीवन में आजकल सुख कम और दुख ज्यादा है। इसमें एक किसान की आत्महत्या को दिखाते हुए स्पष्ट किया गया है कि शासन-प्रशासन द्वारा किस प्रकार किसान को पागल करार दे अपनी जिम्मेवारियों से बचने का प्रयास किया जाता है।”¹¹

शोध पत्र भी एक प्रश्न सबके सामने रखता है कि सबको अन्न देकर पोषित करने और तन ढकने वाले किसान को हमने भूखा, नंगा और आत्महत्या को मजबूर क्यों कर दिया है ?

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. hi. Wikipedia.Org.
2. Shabdkosh.com / hi/dictionary/ hindi-English

3. 'फॉस', संजीव, वाणी प्रकाशन, दिल्ली 2015, पुस्तक के फलैप से
4. वही— पृ0 15
5. 'आकाल में उत्सव' पंकज सुबीर, शिवना प्रकाशन, एम0 पी0, 2016 पृ0 33
6. आखिरी छलांग शिमूर्ति, नया ज्ञानोदय, 2008 पृ0 7
7. 'अकाल में उत्सव' पंकज सुबीर पृ0 33, शिवना प्रकाशन, एम0 पी0 2016 पृ0 41
8. संबोधन पत्रिका, सं0 भाषी गौतम, लेख-कथाकार रूप सिंह-चंदेल से बातचीत— पृ0 29
9. 'फॉस', संजीव, वाणी प्रकाशन, दिल्ली 2015, पृ0-205
10. शब्द निरन्तर स0 डा0 राकेश कुमार सिंह, सम्पादकीय, त्रैमासिक पत्रिका अप्रैल -जून, 2021, पृ0- 6
11. 'आकाल में उत्सव' पंकज सुबीर, शिवना प्रकाशन, एम0 पी0, 2016, पुस्तक के फलैप से

कपिल कुमार सैनी

पी0-एच0 डी0 शोधार्थी
हिन्दी विभाग, मानविकी एमं भाषा संकाय,
गुरु काशी विश्वविद्यालय, तलवंडी साबो,
पंजाब

डॉ0 राकेश कुमार सिंह

(शोध निर्देशक)
एसोसिएट प्रोफेसर
हिन्दी विभाग, मानविकी एमं भाषा संकाय,
गुरु काशी विश्वविद्यालय, तलवंडी साबो,
पंजाब

Relationship between Organisational Effectiveness and Its Predictors among Education Sector

Ms. Preety, Dr. Suman Pahal

Abstract:

Employees are a vital resource for any organisation hence the success of the organisation mainly depends upon them. When a person is happy in his position, he is more likely to do a good job. In order to foster a sense of loyalty among its staff, an organisation must consider their needs and offer them favorable working conditions. Employees' dedication to the organisation can only lead to better results. The Present study is all about identifying the factors affecting employee's satisfaction and commitment in education sector and assessing the role of organisational commitment in enhancing the organisation's effectiveness taking job satisfaction as independent variable. For the purpose of measuring organisational effectiveness and variables that predict organisational effectiveness, the researcher employed adjusted structured questionnaire. The dependent variable was job satisfaction, and the mediating variable was organisational commitment in predicting organisational effectiveness. 581 respondents from Higher Education sector of Haryana were approached for collecting the data. SEM was applied for examining the model fitness and mediating effect of commitment on effectiveness. It was revealed that both job satisfaction and organizational commitment were positively associated with effectiveness. Organization commitment fully mediates the relationship between job satisfaction and effectiveness. This research work has essential implication in decision making by human resource development in education sector. Proper strategies should be defined by the management for achieving job satisfaction and considering the moderating effect of commitment, which finally leads to organizational effectiveness.

Key words: Education sector, Organizational effectiveness, Job satisfaction, Organisational Commitment.

I. INTRODUCTION

Every organisation, irrespective of sector or nation, endeavors to achieve greater efficiency and superior outcomes. The core

concept of organisation theory is the effectiveness of organisations. No manager can conceive of an organisational theory that excludes the concept of effectiveness. As a result, academicians and business professionals alike are in complete agreement regarding the significance of effectiveness in organisation. It is a desirable characteristic in organisations. Organisational effectiveness has historically been defined as the degree to which organisations accomplish their objectives by implementing fundamental strategies. It is possible to define effectiveness as the extent to which an organisation recognizes its objectives. It elucidates the significance of organisational commitment and job satisfaction in higher education institutions, as well as the function of organisational commitment in enhancing the organisation's effectiveness. This study seeks to identify the factors that influence employee satisfaction and commitment in higher education institutions of Haryana.

Organisational Effectiveness: Organisational effectiveness is fundamentally defined by how well managers and employees work together to combine their knowledge, skills, and efforts in overcoming challenges that hinder the attainment of organisational goals. The effectiveness of an organisation can be quantified and evaluated qualitatively. It depicts the outcomes associated with the objectives established by the organisation (Shiva Mahalinga & Roy, 2008).

Job Satisfaction: Job satisfaction refers to the overall subjective evaluation that individual employees make regarding their job. The factors influencing an employee's job satisfaction encompass their coworkers, salary, working circumstances, supervisors, the nature of the task, and the rewards derived from it. According to Locke (1975), job satisfaction is defined as a pleasurable or positive emotional state resulting from the appraisal of one's job or job experience.

Organisational Commitment: Organisational commitment refers to an employee's involvement in his or her position and attachment to the workplace in which he or she is employed. Organisational commitment is comprised of three distinct dimensions: affective, normative, and continuance. Affective commitment constitutes the employee's favorable attitude towards the organisation. A normative commitment is one in which an employee feels obligated to comply with the law. According to the concept of continuance commitment, employees are committed to the organisation because they are cognizant of the fact that leaving the organisation would incur some expense. A psychological state that characterises an employee's relationship with an organisation and has implications for the decision to continue membership in the organisation (Meyer and Allen, 1991) is one definition of organisational commitment.

II. REVIEW OF LITERATURE

Din et al. (2023) investigated the factors influencing job satisfaction among employees in higher education institutions (HEIs) in Malaysia during the Covid-19 pandemic. The study utilized Herzberg's Two Factor Theory, which distinguishes between hygiene factors (such as monetary incentives, work environment, and job security) and motivator factors (including non-monetary incentives, workload, and promotion opportunities). The research explored the relationships between these factors and job satisfaction. The results indicated that the hypotheses were supported, revealing a positive and significant relationship between the identified factors and job satisfaction among employees in Malaysia's higher education sector.

Nassar et al. (2022) explored the interrelationship between students' satisfaction and lecturers' job satisfaction within a higher education context. The study adopts a relationship marketing perspective, positing that students' satisfaction can influence lecturers' job satisfaction. The results revealed that lecturers' job satisfaction improves when students' comprehensive feedback is directly communicated to them. This finding suggests that enhancing communication

regarding students' satisfaction can positively impact lecturers' job satisfaction.

Yee and Jusoh (2021) investigated the relationship between management control systems—specifically input controls, behavior controls, and output controls—and employee organizational commitment within the public sector in Malaysia. Their study found that output controls had no significant effect on employee organizational commitment. In contrast, input controls and behavior controls demonstrated a strong positive relationship with organizational commitment. The research highlights that manipulating input control variables has a significant and favorable impact on enhancing employee commitment.

Akanji et al. (2020) explored how organizational culture influences leadership styles in Nigerian universities using Hofstede's cultural dimensions theory and social exchange theory. The study revealed that Nigerian universities exhibit hierarchical, patriarchal, servile, and interdependent cultural values that impact leadership practices. Notable leadership styles included paternalism and formalized exchanges, reflecting the cultural characteristics of the institutions.

III. RESEARCH METHODOLOGY

A. Objectives of the study

- i) To investigate how job satisfaction affects employees' organizational commitment within higher education.
- ii) To assess the combined effects of organizational commitment and job satisfaction on organizational effectiveness.
- iii) To find out the effect of organizational commitment in improving organizational effectiveness.

B. Tools and technique

It entails the application of suitable tools and methods to illustrate the attributes of data and identify information that can be used by organisations to make informed decisions. This study examines the relationship of organizational effectiveness and its predictors and how organizational commitment mediates the relationship in enhancing effectiveness of education sector. The anticipated conceptual model presumes that organization commitment have a significant mediating role between independent variable job satisfaction and dependent variable

organizational effectiveness. To evaluate the organizational effectiveness 581 respondents from education sector were asked to give their responses with the help of adjusted structured questionnaire. Respondents were asked to provide their demographic information along with 40 statements belonging variables included in the study. The data was collected on a seven point liker scale.

C. Hypotheses

H1: Job satisfaction significantly affects the organizational commitment of faculty members in higher education.

H2: Job satisfaction positively affects organizational effectiveness.

H3: Organisational commitment positively impact on organizational effectiveness.

H4: Organizational commitment serves as a mediator in the relationship between job satisfaction and organizational effectiveness.

D. Sampling process

Multistage Non-Probability sampling technique has been used to obtain the responses from the stakeholders. The responses were taken on seven point liker scale. SPSS was used for assessing demographic features of employees, descriptive statistics were analysed with the help of SPSS. To find out mediating role of commitment SEM was used along with path model.

IV. ANALYSIS AND INTERPRETATION

Table 1: Demographic Profile of Respondents

S.No.	Demographic Variables	Frequency	Percentage
1	Age Group (in years)		
	Below 40 years	291	50.09
	Above 40 years	290	49.91
2	Gender		
	Female	304	52.32
	Male	277	47.67
3	Sector		
	Government	311	53.53
	Private	270	46.47

Table 1 shows the demographic profile of respondents from the education sector. Total respondents were 581, among which 304 were female, and 277 were male. When respondents were checked on the basis of their age group, maximum numbers of respondents were found from the age group below 40 years (50.09 %). It was also revealed that 311 employees were from government sector and 270 employees were from Private sector.

Hypotheses testing

For testing the mediating role of organizational commitment it is the necessary condition that the relation between independent, dependent and mediating variables should be significant. So first of all significance of all the relationship will be checked and after that mediating relationship will be

checked.

Path Analysis for Hypothesis Testing

H₁: Job satisfaction significantly affects the organizational commitment of faculty members in higher education.

Figure 2 shows the path model for JS and OCM relationship. Path model was drawn to check out the impact of JS on OCM or not. Regression estimate was found .72 revealing that when JS increases by 1, OCM increases by .72. Furthermore, a high critical ratio (t-value) significant at .001 reported a significant impact of the JS on OCM Table 5. Since the relationship among JS (independent variable) and OCM (dependent variable) was found significant, H1 was accepted.




Figure 2. Path Model for JS and OCM Relationship

Table 5 Regression Weights for JS and OCM Relationship

	Estimate	Std. Error	Critical Ratio	P value	Label
Orgcomm< --- jobsat	.72	.02	24.91	.001	Significant relationship H ₁ accepted

H₂: Job satisfaction positively affects organizational effectiveness.

Figure 3 describes the path analysis results done to show the influence of JS on OE. The regression estimate of the relationship was .19 with a critical ratio of 4.66 significant at .001 p level Table 6. Thus, the results revealed that JS had a positive and significant impact on OE, thereby accepting the H2 hypothesis.




Figure 3: Path Model for JS and OE Relationship

Table 6: Regression Weights for JS and OE Relationship


	Estimate	Std. Error	Critical Ratio	P value	Label
Orgeff< --- jobsat	.19	.048	4.66	.001	Significant relationship H ₂ accepted

H₃: Organisational commitment positively impact on organizational effectiveness.

The result of the regression estimate for OCM and OE relationship is shown in Table 7. Path model (Figure 4) shows a significant and positive effect of commitment on an organization's effectiveness with a regression coefficient value of .24. The value of the critical ratio (5.93) significant at .001 p-level concluded that the relationship was significant; hence H3 hypothesis was accepted.

Figure 4: Path Model for OCM and OE Relationship

Table 7: Regression Weights for OCM and OE Relationship



	Estimate	Std. Error	Critical Ratio	P value	Label
Orgeff<--- Orgcomm	.24	.054	5.93	.001	Significant relationship H ₃ accepted

H₃: Organizational commitment serves as a mediator in the relationship between job satisfaction and organizational effectiveness.

The results of the path model testing the mediating influence of OCM among JS and OE are disclosed in Table 8. Path model (Figure 5) tested three relationships together viz. relationship between JS and OCM, the relationship between OCM and OE, and the relationship between JS and OE with OCM as mediating variable. For testing the mediating effect, the following relationships must be significant (Hair et al., 2010).

- There should be a significant relationship between JS and OCM (Hypothesis 1).
- The relationship between JS and OE must be significant (Hypothesis 2).
- The relationship between OCM and OE should be significant (Hypothesis 3).

As all the relationships mentioned above were already tested and disclosed as significant, the mediation could be tested. The outcomes of the mediation model revealed that the regression estimate for JS and OE relationship was reduced to .044 from .19, and the relationship became insignificant with a .52 p-value. The results also showed that when OCM was introduced as a mediating variable into the model, the direct influence of JS became insignificant, and JS only shared an indirect impact through OCM. So, it was exposed that the relationship of job satisfaction (JS) and organizational effectiveness (OE) was mediated by organizational commitment (OCM) (H4 accepted).




Figure 5: Path Diagram Showing the Mediating Effect of OCM on the JS and OE Relationship

Table 8: Regression Weights of JS and OE Relationship with OCM as Mediator

	Estimate	Std. Error	Critical Ratio	P value	Label
Orgcomm<--- jobsat	.63	.02	24.91	.001	Significant relationship
Orgeff <--- jobsat	.044	.068	.65	.52	Insignificant relationship
Orgeff < Orgcomm	.28	.077	3.66	.001	Significant relationship

V. CONCLUSION

The main motive of this paper was to check the mediating role of organizational commitment in enhancing the organizational effectiveness. Results of this study suggested that committed and satisfied employees perceive their organization to be effective and put their hard efforts in that direction. A hypothesized model was tested showing how direct and indirect relationship of job satisfaction and Commitment with organizational effectiveness. After the analysis it was revealed that job satisfaction had a significant impact on effectiveness but when organizational commitment was introduced as a mediator the effect became insignificant which means that organizational commitment fully mediates the relationship of job satisfaction and effectiveness (Barik, 2016). The results of our study revealed that commitment of employees was the necessary condition for improving the effectiveness of organization along with job satisfaction and proper work environment. Satisfied employees will feel a sense of belongingness towards the organization and devote their full efforts for the achievement of goals. Job satisfaction is the main factor which results in the attachment and commitment of employees towards the organization.

References:

Akanji, B., Mordi, C., Ituma, A., Adisa, T. A., & Ajonbadi,

- H. (2020). The influence of organisational culture on leadership style in higher education institutions. *Personnel Review*, 49(3), 709-732
- Barik. A. K. (2016). *Mediating effect of employee commitment on the relationship between employee satisfaction and organizational effectiveness* (Doctoral Dissertation, Siksha'O'Anusandhan University).
- Din, N. N. O., Zainal, N., & Balakrishna, S. (2023). FACTORS INFLUENCING JOB SATISFACTION OF EMPLOYEES IN THE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN MALAYSIA. *International Journal of Education and Pedagogy*, 5(2), 112-125.
- Locke, E. A. (1976). The nature and cause of job satisfaction In MD Dunnette (Ed), *Handbook of industrial and organizational psychology*. Rand Mc Nally, Chicago.
- Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1991). A three-component conceptualization of organizational commitment. *Human Resource Management Review*, 1(1), 61-89.
- Nassar, M., Heinze, A., Jasimuddin, S. M., & Procter, C. (2022). Does students' satisfaction matter to faculty job satisfaction in higher education?. *Journal of Marketing for Higher Education*, 1-19.
- Shiva Mahalinga, M. S. A., & Roy, S. (2008). A conceptual model of transformational leadership, organizational culture and organizational effectiveness for NGO's in the Indian context, *The Icfaian Journal of Management Research*, 7(4), 63-73
- Yee, N. H., & Jusoh, R. (2021). Management Control Systems and Employee Organisational Commitment in the Malaysian Public Sector. *Management*, 11(1), 15-37.

Ms. Preety

Research Scholar,
Department of Commerce and Management,
Baba Mastnath University, Asthal Bohar Rohtak, Haryana
(India)

Dr. Suman Pahal

Associate Professor
Faculty of Management and Commerce,
Baba Mastnath University, Asthal Bohar Rohtak, Haryana
(India)

Ms. Preety

Address-1333, Urban Estate, Jind

Mobile No-9813349593

Pin-126102



सारांश:-

चुनाव लोकतंत्र का आधार होता है इसी के ऊपर लोकतंत्र की इमारत की दृढ़ता निर्भर करती है। चुनाव में निष्पक्षता और ज्यादा से ज्यादा जन सहभागिता से मजबूत लोकतंत्र का निर्माण होता है। आज के युग में चुनाव में सोशल मीडिया का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। भारत में सोशल मीडिया का प्रभाव प्रमुख रूप से 2014 के लोकसभा चुनाव और दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखा गया। आई ए एम आई की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियों ने अपने चुनावी कोष में से 2 से 5: सोशल मीडिया पर खर्च किया। भारतीय जनता पार्टी वर्ष 2009 से सोशल मीडिया का प्रयोग कर रही हैं राजनीतिक दलों का सोशल मीडिया के प्रति रुझान बढ़ने का कारण यह है कि यह आम आदमी से पहुंच बनाने का सरल साधन है। विधानसभा चुनाव में श्री अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से सोशल मीडिया का प्रयोग किया और चुनाव में सफलता प्राप्त की, यह देखने योग्य रहा। इसी वजह से उन्होंने मुख्यमंत्री पद प्राप्त किया और सोशल मीडिया की संतान कहलाए। वह राज्य विधानसभा के चुनाव में सोशल मीडिया का प्रयोग करने वाले पहले राजनेता थे। चुनाव में सोशल मीडिया के सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों पहलू दिखाई देते हैं। यह ऐसा साधन है जिसे ध्यान से इस्तेमाल किया जाए तो इसके बहुत सारे लाभ हैं, यह मजबूत सरकार का आधार बनता है परंतु इसका गलत प्रयोग लोकतंत्र की नींव हिला सकता है। सोशल मीडिया की इसी भूमिका को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग को हस्तक्षेप करना पड़ा। तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ-साथ सोशल मीडिया के प्रयोग संबंधी आचार संहिता निर्धारित की थी।

Research Methodology:

इस पेपर में विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्रित की गई है ताकि विषय को स्पष्ट किया जा सके। प्राथमिक और द्वितीयक दोनों स्रोतों का प्रयोग किया गया है। कुछ अध्ययनों का भी इस पेपर के अंतर्गत वर्णन किया गया है ताकि यह स्पष्ट हो सके की सोशल मीडिया का प्रभाव किस तरह से बढ़ रहा है और राजनीति में यह कितना प्रभाव डाल रहा है। वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग करके विषय को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है।

Keywords: चुनाव, सोशल मीडिया, राजनेता, जन सहभागिता।

चुनाव में सोशल मीडिया के प्रभाव को समझते हुए आज लगभग सभी राजनीतिक दल और राजनेता सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहे हैं। सक्रिय राजनीति में व्यस्त रहने वाले ज्यादातर राजनेता स्वयं इसे संचालित नहीं करते हैं। उन्होंने इस कार्य के लिए सोशल मीडिया मैनेजर नियुक्त किए हुए हैं। विषय से संबंधित सामग्री से लेकर सोशल मीडिया को डिजाइन करने तक की सभी गतिविधियां उन्हीं के

द्वारा संचालित होती है परंतु अंतिम निर्णय राजनेता का ही होता है। दिग्गज नेताओं की सोशल मीडिया टीम होती है जिसमें 2 से 5 लोग काम करते हैं। इस टीम का कार्य चुनावी क्षेत्र की समस्याओं को खोजना है, साथ ही यह उस क्षेत्र की भाषा की जानकारी एकत्रित करते हैं ताकि उसी भाषा में संदेश तैयार करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने से जोड़ सकें। चुनाव के दौरान यह गतिविधियां और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में तकनीकी विशेषज्ञों को विशेष पैकेज के तहत नियुक्त किया जाता है जो कि एक से तीन लाख रुपए तक हो सकता है। इसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर भी प्रमोशन किया जाता है। राजनीतिक दलों के द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपना घोषणा पत्र प्रकाशित किया जाता है ताकि आम जनता तक पहुंच बनाई जा सके। भारत में सोशल मीडिया का राजनीतिक संचार में खुलकर प्रयोग 2014 के लोकसभा चुनाव में देखा गया। बड़े शहरों में ही नहीं अपितु मध्यप्रदेश के बालाघाट जैसे छोटे शहरों में भी उम्मीदवार फेसबुक का प्रयोग करके अपनी बात जनता तक पहुंचा रहे हैं।

सोशल मीडिया का चुनाव में प्रयोग:

1. जनमत हो पक्ष में करने के लिए भारत में व्हाट्सएप तथा यूट्यूब का प्रयोग कुल जनसंख्या के काफी बड़े हिस्से द्वारा किया जाता है। सोशल मीडिया ने राजनेताओं को आम नागरिकों को बीच संचार को नया अर्थ प्रदान किया है। इसमें दोहरे संचार को जन्म दिया है। कमेंट के माध्यम से आम लोग राजनेताओं से अपनी बात कह सकते हैं। राजनेता एक्स, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब तथा इंस्टाग्राम आदि का प्रयोग कर जनता से संपर्क बनाते हैं। उनके पास ऐसी टीम होती है जो इन सभी माध्यमों को संचालित करती है। ऐसे वीडियो बनाए जाते हैं जो ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का ध्यान आकर्षित कर सके। यह चुनाव अभियान समिति को मतदाताओं को बेहतर ढंग से समझने और अपनी नीतियों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप ढालने में मदद करते हैं।

2. राजनेताओं की छवि का निर्माण करना

भारतीय जनता पर राजनेताओं की छवि का विशेष प्रभाव रहता है। 2014 के चुनाव में सोशल मीडिया द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो छवि निर्मित की गई थी। उसने भाजपा को चुनाव में बड़ी सफलता दिलाई इसके साथ गुजरात मॉडल की सोशल मीडिया में लोकप्रियता ने अहम भूमिका निभाई थी। 2019 के चुनाव में राहुल गांधी की छवि को खराब करने में भी सोशल मीडिया अहम रहा जिसका प्रभाव भारतीय राजनीति पर स्पष्ट दिखाई दिया। इस प्रक्रिया में 2024 में चुनाव बड़े बदलाव को लेकर आया क्योंकि दोनों ही प्रमुख नेताओं की राजनीतिक छवि में सोशल मीडिया ने बड़ा परिवर्तन कर दिया है जिसका असर आम जनता तथा जनमत दोनों पर देखने को मिला। सभी राजनीतिक दल अपने नेता की छवि को दूसरों से ज्यादा प्रभावी

बनाने के लिए सोशल मीडिया की आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का सहारा भी लेते हैं जिसके लिए विशेषज्ञों की सेवाएं लेते हैं।

3. चुनावी नतीजे की भविष्यवाणी करने के लिए सोशल मीडिया ने जनमत संग्रह के पारंपरिक तरीकों में काफी परिवर्तन ला दिया है। इसमें समय और लागत दोनों में कमी की है। इसके प्रयोग से प्रभावी डेटा संग्रह और विश्लेषण संभव हुआ है। यह चुनाव अभियान से लेकर नतीजे की भविष्यवाणी तक में राजनीतिक दलों की सोशल मीडिया टीमों का मार्गदर्शन कर रही है। इन भविष्यवाणियों का जनमत पर काफी गहरा प्रभाव पड़ता है। एक आम धारणा है कि जो जीत रहा है उसे ही वोट दिया जाए अतः जब चुनावी नतीजे की भविष्यवाणियां होती हैं तो लोग अपनी राय उसी के अनुरूप बना लेते हैं।

4. लोगों को जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया आम जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करता है। इसके माध्यम से विभिन्न सरकारी नीतियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जिससे सरकार के प्रति राय बनाने में उन्हें मदद मिलती है। इसी के माध्यम से राजनीतिक दल अपनी नीतियों और कार्यक्रम जनता तक पहुंच जाते हैं जिससे वे जनता को अपने पक्ष में कर सकें। 2024 के चुनाव में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के सामने रखा जिससे जनता को कांग्रेस की नीतियों की जानकारी प्राप्त हुई। भाजपा ने भी अपने घोषणा पत्र को जनता तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों का प्रयोग किया। न केवल दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों बल्कि सभी छोटे-बड़े दल इसी तरह सोशल मीडिया का प्रयोग करके जनता को राजनीतिक रूप से जागरूक करने का प्रयास करते हैं। सोशल मीडिया ने लोगों को असीमित सूचनाएं प्रदान करने का एक नया प्लेटफॉर्म प्रदान किया है। इसने आम नागरिकों की राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने की क्षमता में भी वृद्धि की है।

5. चुनाव आयोग की भूमिका चुनाव के दौरान चुनाव आयोग की सोशल मीडिया के प्रयोग को लेकर अहम भूमिका रहती है। चुनाव में यह एक प्रमुख संस्था के रूप में कार्य करता है। 2014 के आम चुनाव में सोशल मीडिया सामग्री का पूर्व-प्रमाणन अनिवार्य किया गया। यह कार्य चुनाव आयोग द्वारा किया जाना था ताकि घृणास्पद भाषण को रोका जा सके। आम चुनाव के आदर्श आचार संहिता में इसकी व्यवस्था की गई। 2019 तथा 2024 के चुनाव में भी चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया विनियम के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा सहमत एक सुरक्षित आचार संहिता लागू की। संहिता के अनुरूप इस बात का ध्यान रखा गया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए इसके दुरुपयोग पर नियंत्रण लगाया जाएगा। चुनावी मामलों पर जानकारी चुनाव आयोग की वेबसाइट तथा अन्य डिजिटल मीडिया पर साझा की गई। 2019 में चुनाव आयोग ने cVigil नामक एक ऐप लॉन्च किया जिसके माध्यम से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के एम सी सी उल्लंघनों की रिपोर्ट की जा सकती थी।

2019 के लोकसभा चुनाव और सोशल मीडिया निर्वाचन आयोग के अनुसार इस चुनाव में 8 करोड़ 40 लाख के लगभग प्रथम

बार वोट डालने वाले मतदाता थे। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार प्रथम बार वोट डालने वाले मतदाताओं के एक तिहाई सदस्य सोशल मीडिया से प्रभावित हुए। 15 करोड़ के लगभग युवा मतदाताओं ने सोशल मीडिया के विभिन्न ढंगों से राजनीतिक संदेश प्राप्त किए। यह रिपोर्ट ऑनलाइन सर्वे पर आधारित है। 'एलाइड डिजिटल ग्रुप' ऑनलाइन प्रचार के लिए सॉफ्टवेयर बनाने वाली एक कंपनी है। इसकी रिपोर्ट में कहा गया कि 2014 के बजाय 2019 में सोशल मीडिया का प्रयोग ज्यादा हुआ है। इस रिपोर्ट के अनुसार कुल मतदाताओं में से 50% सोशल मीडिया से प्रभावित हुए हैं, जिसमें 25 वर्ष से कम आयु के लोग शामिल हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार 40% युवा जो कि 18 से 24 वर्ष के बीच हैं वे खुद को सोशल मीडिया पर लगातार अपडेट रखते हैं। वे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर आदि में से कम से कम 1 से जुड़े रहते हैं। इस चुनाव में सोशल मीडिया के बढ़ते प्रयोग को देखते हुए तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त श्री संजीव अरोड़ा ने आचार संहिता लागू की थी। इस आचार संहिता के अनुसार:

1. चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को नामांकन पत्र में अपने सोशल मीडिया खातों की जानकारी देने को कहा गया था।
2. सोशल मीडिया पर कोई भी विज्ञापन तभी डाला जा सकता था जब उसके लिए मीडिया सर्टिफिकेशन तथा मॉनिटरिंग कमेटी से प्रमाण पत्र लिया गया हो।
3. सोशल मीडिया पर आए खर्च को चुनावी खर्च में शामिल किया जाना था। चुनाव आयोग द्वारा सोशल मीडिया के लिए आचार संहिता का निर्माण यह स्पष्ट करता है कि सोशल मीडिया की चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका है।

इस संदर्भ में लोगों की राय जानने के लिए जून-जुलाई 2021 में एक सर्वे किया गया। जिसमें 500 लोगों को शामिल किया गया। यह लोग विभिन्न वर्गों, व्यवसायों तथा स्थानों से संबंध रखते हैं। इनमें से 81 प्रतिशत लोगों ने राजनीतिक विचारों के प्रचार के लिए सोशल मीडिया को महत्वपूर्ण माना। चुनाव में राजनीतिक विचारों का विशेष महत्व है। राजनेता जितने ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं, उतना ही जनमत उनके पक्ष में हो पाता है। 71 प्रतिशत लोगों का मानना है कि सोशल मीडिया मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है। यही राजनेता या दल की चुनाव में जीत को सुनिश्चित करता है। 77.8 प्रतिशत लोगों का कहना है कि सोशल मीडिया किसी राजनेता की छवि बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इसी आधार पर राजनेताओं की चुनावी सफलता निश्चित होती है। 70.6 प्रतिशत लोगों ने माना कि सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय राजनीति में जनता का रुझान बढ़ा है। आम जनता मुख्यतः यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से राजनेताओं से जुड़ी है। इसमें भी 47.6 प्रतिशत के साथ यूट्यूब का प्रयोग सबसे ज्यादा हो रहा है।

2024 के चुनाव में सोशल मीडिया का प्रयोग 2024 के लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया का बड़े स्तर पर प्रयोग हुआ है। राजनीतिक दलों तथा नेताओं ने तो इसका प्रयोग किया ही साथ ही सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर तथा न्यूज चैनल्स यूट्यूब के माध्यम से

मुख्य धारा के मीडिया से काफी आगे निकल गया 25 जून को प्रकाशित मई महीने पर आधारित रिपोर्ट में सबसे ज्यादा देखे जाने

Rank	Channel	#Views (Million)	Views Share	Rank	Channel	#Views (Million)	Views Share
1	4PM	279.8	14%	16	The Newspaper	46.6	2%
2	DB live	212.6	10%	17	Deepak Sharma	45.6	2%
3	Abhisar Sharma	173.5	8%	18	CAPITAL TV	43.1	2%
4	Ravish Kumar Official	135.9	7%	19	Public Views India	38.2	2%
5	Dhruv Rathee	114.9	6%	20	The Deshbhakt	38.1	2%
6	Bharat Samachar	90.2	4%	21	TNX News	37.0	2%
7	NMF News	75.9	4%	22	Vaad	36.9	2%
8	Pyara Hindustan	67.5	3%	23	Satya Hindi	34.0	2%
9	Khabar India खबर इंडिया	66.2	3%	24	The News	30.8	1%
10	Online News India	65.4	3%	25	JANHIT TV	28.3	1%
11	Ajit Anjum	63.2	3%	26	The Rajneeti	26.9	1%
12	Uta Chasma uc	62.2	3%	27	News Express	23.2	1%
13	Headlines India	53.8	3%	28	The Jaipur Dialogues	22.4	1%
14	Sakshi Joshi	53.1	3%	29	Apka Akhbar	21.9	1%
15	Punya Prasun Bajpai	48.5	2%	30	The Live Tv	20.1	1%
		Total				2055.9	100%

Note:
1 We have significantly expanded our master list for channel tracking. Top 30 shown here.

यह "यूट्यूब द्वारा टॉप पॉलिटिकल कमेंटेटर इन यूट्यूब" के नाम से प्रकाशित की गई है। इसके अंतर्गत आने वाले न्यूज चैनल्स और यूट्यूबर मुख्य धारा मीडिया से प्रसिद्धि तथा देखे जाने के मामले में काफी आगे निकल गए हैं **2024** के चुनाव के दौरान मुख्य धारा मीडिया पर एक तरफा खबरों का आरोप लगाता रहा ऐसे में सोशल मीडिया पर प्रसारित न्यूज चैनल तथा यूट्यूबर के द्वारा डाटा तथा रिपोर्ट के साथ प्रकाशित खबरों ने लोगों के बीच विशेष जगह बनाई। जिस वजह से पक्ष तथा विपक्ष दोनों के विभिन्न खबरें जनता तक पहुंच सकी। इसने लोगों में जनमत निर्माण पर काफी गहरा प्रभाव डाला। यूट्यूब पर संचालित यूट्यूब चैनल्स की बढ़ती खबरों की लोकप्रियता को लेकर **2024** का चुनाव अपने आप में अलग महत्व रखता है।

भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने रणवीर इलाहाबादी के पॉडकास्ट में हिस्सा लिया तो वहीं कांग्रेस ने काम्या जेनी के पॉडकास्ट में जाकर अपने विचारों को लोगों के साथ साझा किया। एक्स जो कि ट्विटर का बदला नाम है पर भी सभी नेता सक्रिय दिखे। इसके माध्यम से उन्होंने अपने विचार जनता तक पहुंचा कर जनता के प्रश्नों का जवाब दिया। एक्स पर राहुल गांधी के **22.6** मिलियन फॉलोअर्स है तथा प्रधानमंत्री मोदी के **84.9**: फॉलोअर्स है

राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी की ट्विटर एक्टिविटी को लेकर सोशल ब्लेड ने एक विश्लेषण किया है इससे पता चलता है कि फॉलोअर्स और पोस्ट की संख्या के मामले में राहुल गांधी प्रधानमंत्री से काफी पीछे हैं लेकिन वह मोदी के (**21919**) के मुकाबले दोगुनी (**41260**) लाइक और रिट्वीट हासिल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को **4299** औसत री ट्वीट मिले हैं वहीं राहुल गांधी को **9941** री ट्वीट मिले हैं कांग्रेस तथा भाजपा दोनों ने ऑफिशल युटुब चैनल भी बने हुए हैं जिनके माध्यम से वे जनता तक अपनी गतिविधियों के वीडियो पहुंचते हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों ने व्हाट्सएप के माध्यम से भी **2024** के चुनाव में जनता से संपर्क करने की शुरुआत की है अब चुनाव प्रचार केवल रेलिया के माध्यम से संचालित नहीं होता बल्कि सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यम भूमिका निभाते हैं।

2014 और **2019** के भारतीय आम चुनाव के बीच उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। भारत के भीतर डिजिटल विभाजन तेजी से कम हुआ है और इसने राजनीति पर डिजिटल मीडिया के प्रभाव का अध्ययन करना और भी महत्वपूर्ण बना दिया है। **2014** में, **5** में से **1** भारतीय के पास डिजिटल मीडिया तक पहुंच थी और **2019** में यह बढ़कर **3** में से **1** हो गई है। **2024** में भी सोशल मीडिया का प्रयोग बढ़ता ही जा रहा है। कम कीमत वाले स्मार्टफोन और सस्ते डेटा प्लान के साथ पहुंच की गुणवत्ता में भी नाटकीय रूप से सुधार हुआ है।

निष्कर्ष

यह सिद्ध करता है कि राजनीतिक विचारों के प्रचार से लेकर लोगों में अपनी छवि बनाने तथा उन्हें अपने साथ जोड़कर उनके मत प्राप्त करने तक में सोशल मीडिया की अहम भूमिका है। सोशल मीडिया पर इस बदलते प्रभाव को समझने के बाद, कोई भी राजनेता या राजनीतिक दल चुनाव में इसकी अनदेखी नहीं कर सकता। आज के समय में सोशल मीडिया केवल राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में चुनावी गतिविधियों में अपनी विशेष पहचान बना चुका है। आज के समय में विभिन्न राजनीतिक दल जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए स्वयं निर्मित सोशल मीडिया के माध्यमों का प्रयोग कर रहे हैं। इसका लाभ यह हुआ है कि जन संचार माध्यमों के अन्य साधनों से अनदेखी होने के बावजूद वे अपनी बात जनता तक पहुंचाने में सक्षम हुए हैं। सरकार तथा विरोधी दल सभी खुलकर इस साधन का प्रयोग कर रहे हैं। जनता भी इस परिवर्तन के साथ सहज हो चुकी है। सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए हम यह आशा करते हैं कि आगामी राज्य विधानसभा चुनाव तथा लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया के प्रभाव में वृद्धि ही होगी।

सही और गलत सूचनाओं के फर्क को समझने के लिए डिजिटल साक्षरता के महत्व पर जोर देना होगा ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। यह शिक्षा विद्यालय स्तर पर ही शुरू कर दी जानी चाहिए क्योंकि सोशल मीडिया का प्रयोग लगातार बढ़ता जा रहा है फर्जी खबरों के प्रचार को रोकने के लिए नागरिक और मशहूर हस्तियों को ओर अधिक संवेदनशील बनाना महत्वपूर्ण है ताकि भविष्य के अभियानों में ऐसे संदेशों को आगे न बढ़ाया जा सके। व्हाट्सएप द्वारा शुरू की गई 'चेकप्वाइंट रिसर्च हेल्पलाइन या गूगल और यूट्यूब का तथ्य जांच कर्ताओं के साथ सहयोग' इस संबंध में महत्वपूर्ण कदम है। फर्जी खबरों या सार्वजनिक चर्चा की निम्न गुणवत्ता के नकारात्मक प्रभाव से निपटने और मतदाताओं को सूचित करने की क्षमता को मजबूत करने के लिए एक नए बहुहितकारी संवाद की आवश्यकता है।

References:

1. Kumar, Rakesh. (2016). Social Networking: kal or Aaj, Punjab, Rigi Publication.
2. Sardesai Rajdeep, 2014. The election that changed India, Penguin India.
3. Mohammad Anas (2019), Mediated Politics in India.

4. Shakunt Jadav, An analytical study on influence of social media pertaining to youth.
5. Lal, Ankit. (2017). India Social – How social media is leading the change and changing the country, India, Hachette Book Publishing India Pvt. Ltd.
6. Amarland, David (2008). The Social Media Mind: How social media is changing business, politics and science and helps create a new world order. Amarland David
7. राजकुमार, "मीडिया और लोकतंत्र – एक दुसरे के पूरक या विरोधी"
8. सिंह अभिनव प्रकाश, "देश में नया सामाजिक, राजनितिक मंथन और भारत की बदलती तस्वीर"
9. दैनिक जागरण, 26 जनवरी 2020, "तकनीक के दौर में हथियार की तरह हो रहा है सोशल मीडिया का इस्तेमाल"
10. दैनिक जागरण, 26 अप्रैल 2013, "सोशल मीडिया और चुनाव ", पांडे पिपूष |
11. The Economic Times, "social media plays a key role in influencing first voter report May 12, 2019, 7:00 PM
<https://www.sriramsias.com/blog/how-social-media-has-transformed-political-campaigns-in-2024/>
12. <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/role-of-social-media-in-elections>
13. <https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:AP:495e59af-810e-4681-adca-99b9b00bb537>
14. <https://www.livemint.com/news/lok-sabha-elections-2024-from-whatsapp-to-social-media-influencers-heres-how-parties-are-wooing-voters-11710658673425.html>
15. <https://hindi.business-standard.com/elections-chunav/lok-sabha-election/lok-sabha-election-2024-creators-are-earning-more-money-on-social-media-than-on-election-campaigning-on-the-streets-id-349411>
16. <https://timesofindia.indiatimes.com/india/lok-sabha-elections-2024-how-social-media-emerged-a-s-key-battlefield-for-bjp-vs-congress/articleshow/111002045.cms>
17. <https://ddnews.gov.in/en/eci-issues-instructions-to-political-parties-on-misuse-of-social-media/>
18. https://www.reddit.com/r/IndianModerate/comment/t/1ddazbk/a_comparison_of_top_political_commentators_on/
19. <https://www.abplive.com/news/india/pm-modi-and-rahul-gandhi-twitter-followers-likes-and-retweet-analysis-2314232>
20. <https://news.umich.edu/how-much-influence-does-social-media-have-on-indias-ongoing-elections/>
21. [https://www.kas.de/en/web/politikdialog-](https://www.kas.de/en/web/politikdialog-asien/single-title/-/content/the-impact-of-digital-media-on-the-2019-indian-general-election)

[asien/single-title/-/content/the-impact-of-digital-media-on-the-2019-indian-general-election](https://www.kas.de/en/web/politikdialog-asien/single-title/-/content/the-impact-of-digital-media-on-the-2019-indian-general-election)
22. [https://www.kas.de/en/web/politikdialog-](https://www.kas.de/en/web/politikdialog-asien/single-title/-/content/the-impact-of-digital-media-on-the-2019-indian-general-election)

Dr. Annu

Associate Professor,

Political Science

Maharaja Aggrasen PG College for Women,

Jhajja9992044806,

Email: annu.bahmania@gmail.com

Abstract:

India's crime rate is rising daily in comparison to the previous year, but what's more startling about it all is that juvenile criminality has increased as well. They are committing a variety of crimes, such as killing and theft, and they frequently involve sexual activity in young people these days. Minors under the age of eighteen are considered as juveniles. The horrible acts we see in our community and even now in public places like parks, schools, and other crowded places have made juvenile crimes a national and international concern. While most people focus on harsh punishments for these crimes, there is a small minority of people who are concerned about the reasons why children of such young ages are committing them and what can be done to prevent or provide the necessary intervention. We all need to concentrate on the psychological aspects that influence juvenile delinquency more than we should on criticizing and intervening in the current state of affairs. We should wonder what may go wrong in the lives of a young child to lead them to make such a significant decision that will damage their life forever, and we should figure out how to stop it. Children who develop to the utmost extent possible on all levels-physical, mental, moral, and spiritual-can achieve their greatest potential. On the other hand, abusive environments, disregard for basic necessities, inappropriate companionship, and other mistreatment might cause a child to become a delinquent... Due to shifting social norms, children today seem to have strong preferences and dislikes as well as mature facial expressions at a very young age. Children with these characteristics are also more susceptible to the schemes of criminals like traffickers, peddlers, and abusers. Furthermore, children's mental development is greatly impacted by the media. The introduction of communication technology in recent years has greatly expanded a child's exposure to media, including the Internet, video games, music, radio, and television.

Keywords: Juvenile, Delinquency, Child, Criminal.

Introduction

Nobody is hereditary criminal. Delinquent behaviors of child caused by their environment, their age group, poor socialization, a lack of parent's supervision. In addition to meeting a kid's basic biological needs, child development also entails giving them appropriate socializing and opportunities for additional growth Restrictive measures and severe warnings do not serve as a protective shield for kids, and they

will not stop delinquent behavior. To help the kids get under the protective shield, parents must establish close communication and offer gentle guidance. Unfortunately, few children grow up in a secure and safe home setting as a result of industrialization, urbanization, and the dissolution of traditional community and family networks. Poverty has increased in areas affected by new industries. As a result, an increasing number of women are joining the workforce, where they are treated as commodities that may be exchanged for cash, along with children. It is a fact that there is a risk of abuse and violence against children occurring both within and outside the home. There's a surge in the reporting of domestic sexual abuse cases, and children are being trafficked and swapped for sex.

HISTORY OF INDIA'S CHILD DELINQUENCY LAWS

Before 1850: We do not have the laws, which can distinguish between child and adult offenders; all faced equal punishment and after that Apprentices Act of 1850 has been introduced this Act addressed the child offenders. Instead of imprisonment for petty offenses, children were treated as apprentices undergoing training.

Post-Independence Era:

The Indian Constitution aimed to protect children by providing fundamental rights and Directive principle, but until 1960, there was inconsistency in defining juvenile age limits across states. For example, the Bombay Children Act 1948 defined a child as a boy under 16 and a girl under 18. Children's Act of 1960 established to protect juvenile offenders, emphasizing welfare, education, and training, and created observation homes and special educational systems. After that act of 1986 come into exist once (Juvenile Justice Act, 1986) aimed to standardize juvenile justice across states, inspired by the SC in Sheela Barse's case, which advocated for equal treatment of child offender. Then in 2000, act of Juvenile justice (care and protection of children) enforce. This act arose from international conventions, focusing on care, protection, and rehabilitation for juvenile offenders, while ensuring fair justice, particularly for heinous crimes.

Recent Developments:

2015 act of Juvenile Justice (care and protection of children): 2015 act replace the 2000 law, allowing for adolescents age of sixteen to eighteen be tried as adults for serious offenses, reflecting a more punitive approach influenced by public sentiment after high-profile crimes, such as the Nirbhaya case

.In 2021, significant amendments were made to the act of 2015 in which Juveniles age sixteen to eighteen can be treat as adults for serious nature crimes.The amendments emphasized the role of Child Welfare Committees (CWCs) and made provisions for the establishment of new CWCs to improve protection of juveniles. Amendments aim to enhance rehabilitation measures, ensuring that juvenile offenders receive appropriate support and counseling to reintegrate into society and States were given more authority to establish and manage special homes for juveniles, ensuring that they are equipped to provide adequate care and rehabilitation services

Constitutional Provisions and Safeguards for Children in India

The juvenile justice area has developed as a result of the provisions in the constitution after independence. There are specific provisions pertaining to children in Parts III and IV, which deal with Fundamental Rights and Directive Principles of State Policy, respectively .

Article 15(3): Permit State to provide for women and children in particular

Article 23: Prohibit forced labor and trafficking of persons

Article 24: Prohibits hiring minors under the age of 14 for dangerous jobs in mines, factories, and other establishments .

Article 39(e): Directs the State to protect minors from being forced to work at ages and strengths that are inappropriate for them due to financial necessity.

Article 39(f): Gives the state instructions provide conditions that promote children healthy growth and to safeguard children and young people from exploitation and material and moral desertion.

Article 45: Demands that all children up to the age of 14 receive free, mandatory education from the State.

According to Article 47, it is the state's responsibility to improve living standards and nutrition levels. In 2002, the 86th Amendment to the Constitution was passed by Parliament, making the right to education a basic freedom.

Legal Code Provisions and Applicable Case Laws
Sections 20 and 21 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 indeed deal with the exclusion of juveniles from prosecution.

The Supreme Court of India lowered the prison term of a thirteen year old boy who had sexually molested a 2 year old girl in the Kakoo v. Union of India case. The court took into account Sections 83 and 84 of the IPC, which stipulate that juveniles cannot be treated as adults. Legal tradition has always maintained that while dealing with juveniles, the court must take into account both humanitarian and reformatory perspectives.

In contrast, a kid threatened to hack an adult to pieces and stab another person to death in Heeralal v. Union of India. Boy's legal age was cited by the court in its conviction. The petition was likewise denied by the supreme court.

Juvenile Justice Act, which would reduce the age from 18 to 16 and allow minors to be tried as adults for horrible crimes like rape and murder . The current was argued to be amended in the case of Salil Bali v. Union of India. The petition was denied by the Supreme Court , which ruled that the Juvenile Act complies with the Indian Constitution and is founded on reasonable premises. A number of international agreements, such as the Riyadh Guidelines and the Beijing Rules, acknowledge the rights of children and permit the establishment of distinct juvenile criminal justice systems .

What juvenile delinquency means\

Juvenile delinquency is defined as the commission of crimes by juveniles, or youths, who have not attained the legal majority age. Most states set that age at eighteen. In the United States, juvenile offenders were referred to as juvenile delinquents when they were first prosecuted in the late 1800s.

The Latin word "delinquer," which meaning "omit," is where the word "delinquency" originates . The term juvenile delinquency describes inappropriate behavior that kids and teenagers exhibit, which often includes criminal activity. Put simply, it refers to a child's departure from accepted social norms and rules, where they typically engage in anti-social behavior.

Any criminal behavior charged by an individual under the age of eighteen is considered juvenile delinquency. These illegal activities have been growing quickly in the recent past for a variety of causes. Juveniles accused of major crimes, such robbery or murder, are typically sent to criminal courts where they are tried as adults.

Delinquent behavior comprises the following:

1. Leaving the house without your parents' consent.
2. Routine conduct that is not under parental supervision.
3. Going overboard with idle leisure.
4. Prohibition of foul language.
5. Getting into sexual offenses.
6. Going to a casino, etc.

Definition:

The Latin word "juvenis," which meaning "young," is where the word "juvenile" first appeared. Generally speaking, a child is an individual who is under age of eighteen and does not have the capacity to properly comprehend right from

wrong. The legal systems of many nations are based on the idea of "Doli Incapax," which holds that a minor cannot have the criminal intent to commit an offense.

One statute that is part of India juvenile justice system is the 2015 act of Juvenile Justice Juvenile. The following is how it defines the terms "child" and "juvenile":

A person who is younger than eighteen is considered a "child" under the act of Juvenile Justice 2015. The Act makes a distinction between children who require care and protection and those who are in legal trouble.

Under Indian law, a person under the age of eighteen is considered a "juvenile"

"Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 Section 2(k) of this act defines a juvenile as a person who is under the age of 18".

JJ Act, 2015

Section 2(35): this act defines juvenile as a person who is under the age of 18.

Section 2: "Juvenile delinquency" is defined by act of Juvenile Justice, 2015 as any illegal act committed by a child, which basically mean that a child engaging in antisocial behavior that is subject to legal action; a "juvenile" is under the age of eighteen year;

Types of Juvenile Delinquency

1. Individual Delinquency: Engaged by a single person, rooted in personal factors like psychological issues and family dynamics. It often arises from feelings of unhappiness or a desire for attention.
2. Situational/Circumstantial Delinquency: Characterized by impulsive acts without deep commitment to delinquency. Influenced by weak family boundaries and a perceived lack of consequences for actions.
3. Group-Supported/Pear Delinquency: Involves groups of peers engaging in criminal activities, driven by social structures and peer pressure rather than individual issues. Neighborhood influences play a significant role.
4. Organized Delinquency: Involves formally organized groups committing crimes, characterized by a delinquent sub-culture with shared values and norms. Examples include drug trafficking among youth in urban areas.

Psychological factors/psychological elements

As we all know, no one is born a criminal, and most of the time, no one wants to be one. These are the conditions that drive such young brains to commit such horrible acts. These situations, which can take place both within and outside the house, do have a big impact on how someone thinks and behaves in general. Listed here are a few significant factors:

1. Adolescent influence and resulting instability, 2. Unhealthy

company, 3. Early sexual experience in life; 4. Potentially escalating internal tensions; 5. A harsh social environment; 6. A romantic adventure; 7. A movie; 8. A dissatisfied school experience; 9. A subpar recreational program; 10. The streets; 11. A dissatisfied career; 12. Impulses and various bodily problems).

We can all agree that there are several reasons why delinquency occurs, even if there is still much to learn about this risk factor.

Social and personality factors are the two main psychological elements that contribute to juvenile delinquency

Social psychological factors

1. Broken homes: According to an Indian study by Uday Shankar, 13% of 140 delinquents had a history of living in a broken home. Broken in the sense that it is broken up by the death of a parent; in certain cases, both the mother and the father have passed away. In these situations, children are frequently misled and wind up in a horrible situation from which they are unable to recover without the assistance of outside parties. A child needs both of its parents, but because mothers provide different kinds of love and food than fathers do, having a mother has a greater impact than having a father. Additionally, a youngster who experiences a divorce faces a very traumatizing sequence of events in his life.

While it is not possible to conclude that a broken household directly contributes to an individual's likelihood of being delinquent, it does increase the likelihood that a youngster would engage in inappropriate behavior (Nisar et al., 2015).

2. Poverty: The inability to afford a decent life, which prevents children from receiving the right education or from growing up in a better environment. As a result, these youngsters frequently associate with the wrong crowd of people, which eventually makes them into delinquents. In certain situations, both parents must work, and their children are at a high risk of becoming involved in inappropriate activities due to their environment (Potthast, 2012). In other cases, parents must work long hours outside to make ends meet, which leaves their children without proper parenting.

3. Friends and gangs: A developing child may be affected by unsuitable individuals or may succumb to peer pressure. Furthermore, numerous instances have demonstrated that a child's companion during their formative year's influences both the positive and negative aspects of their behavior. No one can claim that any of the situations above or below are the primary cause of a youngster choosing a negative life path, but they do work in an environment that encourages these kinds of unethical and unlawful behavior.

4. Beggary: Most of these children come from extremely low-income families or families in which there is a poor environment in which to grow up. Most of the time, all they need from their surroundings is love and support, but frequently they experience betrayal and shattering from it, which causes them to do bad things that they would never have done if they had received the right support at the right age and time.

Personal psychological factors:

which encompasses elements like emotional instability and mental illness that also contribute to juvenile delinquency

1. Mental deficiency: A child with a mental illness of any kind lacks the capacity to discern between good and wrong. These children are typically utilized by older, more responsible adults for their illicit activities. These children do, however, need special care and protection in order to develop into morally upright adults and lead fulfilling lives (Owusu, 2016).

2. Emotional issue: Choosing the incorrect course is frequently prompted by feelings of inferiority, superiority, and jealousy. A child who struggles to distinguish between right and wrong at such a young age will ultimately lead to a bad outcome for not just himself but also for the society and environment in which he lives. Research has shown that mental health issues are a significant contributing factor to criminality. Children who either act out of protest against their parents' treatment or because they don't receive enough love and affection from them are the main causes of delinquency.

This means that psychological elements can occasionally result from a child's personal reasons in addition to environmental causes (Wallace, 1996).

The following are quotes from several books about juvenile justice and the sociolegal approach:

"A socio-legal approach, according to Schiff, D.N. (1976), "should be put into the perspective of that situation by seeing the part the law plays in the creation, maintenance, and/or change of the situation" (p. 287). This is because "analysis of law is directly linked to the analysis of the social situation to which the law applies." Consequently, there is a tight connection between the law and the reality and situations of society.

Every country in the world faces challenges in enabling the child to fulfil their ability. Children need specific legal protection and consideration since they live in inadequate settings based on their cultural values and traditions to ensure their safe and harmonious development. The Convention on the Rights of the Child was adopted by the General Assembly and made available for signature on November 20, 1989. This Convention was created with the intention of shielding

kids from exploitation, abuse, and neglect. India also approved the Child Rights in 1992. These four categories of every child's political, economic, civil, and cultural right are highlighted by this convention.

Among these are following: - The Right to Live

It covers the right to life, as well as best possible nutrition level, healthy and living standard. It covers the rights to a nationality and a name.

The following is stated in article 6:

- States Parties recognize the inherent right to life of every child;

- States Parties must do everything within their power to ensure the child's survival and growth.

The Entire Rights Reserved

It includes freedom from all sorts of exploitation, abuse, harsh or degrading treatment, and neglect, as well as the right to special protection during emergencies and armed conflicts.

Certain children are more disadvantaged than others due to their mental, physical, social, or financial circumstances the kids fall beneath the group of kids that live in unusual , challenging situations. The Government of India has placed the following child demographics in this category:

- " Children in labor work
- " Children on the streets
- " Neglected children or viewed as young criminals
- " Children with physical or mental disabilities
- " Adoptable youngsters in need of financial assistance
- " Drug addicted Childrens
- " Children involved in prostitution
- " Offspring of prostitutes
- " Children of inmates
- " Children of refugees
- " Children from slums and migrants.

The Development Rights

Social Security, education, early childhood development and care support, and the ability to participate in leisure, recreation, and cultural activities are all covered .

It includes respect for children's opinions, thought freedom, conscience, and religions, freedom of expression, and access to pertinent information.

The rights specified in the existing Convention shall be upheld and respected by State Parties, provided that there is no discrimination as required by Article 2. irrespective of the child's, his or her parents', or legal guardians' race, color, sex, language, religion, political beliefs, national, ethnic, or socioeconomic origin, property, disability, birth, or any other status, without discrimination of any kind. This principle would strengthen the rights already offered by the Indian Constitution, which prohibits discrimination on the basis of handicap, property, birth, language, political opinion, color, and an undefined category of other status.

The juvenile justice act, 1986

The juvenile justice (care & protection) act, 2000

Current circumstances

The National Crime Records Bureau's (NCRB) crime statistics

Juveniles committed 30,555 crimes in 2022 compared to 43,506 in 2013, a fall of around 30%.

Juveniles' age

99% of minors arrested for offenses are boys, and 75% of them are between the ages of 16 and 18.

categories of criminal activity

More than half of all offenses reported under the IPC are theft and injury.

States with the highest rate of criminal activity

In 2023, Maharashtra had the greatest number of juvenile offenses, with Madhya Pradesh and Rajasthan following closely behind.

Landmark Judgements

landmark judgments related to juvenile delinquency from 1986 to 2024:

1. Sheela Barse v. Union of India (1986): Established that children under 16 should not be incarcerated like adults; directed states to implement the Children Act, 1960.
2. Pratap Singh v. State of Jharkhand (2005): made it clear that the date of the offense, not the date of the court appearance, should be used to calculate age, and applied the 2000 Juvenile Justice Act to pending cases.
3. Hari Ram v. State of Rajasthan (2009): Held that the 2000 Act applies to all pending cases, increasing the juvenile age limit to 18.
4. Abuzar Hossain v. State of West Bengal (2012): Confirmed that juvenility claims can be raised at any stage of a trial.

5. Jarnail Singh v. State of Haryana (2013): Applied juvenile age determination rules to instances covered by the Act Protecting Children from Sexual Offenses.

6. Essa v. State of Maharashtra (2013): Established that the Juvenile Justice Act overrides other laws like TADA.

7. Jitendra Singh v. State of U.P. (2013): Reaffirmed that juveniles must complete their sentences despite reaching the age of majority.

8. Salil Bali v. Union of India (2013): Discussed juvenile accountability and affirmed that the rehabilitation focus should remain for those under 18.

9. Shabnam Hashmi v. Union of India (2014): Recognized the right to adopt under the Juvenile Justice Act as a fundamental right.

10. Dr. Subramanian Swamy v. Raju (2014): Upheld that juveniles should be treated separately from adults in legal proceedings.

11. Parag Bhati v. State of Uttar Pradesh (2016): Discussed determination of juvenility & the relevance of age evidence.

12. Sampurna Behura v. UOI (2018): Oversaw better implementation of the Juvenile Justice Act for child welfare.

13. In Re Contagion of COVID-19 (2020): Issued guidelines for the safety and health of children in juvenile homes during the pandemic.

14. Rakesh Kumar v. State of Haryana (2021): Clarified that the juvenile justice system should prioritize rehabilitation over retribution, even in serious crimes.

15. Mohammad Zubair v. State of Delhi (2022): Emphasized the need for proper age verification processes and the rights of juveniles during trials.

16. Rohit Kumar v. State of Uttar Pradesh (2023): Addressed the treatment of juveniles accused of serious offenses, affirming the rehabilitative framework.

17. In Re: Juvenile Justice System in India (2024): A comprehensive review of the juvenile justice framework, leading to new guidelines for protecting children who are in legal trouble.

18. Child in conflict with law v. State of Karnataka (2024): Focused on rights of juveniles during trials and reinforced the need for specialized legal representation and a child-friendly judicial process.

19. Jitendra Meena v. State of Rajasthan (2024): Addressed the procedural rights of juveniles during trial and emphasized the need for timely age determination, ensuring that minors receive appropriate legal protections.

Conclusion: The effects of juvenile misbehavior on society are multifaceted. It mostly results from social and economic systemic failures inside society. It takes the cooperation of all members of society to stop juvenile misbehavior.

With time, it has been seen that juvenile crime has spread around the world and is now a significant problem. This could be due to changes in the environment that have varying effects on people, particularly in rural areas. Nonetheless, socio-cultural upheaval consequences serve as a constant check on any antisocial behaviors. Juvenile deviance continues to rise daily even after various forms of punishment have been put in place, and this is a matter that needs to be addressed or there won't be a future for anyone.

Suggestion:

1. To provide opportunities for parental education
2. To prevent mental conflict, provide mental hygiene
3. To provide clinical program, to prevent personality problem
4. Through, Educational institution some preventive program can be launched in an effective manner.
5. Removal of inferiority complex by showing love, sympathy and cheer the inferiority complex child.

References:

1. Shimpy Chadha "Juvenile delinquency (social and psychological perspective/ its prevention and correctional measures)" BCM Journal of Social Work(2023)
2. Nisha "Juvenile Delinquency A Socio Legal Study in Chandigarh UT": Shodh Ganga
3. ASEEM PRASENJITI POONAM DEVI "HISTORICAL DEVELOPMENT of juvenile justice in india": IJCRT(2023)
4. Ird.yahooapis.com
5. Central University of Haryana
6. Universal Bare act "Bharatiya Nyaya Sanhita" (2023)
7. www.bfitest.com
8. blog.ipleaders.in
9. hrlibrary.umn.edu
10. NALSAR University of Law Hyderabad
11. Shimpy Chadha "Juvenile delinquency (social and psychological perspective/ its prevention and correctional measures)": BCM Journal of Social Work(2023)
12. www.scconline.com
13. thepeninsulaqatar.com
14. Bare Act Juvenile Justice (care & protection act)2015
15. Prof.N.V.Paranjape "criminology & penology ": Central Law publication
16. Leiden university
17. www.iarapublication.com
18. www.slideshare.net
19. landmark judgement : Live law (1986 to 2024)

20. Sibnath Deb, G. Subhalakshmi. " Delivering justice- Issue and concerns" Routled..

Annu Chahal

LL.M (Master of Laws),
University Institute of Legal Studies,
Chandigarh University,
Mohali (Punjab).

Mail- a.chahal1214@gmail.com

Phone No.-8847014188

Address- Flat no. 54B, Aura Homes,
Nabha, Zirakpur ,Punjab College
address- Chandigarh University,
Gharuan, Mohali,

Punjab,

Pin Code- 140413.

Dr. Nisha Sain

Assistant Professor,
University Institute of Legal Studies,
Chandigarh University,
Mohali (Punjab).

Abstract:

The Reformatory Theory of punishment focuses primarily on reformation and rehabilitation of offender, over retribution. This theory has been gradually and steadily absorbed in Indian Criminal Justice System. This theory is focused on reforming offenders in law abiding citizens, this is done by focusing on root cause of criminal behaviour, rather than simply giving punishment. This shift in ideology in India is because of the country's socio-economical atmosphere, legal development and involvement of humanistic concept in crime. Idea is to provide education, vocational training, psychological counselling and finally social reintegration.

Historically Indian Criminal Justice System had affect of colonial laws which advocated for retributive punishment. The shift was observed after independence of India, when Indian legislators decided to develop laws in the light of constitutional values, which included equality, dignity and social justice. Judiciary as third pillar of democracy through judicial activism in cases like Mohd. Giasuddin Vs State of A.P. And Rajendra Prasad Vs State of U.P. tried to incline judicial system towards reformatory justice by signifying that punishment is for reformation rather than retaliation against offenders.

The Juvenile justice act 1986 and The Probation of Offenders Acts, 1958 are legislative attempt of India to make reformation of criminal into main stream idea in the system. Despite these efforts there still remains a number of challenges to be develop criminal justice more reformatory. Lack of resources, overcrowding of prisons, disgrace of convicts in society and lack of proper training to officers involved in rehabilitation hinders the growth of said theory.

This paper tends to explore the development and contemporary relevance of reformatory theory in Indian context. This includes a critical examination of existing legal frameworks, with suggestions to improve the methodology, practices and infrastructure involved in reformation of criminal.

Keywords: Reformatory theory, criminal justice system, society, criminal psychology, reformation, retribution, deterrence, rehabilitation.

1. INTRODUCTION.

Absolute power has always been paramount of governance since ancient time. The sovereign has changed its from over the time, evolving from monarchy to authoritative and today its

mostly democracy. Previously main principle of sovereign was Police State, but it has now it has evolved into much more mature form i.e. Welfare State. Previously idea was to provide people with protection and security, and was believed that society will grow by itself, but later on it is believed that need was felt for the intervention of state for welfare of its people hence came into the existence the idea of welfare state. John Austin, a very jurist, defined law as "a command of sovereign, backed by the threat of sanction and is directed at the people who are in a habit of obedience to the sovereign". This clearly point out towards the legislative and executive power of the state for maintaining peace and tranquillity in the society.

Evolution of idea of punishment is analogous to that of evolution of state. During ancient period nature of state punishment use to harsh and barbarous. Punishments were mainly based on retributive theory as well as religion. Mr. Justice K.B. Panda points out that one of the oldest texts related to Indus Valley Civilization is Bhagwat Gita, also suggest killing as a form of punishment in certain cases whereas not killed in such cases is considered as a sin or cowardice. Similarly, Dharma shastra also suggest killing of murderer irrespective of his age his caste or his sex as a virtuous act. This shows vast erudition and wisdom of ancient Hindu law makers who just did not recognize right of private defence but also included into the legal text. it was due to human rights that there was a shift from retributive theory to reformatory theory, it provides accused a second chance of being integrated in the society.

With the population boom in India there is a stark increase in the crime rate, this also suggests that the present laws are not adequate in preventing and deterring criminals as there is a shift in potency and nature of crime. Indian society has already experimented enough with deterrent and preventive theories of punishment. Still the jails are filled with offenders and there is no sign of relief. Emile Durkheim suggested that till there is a difference in society among classes there will be crime, it does not matter whether there are laws police or courts crime will happen. This is clearly visible in Indian society, with the population is increasing the class difference is also increasing resulting in increase in crime.

2. RESEARCH METHODOLOGY

This paper's comprehensive research is based upon the analysis of India criminal justice system. A qualitative approach to analyse the evolution, relevancy and impact of

reformatory theory in India. Doctrinal research was conducted to analyse the judicial pronouncement, exiting legal framework and other scholarly articles.

3. HISTORICAL CONTEXT OF PUNISHMENT IN INDIA.

Punishment was an integral part of society from time immemorial. Punishment is not only part of criminal justice system, but it's also an indicator of social and philosophical development of a country. India has experienced a number of different societal impacts during Vedic age, Sultanate dynasty, Mughal dynasty, East India Company and British Crown's rule.

3.1.ANCIENT PERIOD.

Indian society during Vedic age was mainly propounded upon the concept of Dharma. It is always misunderstood and thought to be related with religion but in reality, Dharma is way different and unique in its own sense, it is rather a way of life that provides how different aspects of life should be governed, it is more sort of a law. Hence, Dharma was so intertwined with the social and moral laws that it also provides for punishments in case of any offence. Predominated by retributive theory of punishment highlighted in Yajurveda, which provided for specific punishments to be given in various offenses. Lex Talionis i.e. 'An eye for an eye' Was actually followed in Vedic society where offender was given mirror punishment to make him realize the pain suffered by the victim. The Deterrent theory ran parallel to Retributive theory, idea behind this is to uphold Dharma And to install fear in the minds of prospective offenders. Concept was to give as harsh and as severe punishment as possible to the accused so that an example is set in the society. The restorative theory has limited implications in Vedic society but there have been instances given under Manu smriti which highlights the necessity of making peace between offender and the victim by providing victim Compensation and reconciliation through offender or by king himself. A peculiar feature of the Vedic society to be noted is that there was a form of caste-based punishment i.e. a person of higher caste was given much more lenient punishment as compared to the person of lower caste for the similar offense. This was done to reinforce social hierarchy and the idea of moral and social responsibility.

3.2.MEDIEVAL PERIOD.

During Medieval period, Indian subcontinent was majorly ruled by various Muslim dynasties. Sharia law was the core of Muslim rule, which was Greatly influenced by retributive and deterrent theory of punishment. For example, one of the most common ways of execution during Jahangir was to be trampled under the feet of elephants. During Muslim reign

deterrent theory took over the driving seat and retributive theory was cloaked inside it. Shahjahan used to order the corrupt kotwal to be bitten by cobra snake in the open court and then ordered that body should be left in the court house for two days. Punishment during this period used to be harsh and barbaric, even petty crying such as theft could result in losing a limb or life.

3.3. BRITISH COLONIAL PERIOD.

During British rule we saw immense overhauling of India legal system, where by customs and practices took legal shape and there was formation of different courts for delivery of justice by Britishers. Talal Asad gave idea behind all this which was "Europeans desire to impose what considered civilized standard of justice and humanity on a subject population - i.e., the desire to create new human subjects. Alexander Dow while addressing Mughal rules says that they are typical rulers from Eastern cultures who govern a society without laws. According to Britishers, by overhauling Indian system they were introducing Indians to civilized, modern, humane and governance through rule of law. The Historic Indian Penal Code 1860 took its shape in this period only along with other substantial acts such as Code of Criminal Procedure 1882, Indian Evidence act 1872, The Police Act 1861 etc. are to name a few. Britisher tried to prove their laws were modern and humane concept based on rule of law but punishment like whipping, transport for life, arbitrary use of death penalty etc, rightly highlighted the question "why the loss of limb is more cruel or inhumane than the loss of liberty or even the loss of life".

3.4. POST INDEPENDENCE PERIOD.

After Independence India legal system was again introduced to major overhauling, this was done under the guiding light of Indian Constitution. These changes were done to fit the requirement of the ever-dynamic Indian society. There was salient change in criminal law that was done to shift from punishment to rehabilitation, with underlining concept of reformation of offender. The probation system was introduced, placing greater emphasis on alternative punishments like community service and counselling. A separate statute, Juvenile Justice Act, 1986 was enacted being mindful of the tender age of the delinquent. Underlying thought was to provide a for a compassionate approach to punish and rehabilitate a child in conflict with the law.

4. THE REFORMATORY THEORY OF PUNISHMENT

Even after the presence of two already tried and tested theories i.e. Retributive and Deterrent theories of punishment there still seems a void, criminologist in search filling this void and giving more lenient and humane

approach to punish any offender and to provide him a chance of reformation landed upon the theory of Reformatory Punishment.

4.1. DEFINITION AND PRINCIPLES OF THE REFORMATORY THEORY.

Contrary to the Deterrent and Retributive theories which were inclined towards giving as harsh punishment to the offender as possible, Reformatory theory is based on the idea of giving a chance to offender to change and be integrated back in the society as law abiding citizen. This theory is against any corporal punishments. The idea of this theory is to subject offenders to different forms of correctional institutions such as Prisons, Jails, Juvenile Detention Centers, Reformatory Institutions, Halfway Houses (Reentry Centers), Correctional Treatment Facilities, Probation and Parole Facilities, Work Release Centers, Detention Centers for Illegal Immigrants, Specialized Correctional Institutions, so that the offender could be given environment required to shed of his criminal intend and imbibe the qualities of responsible and conscientious citizen.

"An eye for an eye will turn the whole world blind" this line by Mahatma Gandhi is the driving force behind this theory. This is the latest and most humane theory out of all the theories, which emphasis upon the individual approach. In statement "If every saint has a past every sinner has a future and it is the role of law to remind both of this" Justice V. R. Krishna Iyer has rightly sum up the principle of this theory.

4.2. COMPARISON AMONG RETRIBUTIVE, DETERRENT AND PREVENTIVE THEORIES.

These theories have been developed over time to provide rational justification behind the punishment of an offender, therefore providing foundation for the development of different techniques and strategies of penalties and correction. Of all the theories most notable once are Reformatory, Deterrent and Preventive theories. All the three theories though provide for punishment but still are very different from each other therefore require comparison.

" On the basis of Philosophical Foundation: Retributive theory's principle is just deserts which means that receive what one deserves i.e. one should be punished in proportion to offense and damage done by him to the society. Morality is this theory's foundation connecting it to impartiality and lawfulness. Whereas Deterrent theory found its ground in Utilitarianism. This theory wants to create better society by installing fear in prospective criminal. On the other hand, Preventive theory though also based on utilitarian concept, seeks to prevent the crime before happening of it and try to prevent harm to the society. It focuses on preventive measures such as Preventive Detention, Surveillance and

Monitoring, Crime Prevention Programs etc.

" On the basis of Purpose: Retributive theory justifies punishment by sentencing offender equitable to his crime. It focuses on post crime commitment i.e. after the crime is committed after that the actions of accused is judged i.e. it is a backward-looking theory which focuses on past. In case of Deterrent theory, deterrence is the key. It not only focuses on punishing an offender but it also seeks to discourage the prospective criminal by instilling fear of severity of punishment in their mind. Primary focus is on severity of punishment for prevention of crime. This theory can be said to be forward-looking theory focuses prevention of crime. Whereas Preventive theory's main principle is incapacitation of the offender, its intent is to avert the crime before actually happening of it. Motive is to impede criminal with his intended.

" On the basis of Type of Punishment: In Retributive theory, punishment is proportional to the offence i.e. evil for evil for example fines, imprisonment etc. Whereas in case of Deterrent theory punishment is swift, severe and certain, example rigorous imprisonment, public execution, death by stone pelting etc. On the other hand, Preventive theory focuses on punishment such as preventive detention, bond for good behaviour, surveillance and monitoring of the accused, house arrest etc.

4.3. REFORMATORY THEORY IN INTERNATIONAL LEGAL FRAMEWORKS.

Reformatory theory provides for one of most humane approach for punishment. This theory reinforces the idea of rehabilitation and reintegrating offender back into the society. This theory gained significant recognition throughout the world; therefore, it was given a proper shape in different legal frameworks:

4.3.1. UNITED NATIONS STANDARD MINIMUM RULES FOR TREATMENT OF PRISONERS (NELSON MANDELA RULES).

United Nation General Assembly adopted Nelson Mandela Rules in 2015. These are set of principles which advocates for humane treatment of prisoner by providing them considerate condition for rehabilitation of the offender. Key features are as follows;

" Educational and Vocational Training: These rules highlight the importance of providing education and vocational training to the offender for his merger in the society as law abiding citizen.

" Individualized Treatment: Every individual prison should be individually treated, a specific plan according to his circumstance should be created for the efficiency.

" Post Release Assistance: There should be greater

focus on providing employment and other resources after release so as to avoid offender leading same path again.

4.3.2. INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS.

Adopted in 1966, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) encompasses various human rights. Primarily article 10 of the said convention focuses on individuals deprived of liberty under the light of Reformatory theory;

" Humane Treatment of Prisoners: Article 10(1) suggest that even if any person is deprived of his liberty, it does not imply that he ceases to be a human, therefore he must be treated with respect and dignity.

" Rehabilitation: Article 10(3) on the other hand lays emphasis on the rehabilitation of offender in prison system as well as social reformation to successfully include him back into the society.

4.3.3. EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHT AND EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHT.

European Continent adopted European Convention on Human Rights (ECHR) in 1953, it provides for protection of different human rights. This protection of human rights also extends to the prisoners and their reformation.

" Article 3: Said provision was extended by European Court of Human Rights through interpretation to prisoners, by prohibiting degrading and inhumane treatment of offender.

Relevant case law: *Vinter and Others v. the United Kingdom* (2013), European Court of Human Rights held that awarding life imprisonment sentence without parole is violation of article 3 of ECHR, as prison is denying the opportunity of rehabilitation. Court emphasized that even most serious offender should also be provided an opportunity for reformation.

4.3.4. ROME STATUS OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT.

In the year 1998, Rome Statute established the International Criminal Court, encompasses the idea of Reformatory Theory. Article 77(1) of the said statute though highlights imprisonment as the primary form of punishment, but also focuses on restoration of offender into the society.

" Rehabilitation as Ultimate Goal: Primary object of the said statute is to sentence imprisonment of the serious international criminals, but it also considers rehabilitation also while sentencing.

" Parole and Early Release: Article 110 of the said statute specifically provides that after serving two third of the sentence person should be given opportunity for early parole or early release but on the condition that he shows signs of

improvement and rehabilitation.

4.3.5. AFRICAN CHARTER ON HUMAN AND PEOPLE'S RIGHTS.

Article 5 of African Charter on Human and Peoples' Rights (ACHPR), highlights prisoner's right, prohibits all forms of torture, cruelty, any form of inhumane conditions and demeaning punishment:

" Dignity and Rehabilitation: Highlight of the said Charter is to treat prisoners with dignity and provide offender opportunity for rehabilitation and subsequently integrate back into the society.

" African Commission on Human Rights: Principle function of the of the said commission is to supervise the enforcement of African Charter on Human and Peoples' Rights (ACHPR), it also advocates for that the punishment should be tailored to provide opportunity to prisoners for rehabilitation.

4.3.6. CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD.

The said convention and other conventions such as Beijing Rules focus on the reformation of delinquents. Idea is to reintegrate them back into the society rather than punishment.

" Best Interest of the Child: The said convention focuses on the interest of child in all judicial proceedings, even though he is an offender.

" Alternative Propositions: The Beijing Rules and Convention on the Rights of the Child advocates on using alternative means including Counselling, Community sentencing etc. Object is to rehabilitate and reintegrate the child into the society.

International framework has accommodated as well as deeply embedded the concept of Reformatory theory of punishment into various rules, conventions, statutes or any other legal framework. This inclusion clearly signifies the intent of international community's intent to shift from retribution to rehabilitation of malefactor.

5. COMPARATIVE ANALYSIS OF REFORMATORY PUNISHMENT IN INDIA.

Supreme Court in 1977 emphasized the need of providing humane treatment to the prisoners, who are also capable of being reformed. Therefore, suggesting the concept of "reformatory workshops" instead of any deterrent punishment. Supreme Court in the year 1979, highlighted the objective of Indian criminal justice i.e. to reform and rehabilitate criminal and not just deterrence. The main focus of criminal justice system is to reform and reintegrate the offender back into the society. The Committee on the Draft National Policy on Criminal Justice, suggested certain

reforms to include reformatory character in criminal law, in its report. Such as:

- I) To exclude those offences from preview of criminal law which can be dealt through civil process.
- II) To prioritize settlement through processes such as compounding and plea bargaining.
- III) To permit compensation and community service for offence like vagrancy.

A very crucial and landmark legislation introduced by Indian legislators in line with the principles of reformatory theory was Probation of Offenders Act, 1958. The said act embodied the spirit of reformation of offenders and giving them second chance. The act empowers the court to release certain offenders specifically in minor offences, if they fulfil certain criteria. It also provided for undertaking community service and counselling as a part of probation. It also provides for conditional discharge without any formal convictions. There are few challenges also faced by this act such as, primarily, there is no consistent application of probation throughout the country, it varies from state to state. Some courts are willing to include the provision of this act but rest are not. This inconsistency defeats the purpose of the act. Secondly there is huge shortage of funds, infrastructure and well-trained probation officers for proper implementation of said act.

Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 1986 was primarily focused on the care, protection, treatment and rehabilitation of juveniles. The said act took a very critical step in the direction of adopting reformatory theory with respect to children in conflict of law. Now this act has been replaced by Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, though the object of both the acts remains similar. Both the acts focus on rehabilitation and social reintegration by facilitating institutional care and adoption services. It is also advocated by the said act that a juvenile should be treated differently from an adult as different levels of maturity and development, therefore ensuring giving special care, protection and reformatory measures to children in conflict of law. Act also focuses on sentencing less harsh punishments such as probation, community service and therapeutic interventions. There are certain challenges which need to be overcome by this act such as lack of infrastructure to handle such a large population, lack of trained personnel and there is lack of balance between safety and rehabilitation of children in conflict of law aged between 16 to 18 years of age involved in heinous offences. Indian criminal justice system was being governed by antique laws of colonial era, which had a lot of shortcomings, therefore it required serious overhaul. The criminal system

was haunted by delayed investigation, high pendency, long trial, low conviction rate and several accounts of human rights violation. On 25th December 2023, the President of India gave his assent to three new criminal law bills, to do away with procedural and substantive colonial laws. According to this bill the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 replaced Indian Penal Code 1860, Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023 replaced Code of Criminal Procedure 1973 and Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023 replaced Indian Evidence Act 1872. One of the main highlights and a step closer to reformation theory was introduction of Community Service as one of the six forms of punishment, previously it was only recognized under Juvenile Justice Act 2015.

Bharatiya Nyaya Sanhita has included community service as form of punishment along with other punishment which includes death penalty, imprisonment for life, rigorous or simple imprisonment, forfeiture of property and fines. It is interesting to know that community sentence is actually not defined in Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, whereas it is defined in Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023, as "the work that court may order a convict to perform as a form of punishment that benefits the community, for which he shall not be entitled to any remuneration." In other words, it's just form of compensation for the damage done to the society by the offender, i.e. unpaid labour for the public. It is added in the act as alternative form of punishment for jail time. Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, provides for offences for which offenders can be given community service as form of punishment are as follows:

- " Public servant unlawfully engaging in trade.
- " Non-appearance in response to a proclamation under section 84 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023.
- " Attempt to commit suicide to compel or restrain exercise of lawful power.
- " Theft, provided that the value of the stolen property is less than five thousand rupees, and a person is convicted for the first time.
- " Misconduct in public by a drunken person.
- " Defamation.

There are many criminal justice systems around the world which have substantially included community sentencing. India has also now joined the league of nations such as USA, Sweden, England, Canada, Spain and Australia. Though India has introduced community service as form of punishment but ambit is still very small and specific guidelines as for implementation of community service are still lacking. There are few more changes in new criminal laws in India including more focus on mental well-

being by providing counselling to the offender. This will help in addressing the psychological issues involved in a crime. These new laws also provide for proper structure for granting of probation and parole. There was also provision for victim and offender mediation, this will allow offenders to realise his crime and will create his accountability.

6. CONCLUSION

Just by locking up any individual behind the bar because of fear of his 'destructive potential' we are ignoring his 'constructive potential' which those individual holds, to support this statement it is important to reiterate the words of Justice V. R. Krishna Iyer that "every saint has a past and every sinner has a future". Indian prisons which are already facing problem of overcrowding, there is huge number of undertrial criminals who are stuck in limbo. And there are huge possibility of potential innocent people facing false allegations are stuck in prison because of being undertrial. This situation can be helped by alternative punishment such as 'community service' which is part reformatory theory. New criminal laws have shine light on reformatory aspect but application is limited to petty offences, scope can be explored. With the increase in number of crimes and change nature of crime, it is clear that deterrent, retributive and preventive are not sufficient in India. With the introduction of new criminal laws India has taken right step in the directions of reformatory approach but there still remains a vast field of research and progress for India Criminal Justice system in direction of reformation of Crime and Criminals.

Many foreign courts like in USA, UK, etc. have successfully implemented and explored, India can take the example for there. Offender generally after conviction and specifically after jail are treated as outcasts from the society. They are unable to find a job and consider as misfit therefore leading them back to the world of crime. Rather they can be introduced in different roles in schools NGO's, old age homes etc. where they will have chance to grow love, affection and compassion. Mere release in society on probation is not sufficient rather inclusion in the society is must. There is crime which is done because of economic problems, heat of moment, depression etc. such people are not hardcore criminals who cannot be included in the society, reformation is possible it's just that criminal system needs to develop and become mature to differentiate such criminal from hardcore criminal and provide them with a a chance of reformation i.e. Second Chance.

REFERENCES

BOOKS

- 1) Paranjape, N.V. Criminology and Penology with Victimology (19th ed., Central Law Publications,

Allahabad, 2022).

- 2) Ahmed Siddique. Criminology: Problems and Perspectives (6th ed., Eastern Book Company, Lucknow, 2018).
- 3) Sutherland, Edwin H., and Donald R. Cressey. Principles of Criminology (11th ed., AltaMira Press, New Delhi, 1992).

JOURNALS

- 1) Udit Raj Sharma, 'Community Service Sentence' as an alternative mode of punishment in India- Analysis of the potential and feasibility, Kala Sarovar- Vol.-24-No.-4- 2021.
- 2) Gouri V.M., Out of the Cell: Introduction of Community Service as an Alternative Form of Punishment in India, JUS CORPUS LAW JOURNAL, VOL. 4, ISSUE 2, DECEMBER - FEBRUARY 2024.
- 3) M.S. SINDHUZA, REFORMATORY THEORY OF INDIA- AN ANALYSIS OF THE NEED FOR A REVISION, Volume 6; Issue 9; September 2017.
- 4) Mitali Agarwal, BEYOND THE PRISON BARS: CONTEMPLATING COMMUNITY SENTENCING IN INDIA, 2 NUJS L.Rev. 119 (2019).
- 5) Sanskar Shukla, EVOLUTION OF PUNISHMENT IN INDIA, VOL. 2 ISSUE 1 ISSN (O): 2583-0066.
- 6) Sunil Sondhi, Golden Sengol: The Spirit and Force of Law in the Dharmasastra, Paper presented at International Conference on Vedic Jurisprudence, 11-12 February 2023, Banaras Hindu University, Varanasi, INDIA.
- 7) Divya Yajurvedi, Efficacy of the Reformatory Theory of Punishment in India, 368 | Cardiometry | Issue 25. December 2022
- 8) Qadeer Alam, Historical Overview of Torture and Inhuman Punishments in Indian Sub-continent, Volume No. 31, Issue No. 2, July - December 2018

REFERENCES

1. Student of LL.M, UID: 24MLL10032, University Institute of Legal Studies, Chandigarh University, Gharuan, Mohali, Punjab, India.
2. Assistant Professor, University Institute of Legal Studies, Chandigarh University, Gharuan, Mohali, Punjab, India.
3. Austin, John. The Province of Jurisprudence Determined. Lecture I.
4. Lecture delivered by Justice K.B. Panda of Orissa High Court on Sanatan Dharma and Law dated 1st of December, 1974.
5. Seamus Breathnach, "Emile Durkheim on Crime and Punishment (An exegesis).
6. Upadhyaya, R. (2009). Criminal Justice in Ancient India. Journal of Criminal Justice, 37(3), 276-284.
7. Bhatia, H. (2010). The Role of Deterrence in Indian

- Criminal Law. Indian Criminal Law Journal, 4(2), 80-90.
8. Awasthi, V. (2008). Restorative Justice in Ancient Indian Texts. Indian Journal of Criminology, 36(1), 15-24
 9. Manusmriti, 10.1-2.
 10. Edward Terry, A Voyage to East-India 1655 (London: J. Wilkie, 1777), pp.355
 11. Niccolao Manucci, Storia du Mog or Mogul India, 1653-1708, vol.1, Translated by William Irvine (London: John Murray, 1907), p.197.
 12. Talal Asad, „On torture, or cruel, inhuman, and degrading treatment“ (1996) Social Research 1081, p.1102.
 13. Jörg Fisch, Cheap Lives and Dear Limbs: The British Transformation of the Bengal Criminal Law, 1769-1817 (Wiesbaden: Steiner, 1983), p.131.
 14. Barnes, Harry Elmer and Teeters, Negley K. (1943). In Criminology: The American Crime Problem. New York: Prentice-Hall, Inc.
 15. Criminology & Penology with Victimology by N.V. Paranajpe 16th edition
 16. Mohammad Giasuddin vs State Of Andhra Pradesh 1977 AIR 1926, 1978 SCR (1) 153
 17. Primoratz, I. (1989). Justifying Legal Punishment. Humanities Press.
 18. Bagaric, M., & McConvill, J. (2005). *Goodbye Justice, Hello Happiness: Welcoming the Utility of Desert Theory in Sentencing*. American Criminal Law Review, 42(1), 111-133.
 19. Robinson, P. H., & Darley, J. M. (2004). *Does Criminal Law Deter? A Behavioral Science Investigation*. Oxford Journal of Legal Studies, 24(2), 173-205.
 20. United Nations General Assembly, *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules)*, (17 December 2015).
 21. Ibid, Rule 104.
 22. Ibid, Rule 91.
 23. Ibid, Rule 87.
 24. United Nations General Assembly, International Covenant on Civil and Political Rights, 16 December 1966, 999 UNTS 171, Art 10(1).
 25. Ibid, Art 10(3).
 26. European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, as amended by Protocols Nos. 11 and 14, 4 November 1950, ETS 5, Art 3.
 27. Rome Statute of the International Criminal Court, 17 July 1998, 2187 UNTS 3, Art 77(1).
 28. Ibid, Art 110.
 29. African Charter on Human and Peoples' Rights, 27 June 1981, CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58 (1982), Art 5.
 30. African Commission on Human and Peoples' Rights, *Principles and Guidelines on the Right to a Fair Trial and Legal Assistance in Africa*, DOC/OS(XXX)247.
 31. United Nations General Assembly, *Convention on the Rights of the Child*, 20 November 1989, 1577 UNTS 3, Art 3.
 32. United Nations General Assembly, *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, 29 November 1985, UN Doc A/RES/40/33, Rule 17.
 33. *Mohd. Giasuddin v. State of Andhra Pradesh*, (1977) 3 SCC 287.
 34. 1979 AIR 964, Bishnu Deo Shaw @ Bishnu Dayal v. State of West Bengal, Supreme Court, February 22, 1979.
 35. 'Criminal Justice Reform', United Nations Office on Drugs and Crime
 36. Report of the Committee on the Draft National Policy on Criminal Justice, Ministry of Home Affairs, July 2007.
 37. Probation of Offenders Act, 1958 (Act No. 20 of 1958), Preamble.
 38. Ibid, Section 3.
 39. Kumar, S., "Challenges in Applying Reformatory Measures in Indian Criminal Law," *Law and Society Review*, Vol. 17, No. 4 (2022), pp. 56-57.
 40. National Institute of Social Defence, *Report on Probation Services in India*, (2022).
 41. Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (Act No. 2 of 2016), Preamble.
 42. Ibid, Section 2(12).
 43. Singh, R., "The Evolution of Reformatory Theory in Criminal Law," *Journal of Legal Studies*, Vol. 23, No. 2 (2022), p. 89.
 44. Kislay Kumar and Vibhor Jain, 'Indian Criminal Law: Changing Paradigm' Bar and Bench (27 December 2023) <https://www.barandbench.com/law-firms/view-point/indian-criminal-law-changing-paradigm>, visited on October 17, 2024.
 45. Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, s 4
 46. Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023, s 23 explanation.
 47. Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, s 202
 48. Ibid s 209
 49. Ibid s 226
 50. Ibid s 303(2)
 51. Ibid s 355
 52. Ibid s 356(2)
 53. Nalini Sharma, 'In a first, community service proposed as punishment for petty offences in India' India Today (12 August 2023) <https://www.indiatoday.in/law-today/story/community-service-punishment-petty-offences-india-ipc-bharatiya-nyaya-sanhita-amit-shah-2419928-2023-08-12> visited on October 17, 2024

Details:-Guide: Dr. Nisha Sain

Student: Krishna Yadav

S/o Arun Yadav

Mobile No: 7347386972 Email:

krishnaarun219@gmail.com

Address: House No 697,

Palm Residency, Sector 3,

Mullanpur, New Chandigarh.

Pin Code 140901. College

Address: Chandigarh University,

Gharuan, Mohali, Punjab,

pin code 140413.

सारांश:-

इक्कीसवीं शताब्दी वैज्ञानिक प्रगति, तकनीकी विकास और उत्तर औद्योगीकरण का समय है, यह भूमंडलीकरण का उत्तर समय है। प्रौद्योगिकी और तकनीक की अभूतपूर्व प्रगति, सूचना क्रांति का तीव्र विस्फोट, कंप्यूटर और मोबाइल के क्षेत्र में अपूर्व क्रांतिकारी परिवर्तन ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवेश को गहरे प्रभावित किया है। संस्कृति एक शब्द है जिसके अर्थ की परिधि बड़ी व्यापक और विस्तृत है। इसमें किसी देश अथवा जाति के उत्थान और पतन का समावेश रहता है। समाज की ही भांति संस्कृति भी साहित्य की प्रेरणा एवं संजीवनी कही जा सकती है। “संस्कृति हमारे आन्तरिक गुणों का समूह है। वह एक प्रेरक भावित है। संस्कृति हमारे सामाजिक व्यवहारों को निश्चित करती है। साहित्य और उसकी भाषा को बनाती है। हमारी सभ्यताओं को जन्म देती है।”¹

सांस्कृतिक व्यक्ति िक्षा, साहित्य, कला-साहित्य आदि को अपनी इच्छाओं की पूर्ति या ख्याति के लिए प्रयोग न करके समाज में उसके सुख के साधन समझता है। संस्कृति त्याग, संयम, सेवा, प्रेम, मान, विवेक की याद दिलाती है। संसार में संस्कृति के तीन समानाधर्मी शब्द प्रचलित हैं – संस्कार, संस्कृत और संस्कृति। संस्कार उस पवित्र और उदात्त विचारों एवं कार्यों के सूचक हैं जो जीवन को व्यवस्थित बनाते हैं और सद्गति प्रदान करते हैं। इस प्रकार संस्कार, शोधन या परिष्कार करने की एक विशेष पद्धति है जिसे इस पद्धति द्वारा परिष्कृत कर दिया गया है। वह संस्कृत है और परिष्कार करने की प्रेरणा भावित ही संस्कृति है। संस्कृति ऐसी भूशणभूत परिष्कृत कृति है जो जीवन को समग्र रूप में परिष्कृत करने की प्रेरणा प्रदान करती है। “इस आधार पर संस्कृति उदात्त विचारों और पवित्र कार्यों की श्रृंखला को कहते हैं जो किसी देश या जाति के जीवन को गति प्रदान करते हैं।”²

राहुल सांकृत्यायन के अनुसार – “एक पीढ़ी आती है, वह अपने आचार-विचार, रुचि-अरुचि, कला संगीत, भोजन-छाजन, या किसी और दूसरी आध्यात्मिक धारणा के बारे में कुछ स्नेह की मात्रा अगली पीढ़ी के लिए छोड़ जाती है। एक पीढ़ी के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी और आगे बहुत-सी पीढ़ियाँ आती जाती रहती हैं और सभी अपना प्रभाव या संस्कार अगली पीढ़ी पर छोड़ती जाती हैं। यही प्रभाव संस्कृति है।”³

किसी समाज की सांस्कृतिक विरासत उसके मूल्यों, परम्पराओं और साझा अनुभवों की परिणति है जो एकता और उद्देश्य की भावना को बढ़ावा देती है। भारतीय संस्कृति का केन्द्र बिन्दु धर्म है जो केवल एक धर्म नहीं अपितु एक व्यापक जीवन भौली है। भारतीय संस्कृति को लोकाचार हिन्दू धर्म के सिद्धान्तों और इसके सह-अस्तित्व तथा वसुधैव कुटुम्बकम् के मूल दर्शन के साथ जुड़ा हुआ है। सांस्कृतिक आदान-प्रदान और अनुकूलन के मूल्य को पहचानने से

समाज को अपनी सांस्कृतिक विरासत के सार को संरक्षित करते हुए वैश्वीकरण द्वारा उत्पन्न चुनौतियों से निपटने में मदद मिल सकती है।

आज का दौर सांस्कृतिक विघटन का दौर है। आज भारतीय मानस के सामने दो रास्ते हैं। एक ओर प्राचीन सांस्कृतिक मर्यादाओं के प्रति श्रद्धा का भाव है जिसे वह छोड़ना नहीं चाहता और दूसरी ओर नवीन आधुनिक जीवन मूल्य है जिसे अपनाने के लिए उसे परिस्थितियाँ बाध्य कर रही हैं।

डॉ० ज्ञानवती अरोड़ा लिखती हैं कि – “हमारी भारतीय संस्कृति बड़ी जटिल है, जिसे समझना कठिन कार्य है। इसका कारण यह है कि यह धर्म को सभी से प्रमुख मानकर चलती है। एक ओर धर्म निरपेक्ष समाज की स्थापना करना और दूसरी ओर हिन्दुत्व को तलाशना, यह असंगति की स्थिति पैदा करती है।”⁴

मानवीय मूल्यों के विघटन, टूटती परम्पराएँ, सांस्कृतिक विरासतों की उपेक्षा पर मधु काकरिया ने अपनी चिंता व्यक्त की है। कमोडिटी कल्चर, एलियनेशन, विस्थापन और वर्चस्व के हालात आज किसी भी जिन्दा अहसास को लगभग खदेड़ रहे हैं। साहित्य का निहितार्थ भाव्यद सबसे पहले मनुष्य होने के किसी आत्मबल को रेखांकित करना है। वह आत्मबल जो हमारी तमाम भौतिक विफलताओं, त्रास और अकेलेपन के बावजूद कहीं बना रहता है। दुनिया को बदल देने का महान स्वप्न आज लहुलुहान है। पूँजी का अबाधित कार्य-व्यापार और टेक्नॉलॉजी का विकास जिन भावित्यों के हाथ में हैं, वे एक खास तरह का विश्वव्यापी विमर्श रच रही हैं। सूचनाओं का कोई संसार हमारे लिये नहीं बन पाता। हम दुनियाभर में पल-पल घटते की जानकारी रखते हैं पर चीजों से हमारे आत्मिक रिश्ते नहीं बन पाते। घटनाओं की भयावह और उनके पैमाने को दिखाने का यह उन्माद लगभग उसी बर्बर संस्कृति का एक हिस्सा बन जाता है जिसका विरोध किया जाता है।

बाजारवाद और उपभोक्तावाद की संस्कृति के विकास ने मानवीय मूल्यों से विलगाव की स्थिति उत्पन्न कर दी है। मनुष्य की जगह वस्तु केंद्र में आ गई है। आधुनिकता के नाम पर पाश्चात्य मूल्यों का अंधानुकरण, जीवन और मूल्यों में विकृतियाँ पैदा कर रहा है। नए युग और नये स्वपनों के साकार करने के नाम पर पूँजीवाद की जटिल व्यवस्था ने सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की स्थिति उत्पन्न की जिसने सांस्कृतिक विस्थापन को बढ़ावा दिया।

‘ढलती सांझ का सूरज’ उपन्यास में अविनाश नौकरी के लिए विदेश गया और वहीं का होकर रह गया। बूढ़ी अम्मा बेटे के आने का इंतजार करते-करते मर गई। किन्तु बेटे को पूँजी के नशे से मुक्ति नहीं मिली। माँ की स्मृतियों में खोया अविनाश कहता है कि – “सफलता ही सब कुछ होती अम्मा तो आज मैं दुनिया का सबसे सुखी इंसान होता। पर मैं खुद को आज सबसे बदनसीब समझ रहा हूँ – माँ से बिछड़ा, चमन से बिछड़ा, अपनी भाषा से बिछड़ा, अपनी हवा, धूप,

नदियों, समुद्र, सबसे दूर, दोस्तों से छिटकर, जिन्दगी से उखड़ा। आज समझा अम्मा सफलता क्षण भर का रोमांच चाहे दे पर उसका हासिल कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। निरर्थक सफलता से कहीं अच्छा है सार्थक जीवन जीते हुए विफल रह जाना। घर से सभी निकलते हैं, निकलना पड़ता है। पर कोई ऐसे लाइन क्रॉस करता है क्या? जैसे मैंने की, या मेरे दोस्त ने की। देह का जीवन हम दोनों ने जिया पर एक अन्तर के साथ। तुमने देह के जीवन को आत्मा के जीवन से बहुत छोटा समझा। इसीलिए मैं सिर्फ अपने लिए जिया, तुम अपने साथ-साथ औरों के लिए भी जी। XXX तुमने सत्य ही कहा था अम्मा कि जब देह का जादू टूटता है तभी आत्मा का मूल्य जागृत होता है।⁵

मधु कांकरिया परम्परा से जुड़ने की बात कहती है। उनका मानना है कि परम्पराओं से छिटककर हम आधुनिक नहीं हो सकते। आज के तेजी से बदलते दौर में सभ्यता के धूमिल होते चिह्नों पर अपनी विशेष चिन्ता व्यक्त की है। मनुष्य अपनी सहजता और संस्कृति से लगातार दूर होता जा रहा है। आज मानव जीवन और मानव अस्तित्व के आधार परम्पराएँ, मूल्य नष्ट हो रहे हैं। यद्यपि मधु कांकरिया को आधुनिकता से परहेज नहीं है। वह आगे बढ़ने और नई स्थापनाएँ करने का समर्थन करती हैं। लेकिन इस नई राह पर चलने वालों से बस इतनी ही गुजारिश है कि वे लोग अपने परम्परागत मूल्यों और अपनी सभ्यता को बचाए रखें।

सूचना और प्रौद्योगिकी के विकास ने समूचे विश्व को भौगोलिक स्तर पर संकुचित कर दिया। विश्व के सभी देश आपस में जुड़ गए जिससे न केवल पूंजी का प्रवाह और आवागमन संभव हुआ बल्कि विभिन्न देशों की संस्कृतियों का सम्मिलन भी हुआ। इस सांस्कृतिक परिवेश में व्यक्ति का जीवन यांत्रिक बनता जा रहा है। वैभव, बाजार और लालसा की दौड़ ने व्यक्ति को आत्मनिर्वासन की ओर प्रवृत्त किया है।

‘ढलती सांझ का सूरज’ उपन्यास में अविना 1 नई परिपक्व आधुनिक पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है। जो अपने सपनों को उड़ान देने के लिए स्विटजरलैंड चला जाता है। किन्तु जब वहाँ से लौटता है तो बहुत देर हो चुकी है। अब वह सोचते हुए कहता है कि – “अम्मा कोई भी भावना चाहे कितनी भी बलवती क्यों न हो बस कुछ दिनों की ही मेहमान होती है, और उसके बाद जीवन होता है बस एक सपाट सड़क। पर जब तक इस सत्य से आत्मबोध हुआ, नदियाँ सूख चुकी थी सूरज डूब चुका था। भारत से भागकर यहाँ आया था; यहाँ से भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। स्विटजरलैंड जो कभी मुझे दुनिया के गाल पर चुम्बन की तरह मोहक लगा था अब दिन पर दिन मुझे ‘पिंजरे वाला मुन्ना’ बनाता जा रहा था। जीवन एक ऐसा सवाल बनता जा रहा था जिसकी दरी के नीचे जिन्दगी के दूसरे सवाल खिसकते जा रहे थे।

XXXX आज वह अहसास हुआ अम्मा कि प्रेम एक मोड़ है खूबसूरत लेकिन वहाँ जीवन ठहर नहीं सकता। आगे चलना होता है। मेरी भूल अम्मा कि मैंने उसे मंजिल समझा आगे बढ़ने से इंकार कर दिया। मैंने अपने स्व को बिसराकर अपने को वहाँ की संस्कृति के माप के अनुसार काटना-छांटना भुल कर दिया। परिणाम? न यहाँ

को भुला पाया न वहाँ का हो पाया। आज समझ पाया अम्मा कि अपनी मूल सत्ता के विरुद्ध जाकर जीवन जिया नहीं जा सकता है, काटा भले ही जाए। उच्च जीवन इंसान को बांधता नहीं उसे मुक्त करता है।⁶

सांस्कृतिक परिवर्तन के कारण बहुत से नवीन विचारों, आदर्शों, मूल्यों का हमारे सांस्कृतिक जीवन में समावेश हो जाता है, जिसके फलस्वरूप न केवल व्यक्ति की आदतें बदलती हैं, बल्कि उसका जीवन क्रम भी बदल जाता है। तेजी से बदलती तकनीक एवं मानवतावादी सोच ने एक तरफ पुरानी मान्यताओं जैसे-छुआछुत तीन तलाक, दहेज को दरकिनार करने का प्रयास किया तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार एवं नैतिक पतन ने सांस्कृतिक ढांचे को पूरी तरह से विघटित करने का प्रयास किया। ‘ढलती सांझ का सूरज’ उपन्यास में कर्जे के चंगुल में फंसे किसानों की दयनीय स्थिति सोचनीय बनी हुई है। समाज में जहाँ सुख-दुख, राग-द्वेष मिल बांटकर एक दूसरे का संबल बन जाते हैं वहीं आधुनिकता की चकाचौंध ने मनुष्य को स्वार्थी और भ्रष्ट बना दिया है। जिसके ऊपर समाज की रक्षा, सेवा, सुरक्षा का भार है वे ही भक्षक बनकर उन्हे लूट रहे

“संस्कृति का संकट हमारे लिए नया नहीं है; आज यह संकट अपनी केन्द्रीय चिन्ता के साथ हमारे समक्ष मौजूद है। भारतीय संस्कृति नष्ट हुई जा रही है यह चिन्ता अमेरिका और जापान को सताने लगी है। अनुदान और संस्थान द्वारा तथा परियोजनाओं द्वारा उन्होंने संस्कृति को मनचाहा मोड़ देकर एक सांस्कृतिक प्रदूषण पैदा किया है; नशे की संस्कृति कैबरे व डिस्को की संस्कृति हिप्पी संस्कृति जैसी बीमारियाँ इस प्रदूषण का परिणाम है।”⁷

‘पत्ताखोर’ उपन्यास में मधु कांकरिया ने युवा पीढ़ी में बढ़ती न 11खोरी, ड्रग्स, हेरोइन आदि की लत का यथार्थ चित्रण किया है। बेटे आदित्य की न 11खोरी की आदत से चिंतित हेमन्त बाबू सोचते हैं कि – “क्यों हुआ बेटा नशाखोर? क्यों? क्या इसी कारण कि आज उसके पास करने के लिए कोई कार्यक्रम नहीं, क्या इसी कारण इसने। वह आवाज जो कभी नजरूल और गुरुदेव के गीतों से गूँजती थी। जो ताराशंकर बंधोपाध्याय और भारतचन्द्र की संस्कृति की आवाज थी। वह आवाज जो कभी सूर्यसेन, खुदीराम बोस, सुभाषचन्द्र बोस, बाधाजतिन, और चारु बाबू के गले में बसती थी। इस भाहर की आज कोई अलग आवाज की पहचान नहीं है। क्या इसी कारण इस भाहर की सांस्कृतिक, वैचारिक, और क्रांतिकारी आवाज पर नशे और अपराध की आवाज छाती जा रही है।”⁸

वैश्वीकरण से तात्पर्य विश्व को एक सूत्र में बांधने से है परन्तु हम पश्चिमी अंधानुकरण में इस तरह ग्रसित हो गये हैं कि अपनी सामाजिक सांस्कृतिक परिपाटी को त्यागकर वैश्वीकरण के नाम पर पश्चिम अंधानुकरण में अपनी नैतिकता भुला चुके हैं। यह सौगात हमें उनसे मिली है जिनकी कोई संस्कृति भी नहीं है।

पश्चिम की तर्ज पर संयुक्त परिवार का विघटन होता जा रहा है। हमारी संस्कृति में वृद्धों का सम्माननीय स्थान है, घर में वृद्ध नहीं रहेंगे तो सांस्कृतिक मूल्यों को आगे पीढ़ी तक कौन पहुंचाएगा।

विदेश में जाकर बसे पुत्र को स्वदेश की माटी, महक से अविनाश की अम्मा अपनी मौत के बाद परिचय कराती है ताकि बचा रहे देश, देश की संस्कृति, जीवन की महक क्योंकि पश्चिमी संस्कृति के रंग में रंगकर अविनाश चाहते हुए भी 20 वर्ष से स्वदेश नहीं लौटा केवल पैसा कमाने की अंधी दौड़ में शामिल रहा। अपने पुराने घर को देखकर अविनाश स्मृतियों के झरोखों में झांककर अम्मा की सुगंध को महसूस करता है – “मुस्कुराता और स्मृतियों को सूंघता हुआ वह चौके में घुसा। अम्मा थी तो कैसे महकता था चौका। गन्धों का पूरा संसार स्मृति में महका—कभी दाल में हींग के बघार की गन्ध, फूलते फुल्कों की गन्ध, सर्दी में नींबू के अचार की गन्ध, लहसुन—प्याज की गन्ध, त्योहारों पर लोंग—इलायची की गन्ध। जमाना हो गया वैसी गन्ध को जिए। चौके में रखी पानी रखने की लाल मटकी को देख वह लगभग उछल ही पड़ा, मैं तो बोटल का पानी पीते—पीते भूल ही गया था कि पानी हमारे यहाँ मटकी में रखा जाता है। XXX तीव्र इच्छा जागी मटकी का पानी पीने की। मुंह से अनायास फिर निकला, हिश अम्मा! तुम्हारी गृहस्थी देख अपनी गृहस्थी याद आ गई अम्मा, सच हम जिए कम, जीने का सामान अधिक बटोरा हमने।”⁹

भारतीय संस्कृति धर्म व अध्यात्म की संस्कृति है। पाश्चात्य चकाचौंध की चमक कुछ समय तक ही अच्छी लग सकती है आजीवन नहीं। प्रत्येक जन सुख के साथ शांति भी चाहता है। इसीलिए हमें अपनी सांस्कृतिक विरासतों को बचाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। आदिवासियों की पीड़ा से त्रस्त हो जमींदार परिवार का पोस्टग्रेजुएट युवक महेन्द्र राय; कब जंगल कुमार बन गये यह वे स्वयं भी नहीं जानते किन्तु वे यह अवश्य जानते थे कि – “जब तक आदिवासी भूखा नंगा है, आंखों में आंसू और जीवन में पीड़ा है, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जब तक मैं इनके भीतर ताकत नहीं भर दुंगा, सिले वस्त्र नहीं पहनूंगा, जूते नहीं पहनूंगा, इनके बीच में इन्हीं के जैसा होकर रहूंगा और यही रहेगा मेरे जीवन का परम प्राप्य, परम सौन्दर्य और पूर्वजों के अपराध का प्रायश्चित और उन्हीं चरम क्षणों में उन्होंने अपनी पहचान, अपना अतीत अपना ‘स्व’ सभी को वहीं कोयल नदी की धारा में विसर्जित कर अपना सब कुछ दे भिखारी बन गए, महेन्द्र राय से जंगल कुमार बन गए।”¹⁰

आज ऐसा समय आ गया है कि जब व्यक्ति के भीतर की मासूमियत, प्रेम, भाईचारा और भोलापन लुप्त होता जा रहा है और वह मौकापरस्त तथा स्वार्थी होता जा रहा है। मनष्य को जीवन के इतने तिक्त और कड़वे अनुभवों से गुजरना पड़ता है कि उसके भीतर की मानवीयता धीरे-धीरे लुप्त होती जा रही है; जीवन में केवल दिखावा रह गया है। भारतीय संस्कृति की परम्पराएँ टूट रही हैं। पति-पत्नी सम्बन्धों, परिवार की आत्मीयता संवेदना भ्रूण हो चुकी है। सभी मान्यताएँ विखंडित हो गई हैं।

समकालीन परिवेश में भारतीय संस्कृति की मूल धरोहर मानवता लुप्त होती जा रही है और नफरत की आंधी फैल रही है। समाज में जो कुछ घट रहा है वह बिल्कुल सुखद नहीं है। समूचा समाज गहरी असुरक्षा, भय, घृणा और अवि वास के बीच जी रहा है। मानवीयता का बोध कराने वाली इकाइयाँ प्रेम, विश्वास और करुणा समाज से दिनों-दिन नश्ट होती जा रही हैं और इसका स्थान घृणा,

आ वासन और डर ने ले लिया है। ऐसा दौर आ गया है कि किसी पर भी सहज विश्वास नहीं किया जा सकता। समूह में समवेत होकर रहना, ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ केवल स्वप्न मात्र बनकर रह गया है।

‘सूखते चिनार’ उपन्यास में मेजर संदीप कश्मीर में बढ़ रही घृणा और आतंक के बारे में अपने भाई से कहता है कि – “ताज्जुब! इसी धरती पर कभी हमारे पुरखों ने सत्य, शिव और सौन्दर्य की मांग की थी।

तो मेरे भाई यह दुनिया झूठ से भरी पड़ी है। अमानवीयता से अटी पड़ी है। यहाँ अंधेरे सिर उठाकर चलते हैं और उजाले आत्महत्या करने के विवश हैं। यहाँ हर वह आदमी घुटन महसूस करता है जो सत्य जानता है पर उसे बोल नहीं सकता है। XXX तो मेरे भाई हम सभी एक ऐसे पतनोन्मुख समाज में जी रहे हैं। ऐसा समाज जिसकी संवेदनाएं मर चुकी हैं। XXX इन कीलों की कसकों के साथ मैं आने वाली जिन्दगी कैसे जी पाऊँगा? यह तभी संभव है कि मैं मानसिक रूप से इतना ठंडा ठस्स हो जाऊँ कि कुछ भी अमानवीय मुझे बैचैन न करें पर यह तो अपने मनुष्य होने को ही नकारना होगा। उपफ! मैंने आर्मी ज्वाइन की थी, अमन, मुहब्बत, करुणा, सह अस्तित्व और इंसानित के अर्थ को समझने के लिए। अपने मनुष्य होने को नकारने के लिए नहीं।”¹¹

इक्कीसवीं सदी में वर्चस्ववादी संस्कृति के बढ़ते प्रभाव के साथ व्यक्ति लगातार अपनी सांस्कृतिक जड़ों से कटता जा रहा है। जिस सामुदायिक एकजुटता से सामाजिकता और नैतिकता जैसे मूल्य संवर्धित हो रहे थे, वह क्षीण होता जा रहा है। अपनी परम्पराओं और सामाजिक सम्बन्धों से अलगाव होता जा रहा है। इसकी हमें भनक तक नहीं लगती। यह वास्तव में अमानवीयता की ओर प्रस्थान है जहाँ हम सब से कटकर अलग नितांत अकेलेपन की तरफ निर्वासित होते जा रहे हैं और उपभोग द्वारा उस उत्पन्न शून्यता को पूरा करने की व्यर्थ कोशिश करने लगते हैं। फलस्वरूप सांस्कृतिक विस्थापन की प्रक्रिया आरम्भ होने लगती है। यह विस्थापन अपने भीतर या बाहर आस-पास की चीजों में परिलक्षित होता है। हमें इस विस्थापन का आभास भी नहीं होता लेकिन यह घट रहा होता है। मधु कांकरिया के उपन्यासों में इस वर्चस्ववादी संस्कृति के प्रकरण को सूक्ष्मता से चित्रित किया गया है।

मधु कांकरिया अपने समय के समाज की नकारात्मक सोच पर प्रहार करती है। हिंसा मनुष्य को चेतना एवं भाव भ्रूण कर देती है, प्रेम, करुणा, ममता, जीवन के मूल भाव हैं जो आत्मा का संस्कार कर सही दिशा की ओर संकेत करते हैं। भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र ‘अहिंसा परमो धर्म’ है। ‘हम यहाँ थे’ उपन्यास में दीपिखा की यही इच्छा है कि समाज की समस्त व्याधियाँ नश्ट हो, सम्पूर्ण वि व मनुष्यता को केन्द्र में रखकर जीवन यापन करें दीपशिखा माओवादियों के उद्देश्य का समर्थन करती है किन्तु उनके द्वारा प्रयुक्त हिंसा के रास्ते का पुरजोर विरोध करती है। वह अदालत में कहती है कि – “हुजूर, जिस उद्देश्य के लिए वे लड़ रहे हैं मैं उसका समर्थन करती हूँ, लेकिन उनका रास्ता सही नहीं है। हिंसा से कुछ हासिल नहीं हो सकता क्योंकि हिंसा-हिंसा को

बढ़ावा देती है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि आदिवासी समाज को सरकार ने सिर्फ हिंसा और उपेक्षा के अलावा कुछ नहीं दिया।¹²

आज का दौर भले ही भूमंडलीकरण का हो, लेकिन भूमंडलीकरण का जो रूप दिखाई पड़ रहा है वह उनके लिए है जो विश्व बाजार के अंग हैं। आज हमारी संस्कृति से समाज खत्म होता जा रहा है। मनुष्य एकाकी जीवन व्यतीत करने में विश्वास करने लगा है। विकासशील और तीसरी दुनिया के देशों में सरकारें कम्पनियाँ, संस्थाएँ, माफिया आदि ही बचे हैं और निर्धन व आम आदमी हाशिये पर चला गया है।

भूमंडलीकरण यूरोपीय देशों द्वारा तीसरी दुनिया के देशों में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विकसित नीति है। आज भूमंडलीकरण का दायरा दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है। भूमंडलीकृत समाज में अमीर और ज्यादा अमीर तथा गरीब और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। मौजूदा दौर भूमंडलीकरण का न होकर नव उपनिवेशीकरण का है। यह सोलहवीं सदी के उपनिवेशवाद का ही विस्तार है जिसने तीसरी दुनिया के देशों को बाजार के माध्यम से पुनः गुलाम बनाना प्रारम्भ कर दिया है।

मेजर संदीप 'सूखते चिनार' उपन्यास में बहुराष्ट्रीय कम्पनी में काम करने वाले अपने छोटे भाई की हालत को देखकर चिंतित है उसके पास अपने लिए कोई समय नहीं है वह हमेशा दिमाग में कम्पनी को कैसे फायदा पहुंचाया जाए, कैसे उसका पैकेज बढ़े केवल इसी बारे में सोचता रहता है। सिद्धार्थ से कठोर वाणी में बात करने पर संदीप सोचता है कि – "भाई अमानवीय नहीं, पर उसकी सोच की धुरी को ही उल्टा दिया गया है। भोग पर आधारित उसकी सोच ने उसे एक ऐसी तिलिस्मी दुनिया में पहुंचा दिया है जहाँ करुणा, संवेदना, इंसानी अहसास, और कोमल भावनाएँ सब माया है। सत्य है सिर्फ आमदनी का उठता हुआ ग्राफ।

पिछले दशकों में यदि किसी चीज को देश निकाला मिला है तो वह है नैतिकता। माटी की सारी काबिलियत, प्रतिभा और हुनर जाया हो रहा है मरे हुए चूहे को बेचने के कौशल में और कमीर की युवा पीढ़ी का हुनर जाया हो रहा है बन्दुक के घोड़े को दबाने में।¹³

भूमि अधिग्रहण के माध्यम से विकास प्रेरित विस्थापन का विलेशण करने से पता चलता है कि विकास परियोजनाओं के लिए प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। वास्तव में यह प्रक्रिया धीमी गति से किंतु सतत रूप से प्रसारित होती रहती है। पुरानी वस्तुएं धीरे-धीरे नई वस्तुओं द्वारा विस्थापित की जा रही होती है। यह विस्थापन विचार, मान्यता, व्यवस्था, परंपरा, शब्द, भाषा, वस्तु आदि कई स्तरों पर घटित होता है। यह विस्थापन व्यक्ति को उसकी संस्कृति और परंपरा की जड़ों से काट देता है।

"जमीन जो आदिवासियों के लिए माँ थी भूमाफिया और कारपोरेट्स के लिए सोने की मुर्गी। XX पहले कम्पनी वालों के लिए इनकी जमीनें छीनों, फिर कम्पनी वालों के कारखानों के लिए इन्हीं विस्थापितों को सस्ते मजदूरों में तब्दील करो। किलो के भाव खरीदो हमारा खून और पसीना, आठ घंटे की बजाय बारह घंटे काम लो।"¹⁴

झारखंड के आदिवासियों के जीवन का चित्रण करते हुए लेखिका कहती है कि इन आदिवासियों को एक ओर ईसाई समुदाय

ईसाइयत में तब्दील करने की कोशिश करता है तो दूसरी ओर हिन्दू समुदाय इस बात का प्रतिरोध करते हुए उन्हें अपने में मिलाने की बाध्यकारी स्थितियाँ आरोपित करता है। 'हम यहाँ थे' उपन्यास में 'जंगल कुमार' दीर्घा ख्वा से कहते हैं कि – "बैगा के चले जाने के कारण ही महामारी फैल रही है एवं इससे बचने का एकमात्र उपाय सरना धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म स्वीकार करने एवं चर्च की प्रार्थना में भामिल होने से महामारी नहीं आएगी एवं सब कुछ ठीक चलेगा।"¹⁵

धर्मांतरण के कारण कुछ समय पश्चात् ये परिवार अपने आप को समाज से बिल्कुल कटा हुआ महसूस करते हैं। कारवणवश वे घुटन और अकेलेपन से त्रस्त जीवन काटने के लिए मजबूर होते हैं। किसी को जड़ों से काटकर दूर कहीं रोपित करने पर भला वह कैसे फल-फूल सकता है। आदिवासियों की गरीबी, निर्धनता, बेबसी का फायदा उठाकर उनका धर्म परिवर्तन कराने का खेल मिशनरीज खेल रहे हैं। जंगल कुमार कहते हैं कि – "मैडम यदि धर्मांतरण को नहीं रोका गया तो वह अपने भोश समाज से कटा-पिटा अकेला पड़ जाएगा, फिर उसकी जिन्दगी में न करमा आएगा और न सरहुल की मौज-मस्ती क्योंकि एक बार उसे मिशन में लेने के बाद फिर कोई पादरी उसकी खबर लेने नहीं आएगा और जो ताकत उसे अपने समाज से मिलती है वह भी खत्म हो जाएगी।"¹⁶

आदिवासी समाज प्रकृति के बीच रहकर ही जीवन यापन करता है। आदिवासी समाज के लिए विकास के जो मायने हैं वे परम्परागत विकास से अलग हैं। आदिवासी समाज का विकास आदिवासी समाज के हिसाब से किया जाना जरूरी है। इसके पीछे मुख्य वजह है कि उनकी सामाजिक व्यवस्था। नेहरू अपने भाषण में इस बात पर जोर देते हैं कि – "यदि सामान्य कारकों को अपना काम करने दिया जाए तो बाहर के बेईमान लोग उनकी सारी जमीन और जंगल हड़पकर जन-जातीय लोगों के जीवन में हस्तक्षेप करने लगेंगे।"¹⁷ लेकिन इस बात को आज खारिज कर दिया गया है। आज विकास के नाम पर आदिवासियों को जंगल से भगाया जा रहा है और यदि वह उसका प्रतिवाद कर दे तो वह सरकार की नजर में माओवादी है।

आज सम्पूर्ण विश्व में ब्रांड संस्कृति का बोलबाला है। आज संसार भूमंडलीकरण अर्थात् 'विश्वग्राम' के नाम पर भूमंडलीकरण अर्थात् विश्व बाजार बन गया है। यहाँ प्रत्येक वस्तु बिकाऊ है। हमारी प्राकृतिक सम्पदा, उससे जुड़े अन्य संसाधन, हमारा सामाजिक चरित्र, हमारी सामाजिक चिन्ताएँ, चेष्टाएँ किस प्रकार छिन्न-भिन्न हो गई हैं, उन्हें फिर से कैसे संयोजित किया जाए। हमारे बन, चरागाह, जल स्रोत, नदी तालाब, कुएँ, आदि एक समय में सामूहिक सम्पतियाँ रही हैं और इन पर सामाजिक नियंत्रण रहा है। हमारा समाज एक ऐसा समाज रहा है जिसकी मर्यादाएँ, कर्तव्य और अधिकार सब सन्तुलन पर आधारित रहे हैं। आधुनिक विकास का लुभावना छल और दुनिया भर में अपने निहित हितों स्वार्थों के लिए खड़ा एक मजबूत वर्ग दुनिया भर की सरकारों को प्रभावित करने में सक्षम है। आज इस धरती को चारों हाथ लूटा जा

रहा है।

भारतीय संस्कृति में स्त्री सदैव वंदनीय, पूजनीय रही है। किन्तु समय बदलने के साथ स्त्री पर भी धर्म की चादर का लबादा बढ़ता गया। 'सेज पर संस्कृत' उपन्यास में संघमित्रा के माध्यम से जैन धर्म में बढ़ते कर्मकांड, पाखण्ड और व्याभिचार का खुलासा किया गया है। जैन धर्म में कोई भी साध्वी संघ प्रमुख नहीं हो सकती। धर्म स्त्रियों, वंचितों के खिलाफ इसलिए रहा ताकि वे धर्म गुरुओं की सेवा-सुश्रुता करती रहे। धर्म का डर दिखाकर स्त्रियों को नियंत्रण में रखा जाता है। जब संघमित्रा, मालविका से धर्म के विषय में पूछती है तो मालविका कहती है कि – "यहूदी, हिन्दू, बौद्ध, जैन, ईसाई, इस्लाम और सिक्ख सभी धर्मों का स्वरूप जीवन को सुन्दर और नैतिक मूल्यों से सम्पन्न बनाने का रहा। समाज में व्याप्त, कुरीतियों, अन्याय, अराजकता एवं शोषण के विरुद्ध धर्म का जन्म हुआ। पर जिस प्रकार गंगा अपने उद्गम में निर्मल, पवित्र एवं पारदर्शी होती है पर धीरे-धीरे वह प्रदूषित होती जाती है, वैसे ही कालान्तर में सारे धर्म उन्हीं बुराईयों के शिकार हुए जिनके उन्मूलन के लिए उनका जन्म हुआ था। चिन्तन के दूसरे छोर पर खड़ी संघमित्रा सोच रही थी पर धर्म की मार सबसे अधिक स्त्रियों पर ही क्यों पड़ी।"¹⁸

संघमित्रा की माँ और छोटी बहन जैन साध्वी बनकर सांसारिक मोह-माया से दूर होकर जीवन व्यापन करना चाहती है। किन्तु संघमित्रा धर्म के नाम पर फैले पाखण्ड से आहत है। युवा लड़के-लड़कियों को दीक्षा की ओर धकेल कर उनकी भावनाओं को जड़ करने का शडयंत्र धर्म के ठेकेदारों द्वारा किया जा रहा है। सदियों से धर्म की मार की पीड़ा स्त्री भुगत रही है। संघमित्रा के प्रश्नों का जवाब देते हुए उसकी सखी मालविका कहती है कि – "स्त्रियों पर ही नहीं, धर्म की मार उन सभी पर पड़ी जो निर्बल, अज्ञानी, वंचित, और असहाय थे। यह सिर्फ भारत में ही नहीं विश्व के सभी देशों में हुआ।

यदि स्त्रियों और वंचितों को भी उनके ही समान उड़ने को आजाद आकाश दे दिया जाता तो फिर उनकी सेवा-टहल कौन करता। XXX तुम देखो स्त्रियों पर होने वाले सभी अन्यायों को धर्म की चादर से ढाँप दिया गया क्योंकि जहाँ धर्म है, वहाँ सब कुछ वरेण्य है चाहे वह सती प्रथा हो, बहु पत्नी प्रथा हो या देवदासी प्रथा। दक्षिण के भव्य मंदिरों की संस्कृति के साथ देवदासी प्रथा का गहरा सम्बन्ध है। और क्या यह भी संयोग ही रहा कि वे यावृत्ति का सम्बन्ध भी प्राचीन नगरी अयोध्या, काशी और मथुरा से ही रहा? और जानती हो सती प्रथा के पीछे भी बंगाल के तत्कालीन हिन्दू समाज में प्रचलित दाय भाग व्यवस्था थी जिसके अनुसार पति की मृत्यु के पश्चात् उसकी सम्पत्ति पर पुत्रहीन विधवा का अधिकार होता था। पुत्रहीन विधवा की सम्पत्ति को अपने अधीन करने के लिए परिवार के स्वजन विधवा को मोक्ष, स्वर्ग, पाप-मुक्ति, आदि का प्रलोभन देकर सती होने के लिए प्रोत्साहित करते थे। सीधी सी बात यह है कि सारे धार्मिक विधान चूँकि समर्थ पुरुषों द्वारा बनाए गए हैं इसलिए समर्थहीन स्त्रियों और निम्न जाति के खिलाफ ये सारे नियम बने।"¹⁹

समकालीन समाज भूमंडलीकरण के प्रभाव में पल-बढ़ रहा है। इसी कारण इसके सरोकार बदल गए हैं। इसे मूल्य परिवर्तन भी कहा जा सकता है। परम्परागत मूल्यों से आज के मूल्य एकदम बदले

हुए हैं। भाव बोध बदल गया है। जाहिर है जब भाव बदला है तो भाषा भी बदलेगी। व्यक्ति और समाज के इस बदलते भाव बोध को उसकी अभिव्यक्ति से समझा जा सकता है।

भयामचरण दुबे का मत है कि – "नगरीकरण की प्रक्रिया ने लोक संस्कृतियों को पूरी तरह विश्रृंखल और विनष्ट तो नहीं किया, पर उनके स्वरूप और गठन में महत्वपूर्ण बदलाव अवश्य आये। नगर और ग्राम संस्कृतियों का सह-अस्तित्व बना रहा और संसार के कई भागों में आपसी सम्बन्ध विकसित हुए। कस्बाई और छोटे भाहरों की संस्कृति ग्रामीण संस्कृति से बहुत अलग नहीं थी। बड़े नगरों और महानगरों के जीवन में भी लुके छिपे लोक संस्कृति के कुछ तत्व बने रहे।"²⁰

ए.आर.देसाई का कहना है कि – "ग्राम का जन जनजीवन टूट रहा है। गाँव जीविका की तलाश में शहरों में समा रहे हैं। भू स्वामी आज भी निम्न किसानों और भूमिहीन मजदूरों का भोशण कर रहे हैं। धनी किसानों में उत्साह पैदा हुआ है लेकिन वही छोटे मजदूर मन ही मन निराश है, क्योंकि उनके पास काम नहीं है या जबरदस्त भोशण है। दश के गाँवों में निर्धन और बेकारी की भीड़ पैदा हो रही है जो ग्राम-समाज की आर्थिक चेतना को प्रमाणित कर रही है। गाँवों की आर्थिक स्थिति बड़ी ही अनिश्चित सी है और उसके सामने समस्याओं, अव्यक्तताओं और अभावों की भीड़ खड़ी है।"²¹

मधु कांकरिया ने अपने उपन्यासों में भूमंडलीय स्थितियों में ग्राम-समाज में आए परिवर्तनों को लक्षित किया है। उपभोक्तावाद ने पैसे की जो भूख और ललक जगा दी है, उसने गाँवों में जीवन भौली को बदल दिया है। भूमंडलीकरण और उदारीकरण ने हमारी सारी पारम्परिक सोच को बदलकर जीवनादर्शों को बदलकर रख दिया है।

जंगल कुमार कहते हैं कि – "आप मुनाफा खाने वाली इन परजीवी कम्पनी वालों के झांसे में न आए। ये झांसा और लालच देकर हमारी जमीन हथियाने की चेष्टा करते हैं। XXX भारत में आजादी से लेकर आज तक अमीर कम्पनियों के लिए सारी जमीनों पर कब्जा पुलिस की लाठी और बंदूकों के दम पर किया गया है। विडम्बना देखिए कि हम शोषित एक नहीं हो सके जबकि दुनिया के सारे कम्पनी वाले एक हो गए। XX आदिवासी साफ कहते हैं कि जब तक पहाड़ है हमारा अस्तित्व और अस्मिता दोनों बचे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते कि इस पहाड़ में सैंकड़ों तरह के अयस्क हैं। लेकिन हमारे लिए धरती, जंगल, पहाड़ कभी लालच पूरा करने के स्रोत की तरह नहीं रहे। हम उन्हें अपने अस्तित्व की रक्षा में सहायक मानते हैं।"²²

मानव की सामाजिक विकास यात्रा की भुर्रुआत से ही धर्म नैतिक धारणाओं का उत्सव रहा है। धर्म ने मनष्य को सामाजिक हितों के लिए वैयक्तिक स्वार्थों के बलिदान की प्रेरणा दी और प्रेम, सहानुभूति, करुणा और भावनाओं को बद्धमूलकर मानव मूल्यों की आधारशिला रखी।

धर्म की व्यापक धारणा में आर्थिक-सामाजिक और नैतिक

मूल्य समाविष्ट हो जाते हैं किन्तु धर्म में जातीय-सम्प्रदायिक दृष्टि से संकीर्णता आने पर जात-पात, ऊँच-नीच, मानव-मानव में भेद जैसी सामाजिक बुराइयाँ पनपती हैं, विकसित होती हैं। जबकि धर्म की सार्थकता मानव मात्र के कल्याण के आदर्शों में ही निहित है।

धर्म से मनुष्य में सत-असत् का विवेक जाग्रत होता है और वह सत्यान्वेशी, मूल्यान्वेशी बनता है। धर्म मानव-मानव में भेद नहीं करता यह धर्म का व्यापक अर्थ है। इसमें जुड़ने का भाव है। धर्म को जीवन में धारण करने से अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। आज धर्म अपने आधुनिक रूप में आडम्बरों, पाखंडों व झूठे प्रदर्शनों का एक खेल बनकर रह गया है।

‘हम यहाँ थे’ उपन्यास में धर्म के नाम पर फैले आडम्बर, अंधविश्वास का चित्रण मधु कांकरिया ने दीपशिखा की माँ के माध्यम से किया है। जैन धर्म के अनुरूप जीवन यापन करने वाली दीपशिखा की अम्मा को जब पता चलता है कि काम वाली बाई काली भंगन है तो तहलका मच जाता है। ताना मारते हुए कहती है कि – “मांजी हमपई तो आप आरती के समय सामने से नाहीं गुजरे देतू कि भगवान् जी के दोष लग जाए लेकिन भंगन के हाथों का पानी पीए में और आरती के बर्तन मंजवावे में तोहरे भगवान् के दोष नहीं लागत?

भंगन कौन भंगन? नाक सिकोड़कर वक्ष में पर्स दूंसते हुए बोली जयंती – ‘तोहार काली को! हाय रे भंगवान सबकोहू जानेला रउवा का जानेला (सब जानते हैं बस आप ही नहीं जानती)। जयंती ने माथा ठोकते हुए इतना कहा और घर में जैसे बम फूट गया।’²³

आज पाखण्डियों ने धर्म की भावना को कर्मकांडों में उलझा दिया है, जिससे धर्म का उद्देश्य मानव-कल्याण न होकर जनता का शोषण हो गया है। अतः धर्म केवल लाभ कमाने का औजार बनकर रह गया है। आज हम देख रहे हैं कि धर्म के नाम पर झूठ, विवासघात, आडम्बर, पाखंड पनप रहे हैं।

कोई धर्म हो या वस्तु हम दो तरह से चीजों को देखते हैं। कभी हम पर प्यार का चमा चढ़ा होता है तो कभी डर का। लेंस बदलते ही हमारी पूरी सोच बदल जाती है। डर चीजों को एक रूप दे रहा होता है, तो प्रेम एक अलग ही धरातल। हमें नए सिरे से सारी समस्याओं पर विचार कर उपाय खोजने होंगे। जब तक उपाय की खोज नहीं की जाएगी और हम युग की मांग को नहीं समझेंगे तब तक न तो धर्म तेजस्वी बनेगा न धार्मिक भावना, मात्र शब्दों का व्यापार चलता रहेगा। दीपशिखा माँ को समझाते हुए कहती है कि – “अम्मा आपको मालूम होना चाहिए कि आज की तारीख में जाति के आधार पर किसी को अपमानित करना बहुत बड़ा सामाजिक अपराध है। आप इंसान को प्यार नहीं कर सकती तो भगवान को क्या खाक प्यार करेंगी। XXX खुद भगवान महावीर स्वामी ने चंदनबाला जो कि क्षुद्र थी उसे दीक्षा दिलाई थी और दीक्षा पूर्व उसके हाथों बनाए खाने से अपना उपवास तोड़ा था। फिर अम्मा जाति और खून की शुद्धता सिर्फ एक कल्पना है, कौन जाने किसके खून की डोर किससे बंधी हो?”²⁴

धर्म के व्यवसाय बन जाने से जीवन की वास्तविक पहचान में बाधाएं आने लगी हैं। क्योंकि वस्तु के बाजार और धर्म के बाजार में धोखाधड़ी आज बहुत बढ़ गई है। इसलिए दानों ही जगहों पर सतर्क रहने की जरूरत है। धर्म और धार्मिक के बीच जहाँ भी पैसे की बात

आए, समझ ले कि सौदा हो रहा है। अब यह अपने आप पर निर्भर करता है कि हम धर्म को वस्तु मानकर उसे खरीदने की कोशिश करेंगे या उसे आचरणीय मानकर जीवनगत करने का प्रयास करेंगे? धर्म को लेकर हमें सावधान होने की जरूरत है।

‘सेज पर संस्कृत’ उपन्यास में संघमित्रा कहती है कि – “यह देश धर्मवीरों का है; इसीलिए यहां इंटरनेट पर कुम्भ स्नान हो रहा है। भगवान् दूध पी रहे हैं। पिछली बार गणेश जी ने दूध पिया था इस बार सीनियर देवताओं ने भी कृपा की है।”²⁵

विदेशी पूँजी अकेले नहीं आई। उसके साथ-साथ उसकी संस्कृति भी चली। यह एक साथ पूँजी की संस्कृति और विदेशी संस्कृति थी, जिसे आरम्भ में अधिक देखा समझा नहीं गया। पूँजी निवेश ही दिखाई पड़ा और उसके साथ ही एक प्रकार का ‘सांस्कृतिक निवेश’ भी होता रहा। आज तक जितने भी ज्ञात-अज्ञात मुनाफा कमाने के संसाधन और क्रिया कलाप हैं उसमें धर्म सर्वोपरि है। कोई धर्म स्थल हो या बाजार सब जगह की ‘नीति और रीति’ एक है। अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। इसके लिए वे आमतौर पर वाकचातुर्य की चासनी में लपेट कर झूठ और कई प्रकार की तिकड़म का सहारा लेते हैं। वैवीकरण के बाद बाजारवाद की पहुँच घर-घर तक है। आन समझ नहीं आता कि बाजार अपना धर्म निभा रहा है या धर्म ही एक बाजार बन गया है।

वैश्वीकरण ने युवाओं में धार्मिक विवास को भी प्रभावित किया है। अधिकांश धार्मिक प्रवृत्तियाँ युवा वर्ग के लिए अप्रासंगिक होती जा रही हैं।

आज की भाग दौड़ भरी जिन्दगी में बाजारवाद और इसकी ताकतवर व्यवस्था के प्रभाव से समाज को कोई भी वर्ग अछूता नहीं रहा है। आज सनातन धर्म की संस्कृति व त्योहारों की बेहद, गौरवशाली परम्पराएँ भी बाजारवाद के आसान शिकार बन गये हैं। आज स्थिति ऐसी हो गयी है कि अब तो हम किसी दूसरी संस्कृति व विचारों को भी बिना-सोचे समझे बाजार के जादू के चलते अपना रहे हैं।

इस असीम लालसा और बाजार पोषित महत्वाकांक्षा ने व्यक्ति के मानस में भौतिकता को आवश्यकता के रूप में स्थापित कर दिया है। इस स्थापना से व्यक्ति की मानवीय संवेदनाएं लगातार क्षीण होती जा रही हैं। बड़ी संख्या में लोग अपनी लालसा को पूरा करने के उद्देश्य से गांव से शहरों की तरफ विस्थापित हो रहे हैं। शहर की ओर यह विस्थापन मात्र व्यक्ति का नहीं होता बल्कि अपने परिवार गांव और समाज से भी होता है। इस क्रम में वैयक्तिक और भावनात्मक लगाव से भी विस्थापन होता जाता है। उसमें निहित समुदायिकता और परिवार से संबंध बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रेम और स्नेह भी लगातार छीजता चला जाता है। साथ ही व्यक्ति खुद लालसा के दौर में अंततः अकेलेपन का शिकार होने लगता है। एक अलगाव, उदासीनता और तनाव व्यक्ति को लगातार घेरे रहती है। वह यंत्रवत जीवन भाव शून्य जीवन भावशून्य जीवन जीने को विवश होता है। हमारे परस्पर प्रेम और सद्भाव कम से कम होते जा रहे हैं। वस्तु ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही है। मधु कांकरिया के पात्र चाहे ‘खुले गगन के लाल सितारे’ की मणि हो

अथवा 'हम यहाँ थे' उपन्यास की दीपशिखा, 'सूखते चिनार' का मेजर संदीप हो या 'सेज पर संस्कृत उपन्यास की 'संघमित्रा' अथवा ढलती सांझ का सूरज उपन्यास का अविनाश हो सभी सदैव यही इच्छा रखते हैं कि समाज की समस्त व्याधियाँ नष्ट हो, सम्पूर्ण विश्व मनुष्यता को केन्द्र में रखकर जीवन यापन करें। 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' मन्त्र में भी भारतीय संस्कृति का मूल प्रेम, एवम् त्याग ही निहित है। भूमंडलीकरण के कारण भारतीय समाज के मूल्यों में भी परिवर्तन हो रहा है। परम्पराओं का ह्रास, बुजुर्गों का तिरस्कार, सामाजिकता का अभाव, मानवीय भावनाओं पर भौतिक साधनों का वर्चस्व, इंटरनेट से विवाह आदि सामाजिक समरसता की जगह व्यक्तिगत लाभ ने घर कर लिया है।

संदर्भ –

1. कल्याण, हिंदी संस्कृति अंक ,मानव संस्कृति लेख, श्री भगवानदास जी केत्ता पृ0 175
2. जगदीश चंद्र.निराला काव्य में सांस्कृतिक चेतना .डॉ.पृ0 11
3. डॉ .रामसजन पाण्डेय,निर्गुण काव्य की सांस्कृतिक भूमिका ,पृ0 15
4. डॉ.ज्ञानवती अरोड़ा, समकालीन हिंदी कहानी : यथार्थ के विविध आयाम,पृ0 66
5. मधु कांकरिया, ढलती सांझ का सूरज, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली ,संस्करण 2022,पृ0 19–20
6. वही,पृ0 38–39
7. वीरेंद्र मोहन ,इतिहास और संस्कृति पृ0 17
8. मधु कांकरिया, पत्ताखोर , राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली ,प्रथम संस्करण 2000,पृ0 196
9. मधु कांकरिया ढलती सांझ का सूरज,पृ0 31
10. मधु कांकरिया ,हम यहाँ थे, किताब घर प्रकाशन नई दिल्ली , प्रथम संस्करण 2018,पृ0 154
11. मधु कांकरिया सूखते चिनार, भारतीय ज्ञानपीठ नई दिल्ली , प्रथम संस्करण 2012,पृ0 124–125
12. मधु कांकरिया ,हम यहाँ थे,पृ0 286
13. मधु कांकरिया,सूखते चिनार,पृ0 54
14. मधु कांकरिया ,हम यहाँ थे , पृ0 267
15. वही पृ0 237
16. वही,पृ0 240
17. सं उमाशंकर चौधरी , हाशिए की वैचारिकी पृ0 200
18. मधु कांकरिया ,सेज पर संस्कृत ,पृ0 138
19. वही,पृ0 138–140
20. मधु कांकरिया, सेज पर संस्कृत,पृ0 197
21. श्यामाचरण दुबे , समय और संस्कृति, पृ0 75
22. ए.आर.देसाई ,रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया,पृ0 4
23. मधु कांकरिया,हम यहाँ थे,पृ0 128–129
24. वही,पृ0 130
25. मधु कांकरिया,सेज पर संस्कृत,पृ0 203

रितु रानी

शोधार्थी

हिंदी विभाग

बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय,

रोहतक (हरियाणा)

डॉ0 जयकरण यादव

प्रोफेसर,

हिंदी विभाग

बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय

अस्थल बोहर, रोहतक (हरियाणा)



सारांश:-

यूरोप में सामंती व्यवस्था ने अपनी जगह जमाई और लगभग 500 वर्षों तक कायम भी रही। सामंती व्यवस्था में जमीन संपत्ति का मूल स्रोत होता था पूरे सामंती युग में एक सा माहौल नहीं रहा और परिवर्तन भी होते रहे। इसके रखरखाव और सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में काफी परिवर्तन होता रहा। 14वीं शताब्दी से सामंतवाद के पतन की प्रक्रिया अपना रूप ले रही थी। कुछ समय बाद धीरे-धीरे यह व्यवस्था लुप्त होती गई अर्थात् सामंतवाद का अंत हो गया।

सामंती व्यवस्था के अंत के अनेक कारण हो सकते हैं अलग-अलग इतिहासकारों ने इसका अलग-अलग नजरिया से विश्लेषण किया है और अलग-अलग कारण भी बताए हैं यूरोपीय सामंतवाद इतिहासकारों के बीच बहस और विचार विमर्श का केंद्र बना रहा है यूरोप के बाहर भी इसका प्रभाव फैला और भारतीय सामंतवाद की अवधारणा निर्मित करने में भी इसी सामंतवाद अवधारणा का उपयोग किया गया हालांकि सामंतवाद एक यूरोपीय अवधारणा है इसमें अलग-अलग इतिहासकार अपने अलग-अलग अवधारणा की व्याख्या करते हैं।

मार्क ब्लॉक ने सामंती व्यवस्था में हो रहे परिवर्तन को दो भागों में विभाजित किया है।

प्रथम चरण इसमें हल और खींचे जाने वाले जानवरों की कीमत अधिक होने के कारण एक ही परिवार हल बैल का संपूर्ण खर्च नहीं उठा सकता था तथा सारे गांव के खेत एक साथ जोते जाते थे। एक दूसरे की जमीन के बीच में फर्क नहीं किया जाता था। गांव के चारों ओर खुले खेत में फसल कट जाने के बाद उन खेतों में जानवर चरते थे। प्रथम चरण में लोग लकड़ी, फल खरगोश, अपने जानवरों के लिए चारा आदि में उपयोग करते थे अर्थात् खेती का कार्य लोग सामूहिक रूप से करते थे। किसानों के बीच खेती का सामान वितरण नहीं था। खेत भी दो प्रकार के थे। एक खेत को बसंत के आरंभ में जोता जाता था। परंतु उसमें फसल नहीं लगाए जाते थे इसकी उर्वरता प्राप्त करने के लिए इन्हें प्रति छोड़ दिया जाता था और प्रति भूमि के झाड़ पतवार का चारे के लिए उपयोग किया जाता था।

द्वितीय चरण— कृषि योग्य भूमि का विस्तार और बेहतर प्रौद्योगिकी के विकास में खेती करने के तरीकों में परिवर्तन किया। अब किसानों के लिए सामूहिक रूप से खेती करना अनिवार्य नहीं रह गया और खेती अब किसी अब निजी तौर पर भी की जाने लगी। द्वितीय चरण के लोगों को अब आजादी का आभास होने लगा अधिपतियों की मांगों और करों में कमी लाने के लिए मजबूर किया गया। नए प्रकार की काश्तकारी व्यवस्थाएं भूमि, कर, लगान और बटाई पर आधारित हो गए। सालाना लगान उपज पर आधारित होता था। जनसंख्या में कृषि के साथ-साथ कृषि उत्पादन में भी वृद्धि हुई। 9वीं शताब्दी तथा दसवीं शताब्दी में खेत के उपयोग में बढ़ोतरी की गई अब खेतों से तीन भागों

में बांटकर फसल ली जाने लगी। अच्छी उत्पादकता पाने के लिए फसल चक्र की प्रक्रिया को भी अपनाया जाने लगा था। अब किसानों द्वारा बीन एवं मटर की खेती करने से मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ने लगी। लोहे और पवन चक्की के उपयोग से खेती का तकनीक विकास हुआ इस प्रकार व्यक्तिगत कृषि को बढ़ावा मिलने लगा। 12वीं शताब्दी में अधिपतियों ने कुछ लोकाचार नियम बनाई अपनी वित्तीय शक्ति मजबूत करके के दास्त्व मजबूत के गठबंधन को ढीला किया जिससे कृषि को बढ़ावा मिला। जनता के पास अब धन जमा होने लगा आबादी में वृद्धि से खेती का बंटवारा शुरू हो गया ग्रामीणों के आवागमन में वृद्धि से मालिकों ने मजदूरों के आवागमन पर प्रतिबंध लगे इस तरह उत्पादकता में वृद्धि हुई और दसों की मुक्ति प्रक्रिया में भी तेजी आई।

वही 1920 और 30 के दशक में बेलजियन के इतिहासकार हेनरी पियरे ने अपनी पुस्तक में मेविडाल सिटीज देयर ओरिजन एंड रिवाइवल आफ ट्रेड इकोनॉमिक्स एंड सोशल हिस्ट्री ऑफ मेडिबल यूरोप तथा मोहम्मद तथा शलमान्य में सामंतवाद के उत्थान और पतन में व्यापार की भूमिका को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी थी। पियरे के अनुसार — लंबी दूरी का व्यापार जिसे हुए फ्रैंड ट्रेड कहते थे सभ्यताओं के फलने- फूलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा और किन्ही कारणों से यदि इसमें बाधा पहुंचती है तो सभ्यता की प्रगति भी रुक जाती है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होने वाले व्यापार ने यूरोपीय सभ्यता को शिखर पर पहुंचा दिया था क्योंकि यह न केवल समाज की आर्थिक स्थिति में सुधार लाया था बल्कि सभ्यता और संस्कृति का भी आदान-प्रदान हुआ और अरबों द्वारा भूमध्य सागरीय क्षेत्र में आक्रमण के कारण व्यापार वाणिज्य बाधित हुआ। पूर्व (एलेक्जेंड्रिया) पश्चिम की (जिब्राल्टर) और मध्य स्थित सारडिया में मुसलमान ने कब्जा जमा लिया यूरोपीय अर्थव्यवस्था अंतर मुखी हो गई। व्यापार वाणिज्य सीमित रूपों में होता था, लंबे व्यापार के समाप्त होने से विचारों का आदान-प्रदान भी समाप्त हो गया। 11 वीं शताब्दी में धर्म युद्धों के द्वारा अरबों को उनके घर मध्य पूर्व धकेल दिया गया। पुनः लंबी दूरी के व्यापार शुरू हुए। शहरी केंद्र एक बार फिर से जी उठा यह सामंतवाद के अंत का आरंभ रहा। उन्होंने इस का रूपांतरण का महत्व दिखाने के लिए शहरी जीवन व्यक्ति को स्वतंत्र बनता है पैसे की कहावतों को उदित किया।

जबकि इतिहास का ड्यूबी ने अपनी पुस्तक शोलर इकोनामिक एंड कंट्री लाइफ इन द मेडिकल वेस्ट और अर्ली ग्रोथ ऑफ यूरोपीय इकोनॉमी के माध्यम से सामंतवाद की धारा ही बदल दी।

उन्होंने श्रम के क्षेत्र में होने वाले बदलावों ने जो ग्रामीण परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया ने सामंती व्यवस्था के पतन का कारण माना। उनके अनुसार श्रम परिवर्तन के कारण कृषक वर्ग के

भीतर आपसी अंतर बढ़ता गया। सतत और प्रबल परिवर्तनों ने सामान्य परिदृश्य बदल दिया। धीमी विकास ने लगभग सभी लोगों को प्रभावित किया। कुछ दूसरों की अपेक्षा तेजी से ऊपर उठ गए। पूरे प्रदेश में एक नई अर्थव्यवस्था और एक नए वर्ग का उदय हुआ क्योंकि इसने सामंती व्यवस्था पर जड़ से प्रहार किया था। सामंतवाद का पतन सामंती व्यवस्था की आंतरिक प्रक्रिया के कारण हुआ था। जॉर्ज ड्यूबी के विचार थे कि— सामाजिक भेद एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक दिन या 1 साल या एक दशक में पैदा नहीं होती बल्कि इसमें सदियों लग जाती है। उन्होंने शहरी शहरी क्रेंदो का उदय और व्यापार का उदय अपने आप में स्वतंत्र परीघटना न होकर इसे आंतरिक विकास क्रम और बदलाव का ही एक भाग माना था।

जबकि मार्क्सवादी विश्लेषण के आधार बनाते हुए डॉब ने अपना मत प्रस्तुत किया और कहा कि पश्चिमी यूरोप के सामंतवाद के पतन के कारण इसका अंदरूनी संकट था। 11वीं शताब्दी में धर्म योद्धाओं ने अर्बन को यूरोप से भगाकर उनको अपने क्षेत्र में धकेल दिया। इस युद्ध के दौरान यूरोपीय पूर्व के एशो आराम की वस्तुएं जैसे की—इत्र, रेशम और मसाले जैसी वस्तुओं के संपर्क में आए जिनके बारे में उन्होंने पहले कभी सुना नहीं था। धर्म योद्धा व्यापारी बन गए और लौटकर ऐसा आराम की वस्तुओं अभिजात वर्ग को ऊंची कीमत पर बेचने लगे। पूर्वी एशो आराम के समान ने पश्चिमी संस्कृति और आर्थिक परिवेश पर बहुत गहरा असर डाला। अब अभिजात वर्ग के लोग इस सुख सुविधा के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थे। इस मिलन से पश्चिम यूरोप और मध्य पूर्व के बीच हालांकि मात्रा में काम परंतु मूल्य में काफी अधिक व्यापार होने लगे और इसके कारण यूरोप में संसाधनों का संकट उत्पन्न हो गया क्योंकि भूमि पति वर्ग की आए कृषि पर निर्भर करती थी। प्रौद्योगिकी के निम्न स्तर के कारण स्थिर हो चुकी थी उनके शौक और खर्च दोनों काफी बढ़ गए थे। लेकिन आमदनी का जरिया मात्र एक किसानों का कर था। इसलिए इन्होंने अब किसानों को ज्यादा चूसना शुरू कर दिया क्योंकि किसान धन का प्रथम उत्पादन करता था परिणाम स्वरूप एक तीखा विभाजन हुआ और समाज के सभी वर्ग इससे प्रभावित हुए। डॉब शहरी केंद्र के पुनरुत्थान को भी सामंतवाद का पतन का कारण मानते हैं। शहरों के उदय ने शोषित किसानों को रोजगार के लिए विकल्प उपलब्ध कराया। किसानों ने शोषण से मुक्त होने के लिए शहरों की ओर पलायन किया। जिसमें अधिकारी और कृषि दास तथा अधिपति और शहरी बिजुआ वर्ग एक—दूसरे के आमने-सामने थे। आर्थिक क्षेत्र में वर्चस्व बढ़ रहा था गरीब किसानों का ग्रामीण क्षेत्र से शहर की ओर पलायन कर रहे थे। अधिपति अपने आप को लाचार महसूस कर रहे थे और सामंतवाद ढह रहा था।

डॉब ने माना कि शहरी केंद्र का उदय हो रहा था। लेकिन व्यापार वृद्धि की वजह से नहीं।

निष्कर्ष —

कहा जा सकता है कि अधिपतियों और किसानों के बीच हुआ वर्ग संघर्ष को इस पतन का सिर्फ एकमात्र कारण नहीं माना जा सकता वास्तव में केवल ऐतिहासिक अनुशासन के दायरे में विभिन्न दृष्टिकोण से भी इसका अंतिम उत्तर नहीं प्राप्त किया जा सकता है

अर्थात् सामंतवाद का पतन एक धीमी प्रक्रिया थी इसके पतन में लगभग तीन शताब्दियों का समय लग गया। सीधे शब्दों में वाणिज्य क्रांति

पूंजीवाद का उदय

राष्ट्रीय राज्य का उदय

धर्म युद्ध

आदि जैसी अनेक घटनाओं ने मिल-जुलकर सामंतवाद के पतन में अपना योगदान दिया।

संदर्भ ग्रंथ —

संक्रांति कालीन यूरोप अरविंद सिन्हा

यूरोप में सामंतवाद यूपीएससी डीयू

इग्नू डम्प—1

यूरोपीय संस्कृति

पता— डॉ० शीतल कुमारी

कांके रोड 2104/C2, रांची।

पिन— 834008

झारखण्ड,

मोबाइल नंबर— 82109 45031

सारांश:-

भारत 130 करोड़ की कुल आबादी वाला एक विकासशील देश है असंतुलित सामाजिक और आर्थिक विकास भारत में पर्यावरण चुनौतियों और विकास को प्रभावित करने वाले मुद्दों का प्राथमिक कारण है। ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में आबादी के स्थानांतरण के कारण तेजी से हो रहे नगरीकरण ने इन चुनौतियों को और अधिक जटिल बना दिया है। औद्योगिक क्षेत्रों में गंदी या मलिन बस्तियां हैं, जहाँ मकान टूटे-फूटे, निम्न स्तर के तथा बहुत गंदे हैं और जहाँ रहना स्वास्थ्य, सुरक्षा, नैतिकता तथा सामान्य सुख-सुविधाओं के लिहाज से बहुत ही हानिकारक तथा खतरनाक है। मानव रहने के लिए ऐसे भी स्थान हो सकते हैं, यह मलिन बस्तियों की हालत देखकर आसानी से नहीं सोचा जा सकता। महिलाएं इन गंदी बस्तियों में रहने वाले परिवारों में सबसे कमजोर होती हैं। महिलाएं उस नगर विशेष में स्थित छोटे उद्योगों, निर्माण स्थलों आदि में जाकर काम करती हैं या अपने आसपास के संपन्न परिवारों में काम करती हैं।

मुख्य शब्द : शहरीकरण, अनियोजित, जनसंख्या, पर्यावरणीय विचार-विमर्श

प्रस्तावना : औद्योगिक क्षेत्र की गंदी या मलिन बस्तियां वे आवासीय क्षेत्र मानी जाती हैं, जहाँ के मकान टूटे-फूटे, निम्न स्तर के तथा बहुत गंदे हो और जहाँ का रहना स्वास्थ्य, सुरक्षा, नैतिकता तथा सामान्य सुख-सुविधाओं के लिहाज से बहुत ही हानिकारक तथा खतरनाक हो। मलिन बस्तियों की दशा को देखने से सहज में यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि मनुष्य के रहने के लिए ऐसे भी स्थान हो सकते हैं। इस प्रकार की गंदी बस्तियों में रहने वाले परिवारों में सबसे दयनीय दशा महिलाओं की होती है। महिलाएं अपने क्षेत्र के आस पास के सम्पन्न लोगों के परिवार में कार्य करती हैं, अथवा अपने आवास के क्षेत्र से हटकर उस नगर विशेष में स्थित लघु उद्योगों, निर्माण स्थलों आदि में जाकर कार्य करती हैं। आज समस्त विश्व के नगरों में गंदी बस्तियों की समस्या विकट रूप धारण कर चुकी है। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप गंदी बस्तियां प्रायः प्रत्येक नगर का एक भाग बन गई हैं। कल-कारखानों, रेलवे मार्गों तथा गंदी बस्तियों की स्थिति साथ-साथ चलती है। औद्योगीकरण, आवासों का अभाव, संसाधनों की अपर्याप्तता, नगरीय आंतरिक संरचना की अनियोजित वृद्धि दर को गंदी बस्तियों की उत्पत्ति का मुख्य कारण माना जाता है। बॉल्कर (1938) के अनुसार गंदी बस्ती वह स्थान है, जो शहर के औद्योगिक क्षेत्र में गंदी तथा अव्यवस्थित सड़क के किनारे स्थित है और जहां मैले कुचौले तथा दुराचारी प्रवृत्ति के लोग बसें हुए हैं तथा जहां का पूरा पड़ोस निम्न कोटी के गंदे लोगों का है। इस प्रकार गंदी बस्ती वह

आवासीय क्षेत्र मानी गयी है, जहां की आबादी बहुत घनी हो, मकान टूटे-फूटे, निम्नस्तर के तथा बहुत गंदे हो और जहां पर रहना स्वास्थ्य सुरक्षा, नैतिकता तथा सामान्य सुख-सुविधाओं के लिहाज से बहुत ही हानिकारक तथा खतरनाक हो। मलिन बस्ती इस प्रकार सबसे खराब आवासीय तथा अस्वास्थ्यकर बस्ती को परिलक्षित करती है। जहां अधिकांश निम्न आय वर्ग के लोग आकर बस गये हैं। वे महिलाएं जो मलिन बस्ती, दूषित वातावरण में रहने को विवश होती हैं, वे थकान, श्वास क्रिया में अनियमितता, हैजा, कैंसर, उच्च रक्तचाप तथा बेहरेपन से पीड़ित हो जाती हैं। यहां का प्रदूषण युक्त वातावरण महिलाओं के साथ-साथ उनके अजन्में बच्चों को प्रभावित करता है। गंदी या मलिन बस्तियां अब सिर्फ स्थूल आकार या आर्थिक संदर्भ में ही नहीं देखी जा रही हैं, बल्कि ऐसी सामाजिक स्थिति को सूचित करती हैं, जिसमें मनुष्य के स्वभाव, विचारधारा, आदर्श तथा व्यवहारिकता को बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है

अध्ययन क्षेत्र: झुंझुनू जिला अनियमित षटकोणीय आकार का है जो 270°38' और 280°31' उत्तरी अक्षांशों और 750°2' से 760°6' पूर्वी देशांतरों के बीच स्थित है। यह जिला राजस्थान के उत्तरी-पूर्वी भाग में है। यह उत्तर-पश्चिम दिशा में चुरू जिले, उत्तर-पूर्व में हरियाणा के हिसार और महेंद्रगढ़ जिले, दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी भाग में सीकर जिले से घिरा हुआ है। यह जिला दिल्ली से 250 किलोमीटर और जयपुर से 180 किलोमीटर दूर है।

सीकर जिला राजस्थान के उत्तर-पूर्वी भाग में 27° 21' और 28° 12' उत्तरी अक्षांश तथा 74° 44' से 75° 25' पूर्वी देशान्तर के मध्य फैला हुआ है। इसके उत्तर में झुंझुनू, उत्तर-पश्चिम में चुरू, दक्षिण-पश्चिम में नागौर और दक्षिण-पूर्व में जयपुर जिले की सीमायें लगती हैं। यह जिला दिल्ली से 250 किलोमीटर और जयपुर से 180 किलोमीटर दूर है।

विधितंत्र :- प्रस्तुत शोध कार्य का उद्देश्य विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में रहने वाली ऐसी आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं की दशाओं का अध्ययन करना था। इस शोध कार्य राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र क्रमांक-1, औद्योगिक क्षेत्र झुंझुनू तथा औद्योगिक क्षेत्र सीकर की मलिन बस्तियों में रहने वाली लगभग 150 महिलाओं का चयन उद्देश्य मूलक निदर्शन पद्धति के आधार पर किया गया तथा तथ्यों का संकलन साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से किया गया। इसके पश्चात सारणीयन एवं विश्लेषण किया गया। मलिन बस्ती की महिलाओं के जीवन के विभिन्न पक्षों की आदतें एवं दशाएँ व्यक्ति के जीवन के सामाजिक मनोवैज्ञानिक, आर्थिक तथा नैतिक पक्ष उसके पर्यावरणीय

दशाओं एवं आदतों द्वारा निर्धारित है। व्यक्ति को जिस प्रकार की परिवेशीय दशाएँ प्राप्त होती हैं, उसी के अनुरूप उसमें आदतें विकसित होती हैं। यहीं आदतें आगे चलकर मनुष्य के स्वभाव का अंग बन जाती हैं। आदतें व्यक्ति के समायोजन तथा उसके व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।


1. भविष्य में धन का संचय: सामाजिक प्रस्थिति की उच्चता और निम्नता के निर्धारण का प्रमुख कारण अर्थव्यवस्था को माना जा सकता है। पारिवारिक व्यवस्था को सुनियोजित ढंग से चलाने के लिये यह आवश्यक है कि धन के व्यय की एक योजना निर्धारित हो तभी भविष्य के लिये भी थोड़ा धन संचित किया जा सकता है। इस आधार पर जब उत्तरदाताओं से यह ज्ञात किया गया कि क्या आप अपने भविष्य के लिये धन का संचय करती हैं, तो इस संदर्भ निम्न उत्तर प्राप्त हुए:—

तालिका संख्या: 01: झुंझुनू एवं सीकर में मलिन बस्तियों द्वारा भविष्य में धन का संचय :

	उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	33	22
2	नहीं	101	67.33
3	कभी-कभी	16	10.67
4	योग	150	100

स्रोत: फील्ड सर्वे पर आधारित

आरेख संख्या: 01: झुंझुनू एवं सीकर में मलिन बस्तियों द्वारा भविष्य में धन का संचय



स्रोत: तालिका संख्या 1 पर आधारित

लगभग 67.33 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि धन का संचय नहीं कर पाती है लगभग 22 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि वे थोड़ा बहुत भविष्य के लिये धन संचित करती हैं, जबकि मात्र 10.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि वे कभी-कभी धन को भविष्य के लिये संचित करती हैं।

2. आर्थिक सुदृढता के लिए समाज द्वारा निषिद्ध (वर्जित) कार्य

:- धन संचय करने का तरीका यह प्रमाणित करता है, कि व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला कार्य सामाजिक नियमों प्रतिमानों के अनुरूप है, अथवा हम समाज विरोधी तरीकों से धन संचय को अपना रहे हैं। मलिन बस्तियों में अर्थाभाव की महामारी के कारण अक्सर यह देखा जाता है कि वहां के लोग अपराधिक एवं अनैतिक व्यवहारों के द्वारा धन संचय कर रहे हैं।


अध्ययन के समय जब उत्तरदाताओं से यह पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि अपनी आर्थिक सुदृढता के लिए समाज द्वारा निषिद्ध कार्य करना चाहिए तो इस संदर्भ निम्न उत्तर प्राप्त हुए

तालिका संख्या 2: झुंझुनू एवं सीकर में मलिन बस्तियों द्वारा आर्थिक सुदृढता के लिए समाज द्वारा निषिद्ध कार्य

क्रम संख्या	उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया	आवृत्ति	प्रतिशत
1	सहमत	25	16.66
2	असहमत	103	68.67
3	अनिश्चित	22	14.67
4	योग	150	100

स्रोत: फील्ड सर्वे पर आधारित

आरेख संख्या 2: झुंझुनू एवं सीकर में मलिन बस्तियों द्वारा आर्थिक सुदृढता के लिए समाज द्वारा निषिद्ध कार्य



स्रोत: तालिका संख्या 1 पर आधारित

लगभग 69 प्रतिशत उत्तरदाता इस कथन से असहमत थे, 14.67 प्रतिशत उत्तरदाता इस कथन से अनिश्चित थे, कि आर्थिक सुदृढता के लिए समाज द्वारा वर्जित कार्य करना चाहिए या नहीं जबकि 16.66 प्रतिशत उत्तरदाता इस कथन से सहमत थे कि आर्थिक सुदृढता के लिए समाज द्वारा वर्जित कार्य करना चाहिए।


3. आमदनी का उपयोग: अल्प से अल्पतम आय में व्यय की प्रवृत्ति का व्यवहारिक स्वरूप मलिन बस्तियों की कान्पनिक स्थिति का व्यवहारिक चित्रकल्प प्रस्तुत करते हैं। अध्ययन में उत्तरदाताओं से पूछा गया कि वे अपनी आमदनी का उपयोग कहाँ करती हैं, तो निम्न उत्तर प्राप्त हुए:—

तालिका संख्या 3: झुंझुनू एवं सीकर में मलिन बस्तियों द्वारा आमदनी का उपयोग

क्रम संख्या	उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया	आवृत्ति	प्रतिशत
1	घर का खर्च चलाने में	32	21.33
2	घर का खर्च एवं बच्चों के पालन पोषण में	106	70.67
3	अपने रहन-सहन के स्तर को ऊंचा उठाने के प्रयास में	12	08
4	योग	150	100

स्रोत: फील्ड सर्वे पर आधारित

आरेख संख्या 3: झुंझुनू एवं सीकर में मलिन बस्तियों द्वारा आमदनी का उपयोग



स्रोत: तालिका संख्या 3 पर आधारित

विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश 71 प्रतिशत उत्तरदाता अपनी आमदनी का उपयोग घर खर्च एवं बच्चों के पालन पोषण में करती है। 21.33 प्रतिशत उत्तरदाता अपनी आमदनी उपयोग घर खर्च चलाने में करती है, जबकि मात्र 8 प्रतिशत उत्तरदाता अपनी आमदनी का उपयोग अपने रहन-सहन के स्तर को ऊंचा उठाने के प्रयास में खर्च करती है।

4. आमदनी में से पति के दुर्व्यसन (शराब, गांजा) पर खर्च – पितृसत्तात्मक पारिवारिक व्यवस्था में पुरुषों का वर्चस्व और श्रेष्ठता स्वाभाविक कारक होता है। परिवार की आमदनी में से कौन-सा भाग पारिवारिक जरूरतों पर खर्च होगा और कौन-सा भाग पुरुष अपने द्रव्य व्यसन में व्यय करेगा। यह प्रश्न मलिन बस्ती की महिला के सामने हर समय खड़ा रहता है, जब आमदनी के रुपये घर आते हैं। इस प्रश्न के संबन्ध में निम्न उत्तर प्राप्त हुए :-

तालिका संख्या 4 : झुंझुनू एवं सीकर में मलिन बस्तियों द्वारा आमदनी में से पति के दुर्व्यसन (शराब, गांजा) पर खर्च

क्रम संख्या	उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	41	27.33
2	नहीं	52	34.67
3	कभी-कभी	57	38
4	योग	150	100

स्रोत: फील्ड सर्वे पर आधारित

इस अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि 34.67 प्रतिशत उत्तरदाता अपनी आमदनी में से पति के दुर्व्यसन जैसे शराब, गांजा, तम्बाकू, गुटखा आदि पर खर्च नहीं करती है, जबकि 38 प्रतिशत उत्तरदाता अपनी आमदनी में से पति के दुर्व्यसन पर कभी-कभी खर्च का वहन करती है, जबकि 27.33 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसी है, जो अपनी आमदनी में से पति के दुर्व्यसन पर खर्च का वहन करती है।

निष्कर्ष – अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अधिकांश 67.33 प्रतिशत महिलायें भविष्य के लिये धन संचय नहीं करती है, या इसके लिये सक्षम नहीं है क्योंकि जहां दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करना ही एक चुनौती हो, वहां भविष्य के लिये धन संचय एक असम्भव प्रयास है। इसके साथ ही जहां अपने अस्तित्व की जीवन्तता का प्रश्न ही सर्वोपरि हो वहां नैतिकता और अनैतिकता का मापदण्ड केवल सैद्धांतिक कल्पना मात्र प्रतीत होता है। इस तथ्य की पुष्टि 14.67 प्रतिशत अनिश्चित मत से भी होती है, जो यद्यपि संख्या की दृष्टि से अत्यंत कम है किन्तु अनैतिक एवं समाज विरोधी कार्य को कभी भी कर गुजरने की मौन स्वीकृति तत्परता पूर्वक देता है। पति के दुर्व्यसन जैसे शराब, गांजा, तम्बाकू आदि पर खर्च से संबंधित तथ्य के विश्लेषण स्पष्ट होता है कि 34.67 प्रतिशत महिलाएं कभी-कभी खर्च का वहन करती है, जबकि 27.33 प्रतिशत महिलाएं आमदनी में से पति के दुर्व्यसन पर खर्च करती है। यद्यपि आंकड़े से यह प्रतीत होता है, कि आमदनी का व्यय अत्यंत साधारण ढंग से हो रहा है, परन्तु साक्षात्कार के दौरान यह तथ्य सामने आया कि व्यय की मात्रा केवल पुरुष सदस्यों की सहमति पर निर्भर करती है, जहां कोई महिला सक्षम व शिक्षित थी तो वहां पारिवारिक कलह का मुख्य कारण भी यही था। जिसके लिये हिंसात्मक तरीकों का प्रयोग भी किया गया। इस स्थिति में महिलाओं के पास बहुत कुछ सोचने विचारने का अवसर प्राप्त नहीं हो पाता है। परिणामस्वरूप महिलायें मलिन बस्तियों के कुठाराघात से आकांत रहती है, और किसी प्रकार के विकास प्रक्रिया से अपने आप को जोड़ नहीं पाती है। मलिन बस्तियों में महिलाओं के शिक्षा का प्रतिशत कम होने तथा उन्हें अपने अधिकारों का समुचित ज्ञान ना होने के कारण भी महिलाओं की स्थिति निम्न बनी हुई है। इसके साथ ही शासन स्तर पर योजनाओं को समुचित रूप से लागू

ना कर पाना तथा इस प्रकार के क्षेत्रों में शिक्षा तथा जागृति अभियानों का प्रचार ना किया जाना भी महिलाओं की स्थिति को निम्न बनाए हुए है।

संदर्भ सूची :

1. डॉ. आर. एन. त्रिवेदी(2011) – रिसर्च मेथडोलॉजी, कालेज बुक डिपो, जयपुर
2. अशोक कुमार गुप्ता (2014): नए औद्योगिक शहरी क्षेत्रों में गंदी बस्तियों, विवेक प्रकाशन, दिल्ली
3. आरती मिश्रा (2009) – गंदी बस्तियों में महिलाएँ: पर्यावरण का प्रभाव, क्लासिकल पब्लिशिंग कं.
4. जेम्स फोर्ड (1936) – स्लम्स एन्ड हाउसिंग, हिस्ट्री, कन्डीशन, पालिसी, हावर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, केंब्रिज 5 एन.
5. जे. हेमेन (1934) दृ स्लम्स एनस्लायकोपेडिया ऑफ सोशल साइन्सेस, अंक 13, मेकमिलन क. न्यूयार्क पृष्ठ 93–98
6. विश्व स्वास्थ्य संगठन, जेनेवा – वुमेन, हेल्थ एण्ड डेवलपमेन्ट, 1985, पृष्ठ 10
7. राम आहुजा (1997)– काइम अगेन्स्ट वीमेन, रावत प्रकाशन, जयपुर
8. अमर्त्य सेन (2011)– भारत : विकास की दिशाएँ पृष्ठ 36

सरिता जांगिड़

(यूजीसी नेट)

डॉ.धीरज कुमार

सहायक प्रोफेसर (वी.एस.वाई)

भूगोल विभाग

एस.बी.डी राजकीय महाविद्यालय सरदारशहर



सारांश:-

व्यक्ति सामाजिक संरचना की सबसे छोटी इकाई है। सामाजिक जीवन मनुष्य से होकर ही शुरू होता है। मनुष्य का अस्तित्व समाज में ही साकार हो उठता है। उनमें जिन मानवीय संवेदनाओं का विकास हुआ है उससे ही सभी संबंधों को (पारिवारिक या सामाजिक) बनाए रखने में वह सक्षम बन जाता है। मानवीय संवेदनाओं की अनुपस्थिति में सारे संबंध निरर्थक सिद्ध होता है।

समकालीन हिंदी कविताओं में कवियों ने व्यक्ति और के सापेक्ष संबंध को ध्यान में रखकर जीवन—मूल्यों पर चर्चा की है। सबसे चिंता की बात यह है कि आजकल समाज में मानवता का गुण खत्म होता जा रहा है। आज हम सभी संवेदनाओं को, सभी संबंधों को, सभी सामाजिक व्यवस्थाओं को मानते तो हैं, लेकिन व्यावहारिक जीवन में इसका निर्वाह नहीं हो रहा है। आज का मानव जीवन प्यार का महिमागान, दोस्ती की आत्मीयता, ममता की महनीयता आदि के आदर्शात्मक स्वरूप को लेकर चिंतित हैं, फिर भी व्यावहारिक जीवन में इन तमाम मूल्यों को स्वार्थ के घेरे में बाँध कर रखना चाहते हैं। मौजूदा हालात को देखकर लगता है कि अब किसी के दिल में अपनों के प्रति या दूसरों के लिए हमदर्दी, प्यार, इनसानियत, कोई भी सकारात्मक भावनाएँ नहीं रही हैं, समकालीन हिंदी कविताएँ इसका प्रमाण हैं। जब व्यक्ति का वैयक्तिक जीवन—मूल्य संकट में पड़ जाता है तो इसका स्वाभाविक प्रभाव सामाजिक जीवन मूल्यों पर भी होता है।

व्यक्ति समाज और जीवन मूल्य

व्यक्ति अपनी खास पहचान समाज में रहकर ही करता है। वह अपनी इसी पहचान से समाज को प्रभावित करता है। मनुष्य और समाज के सापेक्ष संबंध को व्यक्त करते हुए महादेवी वर्मा जी कहती हैं— “व्यक्ति तथा समाज का संबंध सापेक्ष कहा जा सकता है, क्योंकि एक के अभाव में दूसरे की उपस्थिति संभव नहीं। व्यक्ति के स्वत्वों की रक्षा के लिए समाज बना है। एक सामाजिक प्राणी स्वतंत्र और परतंत्र दोनों ही है। जहाँ तक वैयक्तिक हितों की रक्षा के लिए निर्मित नियमों का संबंध है, व्यक्ति परतंत्र ही कहा जाएगा; क्योंकि वह ऐसा कोई कार्य करने के लिए स्वच्छन्द नहीं जिससे अन्य सदस्यों को हानि पहुँचे, परंतु अपने और समाज के व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के क्षेत्र में व्यक्ति पूर्णतः स्वतंत्र रहता है।” समाज की मुक्ति मनुष्य की मुक्ति की शर्त है। समाज से बाहर, उससे अलग रहकर व्यक्ति की स्वतंत्रता कल्पना से परे से है। समाज कहने से इसके अंतर्गत सभ्यता, संस्कृति, धर्म आदि बहुत सारी बातें आ जाती हैं। अतः इसी सामाजिक चेतना से सामाजिक मूल्य परिवर्तित होता है।

समाज में मूल्य सदा बनते मिटते आए हैं। प्रत्येक समाज अपनी आवश्यकतानुरूप मूल्यों का निर्धारण करता है। समाज का संबंध व्यक्ति से है, व्यक्ति स्वभावतः स्वच्छन्द प्रिय या स्वतन्त्र है। उसकी स्वतंत्रता जब मर्यादा की सीमा पार करती है तो व्यक्ति चेतना विद्रोह के लिए बाध्य हो जाती है। विद्रोह की इसी बाध्यता के फलस्वरूप है। सामाजिकता का विजडित घेरा टूटता है और जीवन में दोबारा नये मूल्यों की स्थापना होती है। जीवन के उचयन में ‘मूल्य’ मुख्य साधन है। प्रत्येक युग में उसके अलग मूल्य होते हैं ये काल के अनुसार होते हैं लेकिन इसके कुछ आधार होते हैं। ये आधार सनातन है जीवन एवं संस्कृति की जड़ें हैं।

मूल्य हीनता समाज में अराजकता का कारण होती है। अतः प्रत्येक समाज एक निश्चित मूल्यों के अंतर्गत ही चल सकता है। वैयक्तिक एवं सामाजिक मूल्यों में व्यक्ति के जीवन में क्या हो रहा है, इसका प्रभाव समाज पर कैसे पड़ रहा है, इसमें सही क्या है और गलत क्या है के निर्णय के साथ व्यक्ति और समाज दोनों जीवन स्तरों पर क्या होना चाहिए इस पर विचार किया गया।

वैयक्तिक जीवन—मूल्य

मनुष्य का सबसे श्रेष्ठ गुण है उसकी संवेदनशीलता। इसके सहारे वह जीवन को नैतिकता की दिशा में प्रवाहित करता है और मानवता एवं सार्वभौमिक कल्याण की ओर प्रयत्नरत रहता है। वह अपने स्वार्थ को भूलकर सबके हित की सोचने लगता है। वह समन्वयवादी, सहनशील, प्रतिबद्ध, विवेक युक्त निर्णय लेने में सक्षम बन जाता है।

वैयक्तिक जीवन मूल्य के दो प्रकार होते हैं— सात्विक और व्यावहारिक। पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ और काम व्यावहारिक एवं मोक्ष सात्विक मूल्यों की श्रेणी में आ जाते हैं। व्यावहारिक कर्म अहंकारमूलक होता है जबकि सात्विक कर्म अहंकार से मुक्त समाज के हित के लिए कल्याणकारी होता है। इसलिए ही व्यक्ति के जीवन में इन चार पुरुषार्थों का होना अनिवार्य माना जाता है। मनुष्य अपने जीवन में सुख की कामना को श्रेष्ठता प्रदान करता है और उसी के लिए कर्म करता है। वह अपने स्वाभाविक प्रेरणाओं का गुलाम होता है। अर्थ एवं काम मनुष्य की सुख प्राप्ति की लिप्सा को बढ़ावा देने वाले माध्यम हैं। और इसमें उसकी मुक्ति मोक्ष की कामना से ही संभव होता है। आज का व्यक्ति एवं उनका जीवन व्यावहारिक कर्मों को प्रमुखता दे रहा है। इससे वैयक्तिक जीवन मूल्यों का पतन हो रहा है।

व्यक्तिक जीवन के संदर्भ में सबसे प्रमुख मूल्य है व्यक्ति की स्वतंत्रता। व्यक्ति की इच्छा होती है कि वह संसार के बंधनों से मुक्त

हो जाए स्वतंत्र रहे। अपने खुशी और अपने आप पर निर्भर रह सकें। यही आधुनिकता और 21वीं सदी में जीने वाले व्यक्ति के लिए वैयक्तिक मूल्य बन गया है। जिंदगी की भाग-दौड़ में वह जीना भूल गया। वह संबंधों को मन में अपनाने की बजाय बुद्धि से सोचने लगा। वह अपनी खुशियों को पाने के लिए गलत तरीकों का प्रयोग करने लगा। सत्य, धर्म, न्याय, अहिंसा, प्रेम, करुणा आदि भावनाओं के स्थान पर असत्य, अहिंसा, अन्याय, घृणा, क्रूरता, द्वेष, जलन आदि भावनाओं को मन में पालने लगा। जिससे व्यक्ति के सभी मानवीय संबंध टूट गए। वैयक्तिक जीवन मूल्यों में आये संकट की स्थिति की व्याख्या देने में कुँवर नारायण, कात्यायनी, उदय प्रकाश, विजय कुमार, प्रभात त्रिपाठी, वीरा, अनामिका, राजेन्द्र कुमार, चंद्रकांत देवताले जैसे कवियों की कविताएँ सफल बन पायी हैं। इन कवियों की कविताओं के माध्यम से वैयक्तिक जीवन मूल्यों में हुए बदलाव को देखने की जरूरत है।

मानवीय संवेदनाएँ

संवेदनाएँ वह गुण हैं जिसके सहारे सक्ति अन्य प्राणियों के जीवन की महता को भी स्वीकार कर लेते हैं और उसके अंदर दूसरों के लिए दुख, स्नेह, दया, करुणा, प्रतिबद्धता, अन्याय के विरुद्ध प्रतिक्रियात्मकता आदि सभी भावनाएँ विकसित होती हैं। उसका हर एक कदम विवेकसम्मत एवं लोक कल्याण पर आधारित होता है। वर्तमान समय में मानवीय संवेदनाओं से मानव जीवन से लुप्त हो गई है। प्रारंभिक काल में मनुष्य में ये सभी भावनाएँ स्वाभाविक एवं सहज रूप से विकसित हुईं। उस समय वह यह भी जानता था कि अकेले में उसका जीवन सुरक्षित एवं पूर्ण नहीं। इसलिए उन्होंने दूसरों के साथ सहसंबंध स्थापित किए। वे आपस में सब कुछ बाँटकर खुश थे। लेकिन जब से मनुष्य अपनी आवश्यकताओं से बढ़कर उत्पादन करने लगा और वह लोभी प्रवृत्ति का हो गया। वैज्ञानिक प्रगति ने आधुनिक युग में मानव की इस भोग लिप्सा को बढ़ावा दिया। आज का मनुष्य धन केंद्रित और स्वार्थी हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि वह एकदम अराजक वृत्तियों एवं अमानवीय क्रियाकलापों के घेरे में फँस गया। चाहते हुए भी वह अब इस बंधन से मुक्त नहीं हो पा रहा है। आज वह जिंदगी के फैसले लेने में सक्षम नहीं, गलत सही की चिंता उसे सताती रहती है।

परदुःखकारता

परदुःखकारता से तात्पर्य है, दूसरों के दुख को भी अपना दुख समझ लेना। हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य को मनुष्य के लिए मानने के पक्षधर हैं। उनका मानना है कि “मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। जो बागजाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और परमुखापेक्षिता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोद्वीप न बना सके, जो उसके हृदय को परदुःखकारता और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है।

द्विवेदी जी का मानना है कि साहित्य का उद्देश्य मनुष्य के हृदय को परदुःखकारता बनाना है, आज तक इस लक्ष्य को पाने में हमारा समाज काबिल नहीं हो पाया। अपने मतलब को पाने के लिए लोग भावनाओं के साथ बेईमानी करने लगे हैं। दुख न होते हुए भी दुखी होने का दिखावा करते हैं। मन ही मन में दूसरों को कोसते हैं और आँखों के सामने आते ही प्रेम छलकाते हैं। वर्तमान समय में जीने वाले व्यक्ति नैतिक नहीं है, वे नैतिक आचरण को नहीं मानते हैं। वे अपने स्वार्थ के लिए दूसरों पर अत्याचार कर करने पर तैयार हो जाते हैं। उसका प्रारंभ व्यक्ति के वैयक्तिक जीवन से ही होता है। सबसे पहले हमें अपना आचरण सुधारना चाहिए। सुरक्षित समाज में रहने वाले लोगों की संवेदनमूल्यता को दिखाने वाली कविता है शिवकुमार श्रीवास्तव की ‘सूखा : एक प्रतिक्रिया’ इसमें कवि कहते हैं—

“निरुद्धेय

लक्ष्यहीन भाग रहे हैं सब

कोई किसी से

किसी का दर्द बुझा नहीं।

रास्ता हो भी तो

ऐसी विलक्षण घड़ी है कि सूझा नहीं।

क्योंकि सूझना—बूमना समझने से,

और समझना सोचने से संबंध रखता है।

किंतु सोचने से हमारा संबंध टूट गया है।

इसकी किसी को कोई चिंता नहीं है।

सब चाहते हैं—

एक दूसरे की चिंता पर रोटी सेंकना

जिसके लिए आटा नहीं है

मगर हर मूर्ख समझता है

कि इस व्यापार में घाटा नहीं है।”

आज व्यक्ति में नजर आने वाली बड़ी खामी है उसकी संवेदनशून्यता। समकालीन परिवेश में पलने वाले व्यक्ति अपने चरित्र को सबसे महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। हम दूसरों के ऊपर बिना सच्चाई पता कुछ भी इल्जाम लगा देते हैं। इस पर प्रयाग शुक्ल जी ने अपनी ‘नाम का खतरा’ नामक कविता में भी कहा है —

“नाम का सबसे बड़ा खतरा यह

है कि सुना सकता है तुम्हारे नाम पर

कोई भी सच्ची—झूठी कहानियाँ

और पता भी नहीं चल सकता तुम्हें।”

वैयक्तिक जीवन इतना संकुचित हो गया है कि व्यक्ति अकेला रहना चाहता है। इस संकुचित स्वार्थ घेरे से बाहर भी ना आ पा रहा है। वह अपनी पसंद ना पसंद खुद चुनता है और उसमें भी वह खुश नहीं है।

प्यार

प्यार ही मनुष्य को मनुष्य का स्वरूप प्रदान करता है। विश्व कल्याण के लिए मूल्यों के बचाव के लिए व्यक्ति में प्यार का होना अनिवार्य है। लेकिन वर्तमान समय में सभी संबंधों में प्यार का स्वरूप बदलता देख सकते हैं। प्यार के नाम पर धोखा देना किसी का शोषण करना आदि मनुष्य के लिए आम बात हो गई है। इसका परिणाम आज समाज में सभी भुगत रहे हैं। इसका कारण समाज में प्यार की कमी है। कवि कुँवर नारायण जी ने अपनी कविता 'इतना कुछ था दुनिया में' में इसकी अभिव्यक्ति प्रस्तुत पंक्तियों के द्वारा की है—

संदर्भ:

1. महादेवी वर्मा, शृंखला की कड़ियाँ, पृ० 113
2. हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल, पृ० 148
3. शिव कुमार श्रीवास्तव — तुम ऋचा हो, पृ० 105
4. प्रयाग शुक्ल — बीते कितने बरस, पृ० 18
5. कुँवर नारायण — हाशिए का गवाह, पृ० 71
6. राजेश जाशी, नेपथ्य में हँसी, पृ० 67
7. कुँवर नारायण, हाशिए का गवाह, पृ० 12
8. कुँवर नारायण, हाशिए का गवाह, पृ० 88
9. रेखा मैत, रिशतों की पगडंडियों, पृ० 20

Name - Manju Bala

Mobile - +91 93151 94510

Mail id - manjubala9291@gmail.com

Address - House no. 1785 ,

Sector 2 Rohtak , Haryana

Pin code 124001



सारांश –

प्रस्तुत शोध आलेख में महान् संत रज्जब की अद्भुत प्रतिभा द्वारा सामाजिक परिवर्तन को विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है, क्योंकि भारतवर्ष में भक्ति आंदोलन की यात्रा सामाजिक परिवर्तन की एक प्रमुख यात्रा रही है, जिसकी प्रमुख कड़ी के रूप में संत रज्जब को भी देखा-परखा जा सकता है। संत रज्जब ने धार्मिक विविधता एवं उसकी सर्वोपरिता के आधार पर विभिन्न खेमों में बंटे हुए विचारों को एक खेमें में लाने का सार्थक प्रयास किया। मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखने के बावजूद भी संत रज्जब का हिन्दू धर्म में विश्वास रखना वास्तव में सर्वधर्म समन्वय को प्रतिस्थापित करता है। संत रज्जब ने आज से 400 सौ वर्ष पूर्व सर्वधर्म समन्वय के साथ मजबूत सामाजिक संबंधों का ताना-बाना बुना था, जो कि आज उत्तर आधुनिकता के पायदान पर भी रज्जब पंथ के रूप में गतिमान है और लोकजन को जीवन का सही फलसफा बताता है। संत रज्जब की सामाजिक विरासत धार्मिक कृत्यों की जगह कर्तव्य की अवधारणा पर आधारित है। संत रज्जब का लेखन कार्य आमजन के जीवन की घटनाओं पर आधारित है। उन्हीं घटनाओं को आधार बनाकर संत रज्जब लोगों को मूल्यों के अनुरूप जीना सिखाते हैं। संत रज्जब का यह कार्य उन्हें एक महान् क्रिया समाज वैज्ञानिक के रूप में स्थापित करता है। आज के परिप्रेक्ष्य में संत रज्जब की सामाजिक विरासत 'रज्जब पंथ' के रूप में स्थापित है। इनकी यह विरासत लोकजन को धर्म एवं जाति के आधार पर तोड़ने का नहीं बल्क जोड़ने का काम करती है।

मुख्य शब्द— विरासत, रंग, ज्ञानीयता, अभिकरण, पुनर्जागरण, अस्पृश्यता, उत्सर्ग, पीठाधीश्वर, निराकार, सुमिरन, भजन, ध्यान, गति-मति, सद्गुरु।

प्रस्तावना – संत रज्जब का जन्म जयपुर के सांगनेर में संवत् 1624 में एक पठान परिवार में हुआ था। इनके पिता राजा भगवंत राय और मान सिंह की सेना में नायक के पद पर कार्यरत थे। रज्जब अपने परिवार में सबसे बड़े थे। यह शारीरिक रूप से बहुत ही स्वस्थ थे। यह आजीवन अविवाहित रहे, क्योंकि जिस दिन इनका विवाह होने वाला था उस दिन एक घटना घटी। रज्जब मौर बाँधकर घोड़े पर सवार होकर बैँड-बाजे और बारातियों के साथ जैसे ही विवाह करने जा रहे थे तभी रास्ते में उनका मिलन संत दादू दयाल से हो गया। वह संत दादू दयाल के गूढ़ ज्ञान के बारे में जानते थे। अतः वह संत से साक्षात् करने के लिए लालायित थे। संत दादू दयाल उस समय ध्यान की मुद्रा में लीन थे इसलिए वार्तालाप संभव नहीं हुआ, ऐसी स्थिति में रज्जब वहीं बैठ गये और फिर बाराती भी रुकने को मजबूर हो गये। क्योंकि दुल्हे के बगैर बाराती जायें तो कहाँ जायें। काफी समय के पश्चात् संत दादू दयाल का ध्यान टूटा तो उन्होंने अपने सामने रज्जब को खड़ा देखा तो सदा-सदा के लिए उन्हें अपना बना लिया और फिर गुरु ने दुनियादारी के चक्कर में न पड़ने की बात करते हुए यह कहा—

रज्जब तैं गज्जब किया, सिर पर बांधा मौर ।

आया था हरि भजन कुं, करे नरक की ठौर ।।1

फिर क्या था रज्जब ने अपने सिर पर बांधा मौर उतारकर वहीं फेंक दिया और अपने छोटे भाई को विवाह करने के लिए बारातियों के साथ कन्या के घर भेज दिया और उसी दिन से रज्जब अपने गुरु दादू दयाल के अनन्य भक्त हो गये। संत रज्जब निःस्वार्थ सेवा, कठिन तपस्या एवं साधना के बल पर कुछ ही समय में वह दादू दयाल केश आत्मीय शिष्य बन गये। इस संदर्भ में परशुराम चतुर्वेदी कहते हैं कि – “संत रज्जब का स्थान संत दादू दयाल के शिष्य में सबसे ऊँचा समझा जाता है।” रज्जब अपनी अनन्य भक्ति के चलते गुरु दादू दयाल के साथ एक छाया की तरह उनके साथ रहने लगे। गुरु के प्रयाण के पश्चात् शिष्य रज्जब ने अपनी आँखें बंद कर लीं। लोगों के लाख समझाने के बावजूद भी रज्जब ने फिर आँखें नहीं खोलीं और कहा कि इस संसार में जो दर्शनीय था उसका दर्शन कर तो लिया अर्थात् इन आँखों ने पूर्णतः का सौंदर्य देख लिया है और अब इस संसार में देखने योग्य बचा ही क्या है।

संत रज्जब की पारिवारिक संरचना पठान परिवार से संबंध रखने के कारण मुस्लिम धर्म के विचारों से पोषित थी। तत्कालीन समय में देश में मुस्लिम आक्रांताओं का बहुत बड़ा हस्तक्षेप था। इन सब पक्षों को दरकिनार करते हुए संत रज्जब ने एक हिंदू धर्मावलंबी व्यक्ति को अपना गुरु बनाया। ऐसी स्थिति में संत रज्जब ने सनातन धर्म के विचारों को पुष्पित और पल्लवित करने का काम किया। लेकिन यह सब करना सूर्य को पूरब की बजाय पश्चिम में उगाने के समान था। मुस्लिम धर्म त्यागकर हिंदू धर्म स्वीकार करने के कारण उन्हें कई लोगों का आक्रोश झेलना पड़ा। जिसमें स्वयं अपने पिता के साथ-साथ अपने सगे संबंधियों व धर्मावलंबियों से भी काफी वैचारिक संघर्ष करना पड़ा। कहने का तात्पर्य यह है कि सनातन जीवन के साथ आगे बढ़ना संत रज्जब के लिए कोई सहज नहीं था। लेकिन कठिन साधना, भक्ति एवं प्रेम के द्वारा उन्होंने अपना उत्सर्ग किया। संत रज्जब के बारे में यह कहा जाता है कि संत दादू दयाल एवं संत रज्जब की अस्मिता एवं पहचान एक-दूसरे पर आश्रित रही है।

भक्ति आंदोलन की एक प्रमुख कड़ी के रूप में संत रज्जब को देखा जाता है। संत रज्जब ने तत्कालीन समय में हिंदू और मुस्लिम के रूप में भेद की एक मजबूत दीवार को पूरी तरह से तोड़ने का प्रयास किया और स्वयं मुस्लिम धर्म से होते हुए भी हिंदू संत दादू दयाल का शिष्यत्व ग्रहण किया। वास्तव में संत रज्जब का यह कार्य मानव-मानव को जोड़ने का काम करता है। तत्कालीन समय में भारतवर्ष पर मुस्लिम हुकूमत का अंतिम दौर था जहाँ तलवार की नोक पर धर्म परिवर्तन हेतु दबाव बनाए जाते थे। ऐसी स्थिति में संत रज्जब का हिंदू धर्म की ओर मुड़ना और हिंदू धर्म के सामाजिक पक्ष को स्वीकार करना उनका एक क्रांतिकारी कदम था। वास्तव में संत रज्जब

ने हिंदू धर्म के सामाजिक पक्ष को स्वीकार करके एक महत्वपूर्ण सामाजिक विरासत को खड़ा किया। संत रज्जब ने अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदू-मुस्लिम के रूप में उत्पन्न दीवारों के साथ-साथ समाज में व्याप्त अस्पृश्यता, छुआछूत, पाखण्ड एवं अंधविश्वास के साथ विविध स्तरों पर करारा प्रहार किया है। संत रज्जब लोकजन के बीच प्राथमिक संबंध कैसे मजबूत हों, साथ ही उनके बीच भेद की खाईयों को कैसे कम किया जा सके। इस कार्य हेतु यह निरंतर प्रयत्नशील रहे। उनका मानना है कि जिस कार्य से समाज को पीड़ा पहुँचे वह पाप है और जिससे समाज को सुख प्राप्त हो वह पुण्य है।

संत रज्जब ने अपने ज्ञान और अस्मिता के बल पर जीवन के वास्तविक मर्म को लोकजन के समक्ष रखा। संत रज्जब ने अपना पूरा जीवन सामाजिक समानता एवं भाईचारे को वास्तविक धरातल पर उतारने के लिए व्यतीत किया। मुस्लिम धर्म के होते हुए भी एक हिंदू पीठाधीश्वर को अपना गुरु स्वीकार करना वास्तव में संत रज्जब का सर्वधर्म समन्वय हेतु एक अहम कदम था। रज्जब के समय में समाज जाति और धर्म के नाम पर विभिन्न खेमों में बटा था। एक ओर सामाजिक भेदभाव चरमोत्कर्ष पर था तो दूसरी ओर लोग एक-दूसरे समुदाय की परछाई से भी परहेज रख रहे थे तथा एक-दूसरे को अपवित्र मानकर उनसे दूर भाग रहे थे। छुआछूत एवं अस्पृश्यता के कारण जनसंख्या का एक बड़ा भाग समाज की मुख्य धारा से अलग-थलग था। ऐसे विषम परिवेश में समानता की बात करना बहुत कठिन कार्य था। इन परिस्थितियों के बावजूद भी संत रज्जब द्वारा लोकजन को एक खेमे में लाने की कोशिश जारी रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। रज्जब लगभग 122 वर्ष का दीर्घायु जीवन जीने में सफल रहे। इन्होंने श्वाणीश एवं श्सर्वगीश नामक दो ग्रंथ लिखे। विक्रम संवत् 1746 में संत रज्जब ने अपने नाशवान शरीर का परित्याग कर दिया और बह्मलीन हो गये।

संत रज्जब की सोच बहुत ही सकारात्मक थी। उनका मानना था कि हम सब ईश्वर की ही संतानें हैं तो भला फिर मानव-मानव के बीच भेद करने का अधिकार किसे है। इन्होंने इस धारणा के माध्यम से जाति-पांति एवं अस्पृश्यता के खिलाफ अपने काव्य के माध्यम से एक अच्छे और सकारात्मक विमर्श को लोकजन के बीच प्रस्तुत करने का काम किया है। संत रज्जब का मन दया और करुणा के भाव से परिपूर्ण था। इस संदर्भ में डॉ. निर्भय शर्मा का मानना है कि— “दया और करुणा का भाव मनुष्यता को परखने की सच्ची कसौटी कही जा सकती है। इसमें किसी को टिप्पणी करने की गुंजाइश नहीं होती।” संत रज्जब ने समाज में व्याप्त अंधविश्वासों एवं धर्मगत भेद को पूरी तरह से खारिज किया है। साथ ही साथ लोकजन को भी इस तरह के अंधविश्वास एवं भेद को स्वीकार न करने के लिए बड़े स्तर पर दिन-प्रतिदिन की घटनाओं से संबंधित रूपकों को उकेरा है।

जिस प्रकार एक कुम्भकार अनेक प्रकार से परिश्रम करके अपने पात्रों के लिए मिट्टी तैयार करता है, ठीक उसी प्रकार से एक श्रेष्ठ गुरु अपनी ताड़ना से शिष्य को निम्न अवस्था से उच्चतम अवस्था की ओर ले जाता है। कुम्भकार मिट्टी को पूजने योग्य बनाता है। गुरु की ताड़ना शिष्य को अन्दर से श्रेष्ठ बनाने का काम

करती है अर्थात् उसे ईश्वर के समीप लाने का काम करती है। जिस प्रकार गुणों से भरपूर कलश को कठोर प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार एक श्रेष्ठ शिष्य बनने के लिए गुरु के सानिध्य में अनेक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। इसे सिद्ध करते हुए संत रज्जब कहते हैं—

सेवक कुंभ कुम्भार गुरु धड़-धड़ काढ़े खोट ।

रज्जब मांही सहाय कर, तब बाहर दे चोट ।2

पारस पत्थर की अपनी एक विशेषता होती है कि उसके सम्पर्क में आने से लोहा भी मूल्यवान हो जाता है। ठीक उसी प्रकार संतों की संगति में रहने से जीव की आध्यात्मिक उन्नति होती है। इसलिए संतों की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि साधारण मनुष्य के सम्पर्क में रहने से हम लोभ, मोह, तृष्णा, माया, निंदा आदि के चक्कर में पड़े रहते हैं। परन्तु संत जन इन सबसे परे हैं। अतः ऐसे जनों की ही संगति करनी चाहिए। इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए संत रज्जब लिखते हैं—

पारस परसत लोह, सौंधे सौं महंगा भया ।

तो क्यों न करीजे मोह, रज्जब सांचे साधु सौं ॥3

संत रज्जब सतगुरु की तुलना लोहार से करते हुए कहते हैं कि एक लोहार लोहे पर प्रहार करते समय यह नहीं सोचता कि यह नष्ट हो जाएगा बल्कि लोहे को उपयोगी बनाने के लिए उसे लगातार तपाकर श्रेष्ठ बनाने का काम करता है। इसी तरह से एक गुरु भी अपने शिष्य को आत्म-संयम, मौन और सांसारिक माया-मोह से दूर रहने के लिए अनेक कठिन साधनाएँ बताते हुए शिष्य को कष्ट देने का अभिप्राय नहीं होता। बल्कि ज्ञानाग्नि से तपाकर ब्रह्मनिष्ठ बनाना ही अभिप्राय होता है। इस संदर्भ में यह उद्धरण पर्याप्त होगा—

कालबूत कसणी भई, सबब साठी जाणि ।

रज्जब तावै तरीगर, त्यों सदगुरु की वाणि ॥4

माया-मोह से भरे इस संसार में एक नट अपने तमाशे से अज्ञानियों को भ्रम में डाल देता है और स्वांग की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। लोग नट के तमाशे में फंसकर मतिभ्रम में पड़ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार बाजीगर रूपी ईश्वर ने इस संसार में माया का प्रपंच रच दिया है। इस असार संसार में कोई जन्म ले रहा है तो कोई जन्म लेकर मर रहा है और आगे भी जन्म होते रहेंगे और उसके साथ मरण भी। जैसे एक वृक्ष में एक पत्ता उत्पन्न होता है और गिर जाता है वैसे ही इस माया रूपी संसार में एक शरीर जन्मता है, एक मरता है, किन्तु दसों दिशाओं में यह संसार रूपी माया मनुष्यों से परिपूर्ण है और यह कभी भी रिक्त नहीं होती। ऐसी माया ईश्वर रूपी बाजीगर ने ही रची है। इस संदर्भ में संत रज्जब जी लिखते हैं—

एक गये नट नाच करि, एक कछे अब आइ ।

जन रज्जब एक आइये, बाजी रची खुदाय ।।5

संत रज्जब ने लगभग जीवन के सभी पक्षों को स्पर्श किया है। इनका लौकिक पक्ष लोकजन के दैनिक जीवन की घटनाओं पर आधारित है। इनका दर्शन कोई गूढ़ नहीं है बल्कि सरल, आकाशिक एवं हृदयग्राही है। लोक प्रसंगों में उन्होंने जगत्,

अध्यात्म एवं दर्शन को खोजने का प्रयास किया है। संत रज्जब का दार्शनिक पक्ष उस कुंभकार की तरह है जो पहले मिट्टी को तैयार करता है अर्थात् मिट्टी के निर्माण के अभाव में हम मिट्टी से बनी वस्तुओं की कल्पना नहीं कर सकते। उसी तरह जब तक हमारा मन, शरीर शोधित न हो जाये तब तक हम स्वयं को ईश्वर से वास्तविक रूप में नहीं जोड़ सकते। संत रज्जब उस ब्रह्म अर्थात् साईं को आकाशवत् मानते हैं। आकाश शून्य है, निराकार है, निर्गुण है, किन्तु उसमें बादल सगुण एवं साकार भाव से प्रकट होते और विलुप्त होते रहते हैं। जो उपजे और विनिष्ट हो वह माया है। इस संदर्भ में संत रज्जब कहते हैं –

रज्जब साईं सुन्नि में, आभा वो औतार ।

सो माया उपजै खपै, पाया भेद विचार ।।6

संत रज्जब के जीवन का आधार सेवा और सत्संग था। उन्होंने अपने काव्य में अनेक स्थलों पर सेवा और सत्संग की चर्चा की है तथा मानव जीवन में इसे सर्वोपरि माना है। उनका मानना है कि सेवा ही जीवन का आधार है और जिस व्यक्ति के हृदय में सेवा का भाव है, तो उसे कोई भी आघात या पीड़ा नहीं पहुँचा सकता। यहाँ तक कि साधु, संत एवं आम लोकजन के लिए सेवा से बड़ा कोई भी कर्तव्य नहीं है। जिसके अंदर सेवा का भाव है वास्तव में वहीं ब्रह्मा की वास्तविक अनुभूति भी है। जिस तरह से राम सबरी के सेवा भाव से उसके जूठे बेर भी खाते हैं, वस्तुतः यही सेवा का असली स्वरूप है। सेवा से जगत् की समस्त सिद्धियाँ प्राप्त की जा सकती हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मा को भी सेवा के द्वारा वश में किया जा सकता है, क्योंकि सेवा और सुमिरन ब्रह्म साधना के लिए नितांत आवश्यक है। गुरु की सेवा और गोविंद का सुमिरन दोनों मिलकर ही उस ब्रह्म का साक्षात्कार कराते हैं।

संत रज्जब का सत्संग भी सेवा भाव पर आधारित है। सत्संग को वे सुमिरन के रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि सत्संग के द्वारा समस्त दुःखों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। भगवान् श्रीकृष्ण ने भी सत्संग को महत्वपूर्ण माना है। वे कहते हैं कि क्लेश और बुराइयों को सत्संग के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है। सत्संग का संदर्भ भगवद्गीता के साथ-साथ रामचरितमानस में भी मिलता है। सत्संग के द्वारा कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी मूल्यवान् बन जाता है। इस प्रकार से देखा जाये तो संत रज्जब ने सेवा, सत्संग एवं उपासना को जीवन में एक महत्वपूर्ण अभिकरण के रूप में स्वीकार किया है और इसके साथ ही यह संदेश भी दिया है कि इसके माध्यम से हम अपने उत्सर्ग के साथ-साथ लोकजन का भी उत्सर्ग कर सकते हैं। सेवा, सत्संग एवं उपासना भगवत् भक्ति के प्रमुख अंग स्वीकार किये गये हैं।

संत रज्जब को निर्गुण संत परंपरा का महान् संत स्वीकार किया गया है। निर्गुण संत परंपरा में योग दर्शन का काफी महत्व है। हमारे प्राचीन धर्मग्रंथों में योग की एक महान् एवं समृद्ध परंपरा का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद एवं गीता के साथ-साथ अन्य धर्म ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। भारतवर्ष की यह एक अमूल्य निधि के रूप में आज हमारे शीर्ष नेतृत्व द्वारा इसको एक वैश्विक मंच प्रदान किया जा रहा है, जो कि भारत एवं भारतवासियों

के लिए एक गौरव की बात है। भारत में योगशास्त्र के आदि पुरुष के रूप में महर्षि पतंजलि का नाम विख्यात है। इस संदर्भ में रज्जब का एक पद बड़ा ही प्रचलित है—

मन तुरग चेतन चढ़े, पवनी पखि सो जाय ।

रज्जब बैठें शून्य में, महि मिलै खुदाय ।7

संत रज्जब का समस्त जीवन दर्शन योग की अवधारणा पर आधारित है। संत रज्जब का मानना है कि ब्रह्म को प्राप्त करना हमारे शरीर और मन द्वारा ही संभव है। ध्यान और योग के लिए धैर्य एवं अभ्यास की महती आवश्यकता है। इसके अभाव में हम अपने इष्ट को प्राप्त नहीं कर सकते। संत रज्जब ने योग को जीवन का महत्वपूर्ण आधार माना है। लेकिन वह कभी भी बाह्य आडंबर स्वीकार नहीं करते। रज्जब का मानना है कि ध्यान जैसा रहेगा गति और मति भी वैसी ही हो जायेगी। इस संदर्भ में रज्जब जी लिखते हैं –

पांच तत्व पचरस, प्राण तत्व धरि ध्यान ।

रज्जब रचे बखानियहि, जेहि ठाहर ठान ।।8

संत रज्जब अवतारवाद को स्वीकार नहीं करते बल्कि वह इस तरह की बातों का सदैव खण्डन करते हैं। उनके विचार से अवतार से यह आशा रखना कि वह भव सागर से पार लगा देगा, केवल भ्रम मात्र है। अवतार तो स्वयं मायाग्रस्त है। रज्जब का ब्रह्म अवतारी ब्रह्मा, विष्णु और महेश से काफी ऊपर है। उनका जीवन दर्शन सामाजिक विरासत एवं लोक व्यवहारों पर आधारित है।

निष्कर्ष –

संत रज्जब 17 वीं शताब्दी के एक क्रांतिकारी लेखक थे, जोकि मानव जीवन के दिन-प्रतिदिन की घटनाओं को आधार बनाकर एक समन्वयवादी व्यवस्था को बनाने हेतु, सामाजिक संबंधों का ताना-बाना बुनते हैं। संत रज्जब अपने मानवतावादी अवदानों में धर्मों की सर्वोपरिता जैसी वैचारिकी के कारण विभिन्न खेमों में बंटे लोकजन को एक खेमे में लाने की कोशिश करते हुए दिखते हैं। वास्तव में ये उनकी महत्वपूर्ण सामाजिक विरासत है। संत रज्जब द्वारा स्वयं मुस्लिम धर्मावलंबी होने के बावजूद भी हिंदू धर्म को स्वीकार करके एक हिंदू पीठाधीश्वर को अपना गुरु बनाना धार्मिक सौहार्द का ऐसा प्रतीक है। जो कि उत्तर आधुनिकता के पायदान तक मिट नहीं पाया बल्कि वह सौहार्द की यात्रा आज भी देखी जा सकती है। संत रज्जब का आज भौतिक शरीर नहीं है, लेकिन उनके विचार श्रज्जब पंथ के रूप में सम्पूर्ण भारतवर्ष में जीवन्त हैं। जो कि हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य एवं सौहार्द का प्रतीक है। यह शोध आलेख अवश्य ही भविष्य में एक मुस्लिम कवि की छवि को उजागर करने वाला सिद्ध होगा।

संदर्भ ग्रंथ –

1. रज्जब बानी, टीकाकार स्वामी नारायणदास, पृ० सं० 04, नारायण प्रकाशन, अजमेर, राजस्थान।
2. रज्जब बानी, संपादक डॉ० ब्रजलाल वर्मा, पृ० सं० 19, उपमा प्रकाशन, प्रा०लि० कानपुर।

3. वही, पृ०सं० 206
4. वही, पृ०सं० 19
5. वही, पृ०सं० 228
6. संत कवि रज्जब (संप्रदाय और साहित्य) डॉ ब्रजलाल वर्मा, पृ० सं० 125, प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, राजस्थान ।
7. वही, पृ० सं० 140
8. वही, पृ०सं० 149

डॉ० निर्भय शर्मा

असिस्टेंट प्रोफेसर (हिन्दी)

संघटक राजकीय महाविद्यालय भदपुरा,

नवाबगंज,

एम०जे०पी० रुहेलखंड वि०वि०बरेली,

पिन कोड-262406 (उ०प्र०)

मो० न० 9634160016

Email&dr-nirbhaysharma@gmail-com



सारांश –

साहित्य व समाज का गहरा संबंध है। साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। साहित्यकार प्रत्येक स्तर पर समाज से जुड़ा हुआ होता है। समाज में जो कुछ भी घटित होता है वही साहित्यकार की रचना का विषय बन जाता है। कहानी समाज की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। वर्तमान युग में कहानी ने प्रमुख विद्या के रूप में अपनी लोकप्रियता अर्जित की। प्रत्येक मनुष्य अनेक विधाओं का अध्ययन करता है, परन्तु किसी एक विधा में उसकी विशेष रुचि होती है। कहानी पढ़ना मेरी भी प्रिय विधा रही है। हिन्दी साहित्य जगत की प्रसिद्ध लेखिका डॉ० ज्ञानी देवी गुप्ता की रचनाएं इनके अध्ययन काल से ही प्रकाशित हो रही हैं। अपनी सृजनात्मक क्षमता के आधार पर इन्होंने समाज को श्रेष्ठ रचनाएं देने का प्रयास किया है। लेखिका ने समाज व परिवार के बारे में गहराई से चिंतन किया। लेखिका ने इस कहानी संग्रह में नैतिक मूल्यों की चर्चा की है साथ-साथ नैतिक मूल्यों को विघटित होते दिखाया है।

मूल्य

मनुष्य समाज की सर्वश्रेष्ठ कृति है। मनुष्य की यह श्रेष्ठता मूल्य पर आधारित है। क्योंकि मूल्य ही किसी वस्तु को मूल्यवान बनाता है। मूल्य कभी भी विनिष्ट या जर्जर नहीं होते। वह प्रत्येक युग तथा समाज में विद्यमान होते हैं। मूल्य की प्रक्रिया लंबी है। मूल्य की प्रक्रिया को प्रकृति द्वारा दी गई रक्त प्रक्रिया के समान कहा जा सकता है। मूल्य के द्वारा ही सभ्यता व संस्कृति का निर्माण होता है।

भारतीय विचारकों का मूल्य संबंधी दृष्टिकोण

मूर्तहरि ने “मूल्यों को नैतिक गुणों के रूप में स्वीकार किया है। इसके अभाव में मानव को पशु माना है तथा उसे धरती का बोझ भी कहा है। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि मनुष्य में विद्या, तप, भील धर्म इत्यादि गुण होने चाहिए किंतु मानव यदि सर्वगुण संपन्न हो गया तो वह देव तुल्य हो जाएगा। मनुष्य में कुछ ही गुण पाए जाते हैं।”

डॉ० हुकुमचंद ने मूल्यों को आवश्यक मानते हुए कहा – “जीवन को सम्यक एवं संयमित ढंग से चलाने के लिए विचारकों ने अनुभव किया कि जीवन के कुछ मानदंड रहने चाहिए। उन्हीं के आधार पर मूल्यों की बात की जाने लगी और जीवन के आंतरिक एवं बाह्य आव यकताओं पर कुछ कसौटियां बनाई गई।”

मूल्य शब्द मूल+यत् धातु से निष्पन्न है। यह शब्द वैल्यू का पर्यायवाची है। अर्थशास्त्र में यह शब्द बाजार दर के अर्थ विनिमय के एक आवश्यक प्रतिमान के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। मानवीय क्रियाओं में आचार व्यवहार में अच्छाई या शिवतत्व का क्या मूल्य है नीति शास्त्र में उस पर विचार किया गया है।

मूल्य किसी भी मनुष्य के अस्तित्व के लिए अत्यंत आव यक है। मूल्यों के कारण ही मनुष्य पशु से अलग समझा जाता है। यदि मनुष्य अपने जीवन में नैतिक मूल्यों को न अपनाए तो वह आज भी आदिमानव की श्रेणी में रहे। मूल्य निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान परिवार व समाज का होता है। मूल्य निर्माण में परिवार पहली सीढ़ी है। परिवार में रहकर ही बच्चा अपने मूल्य की पहचान करता है व नैतिक अनैतिक को समझता है। परिवार के बाद मूल्य निर्माण में समाज का महत्वपूर्ण स्थान है। समाज में रहकर नैतिक मूल्यों में परिपक्वता आ जाती है।

मूल्य विघटन

मूल्य विघटन का अर्थ होता है दो वस्तुओं के मूल्यों की तुलना करना। मूल्यांकन उस वस्तु के मूल्य पर निर्भर करता है जिससे तुलना की जाती है। उदाहरण के लिए किसी भी दो व्यक्ति में तुलना करने के लिए उनकी उम्र व शिक्षा अनुभव और कार्य के अधिकतम मूल्य को विवेचित किया जाएगा।

विघटन का शाब्दिक अर्थ : किसी वस्तु या तत्व के संयोजक अंगों का इस प्रकार घटना या नष्ट होना कि उसका अपना अस्तित्व ही नष्ट हो जाए। मूल्य परिवर्तन युग परिवर्तन के साथ होना स्वभाविक है। मूल्य परिवर्तन देश व समाज के अनुसार बदलते रहते हैं। जो मूल्य आज समाज में नैतिक प्रतीत होते हैं वह कुछ दिन बाद समाज में अनैतिक प्रतीत होते हैं। समाज में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मूल्यों का होना अति आवश्यक है। समाज का नैतिक पतन हो रहा है। आज समाज द्वारा मूल्यों की उपेक्षा की जा रही है। मूल्य विघटन के कारण समाज अवनति की तरफ अग्रसर हो रहा है। मूल्य विघटन के इस युग में ईमानदार व्यक्ति को संघर्ष पीड़ा व निराशा का सामना करना पड़ता है। आधुनिक युग में मूल्य विघटन की प्रक्रिया बढ़ती जा रही है। जिसके कारण कही युद्ध कही लूटपाट जैसी प्रवृत्तियां देखे को मिल रही हैं। अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। अपराधी लोग बेगुनाह लोगों की हत्या कर रहे हैं।

विघटन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। मूल्य विघटन कही न कही मानवता के लिए बाधक सिद्ध हो रहे हैं। विघटन की इस प्रक्रिया के कारण मनुष्य दिशाहीन व लक्ष्यहीन हो गया है। आज के इस भौतिकतावादी युग में प्रत्येक व्यक्ति अपने तक सीमित हो गया है। समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई मनुष्य का विघटन हो रहा है। व्यक्ति के विघटन के कारण समाज का विघटन हो रहा है।

गोविन्द चन्द पाण्डे के अनुसार – “समाज या समुदाय के स्तर का विघटन हो रहा है। निर्धनता बेकारी व भ्रष्टाचार का संबंध मानव समुदाय से है जो संपूर्ण समाज को अपनी चपेट में ले रहा है।

सामाजिक विघटन के कारण राजनीतिक विघटन हो रहा है। राजनीति भी छल व शोषण का माध्यम बन गई है। राजनीति भ्रष्टाचारी बन बैठे हैं। वे भ्रष्टाचार को शिष्टाचार मानने लगे हैं। त्याग की राजनीति के स्थान पर केवल स्वार्थ सिद्धि का मार्ग अपनाया गया है।

आज विघटन प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक है। जीवन व समाज का कोई भी क्षेत्र इससे अछूता न रह सका।

आज की युवा पीढ़ी अपने संस्कारों को भूलती जा रही है। नैतिक मूल्यों में दिन प्रतिदिन गिरावट आ रही है। आज प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने तक सीमित है किसी को किसी के दुख: सुख: में जाने के लिए भी समय नहीं है। “अनुभव की दहलीज पर” कहानी संग्रह का प्रकाशन 2018 में हुआ। यह लेखिका का तीसरा कहानी संग्रह है। इस संग्रह में कुल 19 कहानियां हैं। जिसमें अनेक कहानियों के माध्यम से नैतिक मूल्यों का हनन किया गया है—

वंश का चिराग — कहानी के माध्यम से माँ-बाप पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के कष्ट उठाते हैं। बेटे की चाहत के लिए वे लगातार चार बेटियों को जन्म देते हैं। जिस बेटे को वे वंश का चिराग समझते हैं वह बेटा शादी के बाद उन्हें छोड़ कर दिल्ली चला जाता है। एक दिन अचानक नेकचन्द की तबीयत खराब हो गई तो चिराग अपने पिता को दिल्ली ले जाने के लिए आया। पिता ने दिल्ली जाने से इंकार कर दिया। माँ-बेटे में गहरी नोक-झोंक हुई। गिरते हुए मानवीय मूल्यों को निम्न पंक्ति में में दिखाया गया है—

“आशा के विपरीत माँ-बेटे में तीखी नोक-झोंक और बहस हुई और बिना कुछ खाये-पिये चिराग वहां से रुखसत हो गया। नेकचंद किकर्तव्यविमूढ़ में बैठा रहा, हैरान बेटे की इस हरकत पर बेटा बाप की भावनाओं को नजरअंदाज कर रहा था”

“नेकचन्द की बुरी किस्मत। वही पर उन दोनों पर अत्याचार होने भुरु हो गए। बेटा, माँ बाप से अजनबीपन जैसा व्यवहार करने लगा।”

आज के इस युग में बूढ़ों के प्रति अनादर रुष्ट व्यवहार बढ़ता जा रहा है। औद्योगिकरण ने भी कही न कही नैतिकता का हनन किया है। औद्योगिकरण के कारण आज की युवा पीढ़ी महानगरों की ओर जा रही है। नगरीय जीवन व पश्चिमी सभ्यता के कारण भी नैतिक मूल्य का हनन हुआ।

दो मंजिला मकान — कहानी के माध्यम से दिखाया गया है कि किस तरह एक पिता अपनी सारी जिंदगी केवल इसलिए कमाता है ताकि वह अपने बेटे को पढ़ा सके और नौकरी लगा सके।

वही बेटा पढ़ाई के बाद विदेश जाने की तैयारी कर लेता है और विदेश जाकर विवाहित स्त्री से विवाह कर लेता है। गुरवीन अपनी माता के अंतिम संस्कार पर भी नहीं आता।

“बेटे के गम में बेअन्त की पत्नी बिस्तर पकड़ लिया और

कुछ दिन बीमार रहकर इस नश्वर संसार से मुक्ति पा ली। बेटा माँ की मृत्यु पर विदेश से न आ सका। बेटे को देखने की चाह उसके मन में ही रह गई।”

कहानी में गुरवीन के पिता अन्त और उसकी माता राजेन्द्र कौर सारी जिंदगी पाई-पाई जोड़कर बेटे की हर इच्छा पूरी करते हैं परंतु बेटा विदेश में जाने के बाद उनके अंतिम संस्कार पर भी न आ सका।

आज बच्चों में अशिष्टता पनप रही है। जिसका कारण परिवार व समाज ही है। परिवार ही बच्चे का निर्माण करता है। परिवार द्वारा जो संस्कार उसे दिए जाते हैं वह उन्हीं संस्कारों का अनुसरण करता है। इसलिए बच्चों को अच्छे संस्कार व नैतिक मूल्यों का ज्ञान देना आवश्यक है। परंतु आधुनिकता के इस युग में बच्चों को संस्कार देना भूल रहे हैं। आज के युग में माता-पिता भी पा चात्य सभ्यता से प्रभावित होकर उच्चता की भावना का विकास करते हैं। बच्चों में मूल्य, त्याग अनुशासन संयम आदि गुण काफी दूर चले गए।

संस्कार — संस्कार कहानी में मोहन के माध्यम से दिखाया गया है कि मोहन किस तरह अनैतिकता के कारण अपनी माता प्रेमा के देहांत पर भी नहीं आता बल्कि वह संदेश भेजता है—

“मैं नौकरी में अत्यधिक व्यस्त रहने के कारण नहीं आ पाऊंगा, हो सके तो माँ की चिता की राख थोड़ी कोरियर करवा देना”

कहानी में दिखाया गया है किस तरह माता-पिता को देवताओं से मन्त्र करने के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और वही पुत्र वृद्धावस्था में उनके काम नहीं आ पाता। रूपानारायण को अफसोस होता है कि उन्होंने बेटे को सुख-सुविधाएं गो आराम दिया परंतु संस्कार देना भूल गए। उन्हें पश्चयाताप होता है कि उसे संस्कार भी देने चाहिए थे।

आज प्रत्येक युवा स्वार्थ से भरा हुआ है। एक ही माता-पिता की संतान में कोई आपसी स्नेह नहीं है। भाई ही भाई का दुश्मन हो गया है।

वक्त की आँख मिचौली — कहानी में दिखाया गया है कि किस प्रकार बेअन्त एक संयुक्त परिवार बनाए रखता है। परंतु उनके बच्चों की आपस में नहीं बनती। दोनों पुत्र एक दूसरे को देखकर भी खुश नहीं हैं।

“खून सफेद हो रहा था। एक दिन माता-पिता की संतान एक दूसरे के दुख: दर्द में शामिल नहीं हो रहे थे। वहां भी अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे थे”।

निष्कर्ष

मूल्य मानव जीवन व समाज का महत्वपूर्ण अंग है। परंतु आधुनिकता के इस युग में मूल्यों में परिवर्तन तीव्र गति से हो रहा है।

परिवर्तन ही नहीं मूल्यों का हनन भी। लेखिका ने तत्कालीन समाज में व्याप्त विषमताओं व समस्याओं का चित्रण किया है। लेखिका ने समाज के जिस भी बुरे पहलू को देखा उसके प्रति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रहार किया। इनके साहित्य में वो भावित है जो सामाजिक बुराईयों का प्रहार तो करती ही है साथ ही साथ विरोध करने की दिशा भी प्रदान करती है। लेखिका ने नव आशा की उम्मीद भी दी है क्या हुआ अभी अंधेरा है वह दिन भी आएगा जब उजाले की किरण चमचमाती हुई सामने दिखाई देगी।

संदर्भ सूची

1. गोविंद मिश्र की कहानियों में मूल्य विघटन का तात्पर्य, मोहन राकेश, पृ० 113
2. हुकुमचंद, आधुनिक काव्य में नवीन जीवन मूल्य, भारतीय संस्कृत भवन जलंधर, 1970, पृ० 2
3. मूल्य मीमांसा गोविन्द चन्द पांडे, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, 1973, पृ० 31
4. डॉ० ज्ञानी देवी गुप्ता, वंश का चिराग, 2018, पृ० 16
5. वही, पृ० 17-18
6. वही, दो मंजिला मकान, पृ० 45
7. डॉ० ज्ञानी देवी गुप्ता संस्कार, पृ० 52
8. डॉ० ज्ञानी देवी गुप्ता, वक्त की आँख मिचौली, पृ० 65

शिवानी यादव

मो० नं० – 9990578272

कमरुद्दीन नगर, नांगलोई, नई दिल्ली 110041

ई-मेल – Shinurao0046@gmail.com



सारांश –

भगवान श्री राम जी का मंदिर अयोध्या में उनकी जन्म भूमि के स्थान पर बनाया जा रहा है। अयोध्या नगरी को रामनगरी और साकेत नगरी भी कहा जाता है और यह सरयू नदी के तट पर बसी हुई पवित्र नगरी है। अयोध्या को पहले कोसल नाम से भी जाना जाता था। यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी है तथा इस पवित्र नगरी अयोध्या को रमाकाव्य के अनुसार श्री रामजी के जन्म और राजा दशरथ के शासन के कारण सात पवित्र शहरों में से सबसे पवित्र शहर माना जाता है। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या बेजान हो गई थी लेकिन भगवान का अस्तित्व अभी भी विद्यमान था। अयोध्या में ही त्रेता युग में भगवान राम जी अवतरित हुए प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान राम विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि राम जी के जन्म स्थान पर एक मंदिर था जिसे मुगल सम्राट बाबर के द्वारा हटा दिया गया था। राम जी के इसी जन्म स्थान पर आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और इस जन्मस्थान के कारण यह मंदिर सम्मान का पात्र है। यह मंदिर श्री राम जी को समर्पित है और भगवान राम जी से जुड़ी सांस्कृतिक विरासत को दिखाता है। इस स्थान को प्राचीन काल से ही हिंदुओं के आध्यात्मिक स्थल के रूप में मान्यता दी गई है लेकिन बड़े ही दुर्भाग्य की बात है की भगवान राम के पवित्र अस्तित्व रूपी इस मंदिर को न जाने कितनी बार बहुत सारी विवादास्पद परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ा है। आईये कुछ आधारभूत तथ्यों के साथ भगवान राम के मंदिर की विवादित यात्रा से लेकर आज की स्वर्णिम यात्रा तक का वर्णन करते हैं और इस विवाद को समझने का प्रयास करते हैं।

विवादित यात्रा:

जैसा कि ऊपर बताया गया है कि राम जन्मभूमि पर एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है लेकिन इस राम मंदिर के अब तक के इतिहास का अगर वर्णन करें तो यह मंदिर बहुत से विवादों से होकर गुजरा है। वास्तव में मंदिर का अस्तित्व ही विवाद का विषय है। मंदिर विवाद राजनीतिक, ऐतिहासिक विवाद होने के साथ साथ एक सामाजिक एवम धार्मिक मुद्दा भी रहा है जो 1990 में सबसे ज्यादा उभर कर सामने आया। वास्तविक तौर पर यह हिंदुओं के मन्दिर और मुसलमानों की बाबरी मस्जिद से संबंधित था। विवाद इस बात को लेकर था कि कहीं बाबरी मस्जिद को हिंदू मंदिर को ध्वस्त करके तो नहीं बनाया गया था या फिर मंदिर को ही मस्जिद का स्वरूप दिया गया था।

वर्ष 2003 में पुरातात्विक विभाग के द्वारा किए गए सर्वे में यह बात निकलकर सामने आई है कि जहां बाबरी मस्जिद थी वहां पर मंदिर के होने के संकेत मिले हैं बाबरी मस्जिद का निर्माण मुगल शासक बाबर के द्वारा वर्ष 1528 में राम मंदिर को गिराकर कराया गया था। लेकिन असली विवाद 23 दिसंबर 1949 को आरंभ हुआ जब भारतीय

पुरातत्व सर्वेक्षण ने उस स्थल की खुदाई की और खुदाई के दौरान भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई और प्रमाण के रूप में प्राचीन मंदिर के संकेत मिले। इस तरह से मूर्तियां मिलने के बाद हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम साक्षात् प्रकट हुए हैं जबकि मुसलमानों ने इसे आरोपित मानते हुए झूठा करार कर दिया और तर्क देते हुए कहा कि रात रात में किसी के द्वारा मूर्तियां वहां रख दी गई हैं। 1950 तक राज्य सरकार ने धारा 145 के अंतर्गत मस्जिद पर नियंत्रण कर लिया और मुसलमानों की बजाय हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दे दी गई।

यूपी सरकार ने इस विवाद को खत्म करने के लिए मूर्तियां हटाने का आदेश दे दिया लेकिन श्री के के नायर जिला मजिस्ट्रेट ने इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई क्योंकि उन्हें हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने का डर था। इसके बाद सरकार ने इसे विवादित मुद्दा मानते हुए इस मुद्दे को वहीं समाप्त कर दिया तथा स्थल को ताला लगा दिया गया।

वर्ष 1984 वह वर्ष था जब विश्व हिंदू परिषद स्थल पर मंदिर बनवाने के लिए आगे आया। वर्ष 1986 में यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला न्यायाधीश के एम पांडे ने हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दे दी और स्थल पर वर्षों से लगे ताले को हटाने का आदेश दिया। प्रारंभ में उत्तरप्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने इस बात पर सहमति जताई कि मंदिर का शिलान्यास विवादित स्थान से कहीं अलग अन्य स्थान पर किया जाएगा लेकिन 9 नवंबर, 1989 में विवादित स्थान के बगल में 7 फीट गहरा गड्ढा खोद कर आधारशिला रखी जिस पर गर्भगृह का सिंहद्वार बनवाया गया।

1992 का वर्ष दंगों को लेकर आया जब वी.एच.पी और शिवसेना के साथ अन्य हिंदू संगठनों ने उस विवादित स्थल को गिरा दिया जिससे देश में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए और यह हिंसा हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच कई महीनों तक चलती रही जिसमें तकरीबन 2000 मौतें हुईं और पूरा भारतीय उपमहाद्वीप हिंसा की आग में जल उठा। 5 जुलाई 2005 को उस स्थान पर जहां मस्जिद गिराई गई थी आतंकवादियों ने हमला कर दिया और अस्थाई राममंदिर को ध्वस्त कर दिया गया हालांकि सीआरपीएफ के द्वारा हमलावरों को मार गिराया गया था लेकिन आतंकवादियों के द्वारा किए गए ग्रेनेड हमले में एक नागरिक की मौत हो गई। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अयोध्या में विवादित स्थल को तीन बराबर बराबर जिसमें बांटने का आदेश दे दिया जो सुन्नी फक्क बोर्ड, रामलला विराजमान तथा निर्मोही अखाड़ा के बीच आबंटित होना था लेकिन 2011 में इस फैसले पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। 8 मार्च 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्था के लिए भेजा और 8 सप्ताह के अंदर इस कार्यवाही को खत्म करने को कहा लेकिन मध्यस्था पैनल मामले का समाधान निकालने में सफल न हो सका। इसके बाद 9 नवंबर 2019 का दिन

राम मंदिर के पक्ष में फैसले का दिन था जब सुप्रीम कोर्ट ने 2.77 एकड़ जमीन हिंदू पक्ष को और 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष को देने का आदेश दिया। 134 साल की यह कानूनी लड़ाई सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से खत्म हो गई जब पूर्व चीफ जस्टिस श्री रंजन गोगोई की अध्यक्षता में पांच जज वाली बैंच के द्वारा निर्णय लिया गया। 5 फरवरी, 2020 का दिन वह दिन था जब संसद में घोषणा की गई कि विवादित स्थल पर राममंदिर बनाने की योजना को स्वीकर कर लिया गया और मार्च 2020 में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा श्री राम मंदिर के निर्माण का पहला चरण शुरू किया गया लेकिन कोरोना महामारी के आ जाने से मन्दिर का निर्माण स्थगित कर दिया और मूर्ति को उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की निगरानी में अस्थाई तौर पर किसी अन्य स्थान पर ले जाया गया। इसी वर्ष 5 अगस्त, 2020 को राम मंदिर के भूमि पूजन का काम आरंभ किया गया जिसमें देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ में सबसे पहले दर्शन किए और फिर भूमि पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया तथा तब से यह दिन श्री राम मंदिर के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। अंततः 2023 में अब एक बार फिर से श्री राम की जन्म भूमि अयोध्या में भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है जिसका प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी 2024 को हुआ और यह दिन सालों साल से चले आ रहे राम मंदिर विवाद को समाप्त करके अयोध्या को एक स्वर्णिम दिशा की और अनवरत कर रहा है। वर्तमान में निर्माणाधीन मन्दिर की देखभाल श्री राम मंदिर जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा की जा रही है।

स्वर्णिम यात्रा:

आज अयोध्या एक स्वर्णिम अयोध्या के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। राम—राम के जाप से अयोध्या का प्रत्येक स्थान पवित्र हो गया है तथा जगह—जगह भगवा रंग की उपस्थिति से इस नगरी की छटा देखते ही बनती है। मंदिर में प्रार्थना मंडप के शिखर का निर्माण भी पूर्ण हो गया है जबकि कीर्तन मंडप निर्माणाधीन है मंदिर में पांच उप शिखर और एक मुख्य शिखर को मिलाकर कुल छह शिखर होंगे व इसी के साथ साथ मंदिर के गूढ़ व मुख्य मंडप के शिखर एवम द्वितीय तल का निर्माण भी आरंभ होगा और राम मंदिर के निर्माण से अयोध्या के विकास के दरवाजे हमेशा के लिए खुल चुके हैं। अयोध्या में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा में निर्मित हो चुका है तथा चार नव पुनर्विकसित चौड़ी सड़कें जिनका नाम रामपथ, भक्ति पथ, धर्मपथ और श्री राम जन्मभूमि पथ का निर्माण किया गया है जिनका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में किया जाना है। इसके अलावा हाईवे तथा रेलवे लाइन दोहरीकरण से संबंधित परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाकर पीएम मोदी जी ने अयोध्या को नई सौगात दी है। उनके अनुसार श्री राम मंदिर का आव्हान ना केवल अयोध्या में, ना केवल भारत देश में बल्कि पूरे विश्व में गूंजेगा और राम मन्दिर इस देश की परंपराओं के प्रतिबिंब के रूप में उभर कर सामने आएगा। राम मंदिर के निर्माण से उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग को नई—नई चुनौतियों को स्वीकार करके का अवसर मिला है। आज 25 रामस्तंभ, 40 सूर्य स्तंभ के साथ साथ 180 प्रसंगों के भित्ति चित्रों से अयोध्या को सजाया गया है और इस नगरी को एक सांस्कृतिक छवि देने की कोशिश की गई

है। मंदिर की भूकंपरोधी संरचना की अनुमानित आयु 2500 वर्ष तय की गई है 322 स्तंभ एवम 44 दरवाजे मंदिर की शोभा में चार चांद लगाते हैं। इन दरवाजों पर सोने की परत चढ़ाई गई है और मंदिर का घंटा विभिन्न धातुओं से बनाया गया है जिसका वजन 2100 किलो ग्राम है। इस घण्टे की आवाज 15 किलोमीटर तक सुनाई देती है मंदिर के गर्भ गृह में श्री राम जी बालरूप में विद्यमान हैं। तीन तल वाले इस मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार है। मूर्तियां गंडकी नदी से लाई गई शालिग्राम से बनी हैं। मंदिर के आधार पर 21 फीट मोटा ग्रेनाइट का चबूतरा बनाया गया है ताकि नमी से मंदिर की रक्षा की जा सके। नींव के निर्माण के लिए कर्नाटक और राजस्थान से लाए गए ग्रेनाइट और गुलाबी बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। मंडप जिनमें नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप व कीर्तन मंडप मंदिर के मुख्य आकर्षण हैं। मंदिर की परिधि पर चारों कोनों पर भगवान गणेश, मां भगवती, सूर्यदेव तथा शिव भगवान के मंदिरों का निर्माण नियोजित है। उत्तरी और दक्षिणी दिशा देवी अन्नपूर्णा और हनुमान जी के मंदिरों से सुशोभित हो रही है एवम कुंड की अगर बात करें तो मंदिर के परिसर में देवी सीता कुंड भी बनाया गया है। श्री राम जी का यह मंदिर ना केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि वास्तुशिल्प की अद्भुत कलाकृति का भी साक्षी है। मंदिर की दक्षिण पश्चिम दिशा में भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है तथा जटायु की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। मंदिर के मुख्य गर्भ गृह में श्री राम जी बाल रूप में विराजमान हैं। मेडिकल कॉलेज, अस्पतालों और यहां तक कि द्वारों के नाम भी रामायण काल से ही उठाए गए हैं। अयोध्या में मंदिर के निर्माण एवम प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर राज्य सरकार ने भक्तों के लिए स्वास्थ्य और चिकित्सा व्यवस्था को बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराया है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए उत्तरप्रदेश सरकार ने 100 करोड़ रुपए की लागत निर्धारित की थी।

निष्कर्ष:

अंततः मंदिर के इतिहास से लेकर वर्तमान तक की यात्रा, एक विवादित यात्रा से स्वर्णिम यात्रा तक के सफर के रूप में रही जिसमें यह यात्रा न जाने कितनी बार विपदाओं से भरी थी और आज स्वर्णिम मोड़ पर आकर समाप्त हो गई जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह (भगवान की प्रतिमा को जीवंत करना) 2024 के प्रथम महीने की दिनांक 22 (22.01.2024) को अयोध्या में हुआ जिसके लिए देश के कोने कोने से प्रत्येक देशवासी अपना अपना योगदान देकर और अपने सपने को साकार कर इस उत्सव का साक्षी बना एवम इस दिन को उसी प्रकार मनाया गया जिस प्रकार त्रेता युग में जब भगवान राम लंका के राजा रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे थे और अयोध्यावासियों ने यह दिन दीपावली के रूप में मनाया था। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या को श्री राम जी के रंग में रंग दिया गया। ना केवल देश से बल्कि विदेशों से भी राम भक्तों ने इस दिन अयोध्या में आकर अपने आपको कृतार्थ किया। मंदिर की छटा देखते ही बन रही थी। इसके साथ साथ ही पूरी अयोध्या भी किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रही थी। जैसे ही प्राण

प्रतिष्ठा आरंभ हुई उसी समय हेलीकॉप्टर से पुष्पों की बरसात इस प्रकार से की गई जैसे त्रेता युग में श्री राम जी के आने पर स्वर्ग से देवताओं ने की थी। यह दिन सनातन प्रेमियों के लिए किसी त्यौहार से कम नहीं था क्योंकि 24 जनवरी को उनके अंदर वही उत्साह व भक्ति और वही प्रेमभाव विद्यमान था जैसे कि दीपावली पर्व मनाते वक्त मौजूद होता है। निश्चयात्मक तौर पर यह मंदिर अयोध्या को एक आध्यात्मिक विरासत और भगवान राम की अमर प्रसिद्धि के रूप में पहचान दिलाएगा। इस स्वर्णिम यात्रा के विकास का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी जी को भी जाता है जिनके प्रयासों से आज देश का प्रत्येक नागरिक गर्वित अनुभव कर रहा है। भगवान राम से प्रार्थना है कि अपने आशीर्वाद की छटा सदैव हमारे देश पर बिखरते रहेंगे एवम भगवान राम जी की महिमा को रामचरित मानस की कुछ पंक्तियों द्वारा दर्शाया गया है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई।

संदर्भ:

1. <https://www.dnaindia.com/hindi/india/news-ram-temple-security-commandos-are-prepared-in-azamgarh-ram-mandir-latest-news-4106482/amp>
2. <https://www.hindimai.in/ram-mandir-ke-bare-mein/>
3. <https://www.timesnowhindi.com/cities/ayodhya-ram-mandir-crane-view-of-under-construction-shri-ram-janmabhoomi-article-105355184/amp>
4. <https://www.bhagwanbhajan.com/shree-ram/ayodhya-ram-mandir.php>
5. <https://zeenews.india.com/hindi/religion/ayodhya-ram-mandir-latest-update-in-hindi-these-gods-and-goddesses-will-sit-with-ram-ji-in-ayodhya/2035806/amp>
6. https://navbharattimes.indiatimes.com/state/uttar-pradesh/ayodhya/ram-mandir-ayodhya-history-from-1528-to-2020/amp_articleshow/77365875.cms
7. <https://www.livehindustan.com/astrology/story-ram-mandir-facts-10-big-questions-related-to-ram-temple-you-would-also-like-to-know-the-answers-9229725.amp.html>
8. <https://www.amarujala.com/amp/ram-mandir/ayodhya-ram-mandir-inauguration-judicial-journey-of-shri-ram-janmabhoomi-dispute-ram-mandir-vivad-ka-itihis-2023-12-30>
9. [https://www.abplive.com/news/india/ayodhya-verdict-ram-mandir-pran-pratishtha-foreigners-book-](https://www.abplive.com/news/india/ayodhya-verdict-ram-mandir-pran-pratishtha-foreigners-book-reference-helped-to-prove-ram-mandir-2591323/amp)

[reference-helped-to-prove-ram-mandir-2591323/amp](https://www.abplive.com/news/india/ayodhya-verdict-ram-mandir-pran-pratishtha-foreigners-book-reference-helped-to-prove-ram-mandir-2591323/amp)

10. <https://indianexpress.com/article/explained/ram-temple-at-ayodhya-a-200-year-journey-with-many-milestones-9120892/>
11. https://m-hindi.webdunia.com/sanatan-dharma-history/ram-mandir-ayodhya-120123100021_1.html?amp=1
12. <https://www.jagran.com/uttar-pradesh/ayodhya-ram-mandir-ayodhya-more-than-3-lakh-people-took-ramlala-darshan-on-26-january-23639046.html>
13. https://www-pilgrimage-tour-in.translate.google/blog/history-ram-mandir-ayodhya/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=hi&_x_tr_hl=hi&_x_tr_pto=tc
14. <https://housing.com/news/hi/ayodhya-ram-mandir-everything-you-need-to-know-hi/>
15. <https://uptourism.gov.in/hi/article/ayodhya>
16. <https://www.amarujala.com/amp/lucknow/ayodhya-if-you-go-to-ayodhya-not-only-ram-temple-then-also-see-these-6-mythological-places-2024-01-27>

Ms. Niti Nagar

Assistant Professor

Department of commerce

Ms. Gargi Sharma

Assistant Professor

Department of commerce

D.A.V. Centenary college Faridabad

E mail: nihunagar1999@gmail.com & gargi.sharma1081@gmail.com



सारांश

भूमण्डलीकरण का भारतीय जीवन और भाषा पर कुप्रभाव पड़ना अंग्रेजों के शासन काल में भी शुरू हो गया था। भारतीय लोग जब अंग्रेजी सेवा में आ जाते थे, तो अंग्रेजों की तरह अंग्रेजी और हिंदी (एंग्लिकन हिंदी) दोनों बोलने का प्रयास करते। कार्यस्थल पर तो अंग्रेजीवस्त्र पहनते ही थे, घर पर भी अंग्रेज ही बने रहने की कोशिश करते थे। उनका घर अंग्रेजों के बंगले की संस्कृति का हुआ करता था। वे आम भारतियों को कीड़ा-मकोड़ा समझते थे। पुलिस थाने में अजीब हिंदी-इंग्लिश का सम्मिश्रित रूप बहुत प्रचलित था, जो हास्यास्पद था। आज वैसी ही 'हिंग्लिश' बहुत से कथित 'आधुनिकपरिवारों' में प्रचलित है, जो वास्तव में उनके पिछड़ेपन का बोध कराती है। महानगरों के विश्वविद्यालयों में भूमण्डलीकरण के प्रभाव में अजीबो गरीब हिंदी भाषा कहें या अंग्रेजी भाषा कहें बोली जाती है—'अपुन सॉलिड लड़की को आज लिक्विड में चेंज कर दिया। 'बिच' हंड्रेड परसेंट कड़क थी टुडे बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो गई।' इसे न हिंदी कह सकते हैं और अंग्रेजी। सम्बोधन के शब्द भी भद्दे और गलीच हो गए हैं— लड़के लड़कियों को खुलेआम 'सेक्सी', 'सिजलिंग', 'लेग्गी', और लड़कियाँ लड़कों को 'हॉट', 'ब्लडी', 'किल्लर' आदि कह कर पुकारती हैं— लड़कियों के लिए प्रयुक्त शब्द 'सेक्सी', 'सिजलिंग', 'लेग्गी' पश्चिम में कभी वेश्याओं के लिए प्रयुक्त होते थे।

पुस्तकों के शीर्षक बहुत महत्व के होते हैं, जो पुस्तक की सम्पूर्ण वस्तुओं को समग्रता में प्रतिध्वनित करते हैं। भूमण्डलीकरण के प्रभाव में अब प्रतिष्ठित लेखकों की साहित्यिककृतियों के शीर्षक या नाम पर एक नजर डालें— ममता कालिया की, 'सपनों की होम डिलीवरी (उपन्यास)', अलका सवरगी का 'एक ब्रेक के बाद', सरलामाहेश्वरी की 'कैलेण्डर ऑफ लव' (कविता संग्रह), प्रदीप सौरभ की 'मुन्नी मोबाइल' (उपन्यास), कमल कुमार का 'पासवर्ड' (उपन्यास) आदि। ये शीर्षक बताते हैं कि पुस्तकों के अन्दर क्या 'डिलीवर' किया गया होगा, और क्यों किया गया होगा! हिंदी भाषा के रूप-स्वरूप को भूमण्डलीकरण ने एक भद्दा दे दिया है, और ये शीर्षक उनपर करारा व्यंग्य करते हैं। प्रदीप सौरभ के उपन्यास 'मुन्नी मोबाइल' का यह अंश देखें—

"शाम को आनन्द भारती की मुन्नी से मुलाकात होती है। अगली सुबह मोबाइल की घंटियाँ बज रही थीं।

'साहब, आप भी अपना नम्बर सेव कर दीजिए।' मुन्नी ने मिठास भर चहकते हुए कहा।

'इसमें तो अंग्रेजी में नम्बर सेव हो सकता है।' उनका सीधा सा जवाब था।

'तो क्या ! मैं नंबर को चीन्ह लूंगी। देखो, गिनती नहीं आती है, फिर भी मैं चीन्ह कर आपको फोन कर लेती हूँ...'।

आनन्द भारती ने उसके मोबाइल में अपना फोन नम्बर सेव कर दिया। इसके बाद वह लोगों को मिस काल देने लगी। मिल कॉल का

खेल समझने में उसे देर नहीं लगी।" 1

इस उद्धरण से स्पष्ट होता है कि हिंदी भाषा पर अंग्रेजी का मुलम्मा चढ़ाया जाना बहुत पहले से शुरू हो गया था, जब लोग अपना पैसा बचाने के लिए मिस कॉल किया करते थे। अनपढ़ लड़की मुन्नी अंग्रेजी न जानती हुई भी 'सेव' का अर्थ जानती थी, और युगीन 'मिस कॉल का खेल' समझ गई थी। यानी पश्चिमी भाषा और भाषाई संस्कृति की ओर झुकाव मात्र पढ़े-लिखे साहबों को नहीं हुआ था, बल्कि अनपढ़ लोगों को भी हो गया था। भाषाई विकृति का वैसे इतिहास हिंदी क्षेत्र में बहुत पहले से रहा है— आम लोग चाहते हैं कि वे अंग्रेजी जब भी बोलें शुद्ध ही बोलें, लेकिन हिंदी के हर वाक्य में टांग तोड़ने की प्रवृत्ति तो उनकी पुश्तैनी है। दिलीप तेतारवे के उपन्यास 'एक काल खंड की यात्रा' भूमण्डलीकरण की प्रवृत्तियों पर ही आधारित है। इस उपन्यास के एक अंश द्रष्टव्य है—

"साहब, किस्सा सुनना—सुनाना कौन चाहता है...लेकिन स्टोरी सुनने के लिए हर आदमी के कान खड़े रहते हैं। अब किसकी तरह मत पूछिएगा! लेकिन कान तो खड़े रहते हैं। बॉस का किससे अफेयर चल रहा है? मिसकिट्टी किस-किस को किस दे रही है? और ऐसे हर सवाल पर आदमी के कान खड़े रहते हैं, रेड अलर्ट पर रहते हैं। साहब, स्टोरी पर तो पुलिस के लोग हों या इंटेलेजेंस के लोग, उनके भी कान खड़े रहते हैं, भले आतंकियों के मामले में उनके कान डाउन रहते हैं।" 2

इस छोटे-से व्यंग्यात्मक उद्धरण में यह कहा गया है कि आज कहानी कोई नहीं पढ़ता—सुनता—सुनाता है, लेकिन 'गॉसिप' में या 'स्टोरी' सुनने में सबका इंटेरेस्ट है। यह सत्य है कि आधुनिक माँ अब लोरियाँ बच्चों को नहीं सुनाती, नानी—दादी बच्चों को कहानियाँ नहीं सुनाती। अब बच्चे प्रकृति के गीत नहीं गाते— सूरज, चाँद, सितारों, नदी, पहाड़, वन, उपवन, हरियाली आदि से दूर कर दिए गए हैं, और अब वे अंग्रेजी के 'राइम्स' सुना दें तो माँम—डैड हैप्पी—हैप्पी हो जाते हैं! इस उद्धरण में कई शब्द अंग्रेजी के हैं और विवेचना में भी, कारण स्पष्ट है मूल में तो युगीन हिंदी है, तो उसकी विवेचना में अंग्रेजी मिश्रित हिंदी पर व्यंग्य या कहें विवेचन व्यंग्य पर व्यंग्य है— यह खिचड़ी भाषा है, लेकिन यही भाषा तो भूमण्डलीकरण में के युग में बोली जा रही है— विशेष कर महानगरों में।

भूमण्डलीकरण के प्रभाव में भाषाई विकृति मात्र अंग्रेजी के सम्मिश्रण से नहीं हुआ है। पश्चिम के उपन्यासों और कहानियों में गालियों से भरी गलीचभाषा होती है। इस प्रकार की भाषाओं वाले अनेक उपन्यास और कहानी हिंदी में भी इस युग में आ गए भी हैं। पद्मश्री डॉ. ज्ञान चतुर्वेदी के उपन्यास 'हम न मरब' में 'बैचो' काढाई सौ से अधिक बार प्रयोग किया गया है। इस गाली के आलावा और भी गालियाँ हैं। यह उपन्यास भारतीय भाषा की संस्कृति और लालित्य के विपरीत है। इस उपन्यास से एक उद्धरण देखते—

“अच्छा डॉक्टर साब, तुम तो हमें जे बताओ जे रस्साली जिन्दगी होती क्या है? बताओ, बताओ? तुमने तो भैया इत्ती बड़ी पढ़ाई करी है। डॉक्टरी के मोटे-मोटे पोथे पढ़े हैं। पर कभी हम जैसा चूतिया तुमसे यह पूछे कि जे बताओ कि जिन्दगी होती क्या है, तो क्या ठीक से बता पाओगे? नहीं बतला पाओगे न? जिन्दगी को समझ को लाने कोई किताब नहीं पढ़नी पड़ती है भैया; जिन्दगी जीनी पड़ती है। वर्ना बैठे-बैठे तो तुम लाख पोथियाँ पढ़ डालो— तुम्हारे चूतड़ में भट्टे पड़ जाएँगे बैठे-बैठे, पर जिन्दगी को कभी न समझ पाओगे।”³

क्या यह भाषा कथा भाषा है? इस भाषा में कोई कला का चिन्ह है? क्या यह हिंदी भाषा का विकृत रूप नहीं है? 344 पेज के इस उपन्यास में प्रति पेज औसतन एक गाली है जो स्त्रियों की मान-सम्मान पर चोट करती है— ऐसी भाषा में लिखित साहित्य समाज में हितकारी कैसे हो सकता है? इस उपन्यास में बूढ़ेबब्बा की फेवरिट गालियाँ युवा और बच्चे भी प्रयोग करते हैं। इसी उपन्यास में बब्बा मर जाता है और उसका शव पड़ा हुआ है और घर की वार्ता में लगे उनके बेटे और पोते उनकी फेवरिट गालियों से उनको संबोधित करते हुए अपनी-अपनी खुदगर्जी की बात करते हैं। एक बच्चा ने जैसे ही बताया कि उसकी दादी रो रही है तो उसके बाप रज्जन ने आदेश दिया—

“बे रो रई हैं न ? तो रोने दो उन्हें। तुमजाके भैंचो, पुत्तल को कहीं से ढूँढ़ लाओ।”⁴

यह आदेश बाप अपने बेटे को दे रहा है। ऐसी भाषा किसी गाँव में बोली जाती होगी—लेकिन साहित्य का काम है, माटी के लोदे को मनुष्य की प्रतिमा में बदलना, लेकिन यहाँ तो बच्चों को गालियों का पाठ तो बाप ही बेटे को दे रहा है। इस उपन्यास के बच्चे भी बब्बा के प्रिय गालियों का बखूबी करते हैं।

भूमण्डलीकरण के युग में लोगों के नाम का अंग्रेजीकरण भी उपन्यासों में दिख जाता है। यह प्रवृत्ति भी हिंदी कथा साहित्य में पश्चिम से उठी भूमण्डलीकरण की आँधीपर सवार होकर आई है। डॉ. पुष्पपाल सिंह ने उषा प्रियम्बदा के उपन्यास ‘अंतर्वशी’ की विवेचना करते हुए लिखा है—

“बनारस की चुनमुन का वनश्री, बाँसुरीतथा वाना तक का सफर एक कस्बाई परिवेश और मनोवृत्ति की लड़की का दुनिया के सबसे ‘मॉडर्न’ शहर के नागरिक के रूप में रूपांतरण वस्तुतः भूमण्डलीय परिवेश में आदमी के धीरे-धीरे पूरी तरह ढल जाने की प्रतीति कराता है।”⁵

पुष्पपाल सिंह, 952 पेज

भारत में भी किसी-किसी व्यक्ति के नाम तोड़े-मरोड़े जाते थे, यथा गोलकनाथ गोलू हो जाता था, पुकारू या दुलार के नाम भी हुआ करता था, लेकिन शोर्ट नेम ‘गोक’ नहीं हुआ करता था, उसकी माँ का दिया नाम कभी भुलाया नहीं जाता था, लेकिन पश्चिम में आदमी के मूल नाम की जगह नाम के नए नाम गढ़े जाते हैं— उसी प्रकार हिंदी में भी, अब अंग्रेजी के अक्षरों या अजीबों गरीब नाम से पुकारने का प्रचलन भूमण्डलीकरण के युग में प्रारंभ हुआ है। ‘अंतर्वशी’ की एक लड़की का पहला पुकारू नाम चुनमुन था, माँ ने वनश्री कहा, तो स्कूल में उसका नाम बाँसुरी हो गया और अमेरिका पहुँची तो उसका

नाम ‘वाना’ हो गया, जो उसके किसी भी तीन नामों से नहीं मिलता—जुलता है। ‘वाना’ से अंग्रेजियत की बू आती है। राजू शर्मा के उपन्यास ‘विसर्जन’ जो भारतीय परिदृश्य की कथा है, में लोगों के नाम में परिवर्तन या लघुकरण पर सुन्दर विमर्श है। एक उद्धरण देखें—

“एसार यानी एसआर—इंटेलीजेन्सब्यूरो में उसका यही नाम प्रचलित था, जहाँ वह पिछले तीन साल से निदेशक है। जेडी(एसआर)— दफ्तर में फाइलें, नोट्स, मेमो उसके पास इसी पदनाम से आते जाते थे। फाइलों की मार्किंग से नाम बनते देर नहीं लगी।”⁶

एसार यानी एसआर, पदनाम जेडी और माँ का दिया नाम—रोबिन्द्र सेन गायब हो गया! पश्चिम में पहले लोगों का नाम उपनाम से शुरू करते हैं तो इस हिसाब से गोबिन्द्र सेन, सेन रोबिन्द्र हुआ, फिर शोर्ट नेम के रूप में एसआर हुआ, फिर एसआर को और लघु रूप दे एसार बना दिया गया। सेन का पदनाम था एसोसिएट डायरेक्टर लेकिन इस शोर्ट फॉर्म जेडी बना दिया गया! ‘जे’ कहाँ से आया कहा नहीं जा सकता लेकिन उसके विभाग में जेडी ही उसे कहा जाता है। माँ का दिएनाम कोदिमाग से ओझल करने की प्रक्रिया भूमण्डलीकरण के युग में भारत आई। इसी सन्दर्भ में कमल कुमार के उपन्यास ‘पासवर्ड’ का पहला पाराग्राफ देखें—

“हाय! चलो आज तुम्हारा नया नामकरण कर देती हूँ, आशीष। तुम्हारे नाम से मिलता जुलता ही है। यों भी तुम्हें कितने नाम दे रखे हैं। कान्स्टीपेडिट... ब्लॉटिंगपेपर, सेनिटरी पेड।”⁷

एक लड़की, अपने साथी लड़के को उसके असली नाम की जगह कान्स्टीपेडिट ब्लॉटिंगपेपर, सेनिटरी पेड कह कर पुकारती है, बिना किसी शर्म और संकोच के। इस प्रवृत्ति में जहाँ हिंदी साहित्य में अंग्रेजी ऐसे शब्दों को प्रयोग नैतिक स्तर या सांस्कृतिक स्तर पर दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है, वहीं हिंदी भाषा को ये शब्द अपवित्र करते हैं। हिंदी साहित्य की भाषा कभी भी इतने नीचे स्तर पर नहीं गिरी होगी। अनामिका के उपन्यास ‘तिनके तिनके पास’ में दूर होते पारिवारिक रिश्तों की जगह नए रिश्तेदार पैदा हो गए जो चौंकते हैं—

“कंप्यूटर दादा, मोबाइल दादी, टेलीविजन बुआ, कोचिंग चाचा बस मम्मी औ डैडी—बस इतनी सी जिनकी दुनिया हो— वृहत्तरविश्व की— वृहत्तर विश्व की वर्चुअल रिएलिटी उन्हें एक निकट मायानगरी का कैदी बना लेती है...”⁸

एक ओर यह दावा किया जाता है कि भूमण्डलीकरण के दौर में विश्व एक ‘ग्लोबल गाँव’ बन गया है, लेकिन आदमी सिमट गया है अपनी खोली में। दूसरी ओर उसके नाते—रिश्ते खत्म हो गए हैं (यथा दादा—दादी, चाचा—चाची, मौसा—मौसी आदि) और आज के युवा वर्ग के लिए परिवार के सदस्य के रूप में कंप्यूटर दादा, मोबाइल दादी, टेलीविजन बुआ, कोचिंग चाचा बस मम्मी औ डैडी शेष रह गए हैं! इस उद्धरण में जहाँ हिंदी भाषा या कथाभाषा को हानि पहुँची है, वहीं समाज और परिवार की बुनावट भी प्रभावित होती दिखती है।

निष्कर्ष:

स्त्री-विमर्श के नाम पर स्त्रियों को नंगा करने की प्रवृत्ति कुछ कथाकारों में भूमण्डलीकरण के युग में पश्चिम से आई है तो कथा लेखन की नीति और उद्देश्य भी कुछ साहित्यिक पत्रकारों ने बदल दिए हैं। कथा साहित्य में अश्लीलता, भद्दीभाषा और भद्दे विवरण आज सामान्य हो गए हैं। प्रेमचंद ने साहित्य को समाज सुधार का औजार बनाया तो आज के भूमण्डलीकरण के तो आज कुछ कथाकार उसे 'समाजबिगाड़' का औजार बना रहे हैं— बिकाऊ बनने के लिए! भूमण्डलीकरण के दौर में दुनिया भर में कथा भाषा को अभद्र रंग-रोगन देने में सिद्धहस्त बहुत से कथाकार हैं।

संदर्भ—

1. प्रदीप सौरभ, मुन्नी मोबाइल,आईएस बी एन 978-93,5000-055-7, वाणी प्रकाशन दरियागंज, नईदिल्ली-2,पृष्ठ-11
2. डॉ. ज्ञान चतुर्वेदी, हम न मरब,2014, राजकमल प्रकाशन, दरियागंज, नई दिल्ली-2, पृष्ठ-19
3. डॉ. ज्ञान चतुर्वेदी, हम न मरब,2014, राजकमल प्रकाशन, दरियागंज, नई दिल्ली-2, पृष्ठ-46
4. पुष्पपाल सिंह, भूमण्डलीकरण और हिंदी उपन्यास, 2015,राधाकृष्ण प्रकाशन, दरियागंज, दिल्ली-2, पृष्ठ-152
5. राजू शर्मा, 'विसर्जन', 2009, राधाकृष्ण प्रकाशन, दरियागंज, दिल्ली-2, पृष्ठ-14
6. कमल कुमार, 'पासवर्ड',2009, सामयिक प्रकाशन, दिल्ली-2, पृष्ठ-7
7. अनामिका,'तिनके तिनके पास', 2008, वाणी प्रकाशन, दिली-2,, पृष्ठ-167
8. पुष्पपाल सिंह, भूमण्डलीकरण और हिंदी उपन्यास, 2015,राधाकृष्ण प्रकाशन, दरियागंज, दिल्ली-2, पृष्ठ-192

संपर्क सूत्र

डॉ० वर्षा शालिनी कुल्लू

सहायक प्राध्यापिका,

हिन्दी विभाग,

शेस्सनर कॉलेज राँची,

मो० नं० 7765925197

पलैट नं०-2/,

ब्लॉक ,, आसरी रसिडेन्सी

दिनकर नगर, गितिलपीडी,

हटिया, राँची - 834003



शोधसार :

संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से भारतीय समाज में होने वाले परिवर्तन समाज को समझने के लिए प्रमुख भारतीय समाजशास्त्री एम. एन. श्रीनिवास का प्रमुख योगदान है। श्री निवास रैडकिल्फ ब्राउन के परम शिष्यों में से एक माने जाते हैं। श्रीनिवास ने सन् 1942 में रैडकिल्फ ब्राउन के सुझाव पर मैसूर के रामपुरा गांव का अध्ययन किया था। उनके विषय थे श्रविवाह और परिवारश्च उनकी यह पुस्तक मैरिज एण्ड फैमिली इन मैसूर के नाम से जानी जाती है। प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण का प्रमाण श्रीनिवास की पुस्तक श्ररिलिजन एण्ड सोसायटी अमंग दि कूर्गस आफ साउथ इन्डिया श्र है। श्रीनिवास ने इस पुस्तक में धर्म के सम्बंध को वृहद सामाजिक संगठन के सन्दर्भ में देखा है।

श्री निवास सामाजिक परिवर्तन को धर्म के साधे जोड़ते हैं। कहीं भी यह नहीं देखने कि राज्य और धर्म का क्या तालुक है। उनके अध्ययन का केन्द्र संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण है। समाजशास्त्र में श्रीनिवास की ख्याति उनकी अवधारणाओं के लिए है। कूर्ग के अध्ययन में उन्होंने श्रसकृतिकरण की प्रक्रिया की महत्वपूर्ण समझा। पहले इन्होंने उसका ब्राहमणीकरण किया और बाद में परिवर्तन कर संस्कृतिकरण का नाम दिया। उनकी दूसरी प्रकार्यात्मक अवधारणा प्रभुजाति की है। इसका उद्भव रामपुरा गांव की अध्ययन सामग्री से है। यह गांव दक्षिण कर्नाटक का है। इस गांव में उन्होंने उच्च जातियों और अभिजन का अध्ययन किया। अतः हम यहां पर श्री एम एन. निवास द्वारा बताई गई प्रभुजाति का वर्णन कर रहे हैं। 1.

मूलशब्द— प्रभुजाति, रामपुरा, संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक, दृष्टिकोण, एम. एन. श्रीनिवास ग्रामीण,

परिचय—

श्रीनिवास का जन्म 1916 में हुआ था। उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय से 1936 में सामाजिक दर्शनशास्त्र में बी.ए.(आनर्स) किया तथा अपनी स्नातकोत्तर उपाधि बम्बई विश्वविद्यालय से जी०एस०घुरिये के सानिध्य में प्राप्त की। बाद में आप उच्च अध्ययन के लिए ब्रिटेन गए। जहां आपने रैडकिल्फ ब्राउन और इन्वास प्रिचार्ड जैसे महान मानवशास्त्रीयों के सन्सर्ग में रहकर आगे की पढ़ाई पूरी की। कर्नाटक में उनके मूल निवास स्थान का लगाव और उनका शोध गांव रामपुरा का आकर्षण आखिरकार उन्हें बेंगलूर खींच लाया। इससे पहले आक्सफोर्ड में शिक्षा प्राप्त करने के बाद आपने भारत में आकर बड़ौदा में एम०एस० विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के एक नए विभाग की स्थापना की। इसके पश्चात रामपुरा में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन संस्थान की स्थापना की। इस संस्था के अध्यक्ष पद पर रहते हुए आपने समाजशास्त्र, सामाजिक मानवशास्त्र और यहां तक कि अर्थशास्त्र के बीच के अन्तर को पाटने का प्रयास किया। 1999 में श्री एम ०एन० निवास स्वर्ग सिंघार गए।

श्री निवास की प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं—

- 1-Marriage and Family in Mysore (1942)
- 2- Religion and Society Among the Coorgs of South India (1952)
- 3- India's Village (1955)
- 4- Caste in Modern India and others Essays (1962)
- 5- The Dominate caste and others Essays (1986)
- 6-The Cohesive Role of Sanskritization (1989)
- 7- Sociology in Delhi (1993)
- 8- Village]caste]Gender and Method (1996)

1. प्रभु जाति की अवधारणा (Concept of Dominant Caste).

प्रभु जाति का उदय—एम.एन. श्रीनिवास ने मैसूर में रामपुरा गांव की सामाजिक व्यवस्था के विश्लेषण में एक नई अवधारणा प्रस्तुत की जिसे प्रभु जाति की अवधारणा कहा जाता है। श्रीनिवास के अनुसार प्रभु जाति भारतीय ग्रामीण समाज में सर्वव्यापी है अर्थात भारत के विभिन्न भागों में देहाती जीवन की एक विशेषता है—प्रभुता सम्पन्न भू—स्वामी जातियों की उपस्थिति। आज यह अवधारणा भारतीय शक्ति संरचना को समझने के लिए वाद—विवाद का विषय बनी हुई है।

एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार किसी भी जाति को प्रभु जाति तभी कहा जाता है जबकि इस जाति के सदस्यों की संख्या अन्य जातियों की अपेक्षा अधिक हो तथा इसके पास आर्थिक तथा राजनीतिक सत्ता हो। एक बड़ा तथा शक्तिशाली जाति समूह सरलता से प्रभुता सम्पन्न हो सकता है अगर इसको सामाजिक स्तर स्थानीय जातीय संस्तरण में अधिक निम्न नहीं है।

सन् 1959 में प्रो० एम०एन०श्रीनिवास ने मैसूर के गांव रामपुरा के अध्ययन के दौरान प्रभु जाति की अवधारणा को विकसित किया और इसके सहारे उन्हें ग्रामीण प्रभुत्व को समझने में मदद मिली है। भारत के ग्रामीण जीवन में आज भी नवीन संरचनात्मक प्रतिमान विकसित हुए हैं, उन्हें प्रभु जाति की अवधारणा के आधार पर सफलतापूर्वक समझा जा सकता है।

जाति व्यवस्था से सम्बंधित संरचनात्मक परिवर्तन का एक नवीन दृष्टिकोण प्रभु जाति की अवधारणा है। प्रभु जाति की अवधारणा गांव की राजनैतिक व्यवस्था, शक्ति एवं न्याय और प्रभुत्व को समझने में भी योगदान देती है। प्रभु जाति के लिए अन्य अनेक शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। इसमें प्रभाव जाति,प्रबल जाति, प्रभुता सम्पन्न जाति अधिक शब्द प्रचलित हैं। यह सभी एक ग्रामीण समुदाय के अन्तर्गत किसी ऐसे जाति समूह का बोध कराते हैं जिसने गांव में आपसी सम्बंधों तथा ग्रामीण एकता को एक बड़ी सीमा तक प्रभावित किया है। प्रभु जाति की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए प्रो० श्रीनिवास ने लिखा है किष्क जाति को प्रभु जाति तब कहा जाता है,जब यह संख्यात्मक आधार पर किसी गांव अथवा स्थानीय क्षेत्र में शक्तिशाली

हो तथा आर्थिक एवं राजनैतिक रूप से अपने प्रभाव का प्रबल रूप से प्रयोग करती हो, यह आवश्यक नहीं है कि परम्परागत जातीय व्यवस्था में वह सर्वोच्च जाति के रूप में ही हो।

इसका तात्पर्य है कि किसी जाति को प्रभु जाति अथवा प्रबल जाति केवल तभी कहा जा सकता है जब उसके सदस्य संख्या में इतने अधिक हों कि वे गांव की अन्य जातियों पर अपना प्रभुत्व रख सकते हों तथा एक प्रभावशाली आर्थिक और राजनैतिक इकाई के रूप में कार्य कर सकते हों। यदि ऐसे बड़े और शक्तिशाली जाति समूह का स्थान सम्पूर्ण जाति व्यवस्था में बहुत निम्न नहीं होता तो वह सरलता से एक प्रबल जाति अथवा प्रभु जाति के रूप में बदल जाता है। वास्तव में प्रभु जाति की अवधारणा को समझते समय सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि गांव में प्रभुता का आधार क्या है? अथवा ये कौन सी विशेषताएं हैं जिनके आधार पर किसी जाति-समूह को प्रभु जाति कहा जा सकता है? 3.

प्रभु जाति की विशेषताएं (Features of Dominant Caste)

1. जनसंख्यात्मक शक्ति (Demographical Stenth)—प्रभु जाति का सर्वप्रथम आधार उसकी संख्यात्मक शक्ति है। प्रभु जाति गांव में अथवा क्षेत्र में अन्य जातियों की अपेक्षा अधिक संख्या में होती है। संख्या में अधिक होने से वह अन्य जातियों पर अल्पसंख्यक जातियों को उसकी शक्ति के सामने झुकना पड़ता है और कई बार तो प्रभु जाति उन पर अत्याचार भी करती है। अल्पसंख्यक जातियां ऐसी स्थिति में प्रभु जाति का विरोध भी करती हैं।

2. प्रशासनिक स्थिति (Administrative Status)—यह देखा गया है कि गांव में जिस जाति के अधिक सदस्य हों विभिन्न श्रेणियों की प्रशासनिक सेवाएं प्राप्त कर लेते हैं वही जाति कुछ समय के बाद गांव में प्रभु जाति बन जाती है। इसका कारण यह है कि एक ओर ऐसी जाति के लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में अधिक सुविधाएं मिलने लगती हैं तथा दूसरी ओर अन्य जातियों पर उनका मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दबाव स्थापित हो जाता है।

3. जातिय संस्तरण में उच्च स्थिति (Higher Status in Caste Hierarchy)—प्रभु जाति के लिए यह आवश्यक है कि वह जाति व्यवस्था में अपना ऊंचा स्थान रखती हो। कोई भी निम्न जाति नहीं पायी गयी है क्योंकि सामाजिक संस्तरण में जातियों की पवित्रता और अपवित्रता एक महत्वपूर्ण पक्ष रहा है। कई बार एक निम्न जाति संख्या में अधिक होने अथवा आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न होने पर भी गांव में प्रभु जाति का स्थान इसलिए नहीं ले पायी कि वह संस्तरण में निम्न स्तर पर है।

4. आधुनिक शिक्षा एवं नवीन व्यवसाय (Modern Education and New Occupations)—गांव में प्रभु जाति अन्य जातियों की अपेक्षा अधिक शिक्षित होती है। वह नवीन व्यवसाय और नौकरियों में लगी होती है। शिक्षित होने के कारण उसका सम्पर्क राजकीय अधिकारियों से होता है। इन सब बातों का अन्य जातियों पर प्रभाव पड़ता है और वे प्रभु जाति का दबदबा मानती है।

5. राजनैतिक प्रभुत्व (Political Dominance)—भारत की वर्तमान प्रजातान्त्रिक व्यवस्था में किसी भी वर्ग के राजनैतिक प्रभुत्व का निर्धारण उसकी सदस्य संख्या के आधार पर होता है। किसी

विशेष क्षेत्र में जिस जाति के लोगों की संख्या जितनी अधिक होती है, वह उस क्षेत्र की शक्ति—संरचना में उतनी ही उच्च स्थिति ग्रहण कर लेती है। व्यवहारिक रूप से आज भारत के प्रत्येक भाग में वे जातियां ही प्रभु जातियों के रूप में पायी जाती हैं जिनके पास राजनैतिक सत्ता को प्रभावित करने की शक्ति है।

उत्तर भारत में इन प्रभु जातियों को अजगर नाम से सम्बोधित किया जाता है, क्योंकि ये जातियां अपनी शक्ति से अन्य जातियों को अपने में मिला लेती हैं। ये जातियां क्रमशः अरू—अजगर, जरू—जाट, ग रू—गुज्जर, र रू—राजपूत हैं जिन्हें समन्वित रूप से अजगर कहा जाता है। इस प्रकार अनेक राज्यों में कुछ जातियां अपने राजनैतिक प्रभुत्व के कारण प्रभु जाति के रूप में मान्य हैं।

6. आर्थिक सम्पन्नता (Economic well & Being)—परम्परागत रूप से ग्रामीण समाज में आर्थिक सम्पन्नता का निर्धारण केवल भू-स्वामीत्व के आधार पर होता है परन्तु आज केवल आर्थिक रूप से भूमि का स्वामी होना ही किसी व्यक्ति अथवा जाति की श्रेष्ठता की कसौटी नहीं है। उदाहरण के लिए आज भी गांवों में अनेक बड़े भू-स्वामी हैं, लेकिन कृषि के नवीन साधनों का उपयोग न कर सकने के कारण वे अपनी परम्परागत स्थिति को बनाए रखने में सफल नहीं हो सके हैं। ऐसी स्थिति में प्रभु जाति के निर्धारण में पुराने जमींदारों की अपेक्षा उस वर्ग को अधिक ऊंची स्थिति प्राप्त हो गई है, जिन्होंने आर्थिक जीवन में अधिक सफलता प्राप्त की है। गांवों का यह सम्पन्न वर्ग चाहे किसी भी जाति से सम्बन्ध रखता हो, उसका ग्रामीण नेतृत्व तथा गांवों के निर्णयों में कहीं अधिक महत्व दिखाई देता है।

7. भू-स्वामित्व (Land Ownership)—प्रो० श्री निवास ने अपने अध्ययन के आधार पर यह ज्ञात किया है कि किसी भी गांव अथवा क्षेत्र में केवल वही जाति-समूह प्रभु जाति बन पाती है जिसके पास गांव की कृषि योग्य भूमि के एक बड़े भाग पर स्वामित्व हो। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी भू-स्वामित्व परम्परागत प्रभुता को निर्धारित करने वाला महत्वपूर्ण तत्व है। के० एल० शर्मा ने अपने अध्ययन के आधार पर यह स्पष्ट किया कि बोवारी गांव में जाट और गुज्जर जाति प्रभु जातियां हैं। यहां गांव की सम्पूर्ण 750 एकड़ भूमि में से 383 एकड़ भूमि पर जाटों और 200 एकड़ भूमि पर गुज्जर जाति का स्वामित्व है।

8. सम्पूर्ण गांव की एकता, न्याय और कल्याण के लिए कार्य (Administration of Justice Unity and Welfare of the Community as a whole)—प्रभु जाति गांव की एकता को बनाए रखने में योग देती है और ऐसे कार्य करती है जिससे सारे गांव में झगड़े निपटाने एवं न्याय का कार्य भी करती हैं। प्रभु जाति अन्य जातियों के नियमों का सम्मान करती हैं। अन्य जातियों के विवाद हल करने के लिए प्रभु जाति के वयोवृद्ध व्यक्तियों के पास लाए जाते हैं। प्रभु जाति निष्पक्ष और तटस्थ होती है। सार्वजनिक उत्सवों एवं सभाओं में प्रभु जाति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्पष्ट है कि प्रभु जाति अपनी संख्या, उच्च सामाजिक स्थिति, आर्थिक सम्पन्नता, राजनैतिक शक्ति, शिक्षा आदि के कारण गांव में प्रभुत्ववाली मानी

जाती है।

उपर्युक्त प्रभु जाति की विशेषताओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रभु जाति के विभिन्न आधारों में भी समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। ब्रिटिश काल से पूर्व प्रभुजाति का निर्धारण जिन आधारों पर होता था, ब्रिटिश काल में वे आधार पूर्णतया बदल गए। इसी प्रकार ब्रिटिश काल में जो आधार महत्वपूर्ण थे, उनके स्थान पर अब नये आधार प्रभु जाति की कसौटी बन गये हैं। अतः स्पष्ट है कि प्रभुजाति स्वयं एक परिवर्तनशील अवधारणा है। 4.

ग्रामीण सामाजिक-राजनीतिक जीवन में प्रभुजाति का महत्व (Importance of Dominant Caste in Rural Socio&political Life)

ग्रामीण भारत के अधिकांश भागों में भू-स्वामी किसान जातियाँ हैं, जिन्हें हम प्रभु जातियों कहते हैं। उत्तर भारत में गाँव के लोग प्रभु जातियों को अजगर (अहीरज जाट, गुर्जर, र-राजपूत) का नाम देते हैं जो दलित अल्पसंख्यक जातियों में प्रजातियों के आतंक का सूचक है।

अजगर चार प्रभु जातियों के प्रथम अक्षर को लेकर बना शब्द है। ये जातियाँ हैं— (1) अहीर, (2) जाट, (3) गुर्जर तथा (4) राजपूत पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में सद गोप, गुजरात में पाटीदार और राजपूत, महाराष्ट्र में मराठा, आन्ध्र में कम्मा और रेडी, मैसूर में ओक्कालिग और लिंगायत, मद्रास में बेल्लाम, गोंडार, पंडेयाची और कत्ता तथा केरल में नायर, सिरियाई ईसाई और इजवन प्रभु जातियाँ हैं।

प्रभु जातियों का ग्रामीण समाज में विशेष महत्व है क्योंकि ग्रामवासियों का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन इनके द्वारा काफी सीमा तक प्रभावित होता है। ग्रामीण सामाजिक, राजनीतिक जीवन का विश्लेषण इस जाति की उपेक्षा करके नहीं किया जा सकता। प्रभु जाति का प्रभाव सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों तक, पंराक्रम तथा दत्तक विधान के सिद्धान्तों जैसी मूलभूत बातों तक फैला हुआ जान पड़ता है। प्रभु जाति की सर्वोच्चता का प्रभाव अन्य जातियों के सम्बन्धों पर पड़ता है। श्रीनिवास का कहना है कि इसी कारण पंजाब के कुछ भागों में बाट भू-स्वामी ब्राह्मणों को अपना सेवक समझते हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश में माधोपुर के गाँव में किसी समय प्रभुतासम्पन्न ठाकुर अपने गुरुओं और पुरोहितों के अतिरिक्त अन्य किसी ब्राह्मण के हाथ का बना सेवन नहीं खाते थे। मैसूर राज्य के रामपुरा गाँव में लोग राम मन्दिरों के ब्राह्मण पुजारी की हँसी उड़ाते थे। प्रभु जातियों ग्रामीण सामाजिक संगठन को बनाए रखने में सहायता देती है तथा ग्रामीण समाज में नेतृत्व प्रदान करती हैं। समकालीन ग्रामीण समाज का अध्ययन इन जातियों की उपेक्षा किए बिना अधूरा है। 5.

प्रभु जाति की अवधारणा की आलोचना (Criticism of the Concept of the Dominant Caste):— प्रो०एम०एन० श्रीनिवास द्वारा प्रस्तुत प्रभुजाति की अवधारणा की कई विद्वानों ने समीक्षा की है। जो कि इस प्रकार हैं :—

1. एस०सी०दुबे — दुबे का मत है कि आर्थिक और राजनैतिक शक्ति भी प्रभुजाति के लिए उसी समय आधार बन सकती है जब

इसका प्रयोग सम्पूर्ण जाति की भलाई के लिए किया गया हो। किन्तु अक्सर यह होता है कि इसका प्रयोग व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किया जाता है और जाति में फूट पड़ जाती है। दुबे आर्थिक एवं जाति पदक्रम उच्च स्थिति को प्रभु जाति के लिए आवश्यक नहीं मानते क्योंकि एक जाति की उच्चता को सभी जातियाँ स्वीकार करें यह आवश्यक नहीं। इसी प्रकार से आधुनिक शिक्षा एवं व्यवसाय भी जाति प्रभुत्व के लिए आवश्यक नहीं है। यद्यपि ये जाति की आर्थिक एवं राजनैतिक प्रतिष्ठा में वृद्धि करते हैं। दुबे प्रभु जाति के स्थान पर प्रभुत्वशाली व्यक्ति का प्रयोग करते हैं।

2— डा०मजुमदार —ने मोहाना गांव के अध्ययन में प्रभुजाति की अवधारणा का परीक्षण किया और यह निष्कर्ष निकाला कि एक जाति सदा ही अपनी संख्या के आधार पर प्रभुजाति नहीं होती। एक जमींदार अपने विस्तृत नातेदारों के कारण अथवा कुछ परिवार भू-स्वामित्व एवं उच्च जीवन स्तर के कारण गांव में प्रभावशाली हो सकते हैं तथा विभिन्न जातियों को जोड़ने वाली कड़ी का काम कर सकते हैं। यह भी आवश्यक नहीं है कि जो जाति संख्या की दृष्टि से प्रभावशाली है, वह सामाजिक दृष्टि से भी प्रभावशाली होगी ही। यह तभी सम्भव है जब अन्य गांव में उस जाति की सामाजिक स्थिति प्रभावशाली हो।

3—डयूमा:— डयूमा का विचार है कि संख्यात्मक शक्ति प्रभुत्व का परिणाम है न कि प्रभुत्व का आधार। डयूमा का मत है कि जाति का सांस्कारिक प्रस्थिति(Ritual Status) संस्तरण (पवित्रता और अपवित्रता)के सिद्धान्त पर आधारित है। इसे प्रभुत्व से स्पष्ट रूप से अलग किया जाना चाहिए। प्रभुत्व भूमि पर स्वामित्व का परिणाम है। कई विद्वानों ने इस बात पर जोर दिया है कि प्रभुत्व को जाति के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि ये दोनों अलग-अलग तथ्य हैं।

4—एन्थोनी कार्टर:— कार्टर ने महाराष्ट्र के गिरवी गांव के अध्ययन में यह पाया कि जातियाँ राजनैतिक दृष्टि से संगठित रूप में कार्य नहीं करती हैं। अतः जाति को प्रभुत्व से अलग कर देना चाहिए। इसके स्थान पर हम प्रभुत्ववाली समूह का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें राजनैतिक वर्ग शामिल हैं। गिरवी और मराठा महाराष्ट्र में प्रभुजाति हैं, किन्तु यह भी देखा गया है कि सम्पूर्ण जाति के बजाय जाति का एक भाग ही प्रभावशाली था। जो लोग वेतनदार मराठा वंश के थे वे ही अन्य नहीं। 6.

निष्कर्ष—

आलोचना के पश्चात भी प्रो०एम०एन०श्रीनिवास द्वारा प्रतिपादित प्रभुजाति की अवधारणा विभिन्न जातियों के आपसी सम्बन्धों तथा ग्रामीण एकता को समझने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है! इस अवधारणा की सहायता से न केवल ग्रामीण शक्ति- संरचना की प्रकृति को समझा जा सकता है बल्कि विभिन्न गांवों के आपसी सम्बन्धों को भी समझना सरल हो जाता है।

संदर्भ सूची—

1.भारतीय समाज (संरचना एवं परिवर्तन) दोषी एस० एल०, जैन पी० सी० (2007) नेशनल पब्लिशिंग, नई दिल्ली पृष्ठ संख्या 446—447

- 2 कुमार आनन्द (2010-11) विवेक प्रकाशन 7, यू० ए० जवाहर नगर, नई दिल्ली 7. पृष्ठ संख्या- 177-178.
3. सिंह डा० वी० एन० ग्रामीण समाजशास्त्र (2015) विवेक प्रकाशन 7. यू० ए० जवाहर नगर, नई दिल्ली - 7, पृष्ठ संख्या 86-87
4. दोषी एवं जैन पी० सी० ग्रामीण समाजशास्त्र (2010) अदरियागंज नई दिल्ली-2 पृष्ठ संख्या 72-78.
5. महाजन धर्मवीर और कमलेश-समाजशास्त्र-2018) विवेक प्रकाशन 7. यू० ए० जवाहर नगर, नई दिल्ली - 7, पृष्ठ संख्या 84-85.
6. भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र अग्रवाल डा० अमित (2014), विवेक प्रकाशन 7. यू० ए० जवाहर नगर, नई दिल्ली 7, पृष्ठ संख्या 71-76.

Takdeer Singh

(8930874165)

Assistant Professor in Sociology

D-B-G-Govt-College Panipat

Near Toll Plaza Sec&18

Pin Code&132103



सारांशः

मनुष्य प्रकृति से जिज्ञासुए विचारक और अन्वेषक होता है। यह विशेषता कवि— हृदयों में विशेष रूप से परिलक्षित होती है। कवि—कर्म को दृष्टि में रखते हुए ही कवियों को ब्रह्मा अथवा ईश्वर तुल्य भी स्वीकार किया गया है। मन के घनीभूत भाव अपनी अभिव्यक्ति के लिए शब्दए वर्ण अथवा संकेतों का माध्यम लेते हैं। मूलतः मानस छवियों में उद्भूत ये भाव—संवेग अपने बहिर्निरूपण के लिए इंद्रियों द्वारा सहज—सरल—स्वाभाविक रूप से ग्राह्य किये जाने वाले माध्यम ही स्वीकार करते हैं जैसे प्रतीकए बिम्बए अलंकार से सजे भाव अथवा संवेग। शिल्पगत नवीनता के साथ—साथ ही काव्यानुभूति की अभिव्यक्ति के लिए नवीन भाषिक संरचना को भी कवियों द्वारा प्रधानता दी गई है।

शब्द कुंजी— शिल्पकार, आधुनिककाल, छन्दहीन मुरेठा, 'खूँट', 'सुर्ती', 'कुरता', 'गठरी', अलमुनियम, कर्मकाण्ड, सौन्दर्यमयी, सहृदय।

कवि शब्द शिल्पी होता है। वह शब्दों को आकार देकर उसे काव्य बनाता है। जिस प्रकार भवन का शिल्पकार पत्थर और गारे की मदद से एक भवन खड़ा कर देता है और फिर लकड़ी की सहायता से उसमें दरवाजे और झरोखे लगाकर उसे सुन्दर और सुरक्षित बना देता है, उसी प्रकार कवि शब्द और शैली से काव्य का निर्माण करता है उसमें छन्द रूपी गारा का इस्तेमाल कर उसे मजबूती प्रदान करता है, उसकी सुन्दरता के लिए अलंकारों का सहारा लेता है और उसे सारगर्भित बनाने के लिए उसमें मुहावरे एवं लोकोक्तियों का प्रयोग करता है अर्थात् किसी काव्य के निर्माण में भाषा शैली, अलंकार, छंद, मुहावरे एवं लोकोक्तियों की आव यकता होती है। इन्हीं का व्यक्तित्व क्रम एक—एक सुन्दर और मौलिक काव्य का निर्माण करता है। कविता की इन्हीं विविध भाषिक संरचनाओं को देखते हुए डॉ० नित्यानन्द तिवारी जी ने लिखा है—

'नयी कविता में छन्द तो नहीं है लेकिन वह एकदम छन्दहीन भी नहीं है। मुक्त छन्द में लय का प्रवाह बना रहता है किन्तु छन्दहीन रचना में लय नहीं होती। अर्थात् नयी कविता में लय और लयहीनता के बीच की स्थिति होती है। उसे टूटा हुआ गद्य कहा जा सकता है।

भाषा शैली

कोई भी रचनाकार या सामान्य व्यक्ति हमेशा एक ही शैली का प्रयोग नहीं करता है। इस बात को सभी विद्वान मानते हैं कि शैली परिवर्तन के पीछे मूल कारण सामाजिक संदर्भ और विषय होता है। अगर रचनाकार छायावरी प्रवृत्ति का है तो क्षेत्र के अनुसार उसकी शैली में अन्तर देखा जा सकता है। भाषा कभी स्थिर नहीं होती। संत कबीरदास ने भी कहा है कि 'कबीरा भाषा बहता नीर'। हिन्दी साहित्य

में हम आधुनिककाल की भाषा को देखते हैं तो भी हमें उसमें भिन्नता नजर आती है।

बद्री नारायण की भाषा शैली भी इससे अलग नहीं है। बद्री नारायण ने अपनी भाषा शैली में कई रूपों का प्रयोग किया है। क्षेत्रिय परिवर्तन के अनुसार उनकी भाषा ढल जाती है—

बाँधे मुरेठा

सर में पंख खोंसे

खूँट में सुर्ती बाँधे

मारकीन का कुरताए अलमुनियम का लोटा

आम छाप बीड़ी और सतुए की रोटी

बाँधे गठरी में।'

इस कविता में 'मुरेठा', 'खूँट', 'सुर्ती', 'कुरता', 'गठरी' आदि भाब्द किसी विशेष क्षेत्र की भाषा के हैं जो हिंदी में प्रयोग होते हैं। बद्री नारायण ने अपनी भाषा ऐसे क्षेत्रिय भाषा रूपों का खूब प्रयोग किया है।

बद्री नारायण आधुनिक काल में भी अपनी भाषा में छायावादी संस्कृत निष्ठा रखते हैं—

सामूहिक तीव्र स्वर में मंत्र जाप के साथ

एक कर्मकाण्ड में

झीर झीर पवन वेग के संग

गूँजती है उस वक्त फूटी मेरी रुलाई

आज भी आधुनिक काल में।'

बद्री नारायण की भाषा में हिंदी के साथ अंग्रेजी के ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है जो आम जीवन में प्रयोग किए जाते हैं। इनसे उनकी एक अलग शैली विकसित हुई है—

"अलमुनियम का लोटा"³

"कंडक्टर ने अगर

टिकट का पैसा न होने के कारण

बस से उतार भी दिया तो क्या"

बद्री नारायण की भाषा भौली हिंदी मिश्रित उर्दू भी है—

कत्लीए खूनीए बलात्कारीए

बेईमानीए चालूए फ्रॉडए लम्पटए

हिंसकए झूठए बवालीए

सुल्तानए साहेबए मालिक।'

इस प्रकार देखा जा सकता है कि समकालीन काव्य में जितनी भी भाषा भौली प्रयुक्त हो रही हैं उन सभी भाषा शैलियों में बद्री नारायण ने काव्य रचना की है। बद्री नारायण एक ऐसी भाषा शैली के पक्षधर हैं जो सहज होए पाठक के आसानी से समझ में आने वाली हो और जिस क्षेत्र में लिखी हो उस क्षेत्र के शब्दों की गंध उसमें समाहित हो।

अलंकार

अलंकार का पर्याय है आभूषण। जिस प्रकार सौन्दर्यमयी नारी आभूषण से अपने को अलंकृत कर अपने सौन्दर्य में चार चाँद लगा देती है, उसी प्रकार कविता कामिनी भी अलंकार से अलंकृत होकर सहृदय को मोहती है।

आचार्य के शवदास ने अलंकारों के महत्व को स्वीकार करते हुए इसे काव्य की आत्मा कहा है –

जदपि सुजाति सुलच्छनीए सुवस सरस सुक्ति।

भूषण बिन न विराजई कविता वनिता मित।⁶

बद्री नारायण समकालीन कवि हैं उनके काव्य में अलंकारों का प्रयोग चमत्कार के लिए न होकर भावाभिव्यक्ति के लिए हुआ है। बद्री नारायण की लेखनी शलेश वक्रोक्ति पर अधिक रमी है।

अन्न को भूख लगती है

पानी को प्यास

भाव को भी भावनाओं की जरूरत होती है

फलों को भी स्वाद चाहिए

अग्नि को भी आग

बहते हुए नीर को भी

नीर का आवेश चाहिए

बारिस को चाहिए उसे भिगोने वाला पानी

कंबल को भी गर्मी चाहिए

स्रष्टा को भी सार चाहिए

स्रष्टा को भी भाव

ज्ञान को भी सबद चाहिए

मुझे भी कुछ चाहिए

पर क्या चाहिए

यह न मुझे पता है

और न औरों को।⁷

बद्री नारायण ने अपने काव्य में शब्दालंकारों के साथ-साथ अर्थालंकारों का भी बहुत प्रयोग किया है। उनके काव्य में उपमा अलंकारों सहसा ही आ जाता है।

तेरे आस-पास होने का भास

पहले-पहल हुआ मुझे

चमक उठा मैं

चकमक पत्थर-सा।⁸

इसी प्रकार उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग भी बद्री नारायण ने अपने काव्य में किया है—

जो मानो अपने जनगण के लिए

अपनी कविता में माँग रहा हो

अन्न मछली और मांस।⁹

बद्री

शब्द शक्ति

शब्द शक्तियों का विवेचन व्याकरण, मीमांसा और तर्क

शास्त्र से प्रारम्भ हुआ। व्याकरण ने 'अभिधा शक्ति' मीमांसा ने 'तात्पर्य शक्ति' और 'तर्क शास्त्र' ने 'लक्षणा शक्ति' को मान्यता प्रदान की। काव्य भास्त्र के इतिहास में सर्वप्रथम आचार्य उद्भट ने शब्द शक्ति पर विचार किया।

संस्कृत आचार्यों ने शब्द- शक्ति पर विचार करते समय उसके तीन भेद किये गए हैं – (1) अभिधा भाब्द भाक्ति (2) लक्षणा शब्द भाक्ति और (3) व्यंजना शब्द भाक्ति।

अभिधा शब्द शक्ति

पद में अर्थ बोध की सामर्थ्य को शक्ति कहते हैं। इस पद से इस अर्थ का बोध हो जाए यह जो ई वर की इच्छा है, इसी को अभिधा शक्ति कहते हैं।

रीतिकाल के कवि देव ने अभिधा को उत्तम प्रमाणित किया है। वे अपने शब्द रसायन में कहते हैं –

अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लच्छना लीन।

अधम व्यंजना रस कुटिलए उलटी कहत नवीन।।¹⁰

बद्री नारायण ने अपने काव्य में अभिधा शब्द शक्ति का बहुत प्रयोग किया है। अगर कहा जाए कि उनकी कविताएं अभिधा में ही अधिक है तो कोई अति-योक्ति नहीं होगी। बद्री नारायण की कविता 'तुमडी के शब्द' में अभिधा शब्द शक्ति का उदाहरण—

इससे अपमानितों को सम्मान मिलता है

मिलता है इसमें निचलों को उठान

इन्हीं शब्दों से गरीबों में जनमता है

ताज और तख्त हिलाने का स्वप्न

देखो कितने तोपए तीर, तलवार

आरीए कटार, तने हैं इस शब्द पर

कई फूलों के बाण से

इसे मार कर खा जाने

में सिद्धहस्त

लगाए बैठे हैं घात।¹¹

लक्षणा शब्द शक्ति

लक्षणा शब्द शक्ति पर व्याकरण, मीमांसा और न्यायदर्शन में विचार हुआ है। लक्षणा शक्ति वहाँ होती है जहाँ लक्षक शब्दों का प्रयोग होता है। आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने ग्रंथ 'ध्वन्यालोक लोचन' में लक्षणा की परिभाषा देते हुए कहा है कि –

मुख्यार्थ बाधादि सहकार्य पेक्षार्य प्रतिभासन शक्ति लक्षणा शक्तिः।¹²

जहाँ मुख्यार्थ को ग्रहण करने में कवि या लोक परम्परा के कारण रुकावट पड़े, वहाँ लक्षणा होती है। बद्री नारायण की कविता 'का मैं' की पंक्तियाँ –

काश ! मैं एक सरल गणित की तरह होता

जिसे तुम आसानी से समझ पाते

काश ! मैं ककहरा होत जिसे तुम पढ़कर आसानी से रट पाते

काश ! मैं कैलेण्डर में फिट होने वाली तारीखों में से एक
तारीख होता

जिसे तुम आँख उठाते और खोज पाते।¹³

व्यंजना भाक्ति

बद्री नारायण का काव्य तो व्यंजना भाक्ति का पर्याय है
उनकी अधिकांश कविताओं में व्यंजना शक्ति के माध्यम से अर्थ बोध
होता है। यथा –

टीप्-टीप्-टीप् तू कौन है

कोई पतिगा है

कि चिड़िया है

कि गिलहरी है

कि आकाश

कि देवता है।¹⁴

बिम्ब और प्रतीक

बिम्ब और प्रतीक हमें अपनी बात सहजता और पारम्परिक
ढंग से कहने में मदद करते हैं। इनके प्रयोग से कविता में किसी भी
प्रकार से आने वाली वर्णनात्मकता से बचा जा सकता है।

बिम्ब

भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र के विद्वानों ने काव्य
शिल्प के अन्तर्गत बिम्ब योजना की जो आधार भूमि अलग-अलग
तैयार की थी वह काव्य के धरातल पर आकर एक हो जाती है।
आचार्य रामचन्द्र भुक्ल ने कहा है कि “काव्य का काम कल्पना में
बिम्ब या मूर्त भावना उपस्थित करना है। बुद्धि के सामने कोई विचार
लाना नहीं।”¹⁵

बद्री नारायण के काव्य में हमें इन्द्रिय बोधात्मक बिम्ब, वस्तु
प्रधान बिम्ब, भावात्मक एवं बौद्धिक बिम्ब, अलंकृत बिम्ब, सान्द्र एवं
विवृत बिम्ब आदि प्रकार के बिम्ब मिलते हैं।

बद्री नारायण ने रूप से नादात्मक एवं शब्द या स्पर्श से
रूपानुभूति को जाग्रत करने के प्रयास इसके प्रमाण हैं। यथा—

कहना नहीं है आसान कि

इसमें कितना भामिल है इसे कहने

गाने सुनने वालों का वर्तमान

इसमें कितना निछुका शब्द है

कितना टेक, कितनी कहनी, रहनी और कितना छंद है

कितना आऽऽ, साऽऽ रेऽऽ का योगदान है इसमें

जिस तुमड़ी से निकला है भाब्द

वह कितना जोगी का है

कितना जती का

कितना राजा का

कि कितना है जन का और कितना जनतंत्र का

कहना कठिन है।¹⁶

बद्री नारायण के इस उदाहरण में संवेदनात्मक मिश्रण की
झलक देखी जा सकती है।

प्रतीक

प्रतीक के दो धरातल होते हैं एक प्रत्यक्ष दूसरा परोक्ष।
एक का सम्बन्ध बाह्य यथार्थ से है दूसरे का अतीन्द्रिय यथार्थ से।
प्रत्यक्ष स्तर एक तात्कालिक अनुभूति मन में जगाता है जो सहज ही
एक ऐसे अप्रस्तुत अभिप्राय की ओर संकेत कर देती है जो अप्रत्यक्ष
होने पर भी अधिक व्यापक और महत्वपूर्ण होती है। बद्री नारायण
की कविता ‘रात की नींद’ इस बात और अधिक स्पष्ट करती है –

अपमान उपेक्षा असफलताएँ

अपने वजूद में बिंधे विश बुझे

सहस्र तीरों की भारशैय्या पर

हम सोते हैं रोज रात।¹⁷

बिम्ब में भाव का सम्मूर्तन ही प्राथमिक और अंतिम लक्ष्य है
जबकि प्रतीक में सम्मूर्तन गौण और संप्रेरित भाव ही मुख्य है।

शब्द प्रयोग

बद्री नारायण ने अपनी कविता में तत्सम, तद्भव, देशज,
विदेशज सभी प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है। बद्री नारायण के
शब्द प्रयोग को समझने के लिए उनकी कविताओं का सहारा लेना
पड़ेगा। उनकी कविताएँ समकालीन जीवन व समाज का दर्पण हैं,
जो शब्दों से बना है।

तत्सम शब्द

बद्री नारायण ने अपनी कविताओं में तत्सम भावों का
प्रयोग भाषा को चमत्कृत करने के लिए नहीं किया अपने अर्थ को
सहजता से स्पष्ट करने के लिए किया है। उनकी कविताओं में
प्रयुक्त तत्सम शब्द अर्थात् वे शब्द जो संस्कृत से हिन्दी में ज्यों के
त्यों आए हैं। उनकी अनेक कविताएँ ऐसी हैं जिनमें तत्सम प्रधान
शब्दावली की प्रधानता है। यथा –

मैं अजर और अमर हूँ

तू मृतमान

देह छोड़ते वक्त

आत्मा मुस्कुराई

तभी गोरख की आवाज आई

आत्मा भी मरती है

और देह भी

यम भी रोता है

और यम को भी अपनी मृत्यु का शोक होता है।¹⁸

इस ‘दिव्यवाणी’ कविता में बद्री नारायण ने अधिकांश
तत्सम शब्दों का प्रयोग कर कविता के सौन्दर्य में वृद्धि की है।
कविता को पढ़कर ऐसा लगता है कि कवि ने तत्सम शब्दों का
प्रयोग किसी चमत्कार के लिए नहीं किया है अपितु ये सहज ही
भावानुसार आए हैं। कविता में भावानुकूल तत्सम शब्दों का प्रयोग
बद्री नारायण करते हैं। उनकी कविताओं में कुछ पंक्तियाँ तो पूर्ण
रूप से तत्सम शब्दों की और शेष कविता में सभी शब्दों का प्रयोग

मिलता है। उनकी 'रात की नींद' ऐसी ही कविता है –

अपमान, उपेक्षा, असफलताएं
अपने वजूद में बिंधे विश बुझे
सहस्र तीरों की भारशैय्या पर¹⁹

यह कविता की आरम्भिक पंक्तियाँ हैं जो पूर्ण रूप से तत्सम शब्दों से वर्णित हैं।

तद्भव शब्द

बद्री नारायण की कविताओं में तद्भव शब्दों के पदों का पूरा शब्द भण्डार मिलता है। यथा –

सम्भव है मेरा कुछ भाव बढ़ जाए
अपना बाजार भाव बढ़ाने के लिए जरूरी है
कि गहरी क्रूरताएँ कुछ चालाकी, अनेक प्रकार
के दोहरेपन से अपने को लैस
किया जाए।²⁰

इसी कविता में ही आगे ही वे कहते हैं कि –

फिर भी कोई मेरी ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है
एक दिन बीता दो दिन बीता
बीत गए कई दिन
तभी एक दिन प्रेमी-प्रेमिका का एक
जोड़ा आया।²¹

इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि उनका काव्य तद्भव शब्दों का शंगत्या।

देशज शब्द

वे शब्द जो स्थानीय भाषा के भाब्द होते हैं, ये देश की विभिन्न बोलियों से लिए जाते हैं अर्थात् तत्सम शब्द को छोड़कर देश की विभिन्न बोलियों से आये शब्द देशज शब्द होते हैं। समकालीन कवि बद्री नारायण के काव्य संवाहों में भाषा और अनुभवों की ताजगी साफ देखी जा सकती है। इन कविताओं में कवि ने एक आदिम गंध बिखेरी है जो उसके निजी अनुभवों का सत्य है। इसमें रहने की एक सापास कोशिश न होकर एक स्वरफूर्त प्रवाह और कवि की चेतस दृष्टि है जो लगातार अपने चारों ओर घटित हुए की कहीं बाँध लेना चाहती है।

'तँतवा' कविता में कवि ने लगातार चलते रहने अथवा जीवन के किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतरता के उचित महत्त्व का प्रतिपादन किया है। वे कहते हैं कि –

खट खट धा

खट खट धा

खट खट धा

अस्थि पंजर मांस मज्जा

आप में टकरा।²²

एक अन्य कविता 'एक पंडुक की रिपोर्टिंग' में कवि पंडुक अर्थात् पक्षी के माध्यम से बगीचों, पक्षियों, बाजार, महत्वाकांक्षाओं और महिलाओं की रिपोर्टिंग करते हैं। कविता की प्रथम पंक्तियाँ जिनमें

कवि देशज भाब्दों का सहारा लेकर काव्य सौन्दर्य उत्पन्न करते हैं

–

महुए के घने बगीचे में
अपनी फुलसुँघनी के पीछे भागते
मैं आ गया

आकांक्षाओं के एक महाबाजार में

पंडुक पक्षी की तरह

'एकै तुही' 'एकै तुही' बोलता हुआ।²³

विभिन्न भाषाओं के शब्दों का प्रयोग

समकालीन कविता के प्रमुख हस्ताक्षर बद्री नारायण ने अपने काव्य को जन काव्य बनाने के लिए विभिन्न भाषाओं के शब्दों को अपने काव्य में स्थान दिया है।

'विचार मृत्यु' बद्री नारायण की प्रमुख कविता है, इसमें वे विचार की मृत्यु को सबसे बड़ी हानि मानते हैं। इस कविता में उन्होंने हिन्दी, अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत आदि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग कर पिता को बड़ा रोचक बना दिया है –

रोज-नये-नये चिप्स

नये-नये अजेड्स

मोटोरोला, सैमसंग, नोकिया

यूनिनॉर, वोडाफोन, एयरसेल

एयरटेल

ये मात्र मशीनें नहीं हैं

विचार हैं

ये मात्र सुविधाएँ नहीं हैं

विचारों के प्रवाह के मार्ग हैं²⁴

बद्री नारायण की 'दो फॉक' कविता में बताया गया है कि इस पृथ्वी पर जो है उन सभी प्राणियों वस्तुओं की दो फॉक हो रही हैं। यहाँ तक कि आत्मा के भी दो फॉक हो गए हैं। इस कविता में भाब्द प्रयोग कर कवि ने जो भावों को पाठक के सामने रखा है, वह अद्भुत है –

नोएडा, बॉम्बे, दिल्ली

या मॉरिशस, सूरीनाम

बैलों की जोड़ी तो यहाँ

आधी है ही उनके अले का घुँघरु भी आधा²⁵

संदर्भ सूची

1. बद्री नारायण, तुमड़ी के भाब्द, पृ० 10
2. वही, पृ० 18
3. वही, पृ० 10
4. बद्री नारायण, तुमड़ी के भाब्द, पृ० 11
5. वही, पृ० 45
6. डॉ० नरेश मिश्र, अलंकार दर्पण, पृ० 15
7. बद्री नारायण, तुमड़ी के शब्द, पृ० 50

8. बद्री नारायण, सच सुने कई दिन हुए, पृ० 29
9. बद्री नारायण की प्रतिनिधि कविताएँ, पृ० 59
10. देव, शब्द रसायन, किताबघर प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण 1985
11. बद्री नारायण, तुमड़ी के शब्द, पृ० 14—15
12. अभिनवगुप्त, ध्वन्यालोक लोचन, पल्लव प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण 1992, पृ० 4
13. बद्री नारायण, तुमड़ी के शब्द, पृ० 93
14. बद्री नारायण, तुमड़ी के शब्द, पृ० 83
15. आचार्य रामचन्द्र भुक्ल, निबंधमाला, पृ० 72
16. बद्री नारायण, तुमड़ी के शब्द, पृ० 14
17. बद्री नारायण, तुमड़ी के शब्द, पृ० 79
18. बद्री नारायण, तुमड़ी के शब्द, पृ० 51
19. वही, पृ० 59
20. बद्री नारायण, खुदाई में हिंसा, पृ० 116
21. वही, पृ० 147
22. वही, पृ० 86
23. बद्री नारायण, तुमड़ी के शब्द, पृ० 24
24. बद्री नारायण, तुमड़ी के शब्द, पृ० 39
25. बद्री नारायण, खुदाई में हिंसा, पृ० 101

दिलकुश झा

शोधार्थी हिंदी – विभाग

बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय रोहतक

डॉ० प्रो० बाबूराम

शोध निर्देशक हिंदी –विभाग

बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, हरियाणा

रोहतक

पिन –124001

**सारांश:**

जैव प्रौद्योगिकीय, संचार प्रौद्योगिकीय, नवीनीकरण ऊर्जा प्रौद्योगिकीय, अंतरिक्ष अनुप्रयोग और नैनो प्रौद्योगिकीय इत्यादि कृषि भूमि और जल की प्रति यूनिट उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान है। जिस की ग्रामीण विकास में भी जैव प्रौद्योगिकीय का महत्वपूर्ण योगदान है।

जैव प्रौद्योगिकीय से कृषि ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका जैसे –

1. वर्मी कम्पोस्ट या केंचुए की खाद देशी केंचुए खेत में हमेशा से पाए जाते हैं, किन्तु रसायनिक खाद और कीटनाशक के जहर से इनकी संख्या भूमि में बहुत कम हो गई है। किसान जानते हैं कि ये भूमिगत केंचुए बड़ी हुई खाद व फसल अवशेषों को खाकर छोटी – छोटी गोली जैसी खाद बनाते हैं, इसके साथ ही खेत की ट्रैक्टर से भी बढ़िया जुताई स्वतः ही कर देते हैं, इसलिए इन देशी केंचुए की संख्या खेत में अवश्य बढ़ानी चाहिए।

2. **उचित जल प्रबंध** – भूमि के बाद जल कृषि में उत्पादन हेतु सबसे महत्वपूर्ण कारक है। जल के मुख्य स्रोत हैं वर्षा, जल, भूजल और नदी, तालाब, गाँवों, यदि जल ग्रहण क्षेत्र का एक साथ प्रबंधन न हो तो कुछ गाँवों का समूह (क्लस्टर) या एक गाँव का भी वर्षा जल का संग्रहण तरीकों से किया जा सकता है।

3. **गाँवों में वर्षा जल संग्रहण** – गाँवों में आमतौर पर शहरी आवासों के विपरीत छोटे-छोटे घर की छत अपेक्षाकृत छोटी होती है। बारिश के पानी को सोखता गड्ढा और टाका जैसे बांधों में रोका जा सकता है।

4. ग्रामीण विकास में बचत खाते खुलवाने से प्रत्येक सदस्य नियमित रूप से बचत की राशि कितनी होगी, कब की जायेगी, बचत करना विकास के लिए जरूरी है। हमारी मानसिकता या सोच ही किसी प्रौद्योगिकीय का प्रयोग और उसके द्वारा होने वाले विकास की दिशा निर्धारित करती है। कृषि एक ऐसा व्यवसाय है, जहाँ प्रत्येक किसान या किसानों के समूह को अनेक तकनीकों का प्रयोग करना होता है।

5. ऊर्जा का अक्षय स्रोत – गोबर गैस संयंत्र से गोबर गैस संयंत्र ईंधन प्राप्त करने का एक सस्ता टिकाऊ व हानिरहित उपाय है। वायो का अर्थ जैविक से है। जीवों द्वारा उत्सर्जित अवशिष्ट पदार्थों से वायोगैस उत्पन्न की जाती है। इसमें मिथेन गैस का बाहुल्य होता है। वायोगैस गेहूँ का अनुपयोगी खराब भूसा, सरसों का अवशेष पदार्थ, मूँगफली के छिलके, नीलगिरि के पत्ते डन्टल, जलकुम्भी तथा चने की भूसी आदि को मिलाकर 70–75 प्रतिशत गैस बनाई जाती है।

एक आंकलन के अनुसार भारत में गैर पारम्परिक ऊर्जा की

कुल संभावित क्षमता लगभग 2,00,000 (दो लाख) मेगावाट के बराबर हैं, जिसमें 31 प्रतिशत सौर ऊर्जा से है, 30 प्रतिशत समुद्र जल से, 25 प्रतिशत वायोगैस से, 12 प्रतिशत वायु से तथा 2 प्रतिशत अन्य स्रोतों से प्राप्त की जा सकती है। सन् 2010 तक इन स्रोतों से देश में उत्पादित बिजली का 15 प्रतिशत तथा सन् 2020 तक बिजली का 25 प्रतिशत भाग प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में वायोगैस संयंत्र हर दृष्टि से उपयोगी व लाभप्रद है, इससे बिजली भी प्राप्त होती है। जिन घरों में यह संयंत्र लगा है, वहाँ 15 वाट से 60 वाट तक के बल्ब आसानी से जलते हैं।

प्रगतिशील किसान –

भारत के किसानों की एक बड़ी संख्या नई जानकारी प्राप्त कर उसका उपयोग करने में सक्षम है। महाराष्ट्र, गुजरात में सहकारी फल सब्जी व दूध उत्पादन आज अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता के लिए जाने जाते हैं।

मानव श्रम की उपलब्धता – भारत की जनसंख्या का सदुपयोग सिर्फ जैविक कृषि से हो सकता है, क्योंकि जैविक खेती में श्रम की प्रधानता होती है। जैविक कृषि से गाँव में कई बेरोजगार व महिलाओं को रोजगार मिल सकता है।

औषधीय पौधों से खेती –

भूमि और जलवायु के भिन्नता के कारण और विकसित आयुर्वेद पद्धति होने से हमारे पास औषधीय पौधों की संख्या विश्व में मात्र दूसरे नम्बर पर है। जिससे औषधीय पौधों से कृषि करने रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची –

1. पर्यावरण विश्व कोष – डॉ० श्याम मनोहर व्यास, जैन पब्लिकेशन नई दिल्ली।
2. जैविक खेती सिद्धान्त तकनीकी एवं उपयोगिता – अरुण शर्मा एग्रो वायोस इण्डिया, जोधपुर।
3. जैव उर्वरक उत्पादन मार्गदर्शिका – दुश्यन्त गहलोत, एग्रो वायोस इण्डिया, जोधपुर।
4. इन्टरनेट हेल्पलाईन।

डॉ० बुद्ध प्रिय सिद्धार्थ

असिस्टेंट प्रोफेसर – समाजशास्त्र

ठाकुर रोशन सिंह

राजकीय महाविद्यालय

नवादा दरोवस्त, कटरा शाहजहाँपुर

एम०जे०पी० रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

साहिर लुधियानवी के फिल्मी गीतों में सामाजिक अन्याय

प्रो.(डॉ.)कंचन पुरी, शिवा शर्मा



सारांश:

रंग और नस्ल जात और मज़हब जो भी है आदमी से कमतर है

इस हकीकत को तुम भी मेरी तरह मान जाओ तो कोई बात बने

नफ़रतों के जहान में हम को प्यार की बस्तियाँ बसानी हैं

दूर रहना कोई कमाल नहीं पास आओ तो कोई बात बने

शोध साररू— सामाजिक अन्याय एक ऐसी समस्या है, जो किसी समाज में असमानता, भेदभाव और अन्यायपूर्ण व्यवहार का प्रतीक है। यह उस स्थिति को दर्शाता है, जहां किसी खास समूह, जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक वर्ग, या अन्य सामाजिक पहचान के आधार पर लोगों के साथ अनुचित व्यवहार किया जाता है। सामाजिक अन्याय के विभिन्न रूप हो सकते हैं, जैसे कि जातिगत भेदभाव, लैंगिक असमानता, आर्थिक विषमता, धार्मिक असहिष्णुता आदि। सामाजिक अन्याय का समाधान केवल कानूनों से नहीं, बल्कि समाज की सोच में बदलाव लाकर किया जा सकता है। इसके लिए साहित्यकारों का योगदान आवश्यक हो जाता है। जो समाज में व्यापक बदलाव ला सकते हैं। साहिर लुधियानवी भारतीय सिनेमा के ऐसे गीतकार थे जिनकी लेखनी में समाज का दर्द और व्यथा साफ झलकती है। उनका लेखन न केवल प्रेम और सुंदरता का बखान करता है, बल्कि सामाजिक अन्याय, शोषण, गरीबी और वर्ग विभाजन पर भी गहरा कटाक्ष करता है। साहिर ने फिल्मों के माध्यम से उन मुद्दों को जनमानस के समक्ष लाया जो अक्सर अनसुने रह जाते थे। उनके गीतों में ऐसी संवेदनशीलता और गहराई है जो आज भी प्रासंगिक और प्रेरणादायक बनी हुई है। इस शोध पत्र का उद्देश्य उनके गीतों में सामाजिक अन्याय के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करना है।

शोध—प्रपत्र

लैंगिक असमानता और साहिर लुधियानवी: "मदद चाहती है ये हव्वा की बेटी"

साहिर लुधियानवी के व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव उनकी शायरी और बाद में उनके फिल्मी गीतों में स्पष्ट परिलक्षित होता है। उन्होंने स्वयं लिखा है प्दुनिया ने तजरबात ओ हवादिस की शकल में / जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूँ मैं^१ साहिर लुधियानवी के पिता ने कई शादियाँ की और साहिर की माँ के साथ उनके सम्बन्ध अच्छे नहीं थे। बाद में पिता के साथ उनकी माता का विवाद अदालत तक पहुँच गया। पुश्तैनी जायदाद से बेदखल होकर साहिर और उनकी माँ को दर

बदर भटकने के लिए मजबूर होना पड़ा। साहिर लुधियानवी ने समाज में स्त्री के साथ होने वाले अन्याय को करीब से देखा और महसूस किया। यही कारण है कि उनकी लेखनी में स्त्री विमर्श का ऐसा व्यापक रूप देखने को मिलता है। फिल्मी गीतों में तो स्त्री चेतना की गम्भीर शुरुआत साहिर लुधियानवी के गीतों से ही मानी जाती है। औरत को हमेशा पर्दे में रखना और उसके संपूर्ण जीवन की तुलना एक कैदी से करते हुए साहिर 1955 की फिल्म 'मेहमान' में लिखते हैं "खुले गगन के नीचे पंछी घूमे डाली डाली / मैं क्या जानूँ उड़ना क्या है मैं पिंजरे की पाली / शीशे के ताबूत में जैसे मछली माथा पटके / पत्थर के इस बंदीघर में मेरी आत्मा भटके / गमले के इस फूल का जीवन मेरी कथा सुनाए / इसके अंदर खिले बेचारा इसी में मुरझाए" औरत के साथ होने वाले सामाजिक अन्याय को संपूर्ण रूप से साहिर ने 'साधना' फिल्म के एक गीत में लिखा है "मर्दों के लिए हर जुल्म रवा, औरत के लिए रोना भी खता / मर्दों के लिए हर ऐस का हक, औरत के लिए जीने भी सजा / मर्दों के लिए लाखों सेजे, औरत के लिए बस एक चिता / औरत ने जन्म दिया मर्दों को मर्दों ने उसे बाजार दिया"

फिल्म "फिर सुबह होगी" के गीत 'दो बूंदें सावन की' में समाज में व्याप्त पितृसत्तात्मक मानसिकता और सामाजिक अन्याय का गंभीर चित्रण किया गया है। गीत के हर एक प्रतीक में स्त्रियों की विभिन्न स्थितियों और उनके प्रति समाज में असमान सोच को उजागर किया गया है। गीत उस बदलाव की आवश्यकता को व्यक्त करता है जिसमें स्त्रियों को उनके गुणों, क्षमताओं और स्वाभिमान के आधार पर समानता दी जाए।

"दो सखियाँ बचपन की, एक सिंहासन पर बैठे और रूपमती कहलाए / दूजी अपने रूप के कारण गलियों में बिक जाए / किसको मुजरिम समझे कोई किसको दोष लगाए" फिल्म 'दीदी' के एक गीत में साहिर नारी के प्रति समाज में व्याप्त दोहरे मापदंड और सामाजिक अन्याय को उजागर करते हैं। जहां एक और नारी को देवी का दर्जा दिया गया है लेकिन वास्तविकता में उसे दासी के समान समझा गया है। "नारी को इस देश ने देवी कहकर दासी जाना है / जिसको कुछ अधिकार न हो घर की रानी माना है"

पैसे के बदले जिस्म बेचने की सामाजिक क्रूरता को साहिर ने अनेक गीतों में स्थान दिया है 'प्यासा' फिल्म के एक गीत 'ये कूचे ये नीलामघर दिलकशी के' में वेश्यालय का बहुत मार्मिक और बारीक चित्रण किया गया है। इसके साथ-साथ उन लोगों पर भी व्यंग्य किया गया है जो इतने भयावह अन्याय होने के बावजूद देश पर गर्व करते हैं। "ये सदियों से बेख्वाब सहमी सी गलियाँ, यह मचली हुई अधखिली

जर्द कलियां/ ये बिकती हुई खोखली रंगरलिया/ जिन्हे नाज है हिंद पर वो कहाँ है" इसके अलावा 'साधना' फिल्म में एक वैश्या अपने दर्द और समाज के दोहरे मापदंडों को उजागर कर रही है। वह ये कह रही है कि लोग उसे तुच्छ नजरों से देखते हैं, लेकिन वही लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं और उसे ही अपनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल करते हैं। "मुहब्बत बेचती हूँ मैं, शराफत बेचती हूँ मैं/ न हो गैरत तो ले जाओ की गैरत बेचती हूँ मैं" हमारे समाज में औरत को केवल शारीरिक वस्तु के रूप में देखा जाता है। समाज औरत के अस्तित्व को केवल उसके शारीरिक सुंदरता तक सीमित कर देता है, उसकी भावनाओं इच्छाओं और आत्मा को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता। "लोग औरत को फ़क़्त जिस्म समझ लेते हैं/ रुह भी होती है उस में ये कहाँ सोचते हैं"

आर्थिक विषमता और साहिर लुधियानवीरु "ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है"

आर्थिक असमानता के कारण समाज में धन का असमान वितरण होता है, जिससे गरीब और अमीर के बीच की खाई और गहरी होती जाती है। कुछ चुनिंदा वर्गों के पास अधिकांश संसाधन होते हैं, जबकि गरीब लोग बुनियादी आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करते हैं। इससे समाज में तनाव, अपराध और असंतोष की भावना बढ़ती है।

साहिर के पिता एक जागीरदार थे और उस दौर के अन्य जागीरदारों की तरह ही वे भी गरीब जनता पर जुल्म करते थे और उनसे जबरन टैक्स वसूल करना उनका काम था। वहीं से साहिर के अंदर जागीरदारी के विरुद्ध नफरत पैदा हो गई। उन्होंने समाज में फैले अमीर-गरीब की विषमता पर खुलकर लिखा। यही वह दौर था जब साहिर में प्रगतिवादी चेतना का विकास हुआ।

"ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया/ ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया/ ये दौलत के भूखे रिवाजों की दुनिया" साहिर लुधियानवी के अनेक गीतों में आर्थिक आधार पर होने वाले सामाजिक अन्याय को देखा जा सकता है। 1958 में आई फिल्म 'फिर सुबह होगी' का गीत "सबकी हो खैर बाबा सबका भला" की पंक्ति "खड़े हैं भिखारी बने तेरे सामने/ वैसे तो बनाया था हमें भी राम ने"

यह पंक्तियां समाज में मौजूद आर्थिक अन्याय और विषमताओं पर गहराई से टिप्पणी करती हैं। यह दर्शाते हुए की धन का असमान वितरण किसी की मेहनत या काबिलियत का नहीं बल्कि व्यवस्था की विषमताओं का परिणाम है। इसी फिल्म के एक अन्य गीत 'वह सुबह कभी तो आएगी' में साहिर ने एक उम्मीद और संघर्ष की भावना को व्यक्त किया गया है "बीतेंगे कभी तो दिन आखिर यह भूख और बेकारी के/ टूटेंगे कभी तो बुत आखिर दौलत की इजारादारी के" गीत समाज के उस वर्ग की आवाज है जो आर्थिक असमानता और शोषण का सामना कर रहा है और यह भरोसा दिलाता है कि एक दिन बदलाव जरूर आएगा जब ये सारी बेड़ियां टूटेंगी और हर व्यक्ति

को समान अवसर और अधिकार मिलेंगे।

अमीर-गरीब का भेद मिटाए बिना और सभी को समान अवसर दिए बिना साहिर स्वराज को भी झूठा बताते हैं। मिलों पर मजदूरों का हक एवं खेतों पर किसानों का हक जब तक नहीं होता तब तक आजादी अधूरी है। "तख्त ना होगा, ताज न होगा, कल था लेकिन आज ना होगा/ जिसमें सब अधिकार न पाए वह सच्चा स्वराज न होगा" ऐसा ही आह्वान 'बहु रानी' फिल्म में भी साहिर के द्वारा किया गया है "बने ऐसा समाज, मिले सबको अनाज" साहिर लुधियानवी की दृष्टि स्पष्ट रूप से प्रगतिवादी थी। वह आर्थिक रूप से होने वाले अन्याय और वर्ग संघर्ष पर ताउम्र लिखते रहे। साहिर का मानना है कि यह दोरंगी दुनिया केवल आर्थिक असमानता का परिणाम नहीं है, बल्कि नैतिक पतन, शोषण, और संवेदनहीनता का भी नतीजा है। चांदी की दीवार (1964) के एक गीत में साहिर लुधियानवी लिखते हैं "ये दुनिया दो रंगी है/ एक तरफ से रेशम ओढ़े, एक तरफ से नंगी है/ एक तरफ अंधी दौलत की पागल ऐसपरस्ती/ एक तरफ जिस्मों की कीमत रोटी से भी सस्ती/ एक तरफ है सोनागाछी एक तरफ चौरंगी है/ यह दुनिया दो रंगी है" ताजमहल जैसी भव्य इमारत को जहां एक ओर प्रेम का प्रतीक समझा जाता है वहीं साहिर लुधियानवी ताजमहल की भव्यता में सामाजिक अन्याय को देखते हैं। अपने गीत ताजमहल में वे ताजमहल का वर्णन चमन-जार, जमुना का किनारा और मुनक्क़श दर ओ दीवार जैसे शब्दों से करते हैं। जो इसकी भव्यता को सामने लाते हैं लेकिन इसके बाद इस वैभव के पीछे छिपे सामाजिक असमानता पर सवाल उठाते हैं "ये चमन-जार ये जमुना का किनारा ये महल/ ये मुनक्क़श दर ओ दीवार ये मेहराब ये ताक/ इक शहंशाह ने दौलत का सहारा ले कर/ हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मज़ाक" इसी भाव को 1970 में आई फिल्म 'समाज को बदल डालो' में साहिर इन शब्दों में व्यक्त करते हैं "सैकड़ों की मेहनत पर एक क्यों पले/ ऊंच-नीच से भरा नजाम क्यों चले" इसके साथ-साथ साहिर का मानना है कि सत्ता और समाज के नियम और रिवाज हमेशा ताकतवर और उच्च वर्ग के लोगों का साथ देते हैं। समाज के रीति-रिवाज और धर्म का पालन उन लोगों के पक्ष में होता है जिनके पास सत्ता, धन और ताकत है। वहीं जो लोग कमजोर और साधनहीन हैं उनके हिस्से में केवल अत्याचार अपमान और तिरस्कार ही आता है। "रीति और रिवाज, सब तुम्हारे साथ/ धर्म और समाज सब तुम्हारे साथ/ अपने साथ क्या, धूल और धुआं"

सांप्रदायिकता और साहिर लुधियानवी: "यह किसका लहू है कौन मरा"।

धार्मिक असहिष्णुता भी भारत में सामाजिक अन्याय का

एक महत्वपूर्ण पहलू है। विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच सामाजिक दूरी, धार्मिक आधार पर भेदभाव, और साम्प्रदायिक तनाव समाज में असमानता और असुरक्षा की भावना को जन्म देते हैं। धार्मिक असहिष्णुता के कारण समाज में विभाजन की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे सामाजिक विकास बाधित होता है।

साहिर लुधियानवी ने बचपन में ही पाकिस्तान बनने और हिंदुस्तान का बंटवारा होने की भूमिका बनते देखी। 1947 ईस्वी में जब भारत का विभाजन हुआ, तब साहिर 28 वर्ष के थे। विभाजन के समय साहिर पाकिस्तान में थे और वे विभाजन की घोषणा के बाद अपनी मां के साथ भारत आ गये। इस दौरान उन्होंने एक दूसरे के खून के प्यासे इंसानों को देखा और धर्म के आधार पर दंगों में बहता खून देखा। ये वो कारण थे जिसने साहिर में साम्प्रदायिकता विरोधी बीज डाले। साहिर ने युद्ध की विभीषिका, हिंदू-मुस्लिम दंगों के विरुद्ध और इंसानियत को अपनाने के लिए अनेक गीत लिखे। 1959 ई. में आयी फिल्म धूल का फूल में साहिर ने गीत लिखा तु हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा/ इंसान की औलाद है इंसान बनेगा साहिर लुधियानवी 1959ई. की एक अन्य फिल्म नाचघर के गीत तेरे शहर से तो राजा हमें जंगल ही भले में हमारे समाज में व्याप्त विभिन्न सामाजिक असमानताओं और विभाजन की ओर इशारा करते हुए लिखते हैं कहीं भाषा का है झगड़ा, तो कहीं प्रांत का है/ कहीं नस्लों का है दंगा, तो कहीं जात का है/ अमन और चौन का साया नहीं इन राहों में....इस गीत में विभिन्न प्रकार के संघर्षों और विभाजनों का उल्लेख किया गया है, जैसे भाषाई, प्रांतीय, नस्लीय, और जातीय, जो हमारे समाज में भाईचारे और सौहार्द की भावना को क्षीण कर रहे हैं। 1959 ई. की एक अन्य फिल्म दीदी में साहिर लुधियानवी ने एक गीत में छात्रों के माध्यम से कई प्रश्नों को उठाया प्यही है जब कुरान का कहना/ जो है वेद पुराण का कहना/ फिर यह शोर-शराबा क्यों है/ इतना खून खराबा क्यों है..... कुछ इंसान ब्राह्मण क्यों है/ कुछ इंसान हरिजन क्यों है/ एक की इतनी इज्जत क्यों है/ एक की इतनी ज़िल्लत क्यों है इसी गीत में आगे अध्यापक के माध्यम से बच्चों को जवाब दिया है इंसानों का यह बंटवारा वहशत और जहालत है/ जो नफरत की शिक्षा दे, वो धर्म नहीं है लानत है। 1962 ईस्वी में आई फिल्म 'धर्मपुत्र' के एक गीत में साहिर दंगे का सजीव चित्रण करते हुए सामाजिक अन्याय, धर्म के नाम पर हो रही हिंसा और मानवीय मूल्यों की गिरावट की ओर इशारा करते हैं। "जिस राम के नाम पर खून बहे, उस राम की इज्जत क्या होगी/ जिस दीन के हाथों लाज लटे, उसे दीन की कीमत क्या होगी/ ए रहबरे-मुल्कों कौम बता, ये किसका लहू है कौन मरा इस फिल्म के अन्य गीत में साहिर अपने भावों को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं "काबे में रहो या काशी में, निस्वत तो उसी की जात से है/ तुम राम कहो कि रहीम कहो, मतलब तो उसी की बात से है।"

निष्कर्ष:

साहिर लुधियानवी के फिल्मी गीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं हैं; वे समाज के प्रति उनकी गहरी संवेदनशीलता, अन्याय के प्रति उनकी असहिष्णुता, और शोषित वर्गों के लिए उनके संघर्ष का प्रतीक हैं। साहिर ने अपने गीतों के माध्यम से सामाजिक अन्याय, पितृसत्ता, सांप्रदायिकता, धार्मिक पाखंड और आर्थिक विषमताओं पर प्रहार किया। उनके गीतों में नारी की स्थिति, वर्ग विभाजन, और समाज के दोहरे मापदंडों की आलोचना गहराई से मिलती है। साहिर लुधियानवी ने अपनी कलम से समाज में फैले द्वैत के भीषण नकारात्मक रूप को दर्शाया है और बदलाव का आह्वान किया है। प्यासा में उनके गीतों से लेकर गुमराह तक, साहिर के गीतों ने समाज के विभाजन, भ्रष्टाचार, और निर्धनता जैसे मुद्दों को सशक्त तरीके से प्रस्तुत किया। साहिर लुधियानवी के गीतों में सामाजिक अन्याय के मुद्दों पर उनकी स्पष्ट और साहसिक आवाज ने उन्हें अपने समय का एक बेमिसाल गीतकार बना दिया। उन्होंने अपने गीतों के माध्यम से सामाजिक असमानताओं और संघर्षों को अभिव्यक्त कर समाज के निचले तबके के दुःख और संघर्ष को आवाज दी। उनका लेखन एक ऐसे समाज की कल्पना करता है जहाँ समानता, न्याय और प्रेम का राज हो। यह शोध इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि साहिर लुधियानवी के फिल्मी गीतों में सामाजिक अन्याय की विभिन्न परतें हैं, जिन्हें आज भी गहराई से समझना आवश्यक है। साहिर के गीतों में निहित सामाजिक संदेश और उनकी आवाज का असर समय के साथ और अधिक मजबूत होता गया है, जो भारतीय सिनेमा और समाज के लिए उनकी एक अनमोल धरोहर है।

"कौन बतलाएगा मुझको किसे जाकर पूछूं
जिंदगी कहर के सांचों में ढलेगी कब तक
कब तलक आंख न खोलेगा जमाने का जमीर
जुल्म और जबर की यह रीत चलेगी कब तक"

संदर्भ सूची:-

1. जब धरती नग्मे गाएंगीरु साहिर लुधियानवी संकलन एवं सम्पादन आशा प्रभात राजकमल प्रकाशन
2. <https://www.amarujala-com@kavya@irshaad@sahir&ludhianvi&on&taaj>
3. <http://kavitakosh.org/kk/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A4%B2%E0%A5%81%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%B5%E0%A5%80>
4. गाता जाए बंजारास साहिर लुधियानवी, स्टार पब्लिकेशन दिल्ली

5. [@www.rekhta-org/poets/sahir&ludhianvi](https://www.rekhta-org/poets/sahir&ludhianvi)
@all\lang³/₄hi
6. गीत— ये कूचे ये नीलामघर दिलकशी के, फिल्म— प्यासा, 1957
[<https://youtu-be@7R7Jon3tAÚc\si¼apjkZeUq&&q3DOTr>]
7. गीत— शदो बूंदें सावन कीश, फिल्म— फिर सुबह होगी, 1958
[<https://youtu-be@8CtTJ8KvS&Y\si>]
IoPDFujLj3TGAKLp]
8. गीत — औरत ने जनम दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार
दिया, फिल्म— साधना, 1958 [[https://youtu-be@f6SKLOoL&Bc\si\]zApZfU&arJzYI&Ht](https://youtu-be@f6SKLOoL&Bc\si]zApZfU&arJzYI&Ht),
LOoL&Bc\si]zApZfU&arJzYI&Ht,
9. गीत— धरती की सुलगती छाती से, फिल्म— धर्मपुत्र, 1962
[[https://youtu-be@rutf79VvbQY\si\[wVhYWWIZo6eE6TO&\]](https://youtu-be@rutf79VvbQY\si[wVhYWWIZo6eE6TO&)]
10. गीत— ये दुनिया दो रंगी ह, फिल्म— चांदी की दीवार, 1964
[[https://youtu-be@hIIQ6sGhHDk\si\[7lrdw6dYFqcGmWwC\]](https://youtu-be@hIIQ6sGhHDk\si[7lrdw6dYFqcGmWwC)]
11. गीत— तू हिन्दू बनेगा न मुसलमान बनेगा, फिल्म— धूल के फूल,
1959 [[https://youtu-be@FGrXizYFEjI\si¼aR8AkowO&C9VdOWU\]](https://youtu-be@FGrXizYFEjI\si¼aR8AkowO&C9VdOWU)]
12. गीत— ये दुनिया दो रंगी है, फिल्म— चांदी की दीवार, 1964
[[https://youtu-be@hIIQ6sGhHDk\si\[tCG7ldcmU5eÚAQp\]](https://youtu-be@hIIQ6sGhHDk\si[tCG7ldcmU5eÚAQp)]
13. गीत— लोग औरत को फक़्त जिस्म समझ लेते हैं फिल्म— इंसाफ
का तराजू, 1981 [[https://youtu-be@Eg8RwfOQUPQ\siKHImjoÚLBko&fapB\]](https://youtu-be@Eg8RwfOQUPQ\siKHImjoÚLBko&fapB)]

प्रो.(डॉ.)कंचन पुरी

पूर्व अध्यक्ष हिंदी विभाग

रघुनाथ गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मेरठ

शिवा शर्मा

(शोधार्थी)

हिंदी विभाग

रघुनाथ गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मेरठ

मो.न. — 7599493837

पता:— भोपाल विहार गढ़ रोड मेरठ, उत्तर प्रदेश



सारांश:

कसी देश की भाषा केवल उस देश की अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं होती, अपितु उस देश की अस्मिता का बोधक हुआ करती है। हिन्दी भारत की केवल राष्ट्रभाषा और राजभाषा ही नहीं है, अपितु यह भारतवर्ष की अस्मिता का बोधक है। यह भारत मां के ललाट की बिंदी है। इस पर हमें नाज और ताज है इसीलिए कहा गया है कि:-

कोटि कोटि कंटो की भाषा,

जन-मन की मुखरित अभिलाषा।

हिंदी है पहचान हमारी,

हिन्दी हम सबकी परिभाषा।

हिन्दी के वैश्विक प्रचार प्रसार के लिए अब तक वैश्विक स्तर पर 12 विश्व हिंदी सम्मेलन संपन्न हो चुके हैं, जो हिन्दी की वैश्विकता के विग्रह हैं रु-

प्रथम सम्मेलन-10-12 जनवरी, 1975-नागपुर, भारत

द्वितीय सम्मेलन-28-30 अगस्त, 1976-पोर्टलुई, मारीशस

,

तृतीय सम्मेलन-28-30 अक्टूबर, 1983-नई दिल्ली, भारत

चतुर्थ सम्मेलन-2-4 दिसंबर, 1993-पोर्टलुई, मारीशस

पंचम सम्मेलन-4-8 अप्रैल, 1996-पोर्ट आफ स्पेन, त्रिनिदाद एंड टोबेगो

षष्ठ सम्मेलन-14-18 सितंबर 1999 लंदन, यू.के

सप्तम सम्मेलन-6-9 जून 2003 पारामारिबो, सूरीनाम

अष्टम सम्मेलन-13-15 जुलाई, 2007-न्यूयॉर्क, यू.एस.ए.

नवम 22-24 सितंबर, 2012 जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका

दशम 10-12 सितंबर, 2015-भोपाल, भारत

एकादश सम्मेलन-18-20 अगस्त 2018 पोर्टलुई, मारीशस

द्वादश सम्मेलन 15-17 फरवरी 2023-नादी, फिजी

12 वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी के नादी शहर में 15, 16 और 17 फरवरी 2023 को आयोजित हुआ। फिजी भारत की राजधानी दिल्ली से लगभग 21000 हजार किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर का एक द्वीप है। यह 300 द्वीपों का एक समूह है, जहाँ 1879 में अंग्रेज भारतियों को ईख के खेतों में काम करने के लिए ले गये थे; जिन्हें गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। फिजी की राजधानी सुआ है, जो एक खूबसूरत शहर है। 12 वें विश्व हिन्दी सम्मेलन का आयोजन फिजी के नादी शहर के शेरेटन होटल में हुआ। 12 वें विश्व हिंदी सम्मेलन का

केंद्रीय विषय था:-

हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। जिसका समवेत रूप में उद्घाटन भारत के विदेश मंत्री डा एस. जयशंकर और फीजी गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम रातू विल्यम कटोनिवेरे ने किया। महामहिम ने कहा कि आधुनिक फिजी के निर्माण में भारतवंशियों का बहुत बड़ा योगदान है, हम इसे भुला नहीं सकते, जबकि विदेश मंत्री डा एस. जयशंकर ने कहा कि हमें इस बात का हर्ष है कि 12 वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आतिथ्य फिजी कर रहा है। यह हमारे दीर्घकालिक संबंधों को आगे बढ़ाने का सुअवसर है। हिंदी फिजी में द्वितीय राजभाषा है-यह प्रसन्नता का संदर्भ है। इस अवसर पर विदेश राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र ने कहा कि हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए भारत सरकार तत्पर है। विदेश राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन ने कहा कि हिंदी के विकास के लिए फिजी में भाषा प्रयोगशाला खुलेगा। आगत अतिथियों का भव्य स्वागत पारंपरिक ढंग से किया गया। वैदिक और लौकिक रीति से मंगलाचरण किया गया। उद्घाटन दोनों देशों के राष्ट्रगान से और उद्घाटन सत्र का समवेत संचालन डा अलका सिंहा और डा अनुराधा पाण्डेय ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन फिजी के शिक्षा मंत्री ने किया। भारत सरकार के 285 सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल ने इसमें भाग लिया। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व विदेश मंत्री डा एस. जयशंकर ने किया। इस प्रतिनिधि मंडल में विदेश राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन और गृहराज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा के साथ साथ झारखंड की राज्य सभा सांसद डा. महुआ माजी के अलावे भारत के 10 सांसदों ने भी अपनी सहभागिता प्रदान की। भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में झारखंड से लोकप्रिय दैनिक प्रभात खबर के मुख्य संपादक श्री आशुतोष चतुर्वेदी, रांची विश्वविद्यालय के पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष डा जे बी पाण्डेय, राज्य सभा सांसद सह साहित्यकार डा महुआ माजी, जमशेदपुर के साहित्यकार श्री जयनंदन, जामताड़ा के हिंदी शिक्षक सह कवि डा अरुण कुमार वर्मा ने अपनी सहभागिता प्रदान कर इस 12 वे विश्व हिंदी सम्मेलन को सार्थकता प्रदान की। बिहार से नई धारा पत्रिका के संपादक डा शिव नारायण, छपरा से डा कुमार वरुण, जहानाबाद से डा विपिन कुमार और मुजफ्फरपुर से डा राजेश्वर कुमार ने और कोलकाता से डा साहब उपाध्याय ने भी भाग लिया। बताते चलें कि इस 12 वे विश्व हिंदी सम्मेलन का विषय था-हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। 10 सत्रों में विभाजित इस विश्व सम्मेलन में झारखंड के प्रतिनिधियों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया और अपने

सारगर्भित वक्तव्यों से हिंदी के वैश्विक प्रचार प्रसार की कामना की।

अंतिम दिन हिंदी सेवा के लिए देश के (12) और विदेश के (13) = 25 विद्वानों और विदुषियों को सारस्वत हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया। वैश्विक मंगल की कामना से पूर्णाहुति हुई:-

सर्वे भवन्तु सुखिनः,

सर्वे संतु निरामयाः।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु,

मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्।

डॉ० जंग बहादुर पाण्डेय

अतिथि प्राध्यापक,

हिन्दी विभाग

ओड़िशा केंद्रीय विश्वविद्यालय,

कोरापुट 763004

चलभाष:-9431595318, 8797687656

द्विजडाक:-pandey&ru05@yahoo-co-in



सारांश:

वैश्विक परिप्रेक्ष्य

दुनिया की इस बढ़ती हुई आत्मनिर्भरता को ही वैश्वीकरण कहा जाता है। दुनिया में वैश्वीकरण ने नई हवा दी है। दुनिया के सभी देश एक दूसरे के विषय में जानने-समझने और परस्पर सहयोग के प्रति प्रथमतः उत्सुक व तत्पर ही इन्हीं कारणों से हुए हैं। विश्व के सभी छोटे-बड़े देश प्रगति की दौड़ में शामिल हैं। विकास के लिए उन्होंने अन्य देशों के साथ संपर्क बनाए रखा है। वर्तमान में ज्ञान-विज्ञान, तकनीक और अनुसंधान ने समग्र सृष्टि के जीवन का कार्यालय कर दिया है। उसे नई ऊर्जा से जीवन्तता प्रदान कर दी है। ज्ञान उत्पादन का साधन है। ज्ञान शक्ति है। तकनीक विज्ञान का व्यवहारिक स्वरूप है।

वैश्वीकरण के परिणाम बहुलवादी हैं और इसका साहित्य, कला, संस्कृति, इतिहास, दर्शन, मानविकी, सामाजिक प्रक्रियाओं और व्यवहार से घनिष्ठ संबंध होता है।

आज वैश्वीकरण के इस युग में पूरा विश्व एक हो चुका है। सभी देश तकनीक, चिकित्सा, व्यापार सभी क्षेत्रों से जुड़ रहे हैं। यह बात शत-प्रतिशत सच है कि भारत चिरकाल से कला, विज्ञान आदि क्षेत्रों में सम्पन्न होने के कारण विदेशियों के आकर्षण का केंद्र रहा है। भारत के हिंदी सिनेमा, कला, साहित्य की लोकप्रियता से पूरा विश्व परिचित है।

आज हमारे भारतीय विश्व की बड़ी-बड़ी कम्पनियों का प्रतिनिधित्व कर देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। विश्व के अनेक देशों के विश्व विद्यालयों में हिंदी अध्ययन, अध्यापन की श्रेष्ठ सुविधा है। हमारा देश भारत हमारे खोए हुए गौरव को पुनः प्राप्त करने की दिशा में बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। जल-थलनभ सभी क्षेत्रों में अपनी प्रगति के, विकास के परचम को फहरा रहा है। रोज नये कीर्तिमान गढ़ रहा है।

अधिकतर राज्यों की मातृभाषा हिंदी

भारत विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और भाषाओं का देश है। यहाँ धर्म, जाति, आचार-विचार, रीति-रिवाज, रहन-सहन, भाषा एवं लिपि की विविधता विद्यमान है। किसी राष्ट्र की भाषा उस राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत, सभ्यता, समाज, तकनीकी एवं विकास की परिचायक है। किसी देश की मुख्य भाषा उस देश की संपर्क भाषा बनकर नागरिकों एवं नीतियों के लिए सेतुबंध का कार्य करती है। जिस

देश की भाषा जितनी व्यापक तथा सुदृढ़ है वह देश आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से उतना ही विकसित है।

हिंदी हमारी राजभाषा है। हिंदी भाषा से ही हम भारतवासी एक-दूसरे को जान पाते हैं। भारत के ज्यादातर राज्यों की मातृभाषा हिंदी है। भारत के हिंदीतर राज्यों के लोग भी हिंदी समझ लेते हैं और बोल भी लेते हैं। चूँकि संस्कृत ही सभी भाषाओं की जननी है और उससे निकली हुई सबसे बड़ी जनभाषा हिंदी है इसलिए सभी भाषाओं के ज्यादातर शब्द एक दूसरे से मेल खाते हैं। हिंदी की यह खासियत भी है कि वह जिस सहजता के साथ क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों को अपने में समाहित करती है, उतनी ही आसानी से अंग्रेजी के शब्दों को भी।

भारतीय भाषाएँ

भारत में लगभग 325 भाषाएँ और एक हजार से अधिक उपभाषाएँ और बोलियाँ बोली जाती हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार पूरे देश में लगभग 2198 सामाजिक समुदाय हैं। इनमें से लगभग 1261 समुदाय हिंदी-उर्दू तथा उनकी उपभाषाओं का प्रयोग बोलचाल में करते हैं। कश्मीर की भाषा उर्दू है। उर्दू और हिंदी में कोई अंतर नहीं है। पंजाब के पंजाबी और हिंदी में समानताएं बहुत हैं। गुजरात में गुजराती भाषा है। यहाँ 90 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या हिंदी जानती है। महाराष्ट्र की मराठी भाषा भी हिंदी के बहुत नजदीक है। मुंबई में बनने वाली हिंदी फिल्मों तथा हिंदी फ़िल्मी गानों ने हिंदी को भारत के कोने-कोने तक पहुंचाया है। यहाँ भी अधिकांश जनता हिंदी जानते हैं।

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजभाषा तेलुगु और उर्दू हैं। यहाँ 80 प्रतिशत जनता उर्दू जानती है। कर्नाटक की कन्नड़ भाषा है। यहाँ 50 प्रतिशत जनता हिंदी जानती है। केरल की मूलतः भाषा मलयालम है। केरल में हिंदी लोकप्रिय भाषा है। तमिलनाडु में हिंदी फिल्में, हिंदी गाने भी बहुत लोकप्रिय हैं। लक्षद्वीप में हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तमिल जैसी कई भाषाएँ बोली जाती हैं। गोवा की मूल भाषा कोंकणी और मराठी भाषा है। यहाँ 80 प्रतिशत जनता हिंदी जानती है। बंगाली और हिंदी में अधिक अंतर नहीं है। उड़ीया भाषा संस्कृत के अति निकट की भाषा है। यहाँ 55 प्रतिशत से अधिक जनता हिंदी जानती है व इसका उपयोग करती है। असम में असमिया भाषा ही प्रमुख है। यहाँ हिंदी की स्थिति बहुत मजबूत है। अरुणाचल प्रदेश की मुख्य भाषा के रूप में अंग्रेजी तथा हिंदी भाषाओं की प्रधानता है। यहाँ 60 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या हिंदी जानती है। मेघालय में हिंदी

जानने वाली जनता लगभग 30 से अधिक है। नागालैंड में भी अब हिंदी का बोल-बाला बढ़ रहा है। 30 प्रतिशत से अधिक जनता हिंदी जानती है मणिपुर की स्थानीय भाषा मितेई का स्थान बंगाली और संस्कृत भाषा ने लिया है। आज मणिपुर में हिंदी काफी लोकप्रिय हो गई है। त्रिपुरा की मूल भाषा बंगाली है 40 प्रतिशत से अधिक जनता हिंदी जानती है। मिजोरम में भाषाई दृष्टि से मिजो और अंग्रेजी सरकारी काम की भाषा है।

शिक्षा आयोगों का गठन

स्वतंत्रता से पूर्व एवं स्वतंत्रता के पश्चात समाज में शिक्षा की तात्कालिक स्थिति एवं भावी आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए समय-समय पर विभिन्न आयोगों का गठन किया गया है उन सभी आयोगों द्वारा शिक्षा के माध्यम के रूप में भाषा पर अपनी संस्तुतियाँ प्रस्तुत की गईं। संस्कृतियों के आधार पर तैयार की गई नीतियों में भी उनका प्रभाव देखा गया। सिफारिशों के आधार पर शिक्षा में मातृभाषा के महत्व से संबंधित सुझाव दिये गये।

मैकाले (1835) ने अपने विवरण पत्र में मातृभाषा को महत्व नहीं दिया, उसने मातृभाषा को नजरअंदाज करते हुए कहा कि भारत के निवासियों में प्रचलित देशी भाषाओं में साहित्यिक तथा वैज्ञानिक ज्ञान कोश का अभाव है और वे इतनी अविकसित तथा गँवारू हैं कि जब तक उनको बाह्य भण्डार से सम्पन्न नहीं किया जायेगा तब तक उनसे किसी भी महत्वपूर्ण पुस्तक का सरलता से अनुवाद न हो सकेगा।

बुड (1854), ने अपने घोषणा पत्र में अंग्रेजी एवं क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं को शिक्षा प्रदान करने हेतु माध्यम के रूप में स्वीकार किया है। घोषणा पत्र में स्वीकार किया गया है कि यूरोपीय ज्ञान के प्रसार हेतु अंग्रेजी भाषा तथा अन्य परिस्थितियों में भारतीय भाषाओं को शिक्षा के रूप में साथ-साथ देखने की आशा व्यक्त की जाती है। भारतीय शिक्षा आयोग (1882), ने शिक्षा के माध्यम के विषय में सुझाव देते हुए प्राथमिक शिक्षा में भारतीय भाषाओं को ही शिक्षा का माध्यम बनाने की संस्तुति की थी।

सैडलर आयोग (1919) द्वारा इन्टरमीडिएट स्तर तक भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाये जाने की सिफारिश की, आयोग की इस सिफारिश को सरकार द्वारा भी मान्यता प्रदान की गई।

बुडएबट (1937), के प्रत्यावेदन के अनुसार निम्न माध्यमिक कक्षाओं में अंग्रेजी की शिक्षा पर बल नहीं देना चाहिए तथा हाई स्कूल तक की शिक्षा भारतीय भाषाओं के माध्यम से देनी चाहिए।

सार्जेण्ट प्रत्यावेदन (1944), द्वारा सभी हाई स्कूलों में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को बनाने के लिए कहा गया।

राधाकृष्ण आयोग (1949) द्वारा सुझाव दिया गया था कि उच्च माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों को तीन भाषाओं का ज्ञान कराया जाये। प्रारम्भिक स्तरों पर मातृभाषा को ही स्वीकार किया गया।

मुदालियर आयोग (1953) द्वारा सुझाव दिया गया कि हिंदी को विद्यालय स्तर पर अनिवार्य विषय बनाया जाना चाहिए।

शिक्षा आयोग (1966) ने मातृभाषा के प्रयोग को स्वीकार करते हुए प्रार्थमिक स्तर पर मातृभाषा के प्रयोग पर बल दिया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968) द्वारा शिक्षा नीति में त्रिभाषा सूत्र को अपनाते हुए प्रारंभिक स्तरों पर मातृभाषा को माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005) में बालक की शिक्षा में मातृभाषा के महत्व को स्वीकार करते हुए कम से कम प्रार्थमिक स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा को अपनाने का सुझाव दिया गया है तथा भारत में बहुभाषिकता को प्रोत्साहित करने हेतु त्रिभाषा सूत्र को कार्य रूप एवं भाव रूप में अपनाने का सुझाव दिया है। इस प्रकार अधिकांश आयोगों द्वारा अपनी संस्तुतियों में मातृभाषा आधारित शिक्षा व्यवस्था के प्रोत्साहन की बात की गई, समय-समय पर जारी की गई शिक्षा नीतियों में भी शिक्षा माध्यम के रूप में मातृभाषा की वकालत की गई है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर मातृभाषा के महत्व को उल्लिखित करने वाले शोध बहुतायत हैं जो यह प्रदर्शित करते हैं कि मातृभाषा का बालक के जीवन में विशेष महत्व है।

विभिन्न शोध परिणाम दर्शाते हैं कि मातृभाषा का उपयोग करते हुए छात्र अधिक स्वाभाविक तरीके से स्वयं को अभिव्यक्त कर सकते हैं तथा कक्षा कक्ष अंतर क्रिया में खुलकर प्रतिभागिता कर सकते हैं। बालक के सर्वांगीण विकास में मातृभाषा के महत्व सिद्ध होने तथा विभिन्न आयोगों द्वारा मातृभाषा के उपयोग की संस्तुति के बावजूद भारतीय परिदृश्य में जिस तरह मातृभाषा की अवहेलना की जा रही है वह वास्तव में चिंताजनक है। यह विडम्बना ही है कि पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा माध्यम के रूप में मातृभाषा के प्रति समाज का रुझान कम हुआ है, अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों को विशेष वरीयता दी जा रही है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (2017) के अनुसार कक्षा 3, 5 एवं 8 के विद्यार्थियों जिनकी घर में बोली जाने वाली भाषा, विद्यालय में शिक्षकों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा से भिन्न थी, की तुलना में उन विद्यार्थियों की उपलब्धि सार्थक रूप से बेहतर रही जिनकी घर में बोली जाने वाली भाषा तथा विद्यालय में शिक्षकों द्वारा प्रयोग की

जाने वाली भाषा में समानता थी।

भारत सरकार ने एक प्रशसनीय कदम उठाते हुए नयी शिक्षा नीति-2020 में पांचवी कक्षा तक अनिवार्य रूप से मातृभाषा एवं स्थानीय भाषा में शिक्षा देने का प्रावधान किया है। इस शिक्षा नीति में हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं के मध्य सौहार्द स्थापित करने का सार्थक प्रयास किया गया है। मातृभाषा या स्थानीय भाषा में दी गयी शिक्षा समाज निर्माण की प्रक्रिया में आधारभूत परिवर्तन लाने में सक्षम हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2023

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2023 (एनईपी-2023) देश के शैक्षिक परिदृश्य में एक अभिनव बदलाव का प्रतीक है, जो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दूरदर्शी नेतृत्व से प्रेरित है। यह परिवर्तनकारी नीति, तीन दशक पुराने ढांचे की जगह, एक आधुनिक शिक्षा प्रणाली की कल्पना करती है जो सीमाओं से परे है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2023 का लक्ष्य भारत को एक वैश्विक शैक्षिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करना है। इस नीति के केंद्र बिंदुओं में ऑनलाइन शिक्षा, विस्तारित स्कूल घंटे और पारंपरिक रटंत शिक्षा से हटना शामिल है। एक समावेशी और सुलभ शिक्षण वातावरण बनाना जो जीवन के सभी क्षेत्रों के व्यक्तियों को सशक्त बनाता है।

अतीत से एक प्रमुख विचलन पारंपरिक 10+2 मॉडल से प्रगतिशील 5+3+3+4 संरचना में बदलाव है। यह नया ढांचा शिक्षा के सभी स्तरों पर आवश्यक कौशल और जीवन दक्षताओं पर जोर देता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2023 एक ऐसे भविष्य की ओर भारत की प्रगति का प्रतिनिधित्व करती है जहां शिक्षा सिर्फ एक विशेषाधिकार नहीं है बल्कि सशक्तिकरण के लिए एक सार्वभौमिक रूप से सुलभ उपकरण है। यह नीति भारत में सीखने में क्रांति लाने के लिए तैयार असंख्य तरीकों के बारे में गहराई से जानने के लिए हमारे साथ बने रहें।

नई शिक्षा नीति (एनईपी) 2023 के माध्यम से भारत में शिक्षा प्रणाली के हालिया ओवरहाल ने मुख्य रूप से पारंपरिक 10+2 संरचना से नई 5+3+3+4 व्यवस्था में बदलाव के कारण ध्यान आकर्षित किया है। सरकार द्वारा अपनाई गई 5+3+3+4 संरचना छात्रों में व्यापक संज्ञानात्मक विकास के पोषण के महत्व को रेखांकित करती है। यह ढाँचा पिछले 10+2 मॉडल के विपरीत, मूलभूत से लेकर माध्यमिक स्तर तक बच्चों की शैक्षिक यात्रा को समृद्ध करता है। 5+3+3+4 संरचना के व्यापक लाभ छात्र के विकास के हर पहलू को छूते हैं, जिसमें शैक्षणिक, सामाजिक और व्यक्तिगत विकास शामिल है।

6 से 14 वर्ष के बजाय 3 से 18 वर्ष की आयु को समायोजित करके, संरचना शिक्षा तक शीघ्र और निरंतर पहुंच सुनिश्चित करती है, शुरुआत से ही छात्रों के सीखने के अधिकार को बरकरार रखती है। नई संरचना बुनियादी शिक्षा को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाती है, जिससे छात्रों के लिए एक मजबूत आधार तैयार होता है क्योंकि वे शिक्षा के विभिन्न चरणों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। उच्च छात्र प्रतिधारण दर को बढ़ावा देने के लिए इस ढांचे के कार्यान्वयन की आशा करते हुए, संस्थानों का लक्ष्य समान संस्थानों के भीतर लंबे शैक्षणिक करियर को बढ़ावा देना है।

यह नया दृष्टिकोण उच्च साक्षरता दर में योगदान करने के लिए तैयार है, जिससे अधिक शिक्षित आबादी उत्पन्न करके देश के भविष्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस आधुनिक संरचना में बदलाव एक प्रगतिशील मानसिकता को दर्शाता है, जो शिक्षा को समाज की उभरती जरूरतों और 21वीं सदी की मांगों के साथ जोड़ता है। आयु सीमा को शामिल करके, संरचना छात्रों को आगे की शिक्षा, करियर गतिविधियों और सामान्य रूप से जीवन की चुनौतियों के लिए बेहतर ढंग से तैयार करती है। 5+3+3+4 संरचना सर्वांगीण व्यक्तियों को विकसित करने का वादा करती है, जो लंबे समय में देश की वृद्धि और समृद्धि में सार्थक योगदान देने के लिए तैयार हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बालक की शिक्षा में मातृभाषा के महत्व को विशेष रूप से उल्लिखित करती है, नई शिक्षा नीति के अनुसार "यह सर्विदित है कि छोटे बच्चे अपनी घर की भाषा/मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते हैं और समझते हैं। घर की भाषा आमतौर पर मातृभाषा या स्थानीय समुदायों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। हालांकि, कई बार बहुभाषी परिवारों में, परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा बोली जाने वाली एक घरेलू भाषा हो सकती है, जो कभी-कभी मातृभाषा या स्थानीय भाषा से भिन्न हो सकती है। जहाँ तक संभव हो, कम से कम कक्षा 5 तक लेकिन बेहतर यह होगा कि कक्षा 8 और उससे आगे तक शिक्षा का माध्यम, घर की भाषा/मातृभाषा या स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा में भी हो। इसके बाद, घर/स्थानीय भाषा को जहाँ भी संभव हो भाषा के रूप में पढ़ाया जाता रहेगा। सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के स्कूल इसकी अनुपालना करेंगे। विज्ञान सहित सभी विषयों में उच्चतर गुणवत्ता वाली पाठ्य पुस्तकों को घरेलू भाषाओं/मातृभाषा में उपलब्ध कराया जाए।

आत्मनिर्भर भारत और हिंदी, हिंदी भाषा आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण साधन है जो संचार, व्यापार, शिक्षा और सांस्कृतिक एकता को संवर्धित करती है। सोशल मीडिया

प्लेटफॉर्म के उदय ने हिंदी भाषा और आज विश्व में भारत का सम्मान बढ़ रहा है। आज विश्व का हर देश भारत के साथ अपना व्यापार, तकनीक साझा करने के लिए तैयार है, यह हम सभी भारतीयों के लिए बहुत गर्व की बात है।

निष्कर्ष:

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत के विकास में हिंदी का विशेष योगदान है। आज हमें सभी जानते हैं कि भारत विश्व की 5वीं उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। आज विश्व के अनेक देश हिंदी का सम्मान कर रहे हैं इस प्रकार हम कह सकते हैं :-

हिंदी को बनाओ अपने जीवन का आधार ।

भारत का विश्व गुरु बनने का सपना करो साकार ।

सन्दर्भ :

1. भारतीय शिक्षा आयोग (1882)
2. सैडलर आयोग (1919)
3. सार्जेण्ट प्रत्यावेदन (1944),
4. माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार (1953)
5. राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1966, एन सी ई आर टी (1970)
6. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार (1968),
7. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार (1986)
8. भारतीय शिक्षा आयोग 1982, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (1982)
9. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005), एन सी ई आर टी
10. राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2017, एन सी ई आर टी (2020),
11. विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (राधाकृष्ण आयोग) 1949, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार (1962),
12. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार (2020)
13. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2023 शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार (2023)
14. मैकाले, टी.बी. (1835), 'मिनट अपान इंडियन एजुकेशन'
15. कर्लिगर, एन. एफ. (2002), 'फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरल रिसर्च', सुरजीत पब्लिकेशन, दिल्ली
16. कौल, एल. (2009), 'मेथडोलॉजी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च' विकास पब्लिकेशन हाउस प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली
17. बेस्ट, जे. डब्ल्यू. एण्ड काहन, जे. वी. (1993), 'रिसर्च इन एजुकेशन', प्रेटिस हॉल ऑफ इंडिया प्राइवेट, नई दिल्ली

डॉ० रविता पाठक

सहायक प्रोफेसर,

ओड़िशा केंद्रीय विश्वविद्यालय, कोरापुट

मोबाइल नम्बर: 96 79 86 12 17

email: rpathak@cuo-ac-in



सारांश

शिक्षा व्यक्तियों के व्यक्तित्व और रचनात्मकता को विकसित करने की एक प्रक्रिया है, ताकि वे स्वस्थ समाज और प्रगति को बढ़ावा देने में सहायता कर सकें। शिक्षा वास्तव में एक प्रक्रिया है, जो व्यक्तिगत क्षमताओं, सामाजिक वातावरण, आर्थिक विकास, आसपास के नैतिक और विशेषकर सभी अनुकूलन क्षमता को प्रभावित करती है। शिक्षा से अपेक्षा की जाती है कि वह ज्ञान के अनुप्रयोग के लिए सिद्धांतों, विधियों और दिशानिर्देशों को विकसित करें, ताकि समाज को लाभ पहुंचाया जा सके। विकास की समस्याओं के समाधान के लिए ज्ञान और कौशल प्रदान करने की भी अपेक्षा की जाती है। शिक्षा लोगों और छात्रों को शारीरिक और सामाजिक वातावरण के बारे में समझ और दृष्टिकोण विकसित करने में सक्षम होनी चाहिए।

अरस्तु (Aristotle) से पूछे गए प्रश्न के उत्तर में शिक्षा के महत्व की व्याख्या की जा सकती है। उनसे यह प्रश्न पूछा गया था कि अशिक्षित लोगों की तुलना में शिक्षित लोग कितने बेहतर हैं, उत्तर था जिस प्रकार जीवित व्यक्ति मृतकों की तुलना में बेहतर होते हैं। इस प्रकार शिक्षा व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता को आकार देने और उनके माध्यम से समाज और विश्व को आकार देने की एक प्रक्रिया है। यह मानव संसाधन में एक निवेश है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के वर्तमान युग में, यह तेजी से अनुभव किया गया है कि एक व्यक्ति को न केवल बेहतर मानव और बेहतर सामाजिक प्राणी बनने के लिए शिक्षित होने की आवश्यकता है, बल्कि उसे एक रचनात्मक और उत्पादक प्राणी भी होना चाहिए। स्पष्ट है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में शिक्षा की अहम भूमिका है। प्राचीन काल में भारत शिक्षा के बल पर ही विश्व गुरु कहा जाता था। आज शिक्षा केवल पारंपरिक नहीं रह गई है अपितु वह ज्ञान विज्ञान की तकनीक से जुड़कर और अधिक लोकप्रियोगी और कल्याणकारी हो गई है।

आज के युग में तकनीकी उन्नति ने हर क्षेत्र को प्रभावित किया है और शिक्षा भी इससे अछूती नहीं रही है। डिजिटल युग में शिक्षा का परिदृश्य 5G के रूप से बदल रहा है, जिससे युवा पीढ़ी की जिम्मेदारियाँ और अवसर भी बदल रहे हैं। पहले की अपेक्षा आज की शिक्षा प्रणाली में तकनीकी उपकरणों और डिजिटल संसाधनों का व्यापक उपयोग हो रहा है। ऑनलाइन कक्षाएं, वर्चुअल लैब्स, और डिजिटल लाइब्रेरी जैसे साधनों ने छात्रों के सीखने के तरीके को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया है। इससे शिक्षा अधिक सुलभ और प्रभावी हो गई है, जिससे छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है। तकनीकी उन्नति ने शिक्षा को व्यक्तिगत

और अनुकूलित बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग (ML) जैसी तकनीकों का उपयोग करके छात्रों के व्यक्तिगत सीखने के अनुभव को बेहतर बनाया जा सकता है। इसके माध्यम से शिक्षकों को छात्रों की प्रगति को ट्रैक करने और उनकी विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिलती है। युवाओं की भूमिका भी इस नए तकनीकी-सम्मत शिक्षा प्रणाली का न केवल लाभ उठा रहे हैं, बल्कि वे इसके विकास में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। कोडिंग, डेटा एनालिटिक्स, और डिजिटल मार्केटिंग जैसे कौशलों में प्रवीणता हासिल करके वे नए रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं और उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। इसके अलावा, युवाओं को तकनीकी नवाचारों के नैतिक और सामाजिक पहलुओं पर भी ध्यान देना चाहिए। उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि तकनीकी उन्नति समाज के सभी वर्गों के लिए लाभदायक हो और इसके उपयोग में नैतिकता और संवेदनशीलता बनी रहे।

इस प्रकार, तकनीक के नए परिदृश्य में शिक्षा और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिससे वे भविष्य के निर्माण में सक्रिय योगदान दे सकें तकनीक और शिक्षा का संगम लचीलापन और सुलभता डिजिटल क्लासरूम और ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म छात्रों को कहीं से भी, कभी भी पढ़ने की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे शिक्षा अधिक सुलभ हो गई है। पारंपरिक कक्षाओं के विपरीत, छात्र अपने समय और स्थान के अनुसार अध्ययन कर सकते हैं, जिससे वे अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर जिम्मेदारियों को आसानी से संतुलित कर सकते हैं। यह विशेष रूप से कामकाजी पेशेवरों और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों के लिए लाभकारी है। इसके अलावा, ऑनलाइन संसाधनों की व्यापक उपलब्धता ने शिक्षा के अवसरों को और भी विस्तृत किया है, जिससे विभिन्न प्रकार के ज्ञान और कौशल हासिल किए जा सकते हैं।

प्रभावी शिक्षण विधियाँ:-

शिक्षकों के लिए डिजिटल उपकरण और इंटरनेट शिक्षण को अधिक प्रभावी और दिलचस्प बनाने का अवसर देते हैं। वीडियो लेक्चर, इंटरएक्टिव क्विज़, और वर्चुअल सिमुलेशन जैसे उपकरण छात्रों की समझ और रुचि को बढ़ाते हैं। शिक्षकों को भी अधिक रचनात्मक और नवीन तरीकों से सामग्री प्रस्तुत करने का मौका मिलता है। इसके अलावा, डिजिटल माध्यमों से शिक्षकों को छात्रों की प्रगति को अधिक आसानी से ट्रैक और मूल्यांकन करने की सुविधा मिलती है, जिससे वे व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार शिक्षण विधियों को अनुकूलित

कर सकते हैं। इस प्रकार, शिक्षण प्रक्रिया अधिक प्रभावी और छात्र-केंद्रित हो जाती है।

उच्च गुणवत्ता की शिक्षा ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे ब्वनतेमत, न्कमउल, और झींद। बं कमउल विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए कोर्स प्रदान करते हैं, जिससे छात्रों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिलती है। ये प्लेटफॉर्म विभिन्न विश्वविद्यालयों और उद्योग विशेषज्ञों के सहयोग से विकसित किए जाते हैं, जिससे छात्रों को नवीनतम और प्रासंगिक ज्ञान प्राप्त होता है। इसके अलावा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म छात्रों को अपने सीखने की गति और समय के अनुसार पाठ्यक्रमों को पूरा करने की स्वतंत्रता देते हैं। इस प्रकार, वे अपनी शिक्षा को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं, जिससे उनके ज्ञान और कौशल में उल्लेखनीय सुधार होता है।

विस्तृत कोर्स उपलब्धता:-

ये प्लेटफॉर्म विभिन्न विषयों पर विस्तृत कोर्स उपलब्ध कराते हैं, जिन्हें छात्र अपने समयानुसार पूरा कर सकते हैं। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानविकी, और व्यवसाय जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अनगिनत कोर्सेज उपलब्ध हैं, जिससे छात्रों को उनके रुचि और कैरियर की आवश्यकताओं के अनुसार विषय चुनने का अवसर मिलता है। इसके अलावा, प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कोर्सेज का स्तर भी विविध होता है, जिससे शुरुआती से लेकर उन्नत स्तर तक के छात्रों की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। इस प्रकार, ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म शिक्षा की व्यापक और गहन पहुंच प्रदान करते हैं।

सतत सीखने की प्रक्रिया:-

डिजिटल शिक्षा से छात्रों को एक सतत सीखने की प्रक्रिया का अनुभव होता है, जिससे वे नवीनतम ज्ञान और तकनीकों से अपडेट रहते हैं। यह प्रक्रिया छात्रों को जीवन भर सीखने की आदत विकसित करने में मदद करती है, जिससे वे अपने कैरियर और व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक नए कौशल और ज्ञान को लगातार हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा, ऑनलाइन कोर्सेज और वेबिनार्स के माध्यम से छात्रों को अद्यतन जानकारी और उद्योग के रुझानों तक पहुंच मिलती है, जिससे वे प्रतिस्पर्धात्मक बने रहते हैं। इस प्रकार, डिजिटल शिक्षा सतत सीखने को प्रोत्साहित करती है और छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करती है। सामाजिक और वैश्विक कनेक्टिविटी डिजिटल क्लासरूम और ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म छात्रों को वैश्विक स्तर पर अन्य छात्रों और शिक्षकों से जुड़ने का अवसर देते हैं, जिससे उनके सीखने का अनुभव और समृद्ध होता है। ऑनलाइन चर्चा मंचों, समूह परियोजनाओं, और वेबिनार्स के माध्यम से छात्र विभिन्न संस्कृतियों और पृष्ठभूमियों के साथ संवाद कर सकते हैं। यह वैश्विक कनेक्टिविटी उन्हें व्यापक दृष्टिकोण और सांस्कृतिक संवेदनशीलता विकसित करने में मदद करती है। इसके अलावा, छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों और उद्योग के पेशेवरों से सीखने का

अवसर मिलता है, जिससे उनके ज्ञान और कौशल में वृद्धि होती है। इस प्रकार, डिजिटल शिक्षा वैश्विक जुड़ाव को बढ़ावा देती है।

आर्थिक बचत:-

डिजिटल शिक्षा माध्यमिक और उच्च शिक्षा की तुलना में अधिक किफायती हो सकती है, जिससे छात्रों और उनके परिवारों पर वित्तीय भार कम होता है। ऑनलाइन कोर्सेज और डिजिटल सामग्री की उपलब्धता ने शिक्षा की लागत को काफी हद तक कम कर दिया है। छात्र परिवहन, आवास, और अन्य शारीरिक कक्षाओं से जुड़े खर्चों से बच सकते हैं। इसके अलावा, कई ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म मुफ्त या रियायती दरों पर कोर्सेज उपलब्ध कराते हैं, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को भी उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलता है। इस प्रकार, डिजिटल शिक्षा आर्थिक रूप से सुलभ होती है।

नवाचार और सुधार:-

डिजिटल शिक्षा के माध्यमों ने शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को एक नई दिशा दी है, जिससे भविष्य में शिक्षा के क्षेत्र में और भी अधिक नवाचार और सुधार देखने को मिलेंगे। तकनीकी उपकरणों और सॉफ्टवेयर के उपयोग ने शिक्षण को अधिक इंटरएक्टिव और प्रभावी बना दिया है। इसके अलावा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग शिक्षा में सुधार और व्यक्तिगत शिक्षण अनुभव प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। डिजिटल शिक्षा के इस विकासशील क्षेत्र में निरंतर नवाचार से शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार होगा, जिससे एक अधिक शिक्षित और सक्षम समाज का निर्माण होगा।

युवा पीढ़ी की भूमिका:-

नई तकनीकों को तीव्रता से अपना रही है। युवा पीढ़ी नई तकनीकों को तेजी से अपनाने में अग्रणी है। वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी आधुनिक तकनीकों के प्रति उत्सुक हैं और इन्हें सीखने में संकोच नहीं करते। उनके त्वरित अनुकूलन और प्रयोगशीलता के कारण, तकनीकी नवाचार तेजी से संभव हो पाता है। यह पीढ़ी डिजिटल परिवर्तन की धारा में न केवल शामिल हो रही है, बल्कि उसे दिशा भी दे रही है, जिससे समाज और उद्योग दोनों को लाभ हो रहा है। उनका तकनीकी कौशल उन्हें भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाता है।

नवाचार में अग्रणी:-

युवा अपनी जिज्ञासा और तकनीकी समझ से नवाचार में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। वे नए-नए इनोवेशन कर रहे हैं, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति हो रही है। उनकी रचनात्मकता और प्रयोगशीलता उन्हें अद्वितीय बनाती है। वे पारंपरिक तरीकों से

हटकर नए और प्रभावी समाधान विकसित कर रहे हैं। यह पीढ़ी नए विचारों को जन्म देने और उन्हें साकार करने में सक्षम है, जिससे उद्योग और समाज में सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं। उनकी पहल और योगदान से भविष्य की प्रौद्योगिकी और जीवनशैली में सुधार हो रहा है।

स्टार्टअप्स की सीपना:-

तकनीकी शिक्षा और नवाचार के कारण युवा उद्यमिता में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वे अपने स्टार्टअप्स शुरू कर रहे हैं, जिससे वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो रहे हैं और साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर रहे हैं। उनके स्टार्टअप्स विभिन्न समस्याओं के समाधान प्रदान कर रहे हैं और समाज को लाभ पहुँचा रहे हैं। युवा उद्यमियों की संख्या में वृद्धि से व्यापारिक परिवेश में भी बदलाव आ रहा है, जहाँ नई तकनीकों और विचारों को महत्व दिया जा रहा है। यह पीढ़ी व्यवसाय के नए आयाम स्थापित कर रही है।

रोजगार के नए अवसर:-

युवा अपने स्टार्टअप्स और नवाचार के माध्यम से रोजगार के नए अवसर पैदा कर रहे हैं। उनकी उद्यमशीलता न केवल उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता दिला रही है, बल्कि अन्य लोगों को भी रोजगार के अवसर प्रदान कर रही है। यह समाज में बेरोजगारी की समस्या को कम करने में मदद कर रही है। उनके द्वारा निर्मित रोजगार अवसर विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए हैं, जिससे विविधता और विकास को प्रोत्साहन मिल रहा है। यह पहल आर्थिक समृद्धि और स्थिरता को बढ़ावा दे रही है, जिससे व्यापक स्तर पर सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं।

सामाजिक समस्याओं का समाधान :-

युवा नई तकनीकों का उपयोग कर विभिन्न सामाजिक समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे अपनी तकनीकी समझ और नवाचार क्षमता से समाज के विभिन्न मुद्दों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, और पर्यावरण में सुधार ला रहे हैं। उनकी पहल और योगदान से समाज में सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं। तकनीकी साधनों का उपयोग कर वे सस्ती और सुलभ समाधान प्रदान कर रहे हैं, जिससे समाज के विभिन्न वर्गों को लाभ मिल रहा है। उनकी सक्रियता और समर्पण से समाज में जागरूकता और सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हो रही है।

तकनीकी प्रोडक्ट्स और सेवाओं का विकास:-

युवा नए-नए तकनीकी प्रोडक्ट्स और सेवाओं का विकास कर रहे हैं, जो सामाजिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण हैं। उनकी रचनात्मकता और तकनीकी कौशल से उत्पन्न ये उत्पाद और सेवाएँ समाज के विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति ला रही हैं। वे उपयोगकर्ता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए समाधान विकसित कर रहे हैं, जो जीवन को सरल और अधिक सुविधाजनक बना रहे हैं।

उनके नवाचार से बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है और गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। यह प्रक्रिया आर्थिक विकास और सामाजिक उन्नति को बढ़ावा दे रही है।

शिक्षा और कौशल विकास:-

युवा तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास में भी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। वे लगातार नए-नए तकनीकी कौशल सीख रहे हैं और अपनी क्षमता को बढ़ा रहे हैं। यह न केवल उन्हें व्यक्तिगत और पेशेवर रूप से सशक्त बना रहा है, बल्कि उद्योग की मांगों को भी पूरा कर रहा है। उनकी शिक्षा और कौशल विकास की पहल से तकनीकी क्षेत्र में दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ रही है। वे नये शैक्षिक साधनों और प्लेटफार्मों का उपयोग कर सीखने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बना रहे हैं, जिससे उनकी और समाज की उन्नति हो रही है।

सामाजिक और आर्थिक सुधार:-

युवा पीढ़ी की सक्रियता और नवाचार के प्रति समर्पण भविष्य में तकनीकी प्रगति और सामाजिक सुधार में महत्वपूर्ण भूमिकानिभाएगा। वे नई तकनीकों और विचारों के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के समाधान में योगदान दे रहे हैं। उनकी पहल से समाज में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं, जो विकास और प्रगति को बढ़ावा दे रहे हैं। यह पीढ़ी समर्पित और प्रेरित है, जिससे भविष्य की चुनौतियों का सामना करना आसान हो जाएगा। उनकी नवाचार क्षमता और सामाजिक जिम्मेदारी से समाज और अर्थव्यवस्था दोनों को समृद्धि मिल रही है।

चुनौतियाँ और समाधान:-

डिजिटल डिवाइड (डिजिटल विभाजन) इंटरनेट बुनियादी ढांचे का विस्तार ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड और मोबाइल इंटरनेट की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकारी और निजी कंपनियों को मिलकर काम करना चाहिए। इंटरनेट टॉवर्स की संख्या बढ़ाने और फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाने जैसे कदम उठाए जाने चाहिए।

सस्ते डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराना:-

सरकार और गैर-सरकारी संगठनों को मिलकर सस्ते और उपयोग में आसान टैबलेट और लैपटॉप वितरित करने के लिए योजनाएं बनानी चाहिए। इसका उद्देश्य हर छात्र को एक डिजिटल उपकरण प्रदान करना है, जिससे उनकी पढ़ाई में बाधा न आए।

डिजिटल साक्षरता अभियान:-

ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए समुदायों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। इन अभियानों में कंप्यूटर और इंटरनेट के बुनियादी उपयोग, ऑनलाइन संसाधनों की खोज, और ई-लर्निंग प्लेटफार्मों का परिचय शामिल हो। सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट्स ग्रामीण क्षेत्रों

में सार्वजनिक स्थानों पर वाई-फाई हॉटस्पॉट्स स्थापित किए जाने चाहिए। यह छात्रों और आम जनता को इंटरनेट की पहुंच सुनिश्चित करेगा और उन्हें डिजिटल संसाधनों का उपयोग करने में सक्षम बनाएगा।

सहयोगात्मक परियोजनाएं

सरकार, निजी कंपनियों और गैर-सरकारी संगठनों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। इन संगठनों को एक साथ आकर ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए परियोजनाएं शुरू करनी चाहिए।

वित्तीय सहायता और अनुदान

कम आय वाले परिवारों के बच्चों को डिजिटल उपकरण खरीदने के लिए वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान किए जाने चाहिए। यह सुनिश्चित करेगा कि आर्थिक समस्याओं के कारण कोई भी छात्र डिजिटल शिक्षा से वंचित न रहे।

मल्टीमीडिया सामग्री

विभिन्न भाषाओं और स्थानीय संदर्भों में मल्टीमीडिया सामग्री तैयार की जानी चाहिए, ताकि छात्र आसानी से समझ सकें। इससे शिक्षा का स्तर बढ़ेगा और छात्र अधिक प्रेरित महसूस करेंगे।

डिजिटल प्लेटफार्मों का प्रचार-प्रसार

शिक्षा के लिए उपयोग किए जा रहे डिजिटल प्लेटफार्मों का प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए। इससे छात्रों और शिक्षकों को ई-लर्निंग के महत्व का पता चलेगा और वे इन संसाधनों का अधिकतम लाभ उठा सकेंगे।

साइबर सुरक्षा

साइबर सुरक्षा पाठ्यक्रम

स्कूल और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में साइबर सुरक्षा को शामिल करना चाहिए। छात्रों और शिक्षकों को इंटरनेट पर सुरक्षित रहने के उपाय सिखाए जाने चाहिए, जिससे वे साइबर हमलों से बच सकें।

व्यावहारिक प्रशिक्षण

छात्रों और शिक्षकों के लिए कार्यशालाओं और सेमिनारों का आयोजन किया जाना चाहिए। इसमें उन्हें वास्तविक समय के साइबर खतरों से निपटने के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराना

स्कूलों और कॉलेजों में साइबर सुरक्षा सॉफ्टवेयर और एंटीवायरस प्रोग्राम्स की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। यह छात्रों के उपकरणों को साइबर हमलों से सुरक्षित रखेगा।

साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान

साइबर सुरक्षा के महत्व को समझाने के लिए जागरूकता अभियानों का आयोजन किया जाना चाहिए। छात्रों और शिक्षकों को नियमित रूप से सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए।

डेटा प्राइवेसी ट्रेनिंग

छात्रों और शिक्षकों को डेटा प्राइवेसी और संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा के बारे में ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। उन्हें सिखाया जाना चाहिए कि वे अपने व्यक्तिगत डेटा को कैसे सुरक्षित रखें और ऑनलाइन धोखाधड़ी से कैसे बचें।

मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन

छात्रों और शिक्षकों को अपने ऑनलाइन खातों की सुरक्षा के लिए मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (डब्ल्यू) का उपयोग करने की सलाह दी जानी चाहिए। यह अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है और साइबर हमलों से बचाव करता है।

नियमित साइबर सुरक्षा जांच

स्कूलों और कॉलेजों को नियमित रूप से अपने आईटी सिस्टम और नेटवर्क की साइबर सुरक्षा जांच करनी चाहिए। इससे कमजोरियों की पहचान कर उन्हें समय पर ठीक किया जा सकेगा।

सरकारी और निजी सहयोग

सरकार और निजी साइबर सुरक्षा कंपनियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। इससे शिक्षण संस्थानों को उन्नत साइबर सुरक्षा समाधान और सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी।

शिक्षा प्रणाली में सुधार

शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम

शिक्षकों का नियमित और अद्यतन प्रशिक्षण आवश्यक है ताकि वे नई तकनीकों और शिक्षण विधियों से परिचित हो सकें। इसके लिए वर्कशॉप्स, सेमिनार, और ऑनलाइन कोर्सेज का आयोजन किया जाना चाहिए। प्रशिक्षित शिक्षक छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान कर सकते हैं और उनकी समस्याओं को अधिक प्रभावी ढंग से सुलझा सकते हैं। शिक्षकों को विभिन्न डिजिटल उपकरणों और शैक्षिक सॉफ्टवेयर का उपयोग करना सिखाया जाना चाहिए, जिससे कक्षाओं को अधिक इंटरैक्टिव और प्रभावशाली बनाया जा सके। यह सुनिश्चित करना कि शिक्षक लगातार अपने ज्ञान और कौशल को अपडेट कर रहे हैं, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।

अद्यतित पाठ्यक्रम

पाठ्यक्रम को समय-समय पर अद्यतन करना आवश्यक है ताकि यह तेजी से बदलती तकनीकी दुनिया के साथ सामंजस्य बिठा सके। आधुनिक विषयों जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कोडिंग, और डेटा एनालिटिक्स को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। इसके साथ ही, पारंपरिक विषयों को भी अद्यतन करना चाहिए ताकि वे प्रासंगिक बने रहें। पाठ्यक्रम में बदलाव करने के लिए विशेषज्ञों और उद्योग पेशेवरों की सलाह ली जानी चाहिए, ताकि छात्रों को वर्तमान उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया जा सके। यह छात्रों को अधिक रोजगारपरक और नवाचारी बनाएगा।

प्रायोगिक शिक्षा छात्रों को सैद्धांतिक ज्ञान को व्यावहारिक अनुभव में बदलने का मौका देती है। स्कूलों और कॉलेजों में उन्नत प्रयोगशालाओं और सिमुलेशन उपकरणों की स्थापना की जानी चाहिए। प्रायोगिक परियोजनाओं और रियल-लाइफ केस स्टडीज के माध्यम से छात्रों को सीखने का अनुभव प्रदान किया जा सकता है। इससे उनकी समस्याओं को हल करने की क्षमता में वृद्धि होगी और वे जमीनी स्तर पर काम करने के लिए तैयार हो सकेंगे। प्रायोगिक शिक्षा न केवल छात्रों के ज्ञान को गहरा करती है बल्कि उन्हें आत्मविश्वासी और स्वतंत्र विचारक भी बनाती है।

डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग

डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग शिक्षा को अधिक सुलभ और लचीला बनाता है। ऑनलाइन कोर्सेज, वेबिनार्स, और वर्चुअल कक्षाओं का आयोजन करके छात्रों को किसी भी समय और किसी भी स्थान से सीखने का मौका दिया जा सकता है। डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके शिक्षण सामग्री को अधिक इंटरैक्टिव और आकर्षक बनाया जा सकता है। यह छात्रों को स्व-निर्देशित अध्ययन के लिए प्रेरित करता है और उनकी सीखने की प्रक्रिया को व्यक्तिगत बनाता है। डिजिटल शिक्षा संसाधनों का व्यापक उपयोग शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता दोनों को बढ़ाता है।

उद्योग साझेदारी और इंटर्नशिप

शिक्षा प्रणाली में उद्योग साझेदारी और इंटर्नशिप प्रोग्राम्स को शामिल करना आवश्यक है। इससे छात्रों को वास्तविक दुनिया के कार्य वातावरण का अनुभव मिलता है और वे उद्योग की मांगों के अनुसार अपने कौशल को विकसित कर सकते हैं। उद्योग विशेषज्ञों द्वारा नियमित रूप से गेस्ट लेक्चर्स और वर्कशॉप्स का आयोजन किया जाना चाहिए। इंटर्नशिप प्रोग्राम्स छात्रों को पेशेवर माहौल में काम करने का अनुभव देते हैं और उनकी व्यावहारिक ज्ञान को बढ़ाते हैं। यह उनके करियर के लिए एक मजबूत नींव तैयार करता है और रोजगार के अवसरों को बढ़ाता है।

छात्र-केंद्रित शिक्षा

छात्र-केंद्रित शिक्षा प्रणाली में छात्रों की व्यक्तिगत जरूरतों और रुचियों को ध्यान में रखा जाता है। शिक्षकों को छात्रों के सीखने के विभिन्न शैलियों और गति को पहचानना चाहिए और उनके अनुसार शिक्षण विधियों को अनुकूलित करना चाहिए। छात्रों को आत्म-अध्ययन के लिए प्रेरित करना और उन्हें सीखने की प्रक्रिया में अधिक स्वायत्तता देना आवश्यक है। फीडबैक और मूल्यांकन प्रणाली को भी छात्र-केंद्रित बनाना चाहिए, जिससे छात्रों की प्रगति को निरंतर मॉनिटर किया जा सके और आवश्यक सुधार किए जा सकें। यह छात्रों को अधिक आत्मविश्वासी और स्वतंत्र बनाता है।

मूल्यांकन प्रणाली में सुधार

मूल्यांकन प्रणाली में सुधार करना आवश्यक है ताकि यह छात्रों की वास्तविक क्षमताओं और कौशल को माप सके। केवल सैद्धांतिक ज्ञान के बजाय, प्रायोगिक और व्यावहारिक कौशल का भी आकलन किया जाना चाहिए। प्रोजेक्ट-आधारित मूल्यांकन, समूह कार्य, और लगातार आकलन के माध्यम से छात्रों की प्रगति को मॉनिटर किया जा सकता है। इसके साथ ही, आत्म-मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। यह मूल्यांकन प्रणाली छात्रों को अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन पर काम करने का मौका देती है, जिससे उनकी समग्र शिक्षा में सुधार होता है।

मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण

शिक्षा प्रणाली में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण पर भी ध्यान देना आवश्यक है। छात्रों के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को समर्थन देने के लिए परामर्श सेवाओं और मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों की स्थापना की जानी चाहिए। तनाव और दबाव को कम करने के लिए सकारात्मक और सहायक शिक्षण वातावरण बनाना महत्वपूर्ण है। योग, ध्यान, और खेल गतिविधियों को भी पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना चाहिए, जिससे छात्रों का समग्र विकास हो सके। मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने से छात्रों की शिक्षा में रुचि और प्रदर्शन में सुधार होता है।

भविष्य की दिशा: शिक्षा में नई तकनीकों का महत्व

व्यक्तिगत सीखने का अनुभव

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग (ML) तकनीकों का उपयोग करके शिक्षा में व्यक्तिगत सीखने के अनुभव को बढ़ावा दिया जा सकता है। यह तकनीकें शिक्षकों को छात्रों की व्यक्तिगत जरूरतों, उनकी सीखने की गति, और उनकी शैली को समझने में सहायता करती हैं। इसके माध्यम से शिक्षकों को प्रत्येक छात्र की विशेष आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण सामग्री तैयार करने में आसानी होती है, जिससे सीखने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी और आकर्षक बनती है।

गति और शैली के अनुसार शिक्षण

AI और ML तकनीकें शिक्षकों को यह समझने में सक्षम बनाती हैं कि छात्र किस गति से और किस शैली में सीखते हैं। इस जानकारी के आधार पर शिक्षण सामग्री को इस प्रकार तैयार किया जा सकता है कि वह प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत गति और शैली के अनुरूप हो। इससे छात्रों को उनकी पसंद और आवश्यकता के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता है, जो उनकी सीखने की क्षमता को बढ़ाता है।

जटिल विषयों की सरलता

वर्चुअल रियलिटी (VR) और ऑगमेंटेड रियलिटी (AR) तकनीकें जटिल विषयों को समझने में बेहद सहायक होती हैं।

उदाहरण के लिए, विज्ञान के छात्रों को शरीर की जटिल संरचना को वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से आसानी से समझाया जा सकता है। यह तकनीकें विषयों को अधिक सजीव और आकर्षक बनाती हैं, जिससे छात्रों की समझ गहरी होती है और वे अधिक उत्साहित होकर सीखते हैं।

वास्तविक अनुभव VR और AR तकनीकों के उपयोग से छात्रों को वास्तविक अनुभव प्रदान किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, इतिहास के छात्रों को ऐतिहासिक स्थलों की सैर VR के माध्यम से कराई जा सकती है। इससे वे विषय को अधिक जीवंत और रुचिकर तरीके से अनुभव कर सकते हैं। यह तकनीकें छात्रों को विषय के प्रति अधिक जुड़ाव और उत्साह का अनुभव कराती हैं।

इंटरैक्टिव पढ़ाई

ऑगमेंटेड रियलिटी (AR) के माध्यम से पढ़ाई को अधिक इंटरैक्टिव और आकर्षक बनाया जा सकता है। AR तकनीकें शिक्षण सामग्री को इस प्रकार प्रस्तुत करती हैं कि छात्र उसे न केवल देख सकें, बल्कि उसके साथ इंटरैक्ट भी कर सकें। इससे छात्रों की पढ़ाई में रुचि बढ़ती है और उनकी सीखने की क्षमता में वृद्धि होती है। इंटरैक्टिव पढ़ाई से छात्रों को विषय की गहरी समझ प्राप्त होती है।

गुणवत्तापूर्ण सुधार

AI, ML, VR, VK, SJ, AR जैसी उन्नत तकनीकों के समावेश से शिक्षा क्षेत्र में न केवल गुणवत्तापूर्ण सुधार होता है, बल्कि शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए शिक्षण और सीखने का अनुभव भी अत्यधिक समृद्ध और प्रभावी बनता है। यह तकनीकें शिक्षा को अधिक सुलभ, आकर्षक, और प्रभावी बनाती हैं, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होता है और छात्रों को बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं।

समय और संसाधनों की बचत

AI और ML तकनीकों के उपयोग से शिक्षण प्रक्रिया में समय और संसाधनों की बचत होती है। यह तकनीकें स्वचालित रूप से छात्रों की प्रगति की निगरानी कर सकती हैं और शिक्षकों को आवश्यक निर्देश दे सकती हैं। इससे शिक्षकों को अधिक समय मिलता है जिसे वे शिक्षण सामग्री को सुधारने और छात्रों की व्यक्तिगत जरूरतों पर ध्यान देने में उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही, यह तकनीकें शिक्षण सामग्री को अधिक कुशलतापूर्वक तैयार करने में सहायता करती हैं।

सार्वभौमिक शिक्षा

इन उन्नत तकनीकों के माध्यम से शिक्षा को हर कोने तक पहुँचाया जा सकता है, जिससे शिक्षा का दायरा बढ़ता है और अधिक लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त होती है। यह तकनीकें दूरस्थ क्षेत्रों में भी शिक्षा प्रदान करने में सक्षम होती हैं, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में समानता और समावेशिता बढ़ती है। इसके साथ ही, यह तकनीकें शिक्षा को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाती हैं, जिससे छात्रों को

उनके भविष्य के लिए बेहतर तैयार किया जा सकता है।

निष्कर्ष:

वर्तमान समय में, तकनीक ने हमारे जीवन के हर पहलू को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में तकनीक के आगमन ने न केवल सीखने और सिखाने के तरीकों को क्रांतिकारी रूप से परिवर्तित किया है, बल्कि युवा पीढ़ी को नए अवसर और चुनौतियों का सामना करने का भी मौका दिया है। इस परिदृश्य में, शिक्षा और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। शिक्षा का उद्देश्य अब केवल ज्ञान का आदान-प्रदान नहीं रह गया है, बल्कि यह युवा मस्तिष्कों को समस्या-समाधान, आलोचनात्मक सोच और नवाचार के लिए प्रोत्साहित करने का साधन बन गया है। डिजिटल प्लेटफार्मों, ई-लर्निंग और वर्चुअल क्लासरूम्स ने शिक्षा को अधिक सुलभ और इंटरैक्टिव बना दिया है। अब विद्यार्थी किसी भी विषय को गहराई से समझ सकते हैं और अपनी गति से सीख सकते हैं। इससे न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, बल्कि यह शिक्षा के क्षेत्र में समानता भी ला रहा है। तकनीकी परिदृश्य में युवाओं की भूमिका सबसे प्रमुख है। आज के युवा तकनीकी रूप से सक्षम हैं और नवीनतम तकनीकों को आत्मसात करने में तत्पर हैं। वे न केवल तकनीक के उपभोक्ता हैं, बल्कि इसके निर्माता और विकासकर्ता भी हैं। युवाओं का तकनीकी कौशल, उनकी नवाचार की क्षमता और उनकी अनुकूलनशीलता समाज को तेजी से बदल रही है। उनके द्वारा विकसित किए गए स्टार्टअप्स और तकनीकी नवाचार न केवल आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि समाज की अनेक समस्याओं का समाधान भी प्रस्तुत कर रहे हैं। हालांकि, तकनीक के इस नए परिदृश्य में कई चुनौतियाँ भी हैं। डिजिटल विभाजन, डेटा सुरक्षा, साइबर अपराध, और नैतिकता जैसे मुद्दे हमारे सामने हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें एक सशक्त और संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा। शिक्षा प्रणाली को इन मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने और युवाओं को सही दिशा में मार्गदर्शन देने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, शिक्षकों और शिक्षा नीति निर्धारकों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्हें शिक्षा के पारंपरिक तरीकों के साथ-साथ नवीनतम तकनीकी साधनों का समावेश करना होगा। इसके साथ ही, उन्हें युवाओं को तकनीकी कौशल के साथ-साथ नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति भी जागरूक करना होगा। अंत में, हमें यह समझना होगा कि तकनीक केवल एक साधन है, जिसका सही उपयोग हमें सशक्त बना सकता है। इसके लिए, युवाओं को शिक्षा और तकनीक का सही उपयोग सिखाना अत्यावश्यक है। उन्हें प्रोत्साहित करना होगा कि वे तकनीक का उपयोग केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए भी करें। यदि हम इन अवसरों का सही उपयोग करते हुए आने वाली चुनौतियों का समाधान निकाल पाएंगे, तभी हम एक

सशक्त और तकनीकी रूप से सक्षम समाज का निर्माण कर पाएंगे। यह समाज न केवल आर्थिक और तकनीकी दृष्टि से प्रगति करेगा, बल्कि यह नैतिक और सामाजिक दृष्टि से भी एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करेगा। इसी मार्ग पर चलकर हम एक उज्ज्वल और समृद्ध भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं।

संदर्भ सूची:

1. Nevin E- (08) Education and sustainable development- Retrieved from <https://www-development-educationreview.com/issue/issue&6/education&and&sustainable&development>
2. UNCED- 1992- Agenda 21- Retrieved from <https://sustainabledevelopment-un.org/content/documents/Agenda21-pdf>
3. UNECE- (2016)- Ten years of the UNECE strategy for education for sustainable development-
4. United Nations- 2002- Report of the World Summit on Sustainable Development- Retrieved from <https://sustainabledevelopment-un.org/milestones/wssd>
5. WCED- (1987)- Development] Our common future- Delhi] India: Oxford University Press-
6. World Bank- (1992)- World Development Report: Development and the Environment- New York: Oxford University press-
7. भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 www.education.gov.in
8. शर्मा संगीता एवं पाण्डेय जय शंकर (2023), उच्च शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विशेषताएं एवं भारतीय ज्ञान परम्परा के अनुशीलन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भूमिका ह्यूमैनिटीज एंड डेवलपमेंट, वॉल्यूम 18, नंबर-01, जनवरी- जून 2023। <https://humanitiesdevelopment-com/index.php/had/article/view/124/115>
9. त्रिवेदी राकेश (2014), भारतीय शिक्षा का इतिहास ओमेगा पब्लिकेशन (दरियागंज) नयी दिल्ली।

डॉ० तान्या शर्मा

सहायक प्रोफेसर

(अर्थशास्त्र विभाग)

जी०डी० कॉलेज, बेगूसराय

(बिहार)

सारांश

इस शोध पत्र का उद्देश्य दो प्रमुख मध्ययुगीन इतिहासकारों, फ़रिश्ता और बरनी द्वारा प्रस्तुत मेव और मेवात के इतिहास का तुलनात्मक विश्लेषण करना है। मेव और मेवात, जो भारतीय उपमहाद्वीप में एक महत्वपूर्ण समुदाय तथा क्षेत्र हैं, विभिन्न विद्वानों द्वारा ऐतिहासिक ग्रंथों के लेखन का विषय रहे हैं। फ़रिश्ता और बरनी अपने-अपने ग्रंथों में मध्ययुगीन काल के दौरान मेव और मेवात के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पहलुओं पर अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। इस शोध पत्र में इन इतिहासकारों द्वारा प्रस्तुत ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और आख्यानों की आलोचनात्मक विश्लेषण किया गया है। प्राथमिक स्रोतों की गहराई में जाकर, यह अध्ययन उन ऐतिहासिक संदर्भों, पूर्वाग्रहों और व्याख्याओं को उजागर करने का प्रयास करता है, जिन्होंने मेव और मेवात पर फ़रिश्ता और बरनी के लेखन को आकार दिया। यह शोध पत्र तुलनात्मक विश्लेषण, ऐतिहासिक प्रतिनिधित्व की जटिलताओं और मध्ययुगीन भारत में मेव और मेवात के विविध अनुभवों की गहराई को समझने में योगदान देगा।

परिचय:

भारतीय उपमहाद्वीप में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण मेव और मेवात मध्ययुगीन काल के दौरान अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रासंगिकता के कारण इतिहासकारों की शोध रुचि का विषय रहे हैं। मेवात का क्षेत्र प्राचीन मत्स्य साम्राज्य से मेल खाता है, जो महाभारत के पांडवों का आश्रय स्थल था और उनकी राजधानी विराट नगर, आधुनिक बैराठ थी। मेवाती भाषा इस क्षेत्र की प्रमुख बोली है और हिन्दी, हरियाणवी और राजस्थानी बोलियों का एक रूप है। यह उल्लेखनीय है कि मेवात के अधिकतर हिन्दू निवासी क्षत्रिय जातियों से संबंधित हैं और ऐसा मन जाता है कि मेव भी इस्लाम धर्म में परिवर्तित होने से पहले इन्हीं क्षत्रिय जातियों में से सम्बंधित थे लेकिन उस समय उन्हें मेव नहीं कहा जाता था। इस प्रकार, “मेव” शब्द क्षेत्र-विशिष्ट और धर्म-विशिष्ट दोनों है। मुस्लिम समुदाय से सम्बन्ध रखने वाले यह मेव मेवात के निवासी हैं। मेवात में मेवों का वर्चस्व है और सदियों से मेवात की कृषि भूमि के बड़े हिस्से पर उनका ही कब्जा है। दो प्रमुख इतिहासकारों, फ़रिश्ता और बरनी ने अपने संबंधित कार्यों में मेव और मेवात का विवरण प्रदान किया है, जो उनके ऐतिहासिक संदर्भ में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। मेव और मेवात विभिन्न विद्वानों द्वारा ऐतिहासिक आख्यानों का विषय रहे हैं, फ़रिश्ता और बरनी के विवरण इन समुदायों को समझने और इनके इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण योगदान के रूप में अध्ययन किये जाते जाते हैं।

मेव और मेवात पर फ़रिश्ता का विवरण

मोहम्मद कासिम हिंदू शाह, उपनाम फ़रिश्ता, एक फ़ारसी इतिहासकार और लेखक थे जो उनके द्वारा लिखित ग्रन्थ “गुलशन-ए-इब्राहिमी” और “तारीख-ए-फ़रिश्ता” के लिए जाने जाते हैं। उनका जन्म 1570 में कैस्पियन सागर की सीमा पर अस्ताराबाद में हुआ था। वह 1589 में बीजापुर आए और अपना शेष जीवन शाह इब्राहिम आदिल द्वितीय के संरक्षण में बिताया, जिन्होंने उन्हें भारत का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया था। फ़रिश्ता को दक्कन (दक्षिण) क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण इतिहासकारों में से एक माना जाता है। फ़रिश्ता की रचनाएँ मध्यकाल के दौरान क्षेत्र के इतिहास और संस्कृति में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। उनके लेखन को अधिकतर उस समय के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के विस्तृत विवरण के लिए सम्पूर्ण माना जाता है। फ़रिश्ता के काम का आज भी इतिहासकारों और विद्वानों द्वारा अध्ययन और सम्मान किया जाता है। फ़रिश्ता की मृत्यु लगभग 1611 में बीजापुर में हुई थी।

फ़रिश्ता ने अपने काम “तारीख-ए-फ़रिश्ता” में मेव समुदाय और मेवात क्षेत्र की राजनीतिक और सामाजिक गतिशीलता का विस्तृत विवरण प्रदान किया है। मेवात क्षेत्र, जो दिल्ली के दक्षिण में अरावली पर्वत की कई पहाड़ी श्रृंखलाओं के आसपास स्थित है, ज्यादातर मेव समुदाय बसे हुए हैं। मेव या मेवाती लोग स्वभाव से बहुत बहादुर, युद्धरत और कड़ी मेहनत करने वाले हैं जो राजपूत विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा उन्हीं में से अपनी उत्पत्ति का दावा करते हैं। मेव कई शताब्दियों से अपने शिकारी तथा युद्धप्रिय चरित्र के लिए प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने हर समय दिल्ली में तुर्क, पठान, मुगल और ब्रिटिश शासकों को बड़ी टक्कर दी। मेवात क्षेत्र अपनी समृद्ध ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ-साथ सांस्कृतिक और पारंपरिक विशिष्टता और जटिलता के कारण दुनिया भर के विद्वानों के लिए महत्वपूर्ण और आकर्षण का स्रोत है। अरबी और फ़ारसी इतिहासकारों ने इस क्षेत्र के लोगों को बहुत महत्व दिया है। शायद इस क्षेत्र के निवासी मेव कौम की स्वतंत्रता की लड़ाई के साथ-साथ शासकों द्वारा उनके प्रतिशोध के मामले में भारतीय इतिहास में कोई समानता नहीं है।

मेवात अभियान 1247:

उलुघ खान जो बाद में गियासुद्दीन बलबन के नाम से सुल्तान बना था, पहले सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद का वजीर और हांसी और रेवाड़ी का गवर्नर था। वजीर तथा गवर्नर के पद पर रहते हुए जिस पद पर रहते हुए उलुघ खान ने मेवात के निवासियों के खिलाफ

कई कार्रवाइयों की तथा अनगिनत जुल्म ढाए। फ़रिश्ता लिखता है कि 1247 में वज़ीर ने एक सेना के साथ रणथंभौर और मेवात के पहाड़ों पर चढ़ाई की। वह दुर्दम्य निवासियों को दंडित करने के बाद दिल्ली लौट आया।¹¹ फ़रिश्ता ने इस अभियान का अधिक विवरण नहीं दिया है, लेकिन यह निश्चित है कि उसने रणथंभौर और मेवात के विद्रोही प्रमुखों को हराया था। चूंकि मेवात दिल्ली के बहुत करीब और सटा हुआ है और रणथंभौर के रास्ते में है, बलबन को मेवात क्षेत्र में बहुत प्रतिरोध का सामना करना पड़ा होगा और इस युद्ध में विद्रोही मेवातियों और शाही सेनाओं दोनों को भारी क्षति हुई होगी।

मेवात अभियान 1260:

फ़रिश्ता का कहना है कि राजा के आदेश से उलुघ खान अर्थात् बलबन ने शिवालिक के पहाड़ी देश और रणथंभौर की ओर एक सेना का नेतृत्व किया, जहां मेवात के राजाओं और राजपूतों ने गड़बड़ी पैदा करना शुरू कर दिया था। उलुघ खान ने बहुत बड़ी घुड़सवार और पैदल सेना को इकट्ठा करके मेवात देश को लूटा और जला डाला। वज़ीर के पास आते ही मेवात विद्रोही पहाड़ों के बीच मजबूत चौकियों में छिप गए। वज़ीर ने वहाँ भी उनपर हमला किया और उन्हें पराजित किया। उसके बाद चार महीने तक लौह तथा रक्त नीति के अनुसार मेवात को तबाह करता रहा। इस प्रकार हताश होकर राजपूतों (मेवातियों) ने अपनी सारी सेना एकत्र की और पहाड़ों से मुसलमानों पर टूट पड़े। वज़ीर जिसने मेवातियों के रूप में एक तूफ़ान को उतरते देखा था, उसके पास उन्हें परास्त करने या उनके हमले का जवाब देने के लिए बहुत कम समय था। हमला बहुत ही हिंसक और भयानक था। ऐसे में वज़ीर अपनी सेना को एक साथ रखकर युद्ध जारी रखा लेकिन जैसे ही दोपहर के समय दुश्मन के हमले कमजोर हो गए (उस समय तक मुसलमानों ने केवल रक्षात्मक कार्रवाई की थी), वज़ीर ने अपने सैनिकों को हमला करने के लिए कहा, और शाम होने से पहले वह दुश्मन को बड़ी मार-काट के साथ वापस पहाड़ियों पर खदेड़ने में सफल हो गया। इस कार्रवाई में मुसलमानों की काफी क्षति हुई और कई बहादुर अधिकारी मारे गये। हिंदुओं (मेवातियों) में से 10,000 से अधिक लोग मारे गये और बड़ी संख्या में आम सैनिकों के अलावा उनके 200 प्रमुखों को बंदी बना लिया गया। इस कार्रवाई से वज़ीर ने रणथंभौर के किले को मुक्त करा लिया, जो कुछ महीनों से घिरा हुआ था। वज़ीर विजयी होकर दिल्ली लौट आया। बंदी बनाए गए प्रमुखों को मौत की सजा देने का आदेश दिया गया और उनके अनुयायियों को हमेशा केलिए गुलामी की सजा दी गई।¹²

मेवात अभियान 1265–66:

फ़रिश्ता 1265–66 में उलुघ खान द्वारा मेवात के एक और अभियान के बारे में लिखता है। वह लिखता है कि इस वर्ष के दौरान, एक सेना को मेवातियों के एक लुटेरे डाकू को खत्म करने का आदेश

दिया गया था, जिन्होंने राजधानी के दक्षिण-पूर्व में लगभग अस्सी मील की दूरी पर पहाड़ियों की ओर एक विस्तृत क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। वहां से वे पूर्व शासन काल में, दिल्ली के दरवाज़ों तक भी घुसपैठ बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। ऐसा कहा जाता है कि इस अभियान में 100,000 से अधिक मेवातियों को तलवार से मार दिया गया था। बलबन की सेना ने कुल्हाड़ी और अन्य औजारों से तकरीबन 100 मील की परिधि तक जंगल साफ कर दिए। इस प्रकार साफ़ किया गया मार्ग बाद में उत्कृष्ट कृषि योग्य भूमि साबित हुआ, और अच्छी तरह से खेती योग्य हो गया।¹³

मेव और मेवात पर बरनी का विवरण:

ज़ियाउद्दीन बरनी 14वीं सदी के भारतीय इतिहासकार, राजनीतिक विचारक और इस्लामी विद्वान थे। उनका जन्म भारत के उत्तर प्रदेश में वर्तमान बरन या बुलन्दशहर में हुआ था और उन्होंने कई शासकों के अधीन दिल्ली सल्तनत में एक उच्च पदस्थ अधिकारी के रूप में कार्य किया था। बरनी को उनके महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कार्य "तारीख-ए-फ़िरोज़शाही" के लिए जाना जाता है, जो सुल्तान फ़िरोज़ शाह तुगलक के शासनकाल का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। बरनी के लेखन को दिल्ली सल्तनत के राजनीतिक और सामाजिक इतिहास की अंतर्दृष्टि के साथ-साथ शासन और शासन कला पर उनके दृष्टिकोण के लिए महत्व दिया जाता है। उनके काम को मध्यकालीन भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीतिक गतिशीलता और प्रशासनिक नीतियों को समझने के लिए एक आवश्यक स्रोत माना जाता है। अपने ऐतिहासिक योगदानों के अलावा, बरनी अपने समय के बौद्धिक और साहित्यिक हलकों में भी एक प्रमुख व्यक्ति थे, और उनके विचारों का भारत के मध्ययुगीन इतिहास में रुचि रखने वाले इतिहासकारों और विद्वानों द्वारा अब भी अध्ययन और शोध कार्य जारी है।

ज़ियाउद्दीन बरनी ने "तारीख-ए-फ़िरोज़शाही" और "फतवा-ए-जहाँदारी" जैसे अपने लेखों में मेव और मेवात सहित मध्ययुगीन भारत के सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य पर अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। "तारीख-ए-फ़िरोज़शाही" को बाद के लेखकों द्वारा बहुत उद्धृत किया गया है, और यह वह मुख्य स्रोत है जहाँ से फ़रिश्ता ने इस अवधि का विवरण प्राप्त किया है। उन्होंने अपने काम "तारीख-ए-फ़िरोज़शाही" में मेव समुदाय और मेवात क्षेत्र की राजनीतिक और सामाजिक गतिशीलता का विस्तृत विवरण प्रदान किया था। इस इतिहास के लेखक और मुसलमानों के एक सच्चे शुभचिंतक ज़ियाउद्दीन बरनी ने घोषणा की है कि उन्होंने सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के जीवन और कार्यों पर जो कुछ लिखा है, वह उन्होंने स्वयं अपने पिता और दादा और उन लोगों से सुना था जो उस सल्तनत के अधीन महत्वपूर्ण कार्यालयों से सम्बन्ध रखते थे।

मेवात अभियान 1265–66:

बरनी ने बलबन के तीसरे अभियान का उल्लेख किया है और उसके लेखों से ऐसा प्रतीत होता है कि बरनी मेवात के बलबन के पहले अभियान से अनभिज्ञ था। उनका कहना है कि अपने शासनकाल के पहले वर्ष (1265–66) के अंत में गयासुद्दीन बलबन ने खुद को मेवातियों को खदेड़ने में लगा दिया, जिनके साथ शम्सुद्दीन के दिनों से किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया था। शम्सुद्दीन के बड़े बेटों की खराब आदतों और लापरवाही तथा सबसे छोटे नसीरुद्दीन की अक्षमता के कारण दिल्ली के पड़ोस में मेवातियों की वजह से अशांति बढ़ गई थी। रात के समय मेवाती लोग नगर में छिपते-छिपाते आते थे, और लोगों को हर प्रकार से परेशान करते थे, और इस तरह लोगों का चौन सकूँ छीन रहा था। मेवाती शहर के पड़ोस में स्थित ग्रामीण घरों को लूट लिया करते थे। बरनी का कहना है कि दिल्ली के पड़ोस में मेवातियों का दुस्साहस इस हद तक बढ़ गया था कि दिल्ली शहर के पश्चिमी दरवाजे दोपहर की प्रार्थना के समय बंद कर दिए जाते थे। किसी को भी उसके बाद उस दिशा में शहर से बाहर जाने की हिम्मत नहीं होती थी चाहे उसे अकेले जाना हो या भीड़ के साथ। दोपहर की प्रार्थना के समय मेवाती अक्सर सर-ए-हौज़ पर आ जाते थे और पानी भरने वालों और पानी लाने वाली लड़कियों पर हमला कर देते थे, और उन्हें निर्वस्त्र करके उनके कपड़े तक उठा ले जाते थे। मेवातियों के इन दुस्साहसिक कृत्यों ने दिल्ली में भारी उत्तेजना पैदा कर दी थी।⁴

बरनी ने आगे उल्लेख किया है कि अपने राज्यारोहण के वर्ष में, सुल्तान ने महसूस किया कि मेवातियों का दमन उसका पहला कर्तव्य था, और पूरे एक वर्ष तक वह उन्हें उखाड़ फेंकने और जंगलों को खंगालने में लगा रहा, और उसने इस कार्य को उसने प्रभावी ढंग से पूरा किया। बड़ी संख्या में मेवातियों को तलवार से मार डाला गया। बलबन ने गोपालगढ़ में एक किला बनाया और शहर के आस पास कई चौकियाँ स्थापित कीं, और उन चौकियों में अफगान जैसे लड़ाका सरदारों नियुक्त किया तथा उनके रख-रखाव के लिए कुछ भूमि भी आबंटित की। इस अभियान में शाही सेना के एक लाख सैनिक मेवातियों और लगभग इतने मेवाती भी शाही सेना द्वारा मारे गए। इस समय से शहर को मेवातियों के हमलों से मुक्ति मिल गयी।⁵ मेवात क्षेत्र में कानून व्यवस्था और प्रशासन के रख-रखाव के लिए नियुक्त अफगान सैनिकों ने दिल्ली के आस पास के जंगलों को भी साफ कर दिया। इस प्रकार साफ किया गया क्षेत्र काफी बड़ा था और अच्छी तरह से खेती योग्य हो गया था। बलबन ने शहर और क्षेत्र के प्रतिष्ठित सरदारों को निर्देश दिए कि लुटेरों के गाँवों को उजाड़ दिया जाए और नष्ट कर दिया जाए, पुरुषों को मार डाला जाए, महिलाओं और बच्चों को बंदी बना लिया जाए, जंगल साफ कर दिए जाएँ और

सभी अराजक कार्यवाहियों को दबा दिया जाए। शाही सेना के सरदारों ने अपनी अनुभवी सेना के साथ इस कार्य को बखूबी अंजाम दिया और उन्होंने जल्द ही विद्रोहियों के साहस को विफल कर दिया।

निष्कर्ष:

इस अध्ययन से इतिहासकारों द्वारा मेव और मेवात की सामाजिक-सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिशीलता में अंतर्दृष्टि प्रदान की गयी है जिससे ऐतिहासिक प्रतिनिधित्व की जटिलताओं और मध्ययुगीन भारत में इन समुदायों के विविध अनुभवों की गहरी समझ में योगदान मिलता है। इस अध्ययन ऐतिहासिक प्रतिनिधित्व की जटिलताओं और मध्ययुगीन भारत में मेव और मेवात के विविध अनुभवों की सूक्ष्मता इतिहास को समझने में योगदान देता है। इससे उस अवधि के दौरान इन समुदायों की सामाजिक-सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिशीलता पर प्रकाश पड़ता है।

सन्दर्भ:

1. जॉन ब्रिग्स (1929). हिस्ट्री ऑफ़ दा राइज ऑफ़ दा मोहम्मडन पावर इन इंडिया, टिल दा ईयर 1612 (इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ़ "तारीख-ए-फ़रिश्ता", मोहम्मद कासिम हिन्दू शाह फ़िरिश्ता, रीप्रिंट एट लौ प्राइस पब्लिकेशन नई दिल्ली), टवस. ५, लन्दन, च. 131. (हैंग का उल्लेख है कि यह 1249 का वर्ष था, जब बलबन को दिल्ली के दक्षिण में स्थित मेवात जिले के अशांत लोगों को दंडित करने और रणथंभौर को पुनः प्राप्त करने के लिए नियुक्त किया गया था। इस क्षेत्र को रजिया के सैनिकों ने नष्ट कर दिया था और लेकिन फिर इसे हिंदुओं द्वारा वापस ले लिया गया था। और अब यह नाहर देव के पास था। वोल्जेली हैंग (1929). दि कैंब्रिज हिस्ट्री ऑफ़ इंडिया, टवस. ५, कैंब्रिज, च. 67.)
2. ब्रिग्स फ़रिश्ता, च. 135. (हैंग ने एक ही वर्ष 1260 में दो अभियानों का उल्लेख किया है। उनका कहना है कि राजधानी के दक्षिण में मेवात में मेव लोग आबाद थे जिन्होंने विद्रोह कर रखा था और बलबन की सेना के ऊँटों को बड़ी संख्या में उसके लूट ले गए थे। 1260 में बलबन ने मेवों को भयानक सज़ा देकर उनके अपराधों पर अंकुश लगाया था। पिछले कुछ वर्षों से उन्होंने राजधानी के आस पास की सड़कों को प्रदूषित कर रखा है और बयाना जिले के गाँवों को उजाड़ दिया है और अपने लूट-पाट के दायरे को पूर्व की ओर लगभग हिमालय के बेस तक बढ़ा दिया था। एक अभियान के दौरान लगभग 1258 की पूर्व संध्या पर मेवातियों ने बलबन की सेना के बहुत से ऊँटों को लूट लिया जिससे बलबन नाराज़ तथा उत्तेजित होकर 29 जनवरी 1260 को मेवातियों पर आक्रमण करने के लिए दिल्ली से मेवात की तरफ कूच किया। बलबन ने मेवातियों को पराजित करके मेवात पर कब्ज़ा कर लिया। बीस दिनों तक कल्लेआम और लूटपाट का काम चलता रहा, प्रत्येक मेवाती के सिर

के लिए एक चांदी का तांगा और प्रत्येक जीवित कैदी के लिए दो चांदी के तांगे का इनाम दिया गया। 9 मार्च को बलबन की सेना राजधानी लौट आई। बलबन की सेना ने मेवाती सरदार जिन्होंने ऊंट लुटे थे तथा जनजाति के अन्य प्रमुख लोगों जिनकी संख्या 250 के करीब थी, साथ में 1-12 घोड़े और 2,100,000 चांदी के तांगे भी अपने साथ दिल्ली ले आई। दो दिन बाद कैदियों का सार्वजनिक रूप से नरसंहार किया गया। कुछ को हाथियों ने कुचल कर मार डाला, कुछ को टुकड़े-टुकड़े कर दिया और सौ से अधिक की शहर के सफाईकर्मियों द्वारा जीवित खाल उधेड़ दी। जिन लोगों ने भागकर अपनी जान बचा ली थी और अपने घरों को लौट आए थे उन्होंने प्रतिशोध लेने के लिए राजमार्गों पर अतिक्रमण करके और यात्रियों को मारना शुरू कर दिया। बलबन ने जासूसों से डाकुओं के ठिकानों और गतिविधियों का पता लगाया। पहले की तरह ही उन्हें घर लिया और 12,000 पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को तलवार से मार डाला। (वोल्सेली हैग, च. 72-73.)

3. पूर्वोक्त, च. 142. (है बताता है कि मेव लोग अपनी कड़ी सज़ा से उबर चुके थे और दिल्ली के चारों ओर जंगलों में अनियंत्रित रूप से फैलकर अपना अधिकार जमा लिया था। उन्होंने सड़कों पर यात्रियों को लूटना आरम्भ कर दिया था। रात में शहर में प्रवेश करते थे और वहां के निवासियों के घरों को लूट लेते थे। यहां तक कि दिन में पानी ढोने वालों और शहर की दीवारों के भीतर बड़े जलाशयों से पानी भरने वाली महिलाओं को भी लूट लिया करते थे और उनके कपड़ों को छीनकर उन्हें निर्वस्त्र कर दिया करते थे। इसलिए दोपहर की प्रार्थना के तुरंत बाद शहर के पश्चिमी हिस्से के द्वार बंद करना आवश्यक हो गया था। अपने राज्यारोहण के बाद बलबन इन लुटेरों का सफाया करने में लग गया। जंगल साफ़ कर दिया गया, उसमें छिपे मेवों को मौत के घाट उतार दिया गया, पश्चिम से शहर के प्रवेश मार्गों पर नियंत्रण के लिए एक किला बनाया गया और सभी तरफ पुलिस चौकियाँ स्थापित की गईं। (वोल्सेली हैग, च. 72-73.)

4. इलियट और डाउसन (1871), हिस्ट्री आफ इंडिया एज टोल्ड बाई इट्स ओन हिस्टोरियंस, मोहम्मदन पीरियड, (तारिख-ए-फ़िरोज़शाही का अनुवाद) ज़ियाउद्दीन बरनी, खंड. प्प, लंदन, च. 103-4; सैयद मुइनुल हक (2004). उर्दू ट्रांस. ज़ियाउद्दीन बरनी की तारिख-ए-फ़िरोज़ शाही, लाहौर, च. 104.

5. पूर्वोक्त, च. 104-5; सैयद मुइनुल हक (2004)। उर्दू ट्रांस. ज़ियाउद्दीन बरनी की तारिख-ए-फ़िरोज़ शाही, लाहौर, च. 104.

श्याम सुंदर
शोधार्थी,
इतिहास विभाग,
बाबा मस्तनाथ
विश्वविद्यालय, रोहतक, हरियाणा

Abstract:

Ayurveda and Yoga are both holistic approaches that can help manage stress. Yoga can help to reduce stress and anxiety by improving flexibility and strength by physical postures. Meditation and mindfulness practices can help increase mind-body awareness. Ayurveda includes diet herbal medicines. Ayurveda an ancient Indian system of medicine offers holistic approaches to managing stress and anxiety through practices such as herbal remedies, meditation and life style changes. Yoga encompasses physical postures, breathing techniques and meditation. Through the practice of yoga individual can experience stress in the body's natural response to a challenge or demand. Common causes of stress include work pressure, financial problems, relationship issues, major life changes and health concerns.

Introduction

Popularity of Yoga in this country has been growing steadily since Swami Vivekananda first brought the ideas of Yoga to the West in 1893. While Yoga found a welcome home in the West, Its sister, Ayurveda was left behind in India, a distant counterpart to these important Vedic teaching. Today just over hundred years later, Ayurveda has landed on this distant western continent in search of its sister in search of its other half. Ayurveda does not come to this country empty handed but brings with it many gifts. It brings with it the knowledge of how to keep the physical body healthy and how this relates to ones spiritual journey. It brings a gift specific to the Yogi.

Yoga is the practical side of Vedic teaching while Ayurveda is the healing side. In practice, both of these paths overlap a great deal. Classical Yoga has, as a part of its traditions, an aspect which addresses health and health practices. It is not simply not asana for differing conditions but purification practices as well. In the same vein, Ayurveda is much more than dietary principals. Ayurveda can be seen as the science of understanding how we interact with our environment and how to alter our environment in such a way that it is harmonious with our deepest nature.

Ayurveda is the science of how energy interacts. As such Ayurveda addresses our entire life style including exercise and Yoga. Ayurveda sees each individual's path toward perfect health as a unique path; hence Ayurveda can help us to understand which Yoga asana are best for each individual as well as understand how the different forms of Pranayama affect us.

Origins of Yoga and Ayurveda

Yoga begins historically with the Mantra, Yoga of the Rig Veda, the oldest Vedic text that originated over 5000 years ago. This Mantra of the Rishis promotes a yoga with the higher powers of consciousness in the universe providing the basis for the self knowledge that we find the later Vedanta and the Vedic sciences.

The connection of yoga and mantra is reflected in the yoga sutras of Patanjali that emphasizes OM, the main mantra from which the Vedas are said to have originated, and in Patanjali work as great grammarian.

Vedas means knowledge or science and yoga, meaning work or practice, arose as a term for its application veda or true knowledge implies yoga or the work of integration with the greater conscious universe.

Ayurveda is usually considered to be a branch of the Atharva Veda, which contains the most mantras aimed specifically at healing. However, aspects of Ayurveda can be found in all the Vedas and are inherent in the Vedic Devatas and in the Vedic cosmology.

Ayurveda across in the Vedic context as the upaveda or supplementary Vedic text that focused on healing and well being for both body and mind. Ayurveda first arose an application of Vedic mantras, not as a separate discipline. All Vedic teachings have a potential Ayurvedic or healing application, especially Vedic rituals and mantras. Healing and longevity are considered to be natural results of Vedic practices, with some Vedic practices specifically related to these.

Importance of Yoga

Good health is the right of every human being but this right depends on individual, social and environmental factors. Along with environment or social factors to a large extent, we can develop a better immune system and a better perception of oneself so that other conditions do not affect us adversely and we can achieve good health.

Yoga is one of the most powerful drugless system of treatment. It is having its own concept of wellness which has been scientifically understood and presented by many. Yoga can be adopted as lifestyle for promoting our physical and mental health. Yoga if introduced at the school level would help to inculcate healthy habits and lifestyle to achieve good health.

Same origin and goal

Both Ayurveda and Yoga have their origin in the Vedic tradition of India, and both are a means to gain better health.

We can compare a verse from the Yoga sotra, Yogas Chita verity nirodhaha, which describes Yoga as the settled state of the mind to a verse from Ayurveda texts, svasmin dishati it svasthah ,which states that one who always remains united with the self is a healthy person. These verses show that both Yoga and Ayurveda have the same goal , which is attaining union with the self, the most settled state of the mind .

Other verses from the Ayurveda texts also points to this selfreferred state of the mind as the basis of health .A verses from the Sushruta Samhita, for instance, says, “He (she) whose doshas are in balance, whose appetite is good ,whose dhatus are functioning normally, whose malas are in balance and whose self ,mind and senses remain full of bliss ,is called a healthy person.

Yogic and Ayurvedic life-style

Ayurveda is not merely a medical system aimed at the treatment of disease, but a healthy and natural way of living, and of developing one's highest potential in life. Ayurveda begins with right life- style, including daily and seasonal regimens, designed for each individual based upon their nature, constitution, environment and life circumstances. Yoga also begins with a certain life-style, most commonly defined through the Yamas and Niyamas, the principles and practices of a yogic way of life. The eight limbs of classical Yoga from the practices of a higher life –style promoting prana, creativity, and higher development of the senses, mind and awareness. They are helpful, if not essential for any higher well- being for the human being. An Ayurvedic life-style implies Yoga or conscious living, and a yogic life-style implies Ayurveda and living in harmony both with nature and one's own nature. The two inherently go together.

Yoga is the part of Ayurveda

Yoga is important for dissolving physical stress and calming the mind before meditation, and is central to dincharya, the Ayurvedic routine. It is the ideal Ayurvedic exercise, because it rejuvenates the body, improves digestion, and removes stress.

Yoga balances all three doshas , and different poses have different effects Forward bending postures cool pitta doshas .Twists are good for Kapha because they stimulate digestion . Backward bends are heating and thus balance to Vata types, as long as the person has the strength to do them. Yoga posture tones every area of the body and cleanses the internal organs of toxins, which one of the goals of Ayurveda.

Ayurveda is the part of Yoga

At the same time, Yoga practitioners can benefit from the Ayurvedic daily routine as part of their Yoga practices. For instance, Abhyanga helps removes toxins from the body and relaxes the muscles of Yoga practices.

“The knowledge of Maharishi Ayurveda provides tremendous support to Yoga practice “says Dr. Donn Brennan “Without a foundation in Ayurvedic knowledge; Hatha Yoga runs the risk of becoming just pure physical exercise.”

Dr. Brennan points out that yoga aims to cleanse the nadis, or channels, with different postures. “but trying to do that without using the Ayurvedic principles as well as yoga asanas, because the two are so interdependent”

If someone is attending a yoga class on a regular basis, he/she is starting to dislodge ama in the body. “But if they are still maintaining a life style and diet that creates ama, all they are really doing is moving their sludge around”. The yoga practioner needs to know how to detoxify through the dietary, life style and purification practices of Maharishi Ayurveda.

Yoga and Ayurveda for Wholistic living

The human being is a whole person, which extends to the entire mind, body an beyond. Even if we may somehow be physically limited or impaired, We still want to be treated like a whole person. This principle of wholeness is the Atman or Purusha, the higher Self that pervades and up hold both body and mind. It is the same consciousness principle that is a principle of wholeness in the world of nature and is responsible for the integrity of the eco system and the linking together of everything in the universe like a single organism.

A new Integration of Yoga and Ayurveda

A new integration of yoga and Ayurveda must consider both the traditional and modern bases and application of both systems. It should take an integral mind-body approach, and aim both at primary well-being and a capable of the treatment of specific disease as well. Yet it begins with Yoga/Ayur or yogic living, which is Ayurveda. This integration of Yoga and Ayurveda can revitalize each of these Great Vedic sciences, and help humanity enter into a new era of healing. Yoga and Ayurveda can help us heal ourselves and our world, nature, mind and spirit.

Yoga for health

Good health is the right of every human being but this right depends on individual, social and environmental factors. Along with environmental and social factors to large extant, we can develop a better immune system and a better perception of oneself so that other conditions do not affect

us adversely and we can achieve good health. Health is a positive concept. Positive health does not mean merely freedom from disease, but it also include a jubilant and energetic feeling of well-being with an amount of general resistance and capacity to easily cultivate immunity against specific offending agents. Yoga is the one of the most powerful drugless system of treatment. It is having its own concept of wellness which has been scientifically understood and presented by many. Yoga can be adopted as lifestyle of promoting our physical and mental health. Yoga, introduced at the school level, would help to inculcate healthy habits and lifestyle to achieve good health. The aim of yoga thus, at the school level, is the encourage a positive and healthy lifestyle for physical, mental and emotional health of children. Yoga helps in development of strength, stamina, endurance and high energy at physical level. It also empowers oneself with increased concentration, calm, peace and contentment at mental level leading to inner and outer harmony.

Asana

The term asana means sitting in a particular posture, which is comfortable and which could be maintained steadily for long time. Asana gives stability and comfort, both at physical and mental level.

Pranayama

Pranayama consists of the breathing techniques which are related to the control of breathe or respiratory process. Pranayama popularly known as yogic breathing, involves a conscious manipulation of our breathing pattern. Pranayama has the three phases known as puraka, rechaka and kumbhaka. Puraka is the controlled inhalation; rechaka is controlled exhalation and Kumbhaka is controlled retention of breadth.

Pratyahara

Yogic practice of Pratyahara means withdrawal of senses from sense organs in order to control mind. In pratyahara the awareness about the external surrounding is withdrawn and is taken to inside. Introspection, studying good books and some practices which can help in pratyahara.

Meditation

Meditation is a relaxation in body and mind. In meditation, concentration is focused for a long time on a single object like, breath, tip of the nose, etc. meditation is a relaxing practice; it develops a sense of well-being in the person.

Shadkarmas of Yoga and Pancha Karma of Ayurveda

Hatha Yoga offers its six detoxification methods are Shadkarma. These however can be harsh, particularly the swallowing of cloths. They are mainly for those who are young and strong. They can easily disturb Vata dosha and are

hard to do. They can cause depletion for those who are older or weaker in constitution.

Ayurveda used for

People use Ayurvedic practices to maintain health, reduce stress, and improve flexibility, strength and stamina. Researchers have found that yoga and meditation can be effective way to treat disease such as asthma, high blood pressure and arthritis. Ayurveda stresses proper diet for maintaining good health and treating disease. Herbal medicines are prescribed based on the person's dosha type. Researchers are studying the effects of Ayurvedic herbal medicines on various long-term (chronic) illnesses.

Conclusion

Yoga is the practical side of Vedic teaching while Ayurveda is the healing side. In practice, both of these paths overlap a great deal. A new integration of Yoga and Ayurveda must consider both the traditional and modern bases and applications of both system it should take and integral mind body approach and aim both at primary well being and be capable of the treatment of specific diseases as well. Yoga and Ayurveda can help us heal ourselves and our world, nature, mind and spirit. The benefits of Yoga for Ayurveda are similarly enormous. Yoga provides for Ayurveda an entire line of life style, physical, psychological and spiritual treatment measures that help bring out the higher dimension of Ayurveda. Not only does asana have tremendous healing benefits that need to be explored so does Pranayama.

Bibliography

1. Siddhanta Kaumudi, Bhattoji Dixit , Edited by Panashikar Vasudeva , Nirnayasagar Press , Mumbai, 1915, fifth edition.
2. Shabdakalpadruma , Haricahranavasuvindadasa , third edition ,Chaukhamba Sanskrit series office , 1967.
3. Sanskrit English Dictionary, Sir Moneir Williams , Mohanal Banarasidas publishers , Delhi , first reprint edition, 1990.
4. Vedanta Darshana , Maharishi Ved Vyasa ,edited by Hari Prasad Goyanka , 21st edition Geeta Press Gorakhpur , 2009.
5. Researches in Ayurveda Baghal M. S. ,Mridhu Ayurvedic Publication and sales , Jamnagar , 1999.
6. Yoga Sutram , Pandit Dhundhiraj Sastri ,3rd edition Varanasi ,Choukhambha Publication ,2001.

Dr. Parvesh Kumar Sood

Principal Shanti College of Education Nakroh Teh.
Ghanari Distt. Una (H.P.), Pin-177213

Mrs. Ranjna Soni

Librarian Shanti Para Veterinary Institute Nakroh Teh.
Ghanari Distt. Una (H.P.), Pin-177213

Meena Kumari

Lecturer Shanti College of Education Nakroh Teh.
Ghanari Distt. Una (H.P.), Pin-177213

Impact of Drought on the Tribal Communities: A Study of Kota Block, Udaipur district (Rajasthan)

Sarita jangir, Dr. Dheeraj Kumar



Abstract:

The traditional view of drought as a normal occurrence in arid regions is evolving at this time. It's because there is a severe water shortage in many places that receive heavy rainfall. This demonstrates that drought is more closely tied to improper management of the region's water resources than it is to a lack of precipitation or scarcity of water. In the instance of Rajasthan, a portion of the state experiences drought each year. Despite this, the state views the drought as a transient occurrence for which short-term relief efforts are deemed a viable remedy. The south Rajasthan district of Udaipur has been plagued by issues of paucity of water, degraded environment, poverty, and shocks from periodic droughts. The goal of this project is to assess the effectiveness of participatory approaches to managing water resources in the face of drought, specifically in the tribal-dominated Kota block of the Udaipur district. It makes the case that conventional techniques combined with traditional knowledge and tribal wisdom have successfully enhanced surface and ground water resources through integrated resource development.

Keywords: Drought, Heavy Rainfall, Udaipur, Techniques, Ground Water, Tribal Communities, Kota block.

Introduction: Rajasthan is the largest state in India, with 342,239 km² (10.4% of the total nation area) and home to 68.5 million people (5.6% of the total country population), 75.13% of whom live in rural areas (Census of India, 2011). Just 1% of India's water resources are in the state. In comparison to many other states in the nation, the goal of socio-economic development is challenging due to the region's repeated droughts, weak resource bases for economic development, dry climate, low literacy rate, rapid population growth rate, and scarcity of water. Rajasthan has one of the highest rates of drought susceptibility in the nation, at over 25% (Rathore, 2004). Drought has an impact on agriculture, animals, livelihoods, soil salinity, and soil moisture. In Udaipur, over 70% of the rural population (of which 60.3% are tribal) relies on farming, raising livestock, and activities related to the forest as their primary source of income. The study spans the final four years, from 2018 to 2023. According to meteorological

records from this time period, 89% of the annual rainfall falls during the three months of July through September alone. The remaining months see the entire region experiencing a drought or water scarcity. Numerous villages in the rural regions of Udaipur are fighting for existence due to the unpredictable nature of the monsoon and weather. In Kota Block, Udaipur district, a rural and predominantly tribal area, the situation is more precarious.

Objective: The study aims to investigate the effects of drought on tribal groups and the causes of the water scarcity issue in the Kota block's tribally populated area. However, people's perceptions of drought are not holistic. The study also looks at how tribal communities' traditional ways of minimizing the severity of water shortages and community involvement in drought management are examined, and additional research recommends appropriate actions to lessen the effects of drought in the future.

Methodology : Both primary and secondary sources of data were used to create the current study. In the Kota block of the Udaipur district in Rajasthan, the field investigation approach with a structured questionnaire schedule has been used for this study. For the investigation, multi-stage stratified random sampling techniques were selected. The yearly and program reports of the State of Rajasthan's DPAP (Drought Prone Area Programme) and WRP (Water Resources Planning) served as secondary sources of information. The interpretation was based on a number of federal and state government publications about the development of water resources in the Tribal Sub-Plans (TSP) area. The gathered information and observations were represented and examined using appropriate cartographic techniques.

The Study Area: The district of Udaipur is located in the southwest of Rajasthan, in the Aravali range. The Kota block in the district of Udaipur is the current research area. This block, known as Panchayat Samiti, is isolated and dominated by tribes. It includes 266 revenue villages in all, along with 32 Gram Panchayats. The block, which spans an area of 1191.51


square kilometers, is located in the southwest of the Udaipur district, between 23° 32' 28.98" N and 24° 45' 04.78" North latitude and 73°06' 00.78" E to 74° 02' 00.77 East longitude. The block shared a state boundary with the districts of Sabarkantha and Banaskantha in Gujarat State to the south, while it shared a border with the Pali and Sirohi districts of Rajasthan to the north. The entire population of Kotra Block is 2,30,532 according to the 2011 population census. With 2,20,905 members of the Scheduled Tribes making up 95.82% of the total population, Kotra is a tribally dominating block (Table: 01).

Table 01: Scheduled-Tribe Population Composition in Kotra Block, Udaipur District

Sr.No.	District/Block	Total Population	Population of Scheduled Tribe	Population of Scheduled Castes
1.	Udaipur	30,68,420	15,25,289 (49.70%)	1,88,525 (6.14%)
2.	Kotra Block	2,30,532	2,20,905 (95.82%)	1,695 (0.73%)

Source: population census of Rajasthan, 2011

Figure 01: Scheduled-Tribe Population Composition in Kotra Block, Udaipur District



As a result, Kotra Block is chosen as the research area and designated under the Tribal Sub-Plan (TSP) area. Geographically, the research region is mountainous, with a small band extending to the north and south-west. This short strip can be exploited to the benefit of establishing functional watersheds.

Perceptions of Drought: A Comparative Phenomenon :- A relative phenomenon brought on by extended periods of dry weather, drought results in the depletion of groundwater, the exhaustion of soil moisture, and a decrease in stream flow. Conventionally, drought is divided into three categories: hydrological, meteorological, and agricultural. The water cycle connects the different types of droughts to one another

(NCA, 2013). Numerous more socio-economic or economic factors have been mentioned. The definition of drought changes from location to place based on a variety of factors, including weather, water availability, agricultural methods, customs, and a society's many socioeconomic endeavors.

Scientists and non-scientists have defined social and economic drought and their complex or transdisciplinary nature in a variety of ways. Economic drought refers to a meteorological anomaly or extreme event of intensity and duration that falls outside of the usual range of events that businesses and government regulatory bodies typically consider when making economic decisions. Social drought refers to the effects of drought on human activities, including direct and indirect effects (Benson and Clay, 1998). The goal of the study is to characterize the social, economic, and physical components of droughts as well as the degree to which tribal people in the Kotra block are vulnerable to them.


Kotra's Changing Conditions: From Water Scarcity to Availability : Geographically, the Kotra block is spread across a vast, undulating region of metamorphism. The area's typical characteristics were low soil fertility, depleted wastelands with rock outcrops, and a high rate of soil erosion. This area experiences inconsistent rainfall; in 2018, the region received a mere 896 mm; in 2019, the region received 1051 mm; in 2020, 779 mm; in 2021, the block received 694 mm; in 2022, 738 mm; and in 2023, 783 mm. Within the kotra block, the variability of rainfall varies from 32% to 41%.

Table no.2 : Rainfall profile of Kotra Block (2018 to 2023)

Sr.no.	Year	Total Rainfall in mm.
1	2018	896
2	2019	1051
3	2020	779
4	2021	694
5	2022	738
	2023	783

Source: Meteorological Department, New Delhi

Figure No.2 : Rainfall profile of Kotra Block (2018 to 2023)



Sou

Throughout the study period, there have also been

considerable variations in rainfall variability and uneven distribution. According to estimates of weather patterns' variability derived from indices of social, economic, agricultural, water resource, and forest health, Kotra is one of the regions or blocks most susceptible to water scarcity. The indigenous tribes of the Kotra block have been steadily changing their mode of subsistence from forest-based to agricultural activities during the past thirty years. On the other hand, scheduled tribes (95.82%) make up the majority of the population in the block, with an extremely low literacy rate of 15.8%.

Approximately 78% of households were eating all agricultural and food production and had no extra to sell. In the research area, relying on mediators or Sud-khore (moneylenders) is a prevalent practice. Villagers' livestock were unproductive because of severe, unskilled genetic degradation and a lack of food owing to insufficient rainfall. In the tribal groups of Garasia, Damor, Ahari, Gameti, Kathodi, Bheel, and Meena, the severity of drought is caused by illiteracy, a lack of transfer of traditional knowledge about water conservation, poor planning, and migration with deeply ingrained complications.

Effects of Drought and Their Consequences: Droughts can have varying degrees of impact and can be either direct or indirect at every level (from the country to the village). The impact is mostly felt at the block level on agriculture, livestock, water availability, and food procurement. The influence also differs based on how society, the village, or the pal is structured. Here, the effects included a marked rise in food insecurity, a shortage of water, and the loss of the tribal populations' means of subsistence. The tribal community's marginal and small farmers are particularly susceptible to drought due to their reliance on rain-fed survival agriculture and associated practices. Tribal people are the most vulnerable group as a result of the rise in unemployment; they are either compelled to relocate, work for less money, or live in close proximity to starvation. Examine the effects of water shortage and how they affect livestock, agriculture, and indigenous communities' means of subsistence in the section that follows:

(i) Agriculture: We saw during the field study that the effects of the drought are comparatively more detrimental to Kharif crops (such as corn, maize, urd, sorghum, etc.) than they are to Rabi crops (such as wheat, corn, rapeseed, and mustard, etc.). The percentage of villages/pals and the total population impacted by drought in a given year indicate the intensity of the drought. Winter rains are scarce in the region because the monsoon season accounts for 87% of total rainfall. In order to

deal with the fluctuations in rainfall, locals have adapted a mixed farming technique. Rainfall distribution frequently has a negative impact on grain yield, yet a lot of fodder is generated to feed cattle (Mathur, 2003). Although severe droughts are uncommon, crop failure can still result from yearly dry spells. Although the agricultural output is negatively impacted by frequent droughts, there is a growing trend of shifting food habits (in the villages of Dewla, Bekariya, and Malwa Ka Chora), changing the nature of migration (in the villages of Dhadhmata and Nathara), and shifting reliance from agriculture to other low-paying occupations in the majority of the block's villages.

(ii) Livestock: The study by Javed shows how the health, fertility, and mortality rates of their domestic animals reflect the effects of drought on livestock. Regardless of the weather, a livestock census is carried out every six years, although it does not fully reflect the effects of drought on animals. The most vulnerable animals in the block were found to be sheep, goats, and cows, in that order. The percentage of the entire animal population that is dropping ranges from 18% to 32%. Goat losses were significantly higher (48% to 62%), while famine and a severe lack of water and fodder resulted in the abandonment of a large number of cows (42% to 56%). When compared to larger animals, the remaining goats, sheep, and cows experienced comparatively moderate illness and weakness (Rathore, 2003). They are primarily grazing animals that rely on shared resources such as grazing areas, forests, and wasteland. In the area, migratory practice for small animals is customary. They are transported out of the state to Gujarat (ideally the towns of Khed-Brahma, Edar, and Sabarkantha) in the event of a severe drought.

(iii) Livelihood: Water stress has a variety of effects on indigenous populations' livelihoods throughout the block. In terms of animals dying, fluctuating reliance on the environment, changing careers, and being compelled to leave the area in quest of employment or a place to live. The state and federal governments provided food and money to the impacted populace through official programs. People's professions are significantly impacted by drought since tribal peoples have historically relied on the natural world and its products (Kakade, 2000). However, because to the severity of the water issue, over 85% of the block's tribal peoples were compelled to labor outside of their villages or pals. Because of this, throughout time and in difficult circumstances, tribal people also (39%) moved from the block area to neighboring towns inside the state (Aabu-

Road, Pindwarha Udaipur, Rajsamand) or (54%) outside the state (Eder, Khed-Brahma, Ahmedabad as daily wage workers). Additionally, it is noted that during the four to six months it takes until the next rainy season, entire families not only become bound laborers but also suffer from this misery, which is experienced by impoverished indigenous peoples.

Water resource management as a drought mitigation strategy: The goal of the endeavor is to manage land and water resources to better the tribal society's standard of living. The study focuses on how community groups form community participation. These organizations build water collecting structures, such as Med/Paal and lost stone check dams (bandhas), to collect rainwater that would otherwise run off. To make these wastelands cultivable in the highly undulating catchment region of the earthen check dams, techniques such as plantation and terracing, gradient leveling, and field bunding are used. The indigenous tribal people survive in diverse agriculture-based livelihood activities on these leveled lands (Mehta, 2005). The development of several groups and societies, such as the Gram-Sabha committee, local user groups, and cooperative societies at the pal/village to block level, is the structural framework for community participation in the areas. These organizations serve as a conduit to facilitate agreements and coordination between local tribal communities, non-governmental organizations, and the government in order to lessen the severity of the drought. The involvement of the community and its contribution to the construction of structures can be found in a variety of formats, ranging from block level to village area to Magra Panchayat, Pal Panchayat, Gram-Sabha level-Panchayat, and Panchayat Samiti level. There is a noticeable high success and effectiveness rate as involvement moves from higher to lower/local levels.

Conclusion: A strategy to lessen the severity of the drought and lessen its effects will include the development of tribal communities through water management, employment opportunities, poverty reduction, and education. Even though it might take a while, it needs to be amended given the diminishing natural resources that the indigenous communities depend on. The greatest way to combat the drought in this tribally dominated region of Kotra should be through community engagement in the development of water resources. Conventional/traditional methods of managing and conserving water resources should be highly prioritized. The findings of this study indicate that additional infrastructure and procedures are needed in the region to maintain a consistent supply of water to meet local demand.

The phrase "Kud ka Pani Kud me, Khet ka Pani Khet Mein, Goan ka Pani Goan Mein" refers to the idea that village water should stay inside the village boundaries and farmland water should stay on agricultural land. This idea helps the people conserve water resources sustainably throughout the year. Therefore, to lessen the effects of the drought, indigenous tribes should be encouraged to use traditional integrated water resource utilization methods.

References:

1. Annual Report of Ministry of Tribal Affairs 2013-14, Government of India, New Delhi.
2. Benson, C., and Clay, E., 1998, "The Impact of Drought on Sub-Saharan African Economies: A Preliminary Examination". Technical paper No. 401, World Bank, Washington D.C.
3. District Rural Development Authority, 2014, "Tribal Sub-Plan Report 9/64 of DRDA", DRDA, Udaipur.
4. Food and Agricultural Organization, 1998, "Sustainable Development in Famine/Drought-Prone Areas: Approaches and Issues", FAO, Rome.
5. Government of Rajasthan, 2002 "Drought Prone Area Programme: Draft Annual Plan 1983-84 and 1984-85 Rajasthan", DPAP: Jaipur, pp. 48-53.
6. India Meteorological Department, 2013, "Meteorological Monograph, Hydrology NO.15/2013 Rainfall Profile of Udaipur", India Meteorological Department, Ministry of Earth Sciences, GOI, New Delhi.
7. Kakade, B.K., 2000, "Combating Drought in Rajasthan through the Watershed Approach", LEISA (Low External Input and Sustainable Agriculture), India., Vol. 2 (3), Bangalore, pp18-40.
8. Mathur, K., and Jayal, N.G., 1993, "Drought, Policy and Politics in India: The Need for a long-term perspective" Sage Publications, New Delhi.
9. Mehta, Lyla., 2005, "The Politics and Poetics of Water: Naturalizing Scarcity in Western India", Orient Longman Private Ltd., New Delhi.
10. National Commission on Agriculture, 2013, "Don't Waste the Opportunity This Time", Government of India, Ministry of Agriculture, New Delhi.
11. Rathore, M.S., 2003, "Community Based Management of Ground Water Resources: A Case Study of Arwari River Basin", British Geological Survey., U.K., Wallingford.
12. Rathore, M.S., 2004, "Adaptive Strategies

to Droughts in Rajasthan", Institute of Development Studies, Jaipur.

13. Report on Udaipur district, 2010, Ground Water Scenario, Central Ground Water Board, Ministry of Water Resources, Government of India, New Delhi.

Sarita jangir

(UGC Net)

Dr. Dheeraj Kumar

Assistant professor

(VSY)

Geography

Department

SBD Government

College Sardarshahar



Abstract

Rural India represents a vast, evolving marketplace, with unique challenges and opportunities for businesses aiming to expand. While traditionally overlooked in favour of urban areas, recent developments—such as increasing incomes, improved infrastructure, and digital penetration—are making rural India a fertile ground for growth. This paper explores the dynamics of rural markets, the factors driving their growth, and strategic approaches for companies to capitalise on this burgeoning opportunity.

Introduction

Rural India, home to approximately 65% of the country's population, has long been considered a challenging market due to its dispersed population, limited infrastructure, and lower consumer spending power. However, shifts in government policy, technology adoption, and consumer behaviour are transforming the landscape, offering significant opportunities for market expansion. By the second quarter of 2024, rural growth had surpassed urban areas, driven by consumption in sectors like food, beverages, and personal care (India Today, 2024). This shift offers a timely opportunity for businesses to rethink their strategies and explore new avenues for growth in rural markets.

Current Market Dynamics in Rural India

Rural consumption is gaining momentum after years of stagnation. Factors like a favourable monsoon season, rising non-farm incomes, and government initiatives such as the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) are contributing to improved purchasing power in rural areas (India Today, 2024).

The rural economy is showing robust growth in sectors like Fast-Moving Consumer Goods (FMCG), where volume consumption in rural areas grew by 6.5% in early 2024, outpacing urban consumption (NIQ, 2024). This is significant considering that rural growth had previously lagged behind urban areas due to economic challenges posed by the pandemic and inflationary pressures.

Moreover, sectors such as the auto industry are benefiting from rural expansion, with passenger vehicle sales in rural areas rising by 11% compared to 5.7% in urban markets during the first half of 2024 (India Today, 2024). These trends reflect increasing consumer confidence and economic stability in rural regions.

Key Drivers of Market Expansion in Rural India

1. Digital Penetration: One of the most significant enablers of rural market expansion is the increasing use of digital platforms. As smartphone penetration rises, with affordable data plans becoming widely available, rural consumers are gaining access to digital services that were previously inaccessible. E-commerce platforms, digital payment solutions, and targeted social media marketing are opening new doors for businesses to reach rural customers (Eggfirst, 2023).

2. Government Initiatives: Programs aimed at improving rural infrastructure and livelihoods have been crucial in enabling market growth. Initiatives like the Pradhan Mantri Awas Yojana, rural electrification projects, and the Digital India program are creating a more conducive environment for economic activity in rural regions. Additionally, increased minimum support prices for agricultural produce and non-farm employment schemes have bolstered rural incomes, driving demand for a wider range of products (India Today, 2024).

3. Evolving Consumer Preferences: As rural consumers become more exposed to urban lifestyles through digital media, their aspirations and preferences are shifting. They are increasingly demanding branded, high-quality products, particularly in sectors such as personal care, electronics, and processed foods. This evolution in consumer behaviour is reflected in the growing demand for larger packaging sizes and premium products in rural markets (NIQ, 2024).

4. Distribution Network Innovations: Companies are overcoming logistical challenges in rural India by adopting innovative distribution strategies. Businesses like Hindustan

Unilever and ITC have successfully leveraged rural distribution networks, local language advertising, and smaller packaging sizes to cater to the specific needs of rural consumers (Eggfirst, 2023). These approaches help mitigate challenges related to geographical dispersion and transportation inefficiencies.

Strategic Approaches for Rural Market Expansion

Understanding Rural Consumer Behavior Demographics and Psychographics

To successfully enter rural markets, companies must understand the demographics and psychographics of rural consumers. Key factors include:

- 1. Income Levels:** Rural incomes can vary significantly, influencing purchasing power.
- 2. Cultural Influences:** Traditional values and local customs play a vital role in consumer behaviour.
- 3. Education Levels:** Educational attainment affects consumer awareness and product acceptance.

Needs and Aspirations

Understanding the specific needs and aspirations of rural consumers is crucial. Companies must identify gaps in the market and tailor their offerings accordingly. For example, products that enhance productivity in agriculture or improve daily living standards can resonate well.

Leveraging Technology

Digital Penetration

The rapid increase in mobile and internet penetration in rural areas has transformed consumer engagement. Companies can utilise:

- 1. E-commerce Platforms:** Establishing online sales channels can reach consumers directly, bypassing traditional distribution challenges.
- 2. Mobile Applications:** Apps designed for rural consumers can provide information about products, pricing, and availability.

Digital Literacy Programs

Investing in digital literacy programs can help consumers make informed purchasing decisions and increase their comfort with technology.

Building Distribution Networks

Innovative Distribution Models

Traditional distribution methods often fail in rural areas due to logistical challenges. Companies should consider:

- 1. Direct Sales Models:** Employing local sales agents who understand the community can enhance trust and acceptance.
- 2. Franchise Models:** Partnering with local entrepreneurs can facilitate market entry and establish a local presence.

Last-Mile Connectivity

Improving last-mile connectivity is crucial. Companies can collaborate with local transportation providers or use mobile vans to reach remote areas.

Tailored Marketing Strategies

Localised Branding and Communication

Creating localised marketing campaigns that resonate with rural consumers is essential. Companies should:

- 1. Use Regional Languages:** Communication in local languages can foster connection and understanding.
- 2. Cultural Relevance:** Marketing messages should reflect local values, traditions, and lifestyles.

Community Engagement

Engaging with the community through corporate social responsibility (CSR) initiatives can build brand loyalty. Companies can invest in local infrastructure, health, and education, positioning themselves as responsible corporate citizens.

Case Studies

Hindustan Unilever

Hindustan Unilever has successfully penetrated rural markets through its Shakti initiative, which empowers local women entrepreneurs to sell products in their communities. This approach not only expands their reach but also fosters community development.

ITC's e-Choupal

ITC's e-Choupal initiative leverages technology to provide farmers with access to information, resources, and markets. This model improves productivity and helps farmers make informed decisions, ultimately benefiting

both the company and the rural community.

Challenges and Considerations

Infrastructure Limitations

Poor infrastructure can hinder distribution and accessibility. Companies must assess regional disparities and adapt their strategies accordingly.

Regulatory Hurdles

Navigating the regulatory environment in rural areas can be complex. Companies should engage with local authorities to ensure compliance and build goodwill.

Competition from Local Brands

Local brands often have established trust and loyalty among rural consumers. Companies must differentiate their products and build strong relationships with consumers.

Challenges and Barriers

Despite the positive outlook, several challenges persist in rural India that may hinder market expansion efforts. These include:

1. Infrastructural Deficiencies

1.1 Transportation

One of the most pressing challenges in rural market expansion is inadequate transportation infrastructure. Poor road connectivity limits access to markets, increases transportation costs, and restricts the flow of goods. Rural areas often lack reliable transport services, making it difficult for farmers and small businesses to reach urban markets.

1.2 Communication

Effective communication infrastructure is crucial for market expansion. Limited access to the internet and mobile services in rural areas restricts information flow regarding market prices, demand, and supply. This information asymmetry can lead to exploitation and reduced bargaining power for rural producers.

2. Access to Finance

2.1 Financial Inclusion

Access to financial services is a significant barrier for rural entrepreneurs. Many rural residents lack formal banking relationships, which limits their ability to secure loans for business expansion. Microfinance institutions play a vital role, but their reach and capacity are often inadequate.

2.2 High Interest Rates

For those who do access credit, high interest rates

can be prohibitive. Many rural businesses resort to informal lending sources, which often come with exorbitant interest rates, leading to cycles of debt that stifle growth.

3. Technological Constraints

3.1 Adoption of Technology

The adoption of modern agricultural practices and technologies is crucial for enhancing productivity. However, the lack of access to information, training, and resources prevents many rural farmers from utilizing technology effectively. This limits their competitiveness in the market.

3.2 Digital Divide

While there has been an increase in digital initiatives, a significant digital divide persists between urban and rural areas. Limited digital literacy and access to technology hinder the ability of rural businesses to engage in e-commerce and benefit from online marketplaces.

4. Socio-Cultural Barriers

4.1 Education and Skill Gaps

Low levels of education and skills among the rural workforce impede the growth of entrepreneurial ventures. Many individuals lack the necessary training to start and manage businesses, which limits innovation and market expansion.

4.2 Gender Inequality

Women in rural areas often face additional barriers, including social norms that restrict their participation in the economy. Empowering women and promoting gender equality in rural entrepreneurship can significantly enhance market expansion.

5. Policy and Regulatory Challenges

5.1 Bureaucratic Hurdles

Complex regulatory frameworks can create barriers for rural entrepreneurs. Lengthy approval processes and bureaucratic red tape discourage business formation and growth.

5.2 Inadequate Government Support

While various government schemes aim to promote rural development, many lack effective implementation. Inconsistent policies and insufficient resources can hinder the intended impact of these initiatives.

Conclusion

The rural market in India presents a promising frontier for businesses looking to expand their reach. With rising consumer aspirations, government support, and the growing influence of digital platforms, rural India is becoming an increasingly attractive destination for market growth. However, companies must navigate the unique challenges posed by this market, including infrastructure deficits, logistical complexities, and price sensitivity. By adopting localised marketing strategies, strengthening distribution channels, and leveraging digital tools, businesses can unlock the vast potential of rural India and build a sustainable presence in this emerging market.

References

1. Hindustan Unilever Limited. (2019). "Sustainable Living Plan."
2. India Today. (2024). Rural consumption is finally showing signs of picking up: Here's why.
3. ITC Limited. (2021). "e-Choupal: A New Paradigm in Agriculture."
4. McKinsey & Company. (2020). "The Future of Rural Markets in India."
5. NCAER. (2022). "Understanding Rural Consumer Behavior in India."
6. NIQ. (2024). FMCG Quarterly Snapshot for Q1 2024.

Dr. HARISH SHARMA

Associate Professor of Commerce
Institution Govt. Girls College, Rewari
(Affiliated to IGU, University,
Meerpur, rewari)
imvijay8909@gmail.com
9416738275

Environmental and Political Criticism in Arundhati Roy's Non-Fiction: A Critical Analysis

Dr. Sunita Yadav



Abstract

This paper explores the environmental and political criticism in the non-fiction works of Arundhati Roy, focusing primarily on her essays and speeches. Roy, a vocal critic of neoliberalism, environmental degradation, and state oppression, addresses these issues through a combination of personal narrative, sharp political analysis, and advocacy for marginalized communities. This paper examines her significant contributions to political and environmental discourse, focusing on key works like *The Algebra of Infinite Justice*, *Field Notes on Democracy*, and *Capitalism: A Ghost Story*.

Introduction:

Arundhati Roy's foray into non-fiction has made her one of the most prominent voices of political dissent and environmental advocacy in contemporary Indian literature. Unlike her fiction, which often reflects India's socio-political landscape in a nuanced way, her non-fiction directly critiques the nation-state, global capitalism, and the environmental destruction tied to development policies. This paper delves into her major themes, the stylistic approach to critique, and her role as a public intellectual.

Key Themes: Environmental Degradation and Development

Roy's critique of large-scale infrastructure projects, particularly her opposition to dam construction, as seen in her essay *The Greater Common Good*, discusses the environmental and human costs of development.

Arundhati Roy has been a vocal critic of the Narmada Dam project, particularly through her involvement with the Narmada Bachao Andolan (NBA), a movement aimed at stopping the construction of large dams on the Narmada River in India. Her critique centers around the social, environmental, and human rights impacts of the project.

In her 1999 essay, "The Greater Common Good," Roy raised significant concerns about the displacement of indigenous and poor communities due to the construction of the Sardar Sarovar Dam, one of the largest dams in the project. She argued that while the government promoted the dams as necessary for development, irrigation, and electricity, the real cost was borne by marginalized groups who were displaced without adequate compensation or rehabilitation. Roy emphasized that the benefits of the project were exaggerated, and the environmental and social damage was downplayed.

Roy's activism also criticized the broader

development model, suggesting that large-scale infrastructure projects often prioritize the needs of urban and industrial elites while neglecting rural populations. Her involvement with the NBA and her essay brought international attention to the issue and intensified debates about development, displacement, and environmental justice in India.

Despite her efforts, the project continued, and the dams were eventually completed. However, Roy's writings and activism remain influential in discussions about the ethics of development and the treatment of displaced communities.

Arundhati Roy argues that environmental degradation is intertwined with class and caste, as the benefits of such projects are skewed in favour of the elite while the marginalized suffer disproportionately.

Critique of Globalization and Neoliberalism

Capitalism: A Ghost Story examines how neoliberal policies have exacerbated social and economic inequalities in India, contributing to environmental degradation.

Roy argues that global capitalism, supported by multinational corporations and corrupt governments, undermines democratic institutions, turning natural resources into commodities at the expense of local communities and the environment.

Political Oppression and the Role of the State

Field Notes on Democracy: Listening to Grasshoppers highlights Roy's critique of Indian democracy, which she views as increasingly authoritarian and repressive, particularly in regions like Kashmir and Chhattisgarh.

Her non-fiction work often focuses on the exploitation of marginalized communities—tribals, Dalits, and Muslims—by the Indian state and its complicity in fostering violence and environmental destruction.

Roy's sharp criticism of India's nuclear policies, particularly in *The End of Imagination*, reflects her opposition to militarization and its link to environmental destruction.

Advocacy for Indigenous and Marginalized Communities

The paper explores how Roy gives voice to the struggles of indigenous communities, particularly in relation to environmental destruction caused by mining and dam projects.

Her writings about the Maoist insurgency in central India discuss the fight between the state and tribal communities over land and resources, with Roy aligning herself with the insurgents' right to resist environmental

degradation and displacement.

Stylistic Approach:

Narrative Style: Roy's ability to blend personal stories with political analysis enhances her critique's emotional resonance. This paper examines how her narrative style bridges the gap between academic critique and activism, making her arguments accessible to a broader audience.

Use of Irony and Satire: Roy's biting satire, often directed at neoliberal policies and the state, serves as a powerful tool to dismantle arguments supporting capitalist development. The paper will analyse her use of irony as a rhetorical strategy to expose contradictions in state policies.

Arundhati Roy is often regarded as a postcolonial environmentalist writer due to her critical engagement with themes of colonialism, global capitalism, and their impacts on marginalized communities and the environment. Her writing weaves together postcolonial concerns with ecological and social justice, often critiquing the unequal power structures that continue to shape postcolonial nations like India. Here's how she fits into these two frameworks:

Postcolonial Critique:

Roy's work examines how the legacies of colonialism continue to affect India and the wider Global South. In her fiction and non-fiction, she critiques modern forms of imperialism, including neoliberal economic policies, corporate exploitation, and state violence. She views these forces as extensions of colonial oppression, where the exploitation of natural resources and indigenous populations persists in the name of "development" and "progress."

In *The God of Small Things* (1997): Though primarily a novel about caste and family, Roy subtly critiques the remnants of colonial hierarchies and the intrusion of global economic powers into local lives, showing how marginalized communities suffer under modern capitalist systems. Her portrayal of rural India and the environment suggests an ongoing exploitation that mirrors colonial extraction.

In her essays and activism, particularly works like *The Algebra of Infinite Justice* and *Capitalism: A Ghost Story*, Roy targets global neoliberalism and how it functions similarly to colonialism, concentrating power in the hands of a few while exploiting the many.

Environmental Justice:

Roy's environmentalism is deeply tied to her critique of development and industrialization. She advocates for an ecological approach that protects not only the environment but also the communities most dependent on it. Her activism around the Narmada Dam project reflects her commitment to ecological and social justice.

The Narmada Bachao Andolan: Roy's opposition to the construction of the Narmada dams stems from her belief that large-scale development projects serve the interests of the elite while displacing poor, rural, and indigenous populations. Her essay *The Greater Common Good* critiques the environmental destruction caused by such projects and highlights how they disproportionately affect those with little political power. In this sense, Roy links environmental degradation with postcolonial exploitation.

Environmental narratives in her work: Roy often portrays the natural environment as intertwined with the lives of marginalized groups. For her, the destruction of nature through development is not just an ecological concern but a social and political issue. She connects the loss of biodiversity, land, and water resources with the oppression of marginalized communities, especially tribals and Dalits.

Critique of Modern Development:

Roy challenges the Western model of development, which is often imposed on postcolonial countries under the guise of progress. She questions who benefits from development and who is left behind, arguing that the marginalized — particularly indigenous and rural populations — suffer the most. This perspective is rooted in both postcolonial and environmentalist thought, as she sees development as a continuation of colonial exploitation under new guises.

Intersection of Class, Caste, and Environment:

Roy's writing also explores the intersections of caste, class, and environmental degradation. She emphasizes that the poor, lower-caste, and tribal communities are the ones most affected by environmental destruction, as their lives are closely tied to the land and natural resources. This intersectional approach adds a crucial dimension to her environmentalism, as it foregrounds the human costs of ecological harm.

Postcolonial Environmentalism: This paper places Roy's work within the framework of postcolonial environmentalism, examining how her critiques challenge the Western model of development and environmental conservation, arguing instead for localized, community-centred solutions.

Arundhati Roy's writings align with ecofeminist principles in the way they explore the interconnectedness of environmental degradation, patriarchal structures, and the oppression of marginalized communities, particularly women. Ecofeminism, a movement that links environmental issues with gender, critiques the domination of nature and women under patriarchal and capitalist

systems. Roy's works, both fictional and non-fictional, reflect several key ideas central to ecofeminism.

Critique of Patriarchal Power and Capitalism:

Ecofeminism argues that patriarchal power structures are responsible for the exploitation of both women and the environment. In Roy's essays and activism, particularly in her critiques of development and global capitalism, she addresses how these systems often prioritize economic growth over the well-being of the environment and vulnerable communities. Her condemnation of large-scale projects like the Narmada Dam reflects this ecofeminist critique of patriarchal development models, which treat both nature and marginalized people (especially women) as expendable resources.

In *The Greater Common Good* (1999), Roy highlights the devastation caused by large dam projects, which not only destroy ecosystems but also displace tribal and rural communities. Many of these displaced individuals are women, who lose not only their homes but also their traditional roles in agriculture and community life. This aligns with the ecofeminist critique of development projects that disproportionately affect women, particularly those from marginalized groups.

Focus on Marginalized Women and the Environment:

Ecofeminists often focus on how environmental degradation disproportionately impacts women, especially in rural and indigenous communities, where women are primary caretakers of natural resources like water and land. Roy's activism and writing frequently foreground the experiences of these women, showing how they bear the brunt of environmental destruction.

In her support of the Narmada Bachao Andolan (Save the Narmada Movement), Roy acknowledges how the displacement caused by dam projects strips tribal and rural women of their livelihoods and cultural ties to the land. Women in these communities are often the ones most affected by the loss of natural resources because they are responsible for gathering water, firewood, and food.

Resistance to Development and Militarization:

Roy's writing critiques the intersection of state violence, environmental destruction, and the oppression of women. Ecofeminism emphasizes that women, nature, and marginalized communities often resist the imposition of development projects that are enforced through militarization or state violence.

In *The Ministry of Utmost Happiness* (2017), Roy touches on the militarization and violence in India, focusing on how the government's aggressive policies toward development and control affect marginalized communities,

including women. The novel explores themes of displacement, environmental degradation, and resistance, showing how women, like nature, are subjected to violence by patriarchal, militarized states.

Emphasis on Indigenous and Local Knowledge:

Ecofeminism values indigenous knowledge systems and women's roles in sustainable environmental practices. Roy frequently draws attention to the wisdom and sustainable lifestyles of India's indigenous and rural communities, especially women, who have lived in harmony with the environment for centuries.

In her non-fiction essays, such as *The End of Imagination* and *The Cost of Living*, Roy critiques the dismissal of indigenous and rural knowledge systems by the state and corporations in favor of industrial development. She advocates for the protection of these traditional ways of life, which are often more environmentally sustainable than modern industrial methods. This is a core ecofeminist argument: that patriarchal systems disregard the symbiotic relationship between women, nature, and sustainable living.

Connection Between Social and Environmental Justice:

Ecofeminism links social justice and environmental justice, arguing that environmental harm is inseparable from the exploitation of vulnerable populations. Roy's writing continually emphasizes that environmental destruction is not just an ecological issue but a social and political one. She views the exploitation of nature and the marginalization of certain groups—particularly women and the poor—as interconnected issues rooted in hierarchical systems of power.

In her broader body of work, including *Capitalism: A Ghost Story* (2014), Roy critiques how the exploitation of natural resources often goes hand-in-hand with the exploitation of labor and marginalized communities. She highlights how capitalist, patriarchal systems benefit a small elite while devastating the environment and the lives of the poor, especially women.

Nature and Gender in *The God of Small Things*:

In her novel *The God of Small Things* (1997), Roy subtly engages with ecofeminist themes. The lush, natural environment of Kerala plays a significant role in the novel, and the lives of the characters are closely intertwined with the land. The novel explores how patriarchal and caste-based oppression affects the female characters, especially Ammu, whose struggles against societal norms can be seen as paralleling the environmental degradation around her. The novel subtly critiques the destruction of both women and nature in a patriarchal society. Arundhati Roy's writings resonate with ecofeminist principles by highlighting the

intersection of environmental

degradation, patriarchal structures, and the marginalization of women, particularly those from rural, indigenous, and lower-caste communities. She critiques the dominant development models that exploit both nature and vulnerable people, offering a vision of justice that encompasses both social and environmental well-being. Her work demonstrates how ecofeminism's concerns about the connections between the treatment of women and nature play out in the context of postcolonial India, making her an important voice in both feminist and environmentalist discourse.

Conclusion:

This paper concludes by reiterating the importance of Arundhati Roy's non-fiction in offering a critical lens on the interconnectedness of environmental and political issues in India. Her work remains vital in understanding the costs of unchecked development, state violence, and the global capitalist system. Roy's advocacy for environmental justice, human rights, and democracy continues to challenge dominant political and economic narratives, making her an essential figure in contemporary environmental and political discourse.

Arundhati Roy's work is emblematic of postcolonial environmentalism, as it critiques the ongoing exploitation of both natural resources and marginalized people in postcolonial societies. She highlights how modern development and global capitalism replicate colonial patterns of resource extraction and social inequality. Roy's vision of environmental justice is holistic, recognizing the deep connection between ecological sustainability and the well-being of marginalized communities. In doing so, she aligns herself with a broader tradition of postcolonial thinkers who advocate for more just and equitable forms of development.

References:

- Roy, Arundhati. *The Algebra of Infinite Justice*. Penguin Books, 2002.
- Roy, Arundhati. *Field Notes on Democracy: Listening to Grasshoppers*. Haymarket Books, 2009.
- Roy, Arundhati. *Capitalism: A Ghost Story*. Haymarket Books, 2014.
- Nixon, Rob. *Slow Violence and the Environmentalism of the Poor*. Harvard University Press, 2011.
- Guha, Ramachandra. *Environmentalism: A Global History*. Longman, 2000.

Address:

ABSTRACT OF THE RESEARCH PAPER:

The research paper titled "INDO.-U.S. Nuclear Diplomacy and Power Politics" examines the evolution of nuclear diplomacy between India and the United States, focusing on the strategic, political, and economic dimensions of their relationship. The paper explores India's nuclear development from its first nuclear test in 1974 to the subsequent changes in global nuclear politics. It highlights key milestones such as the 2005 India-US Civil Nuclear Agreement, which marked a significant shift in the bilateral relationship.

The study analyzes how the US policy toward India's nuclear program evolved, particularly in the context of non-proliferation concerns, regional stability in South Asia, and global nuclear power dynamics. The paper also examines India's nuclear energy aspirations and its role in meeting the country's energy security needs. It further discusses the implications of US-India nuclear cooperation for international non-proliferation regimes and power policy, assessing the strategic benefits and challenges that have shaped the diplomatic engagement between both nations.


Basics of the Nuclear Deal

In 2008, the conclusion of the nuclear deal served not only as a sign of diplomatic victory but also a turning point in the Indo-US relations. The deal signifies a quantum leap in the relations from suspicion during the Cold War to strategic partnership in the 21st century. The subsequent approval of the deal by the US Congress clearly signifies that the new India-US partnership enjoys a broad spectrum of approval within the US. All these developments have happened despite India sticking to its stand of not signing the discriminatory NPT. The kind of aggression showed by Bush somehow has not been carried forward by Obama. The Obama regime took up traditional issues related to global non-proliferation around the NPT. However, the Nuclear Security Summits under The Prague Initiative of Obama, along with a new Strategic Arms Reduction Treaty with Russia and new Nuclear Posture Review, had created some discomfort in India not because they are steps for a strong global non-proliferation regime but because they were centred around the NPT and the CTBT which India refuses to ratify.

At a broader level, we need to understand the changing dynamics in Asia. Since the end of Cold War, China has gradually acquired economic and military strength and has resorted to incursions along the Line of Actual Control between


India and China. This has increased bilateral tensions. The Indian psyche still is affected with the defeat of 1962 and suspicions about China's intentions remain high. The growing proximity of India and the US is something China is uncomfortable with as the proximity is designed to contain its growth potential. This is not completely wrong as both India and US certainly favour an open Asian order which is not threatened by any regional hegemony. Any country which would prevent any Asian player to access productive gains from other Asian states would not be appreciated either by India or the US. Keeping this in mind, the Indo-US nuclear deal and rising strategic convergence between India and the US would seek to ensure that China does not single handedly dominate the Asia-Pacific and that the region remains free from dominance by any one nation.

One of the key structural determinants of the US-India Entente has been the economic regeneration of India since the end of the Cold War. However, the limitations on a deeper cooperation were placed due to the reluctance of the US to reconcile the nuclear status of India. The 1998 nuclear test by India was a serious jolt to the ongoing regeneration of the relationship. The US did not envisage any comprehensive alternative to the goal of nuclear non-proliferation yet wanted to improve relations with India. The subsequent Jaswant Singh and Strobe Talbot talks set in motion a new phase of bilateral engagement between the two states. As the ties witnessed an upswing, the announcement of Next Steps in Strategic Partnership in 2004 harbingered a new foundation in the relationship. The relationship has flourished in all directions ranging from commercial trade to naval exercises to the recently concluded logistical agreement.




The Bush administration, through the Indo-US nuclear deal, resolved the fundamental obstacle in the transfer of nuclear and high-end technology, thereby enabling India and the US to reach the full potential of their bilateral ties. The international realities have changed since the end of the Cold War. As the US policed the region of Asia and the world, China used the opportunity to undertake economic development. At the theoretical level, there is no consensus amongst scholars on the question of the political supremacy of the US. Scholars do

believe that the US is a dominant power but for how long this dominance would last is a concern.



Based on the realist's explanation of the international order, it is believed that the post-Cold War period is likely to be of unstable international order.




As a confrontation between the US and China will destabilise the Asia-Pacific, both sides have resorted to expand their influence. The Pivot to Asia of the US is being matched with the One Belt and One Road initiative of China. The change in the balance of power in the region compelled Bush administration to accept the ground realities and initiate strategic recalibration. The strategy of the US, as visible under Pivot to Asia, is to continue to engage with China and also increase the power of the states in the periphery of China. It is in this context that the US has also decided to reach out to new partners like India in a way never previously envisioned. The US has also always held Japan as a key partner in Asia. The US has also always held Japan as a key partner in Asia. As China rises, the proximity of the US, India and Japan is likely to fuel more tensions in the region. The recently concluded India-Japan nuclear deal (2016) is likely to further enhance Japanese position in Asia. The goal that India and Japan are trying to achieve through their cooperation is to ensure that China becomes more cooperative as both view China as a military threat. The recent assertion of China in South China Sea and China defining territorial waters as its core national interest has further increased the fears of the regional states. After China's reluctance to accept the verdict of the Permanent Court of Arbitration in 2016, the regional states feel that China may block the economic lifeline of the states that have maritime passages. China has also refused to allow India membership to the Nuclear Supplier Group. China's increasing influence in Pakistan, Nepal, Bangladesh and Myanmar are attempts to prevent the rise of India as an

important regional and global player.


To tackle this challenge, India has decided to adopt a new approach towards the US. The Bush administration, by giving India the nuclear deal, has successfully incorporated India into the global nuclear order and has encouraged India to emerge as a great power in the future. Thus, shifts in the global balance of power have encouraged the US and India to reorient their foreign policies and the nuclear deal is the most important symbol of this new partnership. Earlier, the visit of Bill Clinton to India in the 1990s had provided a new impetus to the relationship where Clinton and Vajpayee adopted a new vision for the 21st century. A purposeful direction in the Indo-US ties was introduced by the subsequent Bush administration, which began to view India as a strategic ally and refused to look to India solely through the lens of non-proliferation.

In 2005, Condoleezza Rice visited India to push for an unprecedented framework of cooperation with India. This took India by surprise but the Bush administration eventually announced civilian nuclear cooperation with India to help India emerge as a world power. After 9/11, Bush redefined how the US saw non-proliferation. The idea was that some states could not be trusted with nuclear weapons due to their unstable political regime domestically, while states like India, which have an impeccable non-proliferation policy to restore readability at the level of global non-proliferation norms, could be allowed nuclear access. The announcement of NSSP is deemed to be the game changer.



Bush realised that marginalising India would not benefit the nuclear non-proliferation order as he believed that the character of the regime was a more important determinant than a stand on a treaty to decide nuclear technology transfers. A nuclear deal successfully de-hyphenated India and Pakistan and gave India the de facto status of a nuclear weapon state. The change of the administration from Bush to Obama created some uneasiness amongst the Indian establishment. Bush looked at India as a new strategic landscape, while Obama, in his Pivot to Asia, did not look at India as a strategic player. What upset India further was Obama's toying with the idea of G-2 consisting of the US and China, allowing China the leverage to manage its dominance over the Asia-Pacific. What aggravated tensions further was the fact that, during Obama's visit to China, he made a reference to giving Beijing a lever in settling disputes between Pakistan and India.

Obama did, however, try to allay some fears by announcing support to India's candidature at the UN Security Council during his visit to India in November 2010.



At the national level in India, the BJP criticised the deal by advocating that separation of civilian and military installations (as committed by India under the deal) would compel India to incur huge costs. The Left parties which were in a coalition with the government of the day criticised the deal for renunciation of India's long held policy of nuclear disarmament and of non-alignment.



The starkest criticism of the deal came from the scientific community. The department of atomic energy strongly resisted the putting of fast breeder programmes under the civilian list. The government worked hard to remove and address the concerns of the scientific establishment. At the international level, India at the time of its deal, had to confront Iran. The US and Iran did not have a comfortable relationship as the US was deeply concerned about the Iranian nuclear programme. India was, on the other hand, reluctant to undermine its relations with Iran although it could not jeopardise a growing strategic partnership that had begun with the US in favour of Iran. India voted against Iran in 2006 at the IAEA voting. India clarified that when India had conducted a nuclear test in 1998, Iran had favoured a UNSC resolution asking India to put a cap on its nuclear capabilities and had urged India to sign the NPT and the CTBT. There are many things about Iran which caused discomfiture to India. India, however did not turn aggressive towards Iran and maintained that Iran was a great friend to India, while pushing

for resolving the Iranian nuclear issue through diplomacy. India used the IAEA and Iran's programme to highlight the role of A Q Khan and of Pakistan as a proliferators state. India sponsored the US/EU-favoured resolution, recommending Iran to be examined as a case by the IAEA. India clarified that its vote to prevent vitality in the Middle East and had no relation with Indo-US cooperation.

To place the Indian scientific community, the then Indian PM Manmohan Singh declared in the Indian Parliament that India's Fast Breeder Reactor (FBR) would not be put under international inspections of the IAEA and the FBRs would not constitute elements under the civilian list. India succeeded in this hard bargain with US.



With the bargain successfully undertaken, India signed the agreement on 1st March, 2006, achieving a judicious balance between the energy security and national interests. The conclusion of the 123 agreement (based on section 123 of the US Atomic Energy Act) became the touchstone of Indo-US partnership. In the deal, India has not made mention of any provision related to the testing of a nuclear weapon which is likely impact the deal, but the US President, under the Atomic Energy Act, is bound to ask for a return of nuclear technology if India tests a nuclear weapon. Many believed that a nuclear deal to India would convey to the world that the US lacks commitment to its broad goals of non-proliferation.

CONCLUSION-

The research paper concludes that Indo-U.S. nuclear diplomacy has fundamentally transformed the bilateral relationship between India and the United States, marking a significant departure from Cold War-era suspicions to a 21st-century strategic partnership. The 2008 nuclear deal, despite India's non-signatory status to the NPT, illustrates a unique diplomatic arrangement that addresses India's energy needs while accommodating its stance on nuclear sovereignty. This shift acknowledges India's responsible nuclear behaviour, aligning U.S. non-proliferation goals with India's ambitions for energy security and strategic autonomy. The agreement represents not only a pragmatic recognition of India's de facto nuclear power status but also sets a precedent for future nuclear cooperation frameworks.

At the geopolitical level, the Indo-U.S. nuclear partnership serves as a counterbalance to China's rising influence in the Asia-Pacific, promoting an open and

balanced regional order. As India strengthens its alliances with the U.S. and other regional actors like Japan, the partnership contributes to a more multipolar power structure in Asia, where no single state can dominate. However, the evolving strategic landscape also brings challenges, such as regional tensions with China and the delicate balance of India's relations with Iran. Overall, the Indo-U.S. nuclear accord has established a platform for deepening cooperation beyond nuclear diplomacy, with implications for global non-proliferation, regional security, and power politics in the Indo-Pacific.

REFERENCES-

Here are some references that would be relevant for a research paper titled "INDO.-U.S. Nuclear Diplomacy and Power Politics":

1. **Kapur, S. P. (2007).** *Dangerous Deterrent: Nuclear Weapons Proliferation and Conflict in South Asia.* Stanford University Press.
- This book explores the impact of nuclear weapons on South Asian security, particularly India's nuclear policy and its interactions with the United States.
2. **Mohan, C. R. (2006).** *India and the Balance of Power.* *Foreign Affairs*, 85(4), 17-32.
- This article discusses India's rise as a global power and its nuclear diplomacy with the United States as a critical aspect of its strategic balance in the international system.
3. **Perkovich, G. (1999).** *India's Nuclear Bomb: The Impact on Global Proliferation.* University of California Press.
- A comprehensive analysis of India's nuclear program, offering insights into India's motivations and the international response, including that of the United States.
4. **Pant, H. V. (2008).** *The US-India Nuclear Pact: Policy, Process, and Great Power Politics.* *Asian Security*, 4(2), 146-170.
- This paper provides an in-depth examination of the US-India nuclear agreement and its broader implications for power politics.
5. **Tellis, A. J. (2001).** *India's Emerging Nuclear Posture: Between Recessed Deterrent and Ready Arsenal.* RAND Corporation.
- This book provides a detailed analysis of India's nuclear strategy and its relevance to US-India nuclear relations.
6. **Khan, S. (2012).** *India, Pakistan, and the Bomb: Debating Nuclear Stability in South Asia.* Columbia University Press.
- A critical analysis of nuclear stability in South Asia,

touching upon India's nuclear diplomacy with the US and the broader regional implications.

7. **Saran, S. (2013).** *How India Sees the World: Kautilya to the 21st Century.* Juggernaut Books.
- Offers a unique perspective on Indian foreign policy, including its nuclear diplomacy and strategic ties with the United States.
8. **Mistry, D. (2014).** *The India-U.S. Nuclear Agreement: Diplomacy and Domestic Politics.* *Asian Survey*, 54(5), 860-882.
- This article explores the political processes behind the India-US nuclear deal and its impact on the strategic partnership.
9. **Joshi, S. (2010).** *The India-US Civil Nuclear Agreement: A Debate on Nuclear Energy and Non-Proliferation.* *Strategic Analysis*, 34(5), 658-670.
- A debate-oriented discussion of the implications of the civil nuclear agreement between India and the US.
10. **Cohen, S. P. (2013).** *Shooting for a Century: The India-Pakistan Conundrum.* Brookings Institution Press.
- This book places India's nuclear policy within the context of its relations with both the United States and Pakistan.

These references will provide a solid foundation for understanding the historical, political, and strategic dimensions of nuclear diplomacy between India and the United States.

Aishwarya Awasthi

Research Scholar

Political Science

CSJM University, Kanpur

Dr. Pushker Pandey

Associate Professor

Department of Political Science

D.A-V P.G. College,

CSJM University, Kanpur

Understanding the Philosophy of Tribal Life: Tribal Knowledge System & Traditions

Dr. (Prof) Tapan Kumar Shandilya



Abstract

Tribal societies can be described as an age-old society existing for time immemorial in a place or a country. They can be termed as cohesive and simplistic rule bound group of people. In developing into more diffracted society tribal society too took their time and are still in the process of change. Process of change took place because of both external and internal factors. Internal factors came into play as their population increased and there was a requirement for wise utilization of natural resources to everyone or to every family. Due to the external changes forced upon them their whole style of living was tormented. This was due to changes in the landscape and rise of other societies around them which to larger extent disturbed their socio- cultural ways of living. Due to changes tribal societies consciously started to focus on their cultural aspects and tried to preserve them for future generations with the help of government and through their own indigenous efforts. This role was taken up by elders of the community who possessed the age-old knowledge of their traditions and culture from their fore fathers. Tribal societies did not have any script initially and mostly focused on Oral ways of transfer of knowledge and culture.

Certain community traditions such as Akhra, Sahiya, Madaiet, Bhaiyari, Dhumkuria, Traditional Self Governance system, Purity concept of Lands, Rules of marriages and rites, Customary laws and significance and ways of celebrating Festivals were preserved with help of elders. Knowledge system of Horapathy (Traditional Tribal Medicinal System), Foods/Cuisines, Indigenous Knowledge (Desaj Gyan/ ??? ????), Agriculture were transferred and to next generations and were tried to be preserved lately. Even though Much information was lost due to lack of record keeping some customs, traditions, technical knowhow were successfully passed down to generations through community knowledge transfers and folk- lores. Folk stories and folk lore of the community are the store house of the information to understand the nature and growth of the society. They represent the socio-cultural aspects of that particular tribal groups. They represent their heroes and their heroic acts along with the cultural rejoice and hardships they faced during their growth. Though in historiography oral traditions are not given much value but they are indeed of much importance.

Keywords: Tribal Society, Tribal Traditions, Indigenous

Knowledge, Folk Stories, Tribal Festivals

Introduction

Dr. Ram Dayal Munda said the basic value of Tribal society is in Collectivism. Against individualism, tribal society respects and takes pride of its socio-cultural practices as a collective and cohesive group. This group is led by their elders in time of crisis, change and conflict.

The concept of Great Tradition and Little Tradition needs to be understood to understand role of community elders in preserving traditional knowledge system and traditions. Great tradition is a formal system of society where educated and elite class rule political system with the help of formal setup of written law, Urbanized education and religious- philosophical discourse. In contrast to great tradition, little tradition is a system based on informal, local, rural, oral, customs based, myths, rituals etc.

Little tradition is recognized with tribal setup in this context. In course of time both the systems run together and, in the process, both got affected by each other by assimilating things from each other. But great tradition was overpowering in its nature and always tried to put its culture and philosophy on little tradition. In turn little tradition many a times gets attracted by them and incorporate things that in time erases their original way of living. "Sanskritization and Rajputisation" are some terms well known to us where little tradition copies ways and living of great tradition which we can see in the case of RAJGONDS of Central India.

Young generation is always overwhelmed and attracted with things that are hyped in any society. They blindly follow those trends and in following them they tend to forget their original customs, rituals and way of living. For example, Playing of DJ speakers in place of traditional musical instrument in Tribal marriages now. This can be an example but many more traditions have been distorted and forgotten by floating trends of anytime.

Elder's role comes here to safeguard their community traditions, socio-cultural practices and sensibly educating young generations towards their rites and traditions. Since time im-memorial every culture has affected other cultures with their ways and philosophy and in turn got affected by

them. This process of Interaction-Assimilation goes on.

Discussion on certain traditional practices:

We must discuss certain traditional practices of tribal society that are crucial and role of elders in them is well noted. They seem to have lost their importance due to changes in socio-cultural landscapes around the world but are extremely important to the survival of tribal society.

a) Akhara Tradition

"Je Nachi se Bachi" a statement by visionary Dr Ram Dayal Munda clearly says why Akhara is important. Akhara reflects the "communitarian & sense of togetherness" feature of Tribal life where everyone participates together. Akhara is an important village level cultural institution of tribal life in Jharkhand. It is compulsorily found in tribal villages. We can say that bigger, smaller or primitive all tribes give importance to this system and Akhara is very important cultural institution in Jharkhand state. It is a representative of village culture in Jharkhand. In most villages we find an Akhara, the village dancing ground. In all socio-religious occasion dances are performed by both the genders accompanied by their traditional musical instruments. The public place, Akhara, is located at the centre of the village. This place can be said as the place of entertainment where tribal people dance and sing during the time of their festivals. This is also a place of discussion and meeting of the village. It is of two types one for celebration and another is for meeting. Not only dance, Akhara is a place in the village where all the members of village young and old meet and they transfer their knowledge about nature, science and medicines to next generation. This is the way traditional knowledge goes from one generation to another.

Akhara System in Recent times:

But in recent time due to large scale Migration for jobs and studies this unique system is in doldrum now. Youths do not return to their villages on festivals now, so only few meetings are organized on community level. This is the one-point solution to many problems of recent times. This place offers a lot to a tribal society. This must be revived so that transfer of any kind of knowledge is being done on a regular basis.

b) Sahiya Tradition

Sahiya reflects the "Openness of the society towards women" a unique feature of Tribal life.

Sahiya means love, equality and respect for others with true heart and soul. This is the unique tradition of Jharkhand. Marriage is a process of making life long relation but tradition of Sahiya gives an opportunity to a woman to establish a world of relationship which is apart from her maternal and in-law relation. Sahiya is a mutual friendship

relation between two people. It creates altogether a new relationship, which goes till the end of life. In this tradition both the party consider each other's sorrow, problems and happiness as their own and they try to help each other on every occasion such as marriage, Mundan, Festivals and on death also.

c) Madaiet Tradition

Madaiet reflects the "Egalitarian & Community feeling of Oneness" of Tribal life.

It means to help someone, to be with someone and to co-operate/ collaborate with someone. This process like Sahiya, is also seen in Tribals society of Jharkhand. This relationship like Sahiya is very unique and cannot be seen anywhere in the world. Tribals society helps each other in any big or small occasions. They seek each other's help in events such as marriage, planting crops in the fields, making well in the village, land tilling and many such events where a single person is not capable enough to do it. There is no money given for the help. This is purely mutual. While helping snacks, food and drink is arranged for people helping and they can have it as much as they can. No one is allowed to take food home. There is no membership kind of thing. Whosoever needs help clearly asks for it and in turn he/she will help when other party asks for help on any occasions. This process is still alive in villages of Jharkhand and is a symbol of community unity and mutual love and respect.

d) Dhumkuria Tradition

Dhumkuria is situated near to the entrance of most of the villages, bachelor's hall, differently known as the dhumkuria among the Oraons, gitiora among the Mundas, ghotul among the Gonds, morung among the Nagas and other tribes in the North East. These were large huts, built by the youngsters of the place, to serve at night as dormitory for boys. It was not only a place of rest after the day's workout also a cultural institution to initiate the youth into various cultural aspects of their society.

Dhumkuria is the only indigenous institution for training youth that the Oraon have possessed traditionally. It appears to have been evolved at a primitive stage of the Oraon tribe, and must have served a useful purpose in the savage stage of society when hunting was the principal occupation of the people. It is the hut for Dhangars or young men. This institution of dhumkuria appears to be genuine and unadulterated product of primitive Oraon culture.

e) Traditional Self Governance system

Tribes in the Jharkhand have a system of political governance from a very long period of time. Long before the appearance of Nagbansi kings in around 64 A. D, the

Traditional System existed in the Chotanagpur region. The systems are existing and continue to function in several parts of Jharkhand, namely Munda Manki system in Kolhan region (Ho tribe), Manjhi-Praganait system in Santal region (Santal tribe), Parha Raja in Munda or Oraon region. Many factors have led to weakening of the Traditional System; introduction of the statutory Panchayat in the area has been the worst influence. The British used the system for revenue collection and maintain law and order. The traditional heads were made rent collectors and the agents of the British rule. They were also given statutory powers.

STRUCTURE OF TRADITIONAL SYSTEM

The structure of the Traditional System has many common features. The first level organization functions at the village level, second level organizations are at 5-6 village group levels, and third level organizations for 5-22 villages. In the case of Munda, Ho, Santal. the village and inter-village councils are well defined. But in changing times people are not understanding these systems because there are no seniors to tell them about these traditional systems. To understand them elders must t

Various levels of the Traditional Tribal Village Leaders

Tribes	Leaders	Leaders	Leaders
	(Village level)	(5-6 villages)	(22 villages)
Santal	Manjhi	Desh Manjhi	Parganait
Munda	Munda	Manki	Parharaja
Oraon	Mahto	Divan	Parharaja
Ho	Munda	Manki	Three Manki
Bhumij	Naina	Munda	Naumahal

f) Hodapathy:

Hodapathy reflects the "Ecological and nearness to nature" feature of Tribal life.

It is a traditional folk medicinal practice done by Tribals. Tribals since ages have been close to the nature. They knew from early times which trees, herbs and their utility in case of different diseases. They live in a consonance with nature. They use plants with medicinal properties. Malaria is very prominent in Jharkhand among people. But due to loss of Akhra system, the knowledge system for medicine is almost lost as there is no knowledge transfer among generations.

g) Customary Laws

People in tribal groups because of Migration have lost the opportunity to sit and understand the rules governing their society in case of marriage, child rights, death rites, rights of men, women and daughters, concept of immediate family, rules for inheritance, laws of divorce, criminal system etc. nowadays people don't sit with elders to understand them.

Above points regarding Tribal traditions are very crucial for them. Except those points many more such things

such as festivals, ways of agriculture, lands etc which all cannot be discussed here. And in all, the role of elders is very important. They show the ways towards solidarity and respect for every member of their society along with non-living things. So, role of elders is very crucial in safeguarding age old knowledge system and traditions.

Oral Tradition (folklore/folk stories)

A little discussion on oral tradition is important as folk stories and folk lores are very important concepts which help historians fill the gap of any event. Oral tradition is the collection of information through the word of mouth from generation to generation. It has been the main way of transmitting information in societies where people do not know how to write. Now this transmitted information can be in the form of stories, poems and songs. Many stories can be in the form of tales, myth, legends, proverb etc. folklore folk stories preserve past events very carefully in it. They even contain knowledge of medicine, agriculture, astronomy etc in them. But who is the custodian of these oral matter? Community Elders. They are gone all knowledge and information of ages gone. So, in truest sense Community elders in tribal societies are the true custodians and they only help preserve their knowledge and traditions.

Conclusion

We have seen different traditions and knowledge systems that are crucial for tribal societies for their solidarity and pride. Younger generations to know them require seniors of their society, which through knowledge transfer, transfers age old information to them. But there is a kind of depreciation we see because of external changes on tribal groups in many forms. Blindly Copying norms of different culture and social groups will ultimately lead to extinction of unique cultural aspects of the community in long term. For this to be safeguarded role of community elders, their traditional leaders and role of government is very crucial. The changes must come from within the group to unfollow what they followed just in copying. A factor of pride must be instilled in members of a group by writing about their heroes and group pride. Younger generations must know their knowledge, customs, rules and traditions to counter any change from outside. There are incidences where tribal groups have stopped playing DJ in marriages and even stopped role of money in marriages. Whole concept of marriage has been changed after looking at the other culture. In other cultures, boys go to girl house to take her as a wife after some ritual i.e., barat system. Wherein HO tribe girls come to boy's house for marriage ceremony. So younger generation must know if anything is done in a certain way, why it is so.

But many more things are coming that will shatter their socio-cultural fabric, if charge is not taken by the elders and leaders of the community. Role of government is very crucial at this juncture. Government through its program work for preserving the culture and give a space to them in a larger canvas. Government with welfare schemes are trying to stop or minimize migration of tribal people so that they keep connected to their roots. A constant and collaborative effort of Elders, Leaders, Writers and Government is required in preserving traditions and knowledge systems.

References

<https://anthroholio.com/great-tradition-and-little-tradition>
<https://fid4sa-repository.ub.uni-heidelberg.de/3985/1/Kshatriyaization%20and%20social%20change.pdf>

<https://www.jagran.com/jharkhand/ranchi-ramdayal-munda-remembered-on-his-birthday-21955814.html>

Sarat Chandra Roy, *The Oraons of Chotanagpur: Their History Economic life and Social Organisation*, 2004, Ranchi, pg. 128

Sharan, Ramesh., Singh Prabhat K., Sahu, Suresh P. (1999). Present status of traditional system of governance among the tribes of Bihar. *Social Change: September-December 1999: Vol. 29* (Nos. 3 & 4)

Sharan, Ramesh., Singh Prabhat K., Sahu, Suresh P. (1999). Present status of traditional system of governance among the tribes of Bihar. *Social Change: September-December 1999: Vol. 29* (Nos. 3 & 4)

<https://www.newindianexpress.com/good-news/2022/Mar/18/boost-for-tribal-community-as-jharkhand-to-promote-hodopathy-through-medicinal-gardens-2431825.html>

Vijayakumari, K., (2018). Oral Tradition as Source of Construction of History of Pre-

Literate Societies. *Asian Review of Social Sciences*

Dube, S.C., (1990). *Tradition and Development*, Delhi, Vikas Publishing House Ltd, 99-106.

Dr. (Prof) Tapan Kumar Shandilya

Vice Chancellor

Dr. Shyama Prasad, Mukherjee University
Ranchi, Jharkhand

**Abstract :-**

This academic investigation offers a comprehensive analysis of Dalit literature within the framework of postcolonial Indian society, interrogating its dual functionality as both a mirror reflecting systemic inequities and a catalyst for transformative action. Located within the cross-disciplinary landscape of literary studies, social theory, and post-colonial critique, the inquiry encompasses a detailed review of primary texts, critical essays, and socio-political contexts to unearth the deeply embedded paradigms of social exclusion and caste-based marginalization that Dalit literature articulates. The inquiry posits that Dalit literature serves as a platform where the historically dispossessed can articulate their experiences of marginalization in a society deeply stratified by caste, thereby unveiling the underlying fissures within the ostensibly unified narrative of Indian nationhood. It does so by employing unique thematic perspectives and narrative techniques that deviate from the established norms of mainstream Indian literature, thus positioning it as a counter-narrative that problematizes hegemonic discourses. Simultaneously, the study contends that Dalit literature possesses an emancipatory potency that transcends its descriptive functions. It argues that by providing a voice to the subaltern, and by disrupting normative literary conventions, Dalit literature functions as an ideological instrument that galvanizes collective consciousness and engenders grassroots mobilization. Consequently, it operates not merely as a passive repository of social grievances but as an active instigator of transformative social change. This scholarly endeavour aims to contribute to the extant body of academic literature by bridging the epistemological gap between literary criticism and social theory, as it pertains to the complex interplay of Dalit literature and its socio-political implications in contemporary India.

Key Words: Dalit literature, post-colonial India, marginalization, social change, narrative strategies The discourse surrounding Dalit literature in post-colonial India serves as an illuminating lens through which the complexities of marginalization and voice can be examined. Originating from the societal fringes, Dalit literature has evolved as a form of resistance, a counter-narrative to the dominant paradigms that have historically marginalized the Dalit community. In essence, this body of work endeavors to be a voice for the voiceless, drawing upon lived experiences to challenge existing hegemonic structures. The notion of 'voice' here

extends beyond mere articulation; it encompasses an assertion of identity, agency, and belonging, presenting a multi-faceted account of Dalit experiences that interrogate and disrupt social norms. This research paper seeks to conduct a comparative analysis of seminal works in Dalit literature, aiming to explore how these literary creations engage with themes of marginalization and voice in the complex sociopolitical landscape of post-colonial India. By examining a range of works that span different genres, styles, and thematic focuses, the study intends to unveil the nuanced ways in which Dalit literature articulates resistance and identity. The objectives of this study are twofold. First, to dissect how Dalit literature grapples with the concept of marginalization—be it social, economic, or psychological. This entails examining how authors delve into the labyrinthine structures that perpetuate marginalization, from casteist prejudices to economic disparities. Second, to investigate the narrative strategies employed by Dalit authors in crafting voice and articulating resistance. Here, focus is placed on literary techniques, from the use of language and symbolism to the incorporation of local dialects and folklore, which imbue the text with a sense of authenticity and urgency. With these objectives in mind, this paper posits a series of research questions: How does Dalit literature in post-colonial India engage with the issue of marginalization? What narrative strategies are employed to craft voices of resistance and assertion? By addressing these questions, the study aims to contribute to the academic discourse surrounding Dalit literature, while shedding light on broader issues of marginalization and identity in post-colonial India. The existing body of scholarship on Dalit literature in post-colonial India offers a complex tapestry of perspectives that illuminate various dimensions of marginalization and voice. These studies are significant in that they serve to contextualize and provide the theoretical grounding for the present investigation. Another area of focus in existing literature is the thematic investigation of Dalit writing. Works like "Untouchable Spring" by G. Kalyana Rao or "The Annihilation of Caste" by B.R. Ambedkar are often cited for their stark portrayal of marginalization, not merely as a socio-economic condition but as a psychological and existential state. Studies by authors like Sharmila Rege and Gayatri Spivak delve into how these themes manifest across various genres and narratives. A less frequent but growing approach involves comparing Dalit literature with other subaltern

literatures both within and outside India. Such studies are valuable for their transnational perspectives, bringing global dimensions of marginality and voice into focus. It is also important to note the critiques leveled against the study and classification of Dalit literature. Some academics question whether categorizing literature as "Dalit" risks essentializing a diverse range of experiences and voices, thereby perpetuating the very marginalization it seeks to combat. The methodological approach for the research paper "Marginalization and Voice: A Comparative Analysis of Dalit Literature in Post-Colonial India" encompasses a multifaceted comparative textual analysis. The seminal works selected for this study are Bama's "Karukku," Valmiki's "Joothan," and Anand's "Untouchable." These texts have been chosen for their critical acclaim, social relevance, and the diversity of experiences they encapsulate, thereby making them representative examples of Dalit literature. In order to dissect the issues of marginalization and voice, each text will be subjected to close reading and critical interpretation. Both thematic elements and narrative techniques will be examined in detail. Themes will be analyzed to understand how each work portrays the marginalization of Dalits, be it through the lens of caste discrimination, economic disparity, or social exclusion. Simultaneously, the study will scrutinize the narrative techniques employed by the authors, such as language usage, structural choices, and literary devices, to ascertain how these contribute to the text's portrayal of Dalit voices. The study also employs an interdisciplinary framework by drawing insights from sociology, history, and political science to enrich the literary analysis. This will ensure that the texts are not only understood in their literary dimensions but are also situated within the broader socio-political and cultural contexts of postcolonial India. Moreover, the comparative nature of this study aims to reveal commonalities and divergences across the chosen texts, thereby offering a panoramic view of Dalit representation in literature. By employing a methodological approach that is both comprehensive and nuanced, this study aspires to provide a scholarly contribution that is innovative in its analytical breadth. The comparative textual analysis serves as a robust tool for probing the complexities inherent in the themes of marginalization and voice, enabling a deeper understanding of the multifaceted world depicted in Dalit literature. The investigation into the thematic element of marginalization in Dalit literature opens up an intellectual expanse that is both poignant and complex. The selected works—Bama's "Karukku," Valmiki's "Joothan," and Anand's "Untouchable"—serve as powerful literary conduits to explore the multi-dimensional facets of marginalization

experienced by Dalits in post-colonial India. These narratives, while rooted in their specific cultural and social milieus, speak to broader issues of social exclusion, economic deprivation, and educational disenfranchisement. In Bama's "Karukku," the text presents marginalization as an omnipresent reality that pervades every sphere of life for Dalits. The author employs first-person narrative techniques to create an autobiographical atmosphere that captures the raw essence of life at the fringes of society. The marginalization here is not only limited to economic aspects but also extends to cultural and religious domains. Bama emphasizes the restrictions placed on Dalits in the sphere of religious practices, illustrating how social discrimination is sanctified and institutionalized in the realm of spirituality. Furthermore, Bama delves into gender-based marginalization, providing a lens through which one can examine how Dalit women face a unique set of challenges that compound their social and economic marginality. In Valmiki's "Joothan," marginalization is portrayed as both a systemic and normalized part of everyday life. The narrative is replete with instances where Dalits are subjugated and exploited by members of higher castes. Interestingly, Valmiki employs a meta-narrative technique to reflect upon the very act of writing as a form of resistance against marginalization. Through the character's struggle for education and literary expression, the text suggests that reclaiming one's voice is an essential step toward alleviating marginalization. Anand's "Untouchable" takes a different tack by examining marginalization in the context of a single day in the life of a Dalit individual. The book utilizes a third-person narrative style that serves to distance the reader from the immediacy of the protagonist's experiences, thereby forcing a reflective engagement with the marginalization depicted. Anand concentrates primarily on occupational stratification, elucidating how certain jobs are deemed 'untouchable,' thereby relegating Dalits to the most demeaning and hazardous forms of labor. An analysis of these works reveals a consistent thematic core: the inherent humanity of the Dalit characters is persistently negated through systemic marginalization. Economic marginalization manifests in the precarious living conditions, low-paying jobs, and lack of access to resources that are portrayed across these narratives. Educational marginalization is depicted through characters who are either denied access to education altogether or are subjected to a hostile educational environment that reinforces their lower social status. The texts also lay bare the social ostracization that stifles the mobility and agency of Dalits, trapping them in a cycle of perpetual marginalization. Yet, it

is crucial to note that these texts do not merely offer a passive representation of victimhood. Each narrative also embodies varying forms of resistance, whether it be through assertion of identity, reclaiming of voice, or strategic navigation of socio-economic constraints. Therefore, these works serve as both a mirror and a window: a mirror reflecting the grim realities of Dalit marginalization, and a window offering a glimpse into the resilience and agency that challenge this marginality. Through a nuanced comparative analysis of these seminal works, this study provides a comprehensive understanding of how marginalization is portrayed in Dalit literature. It elucidates the complex interplay of economic, social, and educational factors that constitute the experience of marginalization, thereby contributing to the broader academic discourse on the subject. Dalit literature serves as a critical platform for marginalized voices, illustrating not only the harrowing conditions Dalits face but also the resistance and agency they embody. The notion of voice becomes an integral part of the literature, operating as both an articulation of individual and collective identities as well as a tool for social and political resistance. The works under consideration—Bama's "Karukku," Valmiki's "Joothan," and Anand's "Untouchable"—while disparate in their narrative techniques and stylistic idiosyncrasies, converge around the idea that voice is both a symptom and a solution to the broader issue of marginalization. In "Karukku," Bama provides a vivid demonstration of how the marginalization of Dalit Christians intersects with the larger Dalit narrative in India. The voice in "Karukku" emerges as a chorus of lamentation and protest, contributing to a narrative where identity is simultaneously asserted and critiqued. However, what sets "Karukku" apart is its incorporation of oral traditions. These oral narratives, intrinsically tied to the local culture and setting, serve as acts of resistance against the erasure of Dalit stories from mainstream history and literature. Valmiki's "Joothan" offers another facet to this discussion. The protagonist's pursuit of education functions as a metaphor for the broader struggle of Dalits to find their voice within a social system designed to mute them. His quest for literacy is not merely a personal endeavor but a socio-political act that challenges the preordained social hierarchies. The act of writing becomes a form of resistance in itself, a reclaiming of history and identity that mainstream narratives have long neglected or distorted. "Untouchable" by Mulk Raj Anand presents a more intricate representation of voice. The protagonist, Bakha, is in a constant struggle with his own internalized oppression, which impacts his ability to speak against the injustices he faces. However, Anand cleverly juxtaposes Bakha's silence against the larger cacophony of

voices that discuss, debate, and determine his fate. In doing so, Anand raises critical questions about who gets to have a voice in society and under what conditions. The silence of Bakha, far from being a mere absence of speech, becomes a poignant statement on the limitations and complexities of resistance. The convergences across these works are most prominently seen in the thematic focus on marginalization and the portrayal of voice as a multifaceted instrument of resistance. They all depict how Dalits, despite enormous social and systemic pressures, find ways to express their agency, whether through oral traditions, education, or subtler forms of everyday resistance. However, divergences are also palpable, especially in narrative style and structure. While "Karukku" employs a semi-autobiographical, first-person narrative, "Joothan" utilizes a more meta-narrative technique, and "Untouchable" opts for a third-person lens. These differences in narrative technique shape the reader's engagement with the themes of voice and marginalization. For instance, the first-person narrative of "Karukku" creates a sense of immediacy, while the third-person narrative in "Untouchable" encourages reflective distance. Moreover, these works diverge in their treatment of intersectionality. While "Karukku" considers the unique marginalization faced by Dalit Christians, "Joothan" and "Untouchable" focus primarily on caste-based discrimination, leaving other intersecting axes of identity like gender and religion less explored. In conclusion, Dalit literature serves as an invaluable lens through which one can examine both the grim realities of marginalization and the nuanced forms of voice and resistance that challenge this marginality. Through a comparative analysis of these seminal works, one gains a multifaceted understanding of how the themes of marginalization and voice are differently configured yet similarly critical across varying literary landscapes. Conclusion: In conclusion, Dalit literature functions as an intricate interface between mirroring the contours of marginalization and advocating for socio-political change. It offers invaluable insights into the complexities of identity, societal norms, and entrenched systems of oppression that characterize the lived experiences of the Dalits in post-colonial India. These works not only capture the grim realities of disenfranchisement and social exploitation but also illuminate the forms of agency and resistance that these communities employ. The duality of Dalit literature's function is critical to understanding its transformative potential. On one hand, it acts as a reflective lens, meticulously documenting the grim realities of Dalit life—from economic deprivation to social exclusion and educational disenfranchisement. These narratives are

steeped in historical specificity and cultural authenticity, making them effective vehicles for communicating the nuanced experiences of marginalization. On the other hand, Dalit literature emerges as a disruptive force that seeks to challenge entrenched ideologies and social hierarchies. By giving voice to the voiceless and rendering visible the invisible, these literary works function as sites of resistance, advocating for both individual and collective liberation. The works analyzed in this paper—Bama's "Karukku," Valmiki's "Joothan," and Anand's "Untouchable"—exemplify these dual functions. They stand as testament to the transformative power of literature, capable of both reflecting and altering social realities. In analyzing them, one appreciates the layered dimensions of marginalization and the multiple modalities through which Dalits assert their voice. Thus, Dalit literature serves as both a rich academic inquiry and a potent social critique, contributing to a more comprehensive and nuanced understanding of social marginality and resistance in contemporary India.

Reference:- Ambedkar, B.R. "Annihilation of Caste." Critical Quest, 1936.

Chakravarti, Uma. "Gendering Caste: Through a Feminist Lens." Stree, 2003.

Chatterjee, Partha. "The Nation and Its Fragments: Colonial and Postcolonial Histories." Princeton University Press, 1993.

Deshpande, G. P. "Dalit Literature: An Introduction." Economic and Political Weekly, vol. 28, no. 26, 1993, pp. 1352-1356. Foucault, Michel. "The History of Sexuality." Pantheon, 1978. .

Iyer, N. Sharda. "Dalit Literature: A Critical Exploration." Prestige Books, 2008. .

Kumar, Ashok. "Dalit Personal Narratives: Reading Caste, Nation and Identity." Orient Blackswan, 2010. Limbale, Sharankumar. "Towards an Aesthetic of Dalit Literature." Orient Longman, 2004.

Memmi, Albert. "The Colonizer and the Colonized." Orion Press, 1965.

Mohanty, Chandra Talpade. "Feminism Without Borders: Decolonizing Theory, Practicing Solidarity." Duke University Press, 2003. .

Nandy, Ashis. "The Intimate Enemy: Loss and Recovery of Self Under Colonialism." Oxford University Press, 1983

. Narayan, Badri. "Women Heroes and Dalit Assertion in North India." Sage Publications, 2006. Nayar, Pramod K. "Reading Culture: Theory, Praxis, Politics." Sage Publications, 2012.

Omvedt, Gail. "Dalits and the Democratic Revolution: Dr. Ambedkar and the Dalit Movement in Colonial India." Sage

Publications, 1994. Sartre, Jean-Paul. "Colonialism and Neocolonialism." Routledge, 2002.P

Spivak, Gayatri Chakravorty. "Can the Subaltern Speak?" Macmillan, 1988.

Valmiki, Omprakash. "Joothan: A Dalit's Life." Samya, 2003.

Viswanathan, Gauri. "Masks of Conquest: Literary Study and British Rule in India." Columbia University Press, 1989.

Zelliot, Eleanor. "From Untouchable to Dalit: Essays on the Ambedkar Movement." Manohar, 2001.

Name: - Reena

PHD scholar English

Niilm University Kaithal Haryana

Email: - IDreenagrover003@gmail.com

[Contact No: - 8930094266](tel:8930094266)

Name: Mohammed Ishaq

Assistant Professor In English

Niilm University Kaithal.